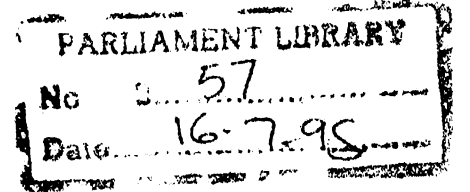


लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(भाग-दो)
(ग्यारहवीं लोक सभा)



(खण्ड 12 में अंक 1 है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद
हिन्दी संस्करण
शुक्रवार, ११ अप्रेल, १९९७/२१ वैत्र, १९१९ शक
का
शुद्धि-पत्र
.....

<u>कॉलम</u>	<u>पीकत</u>	<u>के स्थान पर</u>	<u>पीटुर</u>
विषय-सूची(i)	॥	तेरवां	तेरहवां
१७९	नीचे से १०	मुक्तपुजा	मुवत्तुपुजा
२१८	१६	पक्षती, श्री अजय	पक्षती, श्री अजय
२२४	नीचे से ८	खरवार, श्री घनश्याम चन्द्र	खरवार, श्री घनश्याम चन्द्र
२२७	नीचे से २	पाटिल, श्री शिवराजु वी.	पाटिल, श्री शिवराज वी.
२३३	नीचे से १३	श्री आर. ज्ञानगुस्वामी	श्री आर. ज्ञानगुस्वामी

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 12, चौथा सत्र (भाग दो), 1997/1919 (शक)]

अंक 1, शुक्रवार, 11 अप्रैल, 1997/21 चैत्र, 1919 (शक)

विषय	कालम
निधन संबंधी उल्लेख	1
सभा घटल पर रखे गये पत्र	2-3
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	3
प्राक्कलन समिति	
चौथा, पांचवा और छठा प्रतिवेदन - प्रस्तुत	3-4
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां और तेरहवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत	4
शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
छठा और सातवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश - प्रस्तुत	5
मंत्रि-परिषद् में विश्वास का प्रस्ताव - अस्वीकृत	5-234
श्री एच.डी. देवेगौड़ा	5-13, 193-215
श्री जसवंत सिंह	13-24
श्री पी. आर. दासमुंशी	24-35
श्री इंद्र कुमार गुजराल	35-47
श्री सोमनाथ चटर्जी	47-62
श्री चन्द्रशेखर	62-67
श्री मधुकर सरपोतदार	67-81
श्री राम विलास पासवान	81-92
श्री प्रमोद महाजन	92-106
श्री शिवराज वी. पाटिल	106-112
श्री पी. चिदम्बरम	112-123
श्री नीतीश कुमार	124-133
कुमारी उमा भारती	133-142
श्री राजेश पायलट	142-150
श्री कांशी राम	150-152
सरदार सुरजीत सिंह बरनाला	154-158

श्री चित्त बसु.....	158-161
श्री पी.एन. शिवा.....	161-165
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन.....	165-167
श्री जय प्रकाश.....	167-170
श्री जी.एम. बनातवाला.....	170-173
प्रो. सैफुद्दीन सोज.....	173-176
डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा.....	176-178
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी.....	178-179
श्री इन्द्रजीत गुप्त.....	180-185
श्री अटल बिहारी वाजपेयी.....	188-193

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, 11 अप्रैल, 1997/21 चैत्र, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे हमारे सम्मानीय मित्र श्री विश्वेश्वर राव राजे के निधन की सूचना इस सभा को देनी है।

श्री विश्वेश्वर राव राजे छठी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने 1977 से 1979 तक महाराष्ट्र के चन्दपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले 1957 से 1977 तक वह महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य रहे।

एक समर्पित राजनैतिक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता श्री विश्वेश्वर राव राजे विभिन्न सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध थे और उन्होंने श्रमिकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की दशा में सुधार के लिए अनेक कार्य किए। उनकी ग्रामीण क्षेत्रों विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के प्रसार में विशेष रूचि थी।

पत्रकार, श्री विश्वेश्वर राजे ने मराठी साप्ताहिक "गोंडवाना" का प्रकाशन शुरू किया।

श्री विश्वेश्वर राव राजे का 27 मार्च, 1997 को अहेरी में निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे।

हमें हमारे इस मित्र के निधन से अत्यधिक दुःख है और मैं और यह सभा शोक सन्तप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं।

सभा के सभी सदस्य अब दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी 21 मार्च, 1997 की उद्घोषणा, जिसके द्वारा 17 अक्टूबर, 1996 को उनके द्वारा जारी की गई पूर्ववर्ती घोषणा को वापस लिया गया है, तथा जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अंतर्गत 21 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 165 (ड) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1797/97]

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 195 के अन्तर्गत अधिसूचना

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी. वेंकटरामन) : मैं श्री मुरासोली मारन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पर रखता हूँ:-

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 29ख की उपधारा (2ज) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 298 (ड) जो 3 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 25 जुलाई, 1991 की अधिसूचना संख्या का.आ. 477 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धि-पत्र जो 7 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या का.आ. 306 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1798/97]

निर्यात और आयात नीति और प्रक्रिया संबंधी निर्देशिका (खंड 1)

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्सी रमैया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:-

(1) निर्यात और आयात नीति (1 अप्रैल, 1997—31 मार्च, 2002) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1799/97]

(2) प्रक्रिया संबंधी निर्देशिका (खंड 1) (1 अप्रैल, 1997—31 मार्च, 2002) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1800/97]

पूर्वाह्न 11.03^{1/4} बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं 21 फरवरी, 1997 को सभा को दी गई सूचना के बाद चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तेरह विधेयक सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 1997
- (2) विनियोग (रेल) विधेयक, 1997
- (3) विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1997
- (4) उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1997
- (5) उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1997
- (6) आय-कर (संशोधन) विधेयक, 1997
- (7) पत्तन विधि (संशोधन) विधेयक, 1997
- (8) राष्ट्रीय राजमार्ग विधि (संशोधन) विधेयक, 1997
- (9) ललित कला अकादमी (प्रबंध ग्रहण करना) विधेयक, 1997
- (10) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997
- (11) विनियोग विधेयक, 1997
- (12) विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1997; और
- (13) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1997

पूर्वाह्न 11.03^{1/2} बजे

समितियों के प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्राक्कलन समिति

चीथा, पांचवां और छठा प्रतिवेदन

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : महोदय, मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) गृह मंत्रालय—अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह का वार्षिक सामान्य प्रशासनिक प्रतिवेदन संसद के बजट सत्र में सभा पटल पर रखे जाने के संबंध में चौथा प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग—बैंकिंग प्रभाग)—समाज के कमजोर वर्गों के लिए ऋण सुविधाओं के संबंध में प्राक्कलन समिति के बावनवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

(3) गृह मंत्रालय—पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण करने के संबंध में प्राक्कलन समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में छठा प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

नीवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां और तेरहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : महोदय, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (1997-98) के बारे में 9वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (1997-98) के बारे में 10वां प्रतिवेदन।

(3) कृषि मंत्रालय (पशु पालन और डेयरी विभाग) की अनुदानों की मांगों (1997-98) के बारे में 11वां प्रतिवेदन।

(4) जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1997-98) के बारे में 12वां प्रतिवेदन।

(5) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1997-98) के बारे में 13वां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.04^{1/2} बजे

शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

छठा और सातवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्वर) : महोदय, मैं शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) मेगा सिटी योजना संबंधी छठा प्रतिवेदन, तथा
- (2) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को केन्द्रीय निधि का आवंटन/उपयोग संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

मंत्रीपरिषद् में विश्वास का प्रस्ताव

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री एच.डी. देवगौड़ा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि यह सभा मंत्री परिषद् में अपना विश्वास व्यक्त करती है।”

महोदय, आपकी अनुमति से, पिछले दस माह में मैं दूसरी बार विश्वास प्रस्ताव पेश करना चाहूंगा।

12 जून, 1996 को इसी सभा में एक विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और जिसे पारित कर दिया गया था। आज पुनः मैं कुछ नई परिस्थितियों के कारण इस सभा के समक्ष विश्वास मत लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ।

12 जून, 1996 को जब विश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था उसी दिन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को मिलाकर 13 दलों ने संयुक्त मोर्चे का गठन किया था और उस समय संयुक्त मोर्चे के लगभग 192 सदस्य थे। 12 मई, 1996 को समर्थन करने वाले दल कांग्रेस (इ) ने श्री पी.वी. नरसिंह राव के नेतृत्व में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया था कि यदि तीसरा मोर्चा सरकार बनाने के लिए तैयार है तो हम उसे समर्थन देने के लिए तैयार हैं। यह 12 मई, 1996 की बात है। इसके बाद सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल एक हो गए और उन्होंने अपने नेता का चुनाव किया और एक नयी राजनैतिक शक्ति, तीसरी शक्ति, जिसे हमने संयुक्त मोर्चा कहा, की स्थापना हुई और 15 मई, 1996 को मुझे संयुक्त मोर्चे का नेता चुना गया। श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी द्वारा 28 मई, 1996 को

अपना त्यागपत्र दिए जाने के बाद राष्ट्रपति जी ने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे सरकार बनाने के लिए कहा और उन्होंने मुझे अंतिम तारीख दी और कहा कि 12 जून, 1996 से पहले मुझे इस सभा में उपस्थित होकर विश्वासमत प्राप्त करना होगा।

महोदय, मैं किसी को दोषी ठहराना नहीं चाहता अथवा मैं किसी व्यक्ति विशेष अथवा राजनैतिक दल पर तोहमत लगाना नहीं चाहता। मैं केवल वही बताना चाहता हूँ कि वास्तव में क्या हुआ।

विश्वास प्रस्ताव पर जिस दिन चर्चा हुई थी उस दिन कांग्रेस संसदीय दल (सी.पी.पी.) के अध्यक्ष और कांग्रेस (इ) के नेता श्री पी.वी. नरसिंह राव ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से यह कहा था।

मैं उनके भाषण में से उद्धृत करना चाहूंगा :

“धर्म निरपेक्षता, स्वीकार्य सिद्धान्तों के आधार पर किसी व्यक्ति, किसी शक्ति अथवा संयुक्त शक्तियों को हम सहयोग देने को तैयार हैं, हम उन्हें बाहर से समर्थन देने को तैयार हैं।”

इसके बाद 3-4 दिन सोच विचार में बीताने के बाद देवगौड़ा को चुना गया और राष्ट्रपति जी ने उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलवाया।

तब उन्होंने कहा :

“श्री देवगौड़ा जी के साथ मेरा यह वादा है कि यह दल किन्हीं भी परिस्थितियों में इस दल की सरकार को गिरने नहीं देगा। इतिहास यह नहीं कहेगा कि कांग्रेस दल के कारण गौड़ा की सरकार गिर गई।”

मैं यह उद्धरण इस माननीय सभा का ध्यान केवल उस दिन कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय दल के नेता द्वारा लिए गए निश्चय और राष्ट्र को दिए गए आश्वासन की तरफ आकर्षित करने के लिए दे रहा हूँ। मैं केवल उस दिन जो घटा था उसे इस माननीय सभा को याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अन्य मित्रों ने क्या कहा था, मैं उसे बताना नहीं चाहता। श्री ए.आर. अनुले ने उसी दौरान कहा था कि “हमारी तरफ से समर्थन वापस लिए जाने की बात सोचना भी नहीं। हम इनका साथ देंगे और अंत तक इस सरकार का साथ देंगे।” मैं समझता हूँ मैं ठीक कह रहा हूँ। श्री शरद पवार जी ने राष्ट्रपति जी द्वारा दोनों सभाओं को सम्बोधित करके दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर इस सभा में अपना भाषण देते हुए जो कहा था मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। उनके भाषण की प्रति मेरे पास है।

[श्री एच.डी. देवेगौड़ा]

पिछले दस माह में 13 दलों के समर्थन वाली इस सरकार को, सरकार चलाने के लिए कहा गया था। बाद में नेशनल कांग्रेस भी इसमें शामिल हो गई। दो दलों कांग्रेस और सी पी आई (एम) ने पिछले दस माह बाहर से अपना समर्थन दिया। अन्यथा पिछले दस माह में जो हमने उपलब्धियां प्राप्त कीं वह प्राप्त करना संभव नहीं था। इस विश्वास प्रस्ताव का लाभ उठाते हुए मैं इन उपलब्धियों में से कुछ का उल्लेख करना चाहूंगा। ये उपलब्धियां केवल मेरी नहीं हैं, ये उपलब्धियां केवल मेरे सहयोगियों द्वारा प्राप्त नहीं हुई हैं। यह उपलब्धि विशेष रूप से समर्थन देने वाले दलों के सहयोग और सरकार में सत्ता की भागीदार दलों के सहयोग से प्राप्त हुई हैं और सामान्य रूप से सभा ने भी कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति में पूरा सहयोग दिया है, जिनका हमने अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में वायदा किया था।

जिस दिन समर्थन देने वाले दल और अन्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल एक जुट हुए थे, उस समय देश के लोगों को यह शंका थी कि क्या राष्ट्रीय दल अथवा क्षेत्रीय दल एकजुट हो सकते हैं, क्या वे अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे, क्या क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय मामलों अथवा राष्ट्रीय दृश्य के बारे में अनुभव प्राप्त है क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाने का अनुभव नहीं है और वे केवल अपने राज्य तक ही सीमित रहें।

इस देश के लोगों के मस्तिष्क में यह शंका थी और कुछ बुद्धिजीवियों ने जब हमें यह जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा तथा यह भावना व्यक्त की थी। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि पिछले दस माह में हमने जो कदम उठाए उनसे यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों ने एकजुट होकर सरकार को पूर्व सरकारों की तुलना में भलीभांति चलाया है। यह मैं बिना किसी शंका कह सकता हूँ। पिछले दस माह में और उस दिन जब मैंने विश्वास प्रस्ताव का उत्तर दिया था—मैं पुनः कहता हूँ कि उस दिन जिस दिन मैंने विश्वास प्रस्ताव का उत्तर दिया था—मैंने कहा था:

“मैं कितने समय तक पद पर बना रहूंगा, मेरी चिंता का विषय नहीं है—चाहे वह पांच दिन के लिए हो, पांच माह के लिए हो अथवा पांच वर्ष के लिए हो। मुझे इसकी चिंता नहीं है। परन्तु मेरी चिंता यह है कि जितना भी समय मैं इस पर बना रहूँ, मैं राष्ट्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने अनुभव से अपने सामर्थ्य के अनुसार बेहतर प्रयत्न करूंगा।”

आप मेरे भाषण को पढ़ सकते हैं। इस पृष्ठभूमि से मैंने अपने सहयोगियों के सहयोग से कार्य शुरू किया था।

महोदय, मैं इस माननीय सभा को इन पिछले दस माह में उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि यह

जानना बहुत जरूरी है कि कहां हम से त्रुटियां हुईं और कहां हमने इस देश की जनता अथवा इस सरकार के समर्थन देने वाले दलों के साथ विश्वासघात किया है। मैं इसे इस माननीय सभा के ध्यान में लाना चाहूंगा।

महोदय, हमने सर्वप्रथम निर्णय उन संस्थानों को पुनर्जीवित करने का लिया जो कि प्रशासन को चलाने के लिए राज्यों और केन्द्र के बीच सहयोग के लिए बहुत जरूरी थे। छः वर्षों से अन्तर-राज्य परिषद् की कोई बैठक नहीं हुई थी। हमने अन्तर-राज्य परिषद् की बैठकें पुनः बुलाना शुरू किया और हमने दो बैठकें आयोजित की। इन दोनों बैठकों में जिस मुख्य मुद्दे पर चर्चा की गई वह था सरकारी आयोग की रिपोर्ट। सरकारी आयोग ने न केवल राजनैतिक शक्ति को बांटने की सिफारिश की थी बल्कि उसने आर्थिक शक्ति को बांटने की भी सिफारिश की थी। सरकारी आयोग की कुछ सिफारिशें अन्तर-राज्य परिषद् की बैठक में स्वीकार कर ली गई थीं और जहां हम सर्वसम्मति से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ रहे, हमने मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन करने की स्वीकृति दी।

हमने कुछ निकायों को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया, मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राज्यों और केन्द्र के बीच उचित समझ के लिए यह बहुत जरूरी था। इस पृष्ठभूमि में हमने जो निर्णय लिया वह यह था कि हम साझा न्यूनतम कार्यक्रम के भीतर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सहयोग चाहते हैं।

ग्यारहवीं लोक सभा के लिए आम चुनावों के बाद एक अजीब स्थिति पैदा हुई थी। इस देश के लोगों द्वारा दिए गए जनादेश से लगभग 32 दल इस सभा में आए। यदि आप छोटे दलों, क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों सभी को लें, 32 अथवा 33 राजनैतिक दल हैं। इसे देखते हुए सभा में सामना करना बहुत कठिन है और देश को चलाना भी आसान काम नहीं है।

हमने सरकार के सुचारु कार्यकरण के लिए चुनौती को स्वीकार किया, हमने सी पी आई (एम) सहित, जो कि एक समर्थन देने वाला दल है और जो कांग्रेस के साथ-साथ सरकार में नहीं है, सभी दलों की सहमति से साझा न्यूनतम कार्यक्रम स्वीकार किया।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम अपनाने के बाद हमने निर्णय लिया कि इसे कार्यान्वित करने के लिए सभी मुख्य मंत्रियों से सहयोग करने का अनुग्रह किया जाना चाहिए। इसीलिए मैंने मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था। मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन दो दिन तक चला और उसमें उन क्षेत्रों के बारे में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया जिनमें हम बिना मतभेद के इस कार्यक्रम को कार्यान्वित कर सकते थे। सात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान कर सर्वसम्मति

से निर्णय लिया गया। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सभी मुख्य मंत्रियों ने इस सान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को 2000 ई. तक के समयबद्ध कार्यक्रम में पूरा करने के लिए सहमति दी थी।

एक अन्य मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक भी कई वर्षों से नहीं हुई थी। हमने राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक बुलाई। इसमें हमने नौवीं योजना के बारे में निर्णय लिया। नौवीं योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र को भी स्वीकृति दी गई। लेकिन यह सभा के समक्ष नहीं लाया जा सका क्योंकि अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी थीं। पहली बार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र को चार-पांच माह के बहुत ही कम समय में अंतिम रूप दिया गया। दस्तावेज मंत्रिमंडल के समक्ष रखे गए और मंत्रिमंडल में नौवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र के बारे में निर्णय लिया। राष्ट्रीय विकास परिषद् की भी बैठक हुई और हमने नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र को स्वीकार किया। निःसन्देह, इसे अंतिम रूप देने के लिए इस पर सभा में चर्चा की जानी थी।

हमने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में लोकपाल विधेयक के बारे में सहमति व्यक्त की थी। लोकपाल विधेयक भी पुरःस्थापित किया गया। जहां तक मुझे ज्ञात है यह अब स्थायी समिति के समक्ष है। हम इस विधेयक को पारित करने में बहुत अधिक उत्सुक थे और मैंने आपसे भी अनुरोध किया था कि यह विधेयक इस सत्र में पारित हो जाना चाहिए लेकिन जो भी हो वर्तमान राजनैतिक स्थिति में, जब तक सभा की सहमति न हो मेरे लिए विधेयक को पारित कराना संभव नहीं हो सकता है।

स्थिरता का मुद्दा ऐसा मुद्दा था जो कि सभी के मस्तिष्क में था। पिछले दस माह में मैंने कभी भी यह अनुभव नहीं किया कि सरकार में कहीं अस्थिरता आई है। मुझे निष्पक्ष होना चाहिए। कांग्रेस दल अथवा समर्थन देने वाले दलों ने हमारे किसी भी निर्णय में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। पिछले दस माह में मंत्रिमंडल में जो भी निर्णय लिए गए, अधिकांशतः सभी सर्वसम्मति से लिए गए। मेरे सहयोगियों अथवा समर्थक दलों के बीच कभी कहीं मतभेद हो सकता है। यह स्वाभाविक है। समर्थन देने वाले दलों का भी अपना मत होना चाहिए, क्योंकि जब विभिन्न राजनैतिक विचारधारा और विभिन्न चुनाव उद्घोषणाएं विभिन्न परिस्थितियों में एकजुट होती हैं तो उनके अपने कुछ अधिकार होते हैं। उनकी विचारधाराएं उनकी चुनाव उद्घोषणाएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं।

जब हम इस देश में धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एकजुट हुए तब हमने कुछ न्यूनतम कार्यक्रमों को

स्वीकृति दी थी जिनमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। इसलिए जब हमने अन्य मामलों के संबंध में साझा न्यूनतम कार्यक्रम स्वीकार किया था, यह स्वाभाविक था कि उनकी चुनाव उद्घोषणाओं अथवा विचारधाराओं के अनुसार मतभेद व्यक्त करते। इसमें मुझे कोई दोष नहीं लगता। मैं यह अवश्य कहूंगा कि पिछले दस माह में हमने जो भी निर्णय लिए, उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। यही कारण है कि मैं पिछले दस माह में कुछ हासिल करने में सफल रहा।

मंत्रिमंडल ने सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए और मेरी राय में यह प्रगतिकारी कदम है। मैं एक-एक करके पिछले दस माह में हमारे द्वारा उठाए गए कदमों और सरकार की उपलब्धियों को इस सभा और इस सभा के माध्यम से राष्ट्र को बताने जा रहा हूं।

महोदय, 1997-98 के बजट की लगभग समाज के सभी वर्गों ने प्रशंसा की थी। हमने इस बजट में किसी वर्ग विशेष को महत्व नहीं दिया है। लेकिन हमने इस बात पर विशेष ध्यान दिया था कि औद्योगिक क्षेत्र कृषि और समाज कल्याण को नजरअंदाज न किया जाए। इसके साथ-साथ हमने गैर-सरकारी निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए भी पहल की। हमने बजट में इसके लिए पर्याप्त गुंजाइश रखी। मैं यह इसलिए बता रहा हूं हमें हमारे शुरु किए गए कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता है। हमारे अपने अन्तरिक संसाधन जुटाने वाले कार्यक्रम द्वारा संसाधन जुटाये जाने थे और इसके अतिरिक्त, नए आर्थिक दर्शन के आधार पर गैर-सरकारी क्षेत्र और विश्व से निवेश को भी आकर्षित किया जाना चाहिए। नए आर्थिक दर्शन ने गैर सरकारी और सार्वजनिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए व्यापक स्थान बनाया है। इस सबके के साथ, इस बार बजट समाज में और सभा के माध्यम से सम्पूर्ण देश को प्रस्तुत किया गया।

महोदय, संयुक्त मोर्चा सरकार के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट आर्थिक सुधारों के लिए हमारी बचनबद्धता को दर्शाता है लेकिन यह भी सुनिश्चित करता है कि समाज के निर्धन और पिछड़े वर्गों को विकास प्रक्रिया में छोड़ा नहीं जाए। वर्ष 1997-98 का बजट कई प्रकार से प्याऊ के समान हैं। इस सुधार प्रक्रिया में जिसमें भारत लगा है और 1991 से 1997 तक बढ़ा है, इस महत्वपूर्ण कदम में बजट में निगमित और वैयक्तिक आय कर दरों में महत्वपूर्ण कमी की गई है। घरेलू कंपनी कर दरों को कम करके प्रतिशत से काफी कम 35 प्रतिशत कर दिया है। विदेशी कंपनियों को 48 प्रतिशत की दर से कर देना होगा जो पहले से पांच प्रतिशत कम है। वैयक्तिक कर दाता को अब 30 प्रतिशत कर देना होगा जिससे उन्हें इसमें 25 प्रतिशत की भारी छूट प्राप्त हुई है।

[श्री एच.डी. देवेगौड़ा]

महोदय, प्रत्यक्ष कर की दरों को न्यायसंगत बनाने के साथ-साथ बजट में सीमाशुल्क में 20 प्रतिशत छूट की भी घोषणा की गई है। यह दोहरा दर्शन इस दृष्टिकोण को सुदृढ़ करता है कि भारत में भी उन कर की दरों को अपनाया जाना चाहिए जो कि एशिया के अन्य देशों में प्रचलित हैं और कर की कम दरों की परम्परा बड़ी संख्या में करदाताओं को कर देने को प्रोत्साहित करेगी। बजट में राजकोषीय और नीतिगत पहल से व्यापक बुनियादी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए गए हैं। सरकार ने दूरसंचार, तेल और गैस, सड़कों और पर्यटन में गैर-सरकारी निवेशकों को आकर्षित करने की मंशा जताई है। ये कुछ क्षेत्र हैं जिनमें हमने गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिए खोलने की कोशिश की है।

महोदय, कोयले पर आयात शुल्क कम कर दिया गया है। हमारे बजट प्रस्तावों में हमने जो निर्णय लिए हैं वे विकास की दृष्टि से लिए गए हैं और हम पुनः उन पर प्रकाश डालना चाहेंगे। दूर संचार सेवा उपलब्ध कराने वालों को बुनियादी तौर पर महत्वपूर्ण माना गया है और पांच वर्षों के लिए पूरी कर छूट दी गई है और उससे आगे के पांच वर्षों के लिए 30 प्रतिशत छूट दी गई है। लाइसेंस शुल्क अब थोड़ा-थोड़ा घर में दिया जा सकता और अब लाइसेंस अनेक परियोजनाओं को स्वीकृति देने के साथ-साथ दिए जा सकते हैं। तेल और गैस क्षेत्र में व्यापक रूप से पुनरीक्षा की गई है। पूंजी बाजार को पुनःजीवित करने का प्रयास किया गया है। कम्पनी अधिनियम में व्यापक संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 को बदलने का प्रस्ताव है। धनराशि के अवैधानिक रूप से लेन देन के लिए सांविधिक उपाय किए जाने अपेक्षित है।

इसी प्रकार, बजट में गरीब और पिछड़े हुए लोगों के प्रति हमारी चिंता भी स्पष्ट दिखाई देती है। मूल न्यूनतम सेवाएं बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों, रोजगार और सामाजिक सेवाओं के लिए परिव्यय निर्धारित किए गए हैं। मूल न्यूनतम सेवाओं के लिए धनराशि 2,466 करोड़ रु. से बढ़ाकर 3,300 करोड़ रु. कर दी गई है। इसमें गंदी बस्तियों को साफ करने के लिए 330 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। त्वरित सिंचाई योजना जिसके लिए पिछले वर्ष के बजट में 900 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए थे, उसे 1997-98 में बढ़ाकर 1300 करोड़ रु. कर दिया गया है। लघु सिंचाई परियोजनाओं और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाज के कमजोर वर्गों और लघु किसानों की मदद के लिए गंगा कल्याण जैसे निर्यात कार्यों के लिए दो सौ करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। हमने कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना के लिए 250 करोड़ रु. उपलब्ध कराए हैं। हम जनजातीय क्षेत्रों में, जहां साक्षरता दर

राष्ट्रीय औसत से कम है, रहने वाली लड़कियों के लिए 258 आवासीय स्कूल शुरू करना चाहते हैं।

मैं केवल इन पिछले दस माह की कुछ विशेष बातों और इस सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख कर रहा हूं। हम अपने आश्वासनों, जो हमने अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम के जरिए राष्ट्र को दिए हैं, के प्रति वचनबद्ध हैं। हमने 1997-98 के बजट में कुछ आवश्यक प्रावधान करके कुछ कदम उठाने का प्रयास किया है।

हमने ग्रामीण आवास कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 मकान बनवाये जाने हैं। पहली बार यह योजना शुरू की गई है। इससे पहले किसानों के लिए कोई ऐसी योजना नहीं थी। इसके लिए दो लाख रुपये प्रति घर की दर से धन उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण आवास कार्यक्रम के लिए शुरू की गई यह एक नई योजना है। जवाहर रोजगार योजना और अम्बेडकर आवास योजना कमजोर वर्ग या निराश्रित लोगों या घर विहीन लोगों के लिए था। हमने यह योजना कृषक समुदाय के लिए शुरू की है।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उर्वरक पर राज सहायता जैसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं। विगत दस महीनों में हमने जो भी कदम उठाये हैं, वे कृषक समुदाय के लोगों और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उठाए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अब तक दो-तीन राज्यों ने ही सस्ते दरों पर आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। हमने इस योजना को पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इस योजना के लिए हमने 7,500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं। इस योजना से देश के करीब 32 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता में वृद्धि की गई है। हमने कृषक समुदाय को सहायता पहुंचाने की दृष्टि से पिछले साल उर्वरकों के लिए 2,500 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। इस वर्ष इसमें और भी बढ़ोत्तरी की जा रही है। आयातित उर्वरकों पर भी हमने 1,700 करोड़ रुपये की राजसहायता प्रदान की है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली कुल राजसहायता करीब 17,500 करोड़ रुपये की है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र तथा समाज के कमजोर वर्ग के कुछ लोगों, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं तथा जिनके पास क्रय शक्ति का अभाव है, को सहायता पहुंचाना है। हमने राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है।

महोदय, कुछ अन्य मुद्दे भी हैं और सभा में सभी पक्षों की राय सुनने के बाद उस पर मैं अपना विचार प्रकट करूंगा।

अंत में, मैं उन सभी मुद्दों का जिक्र करूंगा। अब मैं सभा से अनुरोध करता हूँ कि वह इस प्रस्ताव पर, जिसे मैंने आपकी अनुमति से अभी-अभी पेश किया है, विचार करें। मैं सभा से अनुरोध करता हूँ कि वह इस मुद्दे पर विचार करे कि विगत दस महीने में हमारे निर्णय के फलस्वरूप कोई विवाद उत्पन्न हुआ है, सरकार ने कहीं कोई गलती नहीं की है और क्या राष्ट्र को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने में हम विफल रहे हैं। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि इस सम्मानित सभा में अपना विचार व्यक्त करें। यदि हमसे कोई गलती हुई है, तो हम उसे दूर करने हेतु तैयार हैं। मैं इस पर, विशेषकर विगत दस महीनों में, सरकार द्वारा हुई किसी भूल-चूल पर खुली बातचीत करना चाहता हूँ।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे विश्वास प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:—

“कि यह सभा मंत्री-परिषद् में अपना विश्वास व्यक्त करती है।”

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं एक ऐसे अविश्वास भरे वातावरण पर टिप्पणी करना चाहूंगा जिसमें यह चर्चा हो रही है। चर्चा प्रारम्भ होने के ठीक पहले यह अफवाह गर्म थी कि माननीय प्रधान मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है और उनके सहयोगी दलों ने अब समस्या का समाधान हो जाने पर अंतिम समय में विवाद को सुलझा लिया है। मुझे उस समय अत्यधिक शांति महसूस हुई जब माननीय प्रधानमंत्री ने अंततः यहां पहुंचकर, चाहे भले ही कुछ देर से आए हों, उस अफवाह को समाप्त कर दिया।

माननीय प्रधान मंत्री ने अनमने रूप से “कुछ नई घटनाओं” का उल्लेख किया है, जिसके बारे में चर्चा की जानी है। महोदय, मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जिन्होंने इतने धैर्य और रहस्यमय ढंग से इन “कुछ नई घटनाओं” के बारे में कहा है, उसका खुलासा करेंगे। यह चर्चा इस कारण नहीं उठी है कि हमने अविश्वास का प्रस्ताव लाया है। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वतः ही “कुछ नई घटनाओं” के संबंध में सभा के विश्वास का आह्वान किया है। वे नई घटनाएं क्या हैं?

महोदय, आपको स्मरण होगा कि मैंने समर्थनकारी दल, कांग्रेस के मित्रों से यह कहा था, जो प्रधानमंत्री के कथनानुसार उन्हें स्वतः समर्थन दिया था और जिन्होंने सभा में कहा था, कि वे अपना समर्थन वापस नहीं लेंगे और निसंदेह महोदय, अंत तक उनका साथ देंगे... (व्यवधान)

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : तब तक, वे उनके साथ थे।

श्री जसवंत सिंह : मैंने उनसे कहा था कि चर्चा समाप्त की जा सकती है बशर्ते कांग्रेस ने यह सूचित किया होता कि ये नई घटनाएं क्या हैं। वास्तव में, यह हमारा, सभा का और देश का अधिकार है कि हम उन घटनाओं के बारे में जानें। लेकिन कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने क्यों अस्वीकार किया इसे समझने में मैं असमर्थ हूँ।

श्री ए.सी. जोश (इदुक्की) : आप त्यागपत्र दें और कांग्रेस में शामिल हो जाएं।

श्री जसवंत सिंह : माननीय प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि जब हमने सत्ता संभाली थी, तभी सरकार की प्रभावशीलता और अस्तित्व के बारे में संदेह था।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) अस्तित्व ?

श्री जसवंत सिंह : हां, वही शब्द है, जिसका माननीय प्रधान मंत्री ने उपयोग किया था। उन्होंने ‘अस्तित्व’ शब्द का उपयोग किया था। मैं शब्दों के चयन के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। मैं शब्दों का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूँ।

श्री ए.सी. जोश : सभा भी इससे अवगत होगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप एक अच्छे अनुयायी हैं।

श्री जसवंत सिंह : जहां तक प्रभावशीलता का संबंध है, तो माननीय प्रधान मंत्री ने दस महीने के दौरान अपने सरकार द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियों का ब्योरा दिया है, भले ही मैं उनके इन सभी ब्योरों से सहमत न होऊँ, लेकिन उन्होंने जिस तरह व्यग्र होकर चिंता से पूर्ण उन उपलब्धियों को पढ़ा था, उसके प्रति मैं अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूँ और इस “कुछ नई घटनाओं” के प्रति आश्चर्य व्यक्त करता हूँ जिसके परिणामस्वरूप इस प्रख्यात और एक समय की बड़ी राजनैतिक दल कहलाने वाली पार्टी ने समर्थन वापस लेने का फैसला एकाएक कैसे किया।

यही कारण है कि नौ महीने के अंदर ग्यारहवीं लोक सभा तीसरी बार विश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। मेरे विचार से इस तथ्य पर और इसके अंदर निहितार्थ यही है। मेरा मानना है कि ग्यारहवीं लोक सभा द्वारा तीसरी बार विश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा करना इस बात को दर्शाता है कि चुनाव में लोगों का जनमत इस बात के विरुद्ध था जिसका विगत वर्ष मई या जून में एक कृत्रिम विधायी व्यवस्था के परिणामस्वरूप निर्माण किया गया था। यह पूर्णतया सरकार के उपर निर्भर करता है कि वह इससे

[श्री जसवंत सिंह]

सहमत हो और निसंदेह मैं भी उनसे यह उम्मीद नहीं करता कि वे मुझे सहमत हों। इस कारण भारत को भारी अवास्तविकता का सामना करना पड़ा। अब वह अवास्तविकता असम्मानित और अपमानजनक तरीके से बाहर आ रही है जिससे भारत की प्रतिष्ठा, इस सम्मानित सभा, जिसकी सेवा करने में हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, को ठेस पहुंच रही है। इसमें कोई शक नहीं कि इसके लिए समूचा राजनैतिक वर्ग, जो पद और कुर्सी के लिए लालायित रहते हैं, दोषी हैं। इस प्रस्ताव के विरुद्ध मेरा पहला आरोप इन्हीं दोनों मुद्दों से संबंधित है और प्रतिरक्षक और आक्रमणकर्ता दोनों पर सामूहिक रूप से लागू है।

श्री सत महाजन (कांगड़ा) : आप इसे मिथ्याभियोगी के रूप में कह सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह : हम मिथ्याभियोगी नहीं हैं। हम कुछ भी नहीं छुपाते और हमें जो भी कहना होता है हम साफ-साफ कहते हैं। यदि कोई मिथ्याभियोगी है तो वह वास्तविक रूप में कांग्रेस और वामपंथी दल (मार्क्सवादी) के मेरे मित्र हैं। वे मिथ्याभियोगी हैं क्योंकि वे झूठ बोलते हैं। विश्व के सबसे पुराने व्यवसाय के बारे कुछ कहावत है। वे इस बात को झुठलाते हैं कि उनके पास शक्ति है, वे इस बात को झुठलाते हैं कि उनके कोई उत्तरदायित्व हैं। उनके पास शक्ति तो है परन्तु उत्तरदायित्व नहीं है। वे बिना किसी जवाबदेही के सरकार चलाना चाहते हैं। वें ढोंगी थे। अतः मैं प्रतिरक्षक और आक्रमणकर्ता दोनों पर आरोप लगाता हूँ जिनके कारण एक पूर्णतया बनावटी, गलत और टाला जा सकने वाला संकट, एक ऐसा संकट जो पूर्णतया आडंबरपूर्ण, धोखे से भरा, गलत बयानी और दोहरे मापदंड वाला है, उत्पन्न हुआ है और यह एक व्यर्थ का संकट है।

मैं उन अफवाहों के बारे में, जो धीरे-धीरे जोर पकड़ता गया, उन सभी नाटकों और फालतू बातों, संचालन समिति और कोर ग्रुप की अनौपचारिक और औपचारिक बातों और फिर एक अन्य कोर ग्रुप या अन्य कंट्रोल ग्रुप के बारे में कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता। जब ये बातें, दोहरी बातें हो रही थीं, तब हमें कहा गया कि जिन्हें बातचीत करने को सौंपा गया था, वे इस बातचीत को असफल बनाने में ज्यादा इच्छुक थे, जिससे कि उनके नेता जो काफी प्रसिद्ध हो गए थे, हार जाएं और दूसरे क्रम के नेता आगे आकर सत्ता संभाल सकें। आज जिन बेगानी और झूठ का हमें सामना करना पड़ रहा है, उसे टाला जा सकता था। यह संकट पार्टी के अंदर विश्वासघात के कारण उत्पन्न हुआ और साथ ही अलग-अलग पार्टियों के बीच विश्वास की कमी का यह परिणाम है। यही कारण है कि अब जब उस पर चर्चा हो रही है, तो व्यक्तिगत आचरण को शक की निगाह से देखने के फलस्वरूप

वातावरण दूषित हो चुका है। मैं उस संबंध में अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं माननीय प्रधान मंत्री के प्रारम्भिक हस्तक्षेप से यह जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें सिद्धांत के कौन से महान् मुद्दे शामिल हैं? वह मुद्दा क्या था, वह मुद्दा क्या था जिसके कारण आक्रमणकर्ता को यह आक्रमण करना पड़ा? माननीय प्रधान मंत्री के वक्तव्य में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला? हमने जो कुछ भी पढ़ा और सुना उससे ऐसा जान पड़ता है कि यह संकट व्यक्तिगत ईर्ष्या, स्वार्थपरता का परिणाम है। इन सभी बातों से यही पता चलता है कि व्यक्तिगत हित हमेशा और हर वक्त सर्वोपरि होता है तथा राष्ट्रीय हित से जुड़ा कोई भी विचार पृष्ठभूमि में चला जाता है।

मेरा दूसरा आरोप यह है कि विधायिका के प्रति एक स्वांग मचाया जा रहा है। विधायिका के प्रति यह स्वांग इसलिए नहीं है कि यह कार्य हम जल्दी-जल्दी कर रहे हैं, अपितु जिस वातावरण में यह किया जा रहा है वह विधायिका के प्रति स्वांग है। अंतिम क्षण तक, हमें यह कहा गया कि कुछ व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा: "हम व्यक्ति बदल रहे हैं।" हमने समाचार पत्रों में इस बारे में वक्तव्य पढ़ा। उन्होंने कहा : "हमें एक व्यक्ति विशेष के प्रति आपत्ति है। यदि व्यक्ति बदला जाता है, तो हम फिर से एक साथ काम कर सकते हैं।" क्या विधायिका का उपयोग व्यक्तिगत रंजिशों के समाधान करना रह गया है। विधायिका के रूप में क्या हमें किसी विशेष दल द्वारा किसी व्यक्ति विशेष, चाहे वह कितने बड़े पद पर क्यों न हो, के प्रति द्वेष का शिकार होना पड़ेगा ... (व्यवधान)

आखिरकार, हमने माननीय प्रधान मंत्री का विरोध किया है। उनके प्रति हमारा विरोध स्पष्ट, निरपेक्ष और सन्देशरहित है। माननीय प्रधान मंत्री हम आपके विरोधी हैं। आपके दुश्मन आपके पीछे और बगल में बैठे हैं। हम आपके राजनीतिक विरोधी हैं। हमें इस बारे में कोई हिचकिचाहट नहीं है।

यह इसलिए हास्यास्पद है क्योंकि इन चीजों का सामना उस राष्ट्र को करना पड़ रहा है, जो विश्वसनीय है तथा शंका से परे है। मुझे भली भांति याद है कि जब, शायद जून में, विश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, तब मेरे अच्छे मित्र माननीय वित्त मंत्री ने इस मुद्दे पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि "हमारे यहां होने के तीन कारण हैं। लोगों के निर्णय के कारण—जो अब गलत सिद्ध हो चुका है। दूसरे, हमारे सामाजिक न्याय और हमारे धर्मनिरपेक्ष पहलू के कारण।" लोगों के इस निर्णय का क्या हुआ? अब वह सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता कहाँ गया। मैं पुनः कहता हूँ, जैसा कि मैंने तब कहा था, कि ये तीनों कारण निरर्थक थे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से किसी कीमत पर बाहर

रखने के लिए थे। यह एक ऐसा अविश्वसनीय दावा है जो इस सरकार के संचालन पर प्रश्न चिह्न लगाता है।

मेरा तीसरा आरोप यह है कि आपने बाहर से समर्थन पाने पर एक पूर्णतया काल्पनिक, अविश्वसनीय और वास्तव में गैर-जिम्मेदाराना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। आज हमें जो भी देखना पड़ रहा है, जिस चीज का अनुभव करना पड़ रहा है, उसका एक मात्र कारण यह व्यवस्था है। आप सरकार में शामिल होना नहीं चाहते, फिर भी आप शासन करना चाहते हैं, आप सरकार की उत्तरदायित्व और जवाबदेही लेना नहीं चाहते, फिर भी आप प्रधान मंत्री से कहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। आप चाहते हैं कि वे आपकी इच्छानुसार खड़े हों अथवा आपकी इच्छानुसार बैठे रहें। आत्म-सम्मान से युक्त कोई व्यवस्था इस रूप में कार्य नहीं कर सकती है। संयुक्त मोर्चा के कुछ घटकों के साथ हमने वर्षों कार्य किया है। संयुक्त मोर्चा के कुछ घटकों, जिसमें सभा के नेता श्री राम विलास जी हैं, के साथ बैठने और कार्य करने का मौका हमें मिला। इनमें से कई चेहरे ऐसे हैं जो अनेक लड़ाईयों में हमारे साथ लड़े हैं। कांग्रेस से हमारा राजनैतिक मतभेद, हमारा राजनैतिक विरोध स्पष्ट, असन्दिग्ध और पूर्णतया शंका से परे है। आपने उनका साथ देने का निर्णय लिया, उनके साथ काम करने का निर्णय लिया और बाहर से अस्वीकार्य व्यवस्था को पूर्णतया समर्थन देने का निर्णय लिया था। अब यह सिद्ध हो गया है कि इसके परिणामस्वरूप भारत को अपमान का सामना करना पड़ रहा है।

जहां तक कांग्रेस दल का संबंध है, तो उनके इस व्यवहार से मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ है क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि इसके पूर्व भी कांग्रेस दल ने किसी घर के बाहर हरियाणा के दो पुलिस के लोगों द्वारा भ्रमण करने पर ऐसा ही कुछ किया था। हरियाणा के उन दो पुलिस वालों के मात्र घूमने पर एक प्रधान मंत्री को सत्ता छोड़ना पड़ा था ... (व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : मैंने उनके समर्थन वापस लिए जाने का इंतजार नहीं किया था। मैं उनके इरादे से वाकिफ था और इसलिए मैंने सत्ता छोड़ दी थी। हम उनसे एक भद्र पुरुष जैसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं ... (व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : उन दो हरियाणा पुलिसवालों से अब हम उन गंभीर आरोपों को तुच्छ आरोपों में परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं।

मुझे इस बात का आश्चर्य है कि कांग्रेस संसदीय दल के सम्माननीय नेता, बारामती के माननीय सदस्य ने पूणे से बोलते हुए यह घोषणा की कि उनके दल के अध्यक्ष द्वारा समर्थन वापस लेने की सूचना उनके लिए 'अप्रत्याशित' थी।

श्री चन्द्रशेखर : यहां, शिवाजी के आत्मबल का मार्गनिर्देशन ... (व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या यह नई घटना उसी से संबंधित है जिसका वह उल्लेख कर रहे थे? यदि यह कुछ नई घटना थी तो मैं आशा करता हूं कि आप यह भी स्पष्ट करेंगे कि यह अप्रत्याशित घटना उनके लिए वफादारी में कैसे बदल गयी। पूणे और दिल्ली जो कि कुछेक घंटों की हवाई यात्रा है के बीच अचानक क्या परिवर्तन आ गया ... (व्यवधान) मैं माननीय प्रधान मंत्री, जो इस प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता भी हैं, से यह अनुरोध भी करता हूं कि वह बहुत बड़ा राजनीतिक दल, वामपंथी दल (माक्स) के आचरण के बारे में भी बतायें। उन्होंने बिना किसी उत्तरदायित्व के शासन करने की बात की पुष्टि कर दी है।

महोदय, मैं महसूस करता हूं कि वे सरकार से बाहर रहकर, बिना किसी जवाबदेही के सबसे सक्रिय रहे हैं और हर वक्त आप के साथ-साथ सभी को निदेश देते रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप अचानक ममताजी कैसे बन गए?

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं जान सकती हूं कि वह क्या कहना चाहते हैं?

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैंने वही कहा जो मैं कहना चाहता था। उससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

मुझे भी आश्चर्य है। मैं, वास्तव में उनकी तीव्रता से आश्चर्यचकित हूं। मैं अपने सम्माननीय मित्र की सजगता के प्रति आश्चर्यचकित हूं। वह वास्तव में इस सभा के वरिष्ठतम सदस्य हैं, माननीय गृह मंत्री हैं जिन्हें अपना मित्र कहने में मैं गर्व महसूस करता हूं। उन्होंने एक अलग संदर्भ में "अव्यवस्था, अराजकता और बर्बादी" का उल्लेख किया था।

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : क्या आप भूल रहे हैं कि जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधान मंत्री थे, तब आपकी पार्टी का समर्थन उन्हें प्राप्त था? इस बारे में आपका क्या कहना है?

श्री जसवंत सिंह : माननीय प्रो. कुरियन, जो मेरे एक अच्छे मित्र हैं, ने मुझसे पूछा है कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को समर्थन देने के बारे में क्या कहना है। हां, हमने उन्हें समर्थन दिया था।

प्रो. पी.जे. कुरियन : उस समय आप भी बिना किसी उत्तरदायित्व के शासन करना चाहते थे।

श्री प्रदीप भट्टाचार्य (सेरमपुर) : आप यह कहानी क्यों कह रहे हैं जब आपने उन्हें समर्थन दिया था ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

श्री जसवंत सिंह : माननीय गृह मंत्री एक सम्माननीय सांसद हैं। प्रसिद्ध भारतीय, श्री पी.एन. हकसर द्वारा एक समारोह में उनके बारे में कहा गया एक मुहावरा मुझे अच्छी तरह याद है। यदि मुझे ठीक-ठाक याद है तो उन्होंने कहा है कि: "माननीय गृह मंत्री श्री इन्द्रजीत गुप्त एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी ईमानदारी असंदिग्ध है।" निसंदेह, वह ऐसे ही व्यक्ति हैं और यदि वह हमारे राज्य के बारे में अव्यवस्था, अराजकता और गड़बड़ी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो मुझे इन शब्दों की प्रासंगिकता के बारे में कोई शक नहीं है क्योंकि अपराधी ने बिना किसी कारण के राज्य को ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है। वास्तव में, उन्होंने अव्यवस्था, अराजकता और बर्बादी जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है और मैं समझता हूँ कि माननीय गृह मंत्री की दूरदर्शिता ने पहले की भांति ऐसा कहने के लिए मजबूर किया है।

मध्याह्न 12.00 बजे

कांग्रेस दल के आचरण का वास्तव में वर्णन नहीं किया जा सकता है। माननीय प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण, बजट संबंधी चर्चा के प्रश्न तथा उत्तर प्रदेश की खराब स्थिति आदि प्रत्येक मौलिक मुद्दे पर कांग्रेस दल को 21 मार्च तक कोई कठिनाई नहीं थी।

कांग्रेस दल का हर समय हमारे साथ झगड़ा रहा लेकिन उनकी गलती स्पष्ट दिखाई देती है। 30 मार्च को अचानक यह 'अप्रत्याशित' घटना हुई। मैं यह बताना इसलिए आवश्यक समझता हूँ क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने उन 'खास परिस्थितियों' का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए मैंने दोबारा लिखे गए पत्र में प्रयुक्त शब्दावली का अध्ययन करके इन 'खास परिस्थितियों' को समझने की कोशिश की।

21 मार्च तक जो कांग्रेस दल सभी बातों से संतुष्ट था उसे 30 मार्च को कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, अर्थ व्यवस्था का निष्क्रिय होना ध्यान में आया, उन्होंने बजट का समर्थन किया था जबकि हमने उसका विरोध किया था—उसे कीमतों में वृद्धि आदि के बारे में अचानक चिंता कैसे होने लगी। उन्हें 21 मार्च तक कीमतों में कोई वृद्धि महसूस नहीं हुई और 30 मार्च को अचानक उन्हें कीमतों में वृद्धि का अहसास हुआ और समर्थन वापस लेने का पर्याप्त आधार मिल गया। यदि हमारे सम्माननीय और योग्य वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि उन नौ दिनों में कीमतों में कितनी वृद्धि हुई थी जिससे कांग्रेस दल को समर्थन वापस लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था, तो हम उनका आभार मानेंगे।

दूसरी बात, 'बढ़ती साम्प्रदायिक गड़बड़ी' की है। उन्होंने इसके साथ-साथ कहा था कि सर्वत्र शांति है और सब कुछ ठीक है। अचानक, कांग्रेस दल को 'बढ़ती साम्प्रदायिक गड़बड़ी' और सरकार के बीच सामंजस्य के अभाव का अहसास हुआ। यदि मुझे अच्छी तरह याद है तो 21 और 30 तारीख के बीच होली की छुट्टी मनाने के लिए सभी लोग बाहर गए थे और दिल्ली में कोई भी नहीं था। तब यह कैसे संभव हुआ कि उस लम्बी होली की छुट्टियों में कांग्रेस दल को अचानक 'सामंजस्य का अभाव' के बारे में ज्ञात हुआ?

एक गंभीर आरोप और लगाया गया है। यह गंभीर आरोप संवेदनशील रक्षा संबंधी मुद्दे और देश की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं से संबंधित है, जिसे उचित रूप में बताया नहीं गया, सिविल सेवाओं और सरकार के विभिन्न अंगों के बीच 'समन्वय के अभाव' के फलस्वरूप उनका उत्साह कम हुआ है - निर्देश और शासन की इच्छा ने एक मतभेद की स्थिति पैदा कर दी है - जिसे बार-बार कहा गया है - यह एक गंभीर आरोप है।

माननीय रक्षा मंत्री यहां उपस्थित हैं। मुझे याद नहीं कि कांग्रेस दल ने उनसे सुरक्षा संबंधी मुद्दे पर कभी कुछ पूछा है। यदि कोई प्रश्न किया गया, तो मेरे नेता द्वारा किया गया जब उन्होंने खड़े होकर कहा था कि रक्षा से संबंधित मुद्दों पर पहली बार कुछ निर्णय लिया गया है। यह एक बहुत ही गंभीर आरोप है। कांग्रेस दल को इसका स्पष्टीकरण, न केवल इसके प्रतिरक्षक को बल्कि हमें, संसद को और पूरे राष्ट्र को देना चाहिए। ऐसे आरोप यूँही नहीं लगाए जा सकते हैं। ऐसी बातों से राष्ट्र, देश की रक्षा तैयारियों पर असर पड़ता है, इसलिए इसे यूँही नहीं कहा जाना चाहिए। ऐसी बातें सिर्फ इसलिए विरोधपूर्ण रवैये का कारण नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति या अन्य से खुश नहीं हैं। कांग्रेस दल पर मेरा यह आरोप है कि उसने देश की सुरक्षा को भी एक क्रय-विक्रय का मुद्दा बना दिया है, एक ऐसा मुद्दा जो दो दलों के बीच लेन-देन का है।

मुझे उनके गैर-जिम्मेदाराना रवैये पर आश्चर्य है। वाद-विवाद के स्तर में व्यापक गिरावट, और माननीय कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा दिया गया लोक व्याख्यान, जिसमें उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के बारे में कतिपय शब्दों का उल्लेख किया था, पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। यह हम सभी के लिए शर्म की बात है। इस बात से हम सभी लोग सामूहिक रूप से प्रभावित हुए हैं। आप श्री देवेगौड़ा के बारे में कोई भी विचार रख सकते हैं लेकिन आप उसे देश के प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख नहीं कर सकते। हमें देश के प्रधानमंत्री के बारे में विरोध हो सकता है। राजनैतिक मतभेद हो सकता है लेकिन महोदय हमारे दल में कभी भी उस

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

श्री जसवंत सिंह : माननीय गृह मंत्री एक सम्माननीय सांसद हैं। प्रसिद्ध भारतीय, श्री पी.एन. हकसर द्वारा एक समारोह में उनके बारे में कहा गया एक मुहावरा मुझे अच्छी तरह याद है। यदि मुझे ठीक-ठाक याद है तो उन्होंने कहा है कि: "माननीय गृह मंत्री श्री इन्द्रजीत गुप्त एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी ईमानदारी असंदिग्ध है।" निसंदेह, वह ऐसे ही व्यक्ति हैं और यदि वह हमारे राज्य के बारे में अव्यवस्था, अराजकता और गड़बड़ी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो मुझे इन शब्दों की प्रासंगिकता के बारे में कोई शक नहीं है क्योंकि अपराधी ने बिना किसी कारण के राज्य को ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है। वास्तव में, उन्होंने अव्यवस्था, अराजकता और बर्बादी जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है और मैं समझता हूँ कि माननीय गृह मंत्री की दूरदर्शिता ने पहले की भांति ऐसा कहने के लिए मजबूर किया है।

मध्याह्न 12.00 बजे

कांग्रेस दल के आचरण का वास्तव में वर्णन नहीं किया जा सकता है। माननीय प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण, बजट संबंधी चर्चा के प्रश्न तथा उत्तर प्रदेश की खराब स्थिति आदि प्रत्येक मौलिक मुद्दे पर कांग्रेस दल को 21 मार्च तक कोई कठिनाई नहीं थी।

कांग्रेस दल का हर समय हमारे साथ झगड़ा रहा लेकिन उनकी गलती स्पष्ट दिखाई देती है। 30 मार्च को अचानक यह 'अप्रत्याशित' घटना हुई। मैं यह बताना इसलिए आवश्यक समझता हूँ क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने उन 'खास परिस्थितियों' का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए मैंने दोबारा लिखे गए पत्र में प्रयुक्त शब्दावली का अध्ययन करके इन 'खास परिस्थितियों' को समझने की कोशिश की।

21 मार्च तक जो कांग्रेस दल सभी बातों से संतुष्ट था उसे 30 मार्च को कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, अर्थ व्यवस्था का निष्क्रिय होना ध्यान में आया, उन्होंने बजट का समर्थन किया था जबकि हमने उसका विरोध किया था—उसे कीमतों में वृद्धि आदि के बारे में अचानक चिंता कैसे होने लगी। उन्हें 21 मार्च तक कीमतों में कोई वृद्धि महसूस नहीं हुई और 30 मार्च को अचानक उन्हें कीमतों में वृद्धि का अहसास हुआ और समर्थन वापस लेने का पर्याप्त आधार मिल गया। यदि हमारे सम्माननीय और योग्य वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि उन नौ दिनों में कीमतों में कितनी वृद्धि हुई थी जिससे कांग्रेस दल को समर्थन वापस लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था, तो हम उनका आभार मानेंगे।

दूसरी बात, 'बढ़ती साम्प्रदायिक गड़बड़ी' की है। उन्होंने इसके साथ-साथ कहा था कि सर्वत्र शांति है और सब कुछ ठीक है। अचानक, कांग्रेस दल को 'बढ़ती साम्प्रदायिक गड़बड़ी' और सरकार के बीच सामंजस्य के अभाव का अहसास हुआ। यदि मुझे अच्छी तरह याद है तो 21 और 30 तारीख के बीच होली की छुट्टी मनाने के लिए सभी लोग बाहर गए थे और दिल्ली में कोई भी नहीं था। तब यह कैसे संभव हुआ कि उस लम्बी होली की छुट्टियों में कांग्रेस दल को अचानक 'सामंजस्य का अभाव' के बारे में ज्ञात हुआ?

एक गंभीर आरोप और लगाया गया है। यह गंभीर आरोप संवेदनशील रक्षा संबंधी मुद्दे और देश की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं से संबंधित है, जिसे उचित रूप में बताया नहीं गया, सिविल सेवाओं और सरकार के विभिन्न अंगों के बीच 'समन्वय के अभाव' के फलस्वरूप उनका उत्साह कम हुआ है - निर्देश और शासन की इच्छा ने एक मतभेद की स्थिति पैदा कर दी है - जिसे बार-बार कहा गया है - यह एक गंभीर आरोप है।

माननीय रक्षा मंत्री यहां उपस्थित हैं। मुझे याद नहीं कि कांग्रेस दल ने उनसे सुरक्षा संबंधी मुद्दे पर कभी कुछ पूछा है। यदि कोई प्रश्न किया गया, तो मेरे नेता द्वारा किया गया जब उन्होंने खड़े होकर कहा था कि रक्षा से संबंधित मुद्दों पर पहली बार कुछ निर्णय लिया गया है। यह एक बहुत ही गंभीर आरोप है। कांग्रेस दल को इसका स्पष्टीकरण, न केवल इसके प्रतिरक्षक को बल्कि हमें, संसद को और पूरे राष्ट्र को देना चाहिए। ऐसे आरोप यूँही नहीं लगाए जा सकते हैं। ऐसी बातों से राष्ट्र, देश की रक्षा तैयारियों पर असर पड़ता है, इसलिए इसे यूँही नहीं कहा जाना चाहिए। ऐसी बातें सिर्फ इसलिए विरोधपूर्ण रवैये का कारण नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति या अन्य से खुश नहीं हैं। कांग्रेस दल पर मेरा यह आरोप है कि उसने देश की सुरक्षा को भी एक क्रय-विक्रय का मुद्दा बना दिया है, एक ऐसा मुद्दा जो दो दलों के बीच लेन-देन का है।

मुझे उनके गैर-जिम्मेदाराना रवैये पर आश्चर्य है। वाद-विवाद के स्तर में व्यापक गिरावट, और माननीय कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा दिया गया लोक व्याख्यान, जिसमें उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के बारे में कतिपय शब्दों का उल्लेख किया था, पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। यह हम सभी के लिए शर्म की बात है। इस बात से हम सभी लोग सामूहिक रूप से प्रभावित हुए हैं। आप श्री देवेगौड़ा के बारे में कोई भी विचार रख सकते हैं लेकिन आप उसे देश के प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख नहीं कर सकते। हमें देश के प्रधानमंत्री के बारे में विरोध हो सकता है। राजनैतिक मतभेद हो सकता है लेकिन महोदय हमारे दल में कभी भी उस

तरीके से, लोक व्याख्यान में, नीचा नहीं दिखाया गया है। एक बार एक लोक व्याख्यान में एक बड़े दल के अध्यक्ष ने ऐसी भाषा में आरोप लगाये जो कि अत्यधिक शर्मनाक हैं। महोदय, इस पत्र के समय के बारे में भी मैं परेशान हूँ। इसी वक्त ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इसका स्पष्टीकरण किसी को तो देना है। आपको या प्रधान मंत्री जी या कांग्रेस में से किसी व्यक्ति को राष्ट्र को यह बताना होगा कि 30 मार्च का ही समय क्यों चुना गया।

महोदय, अब मैं संयुक्त मोर्चा की असफलताओं को दर्शाना चाहता हूँ। माननीय प्रधान मंत्री जी आपने अपने भाषण में संस्थानों का पुनर्स्थापन, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, नौवीं पंचवर्षीय योजना, बजट, लोक पाल विधेयक आदि के बारे में जिक्र किया है। मैं संयुक्त मोर्चा सरकार पर आरोप लगाता हूँ कि उसने राष्ट्रीय विकास परिषद और मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में हुए निर्णयों के विरुद्ध जान-बूझकर और बार-बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। मैं उत्तर प्रदेश की खराब स्थिति पर ही चर्चा नहीं करना चाहता, अपितु, राज्यपालों के कार्यालय का दुरुपयोग, जैसा कि कतिपय घटनाओं से सामने आया है, गुजरात राज्य तथा उत्तर प्रदेश राज्य में हो रही घटनाओं हेतु संयुक्त मोर्चा सरकार सीधे जिम्मेवार है और उसके लिए उसे जवाबदेह होना चाहिए और चूंकि इस 'दुरुपयोग' में कांग्रेस का भी हाथ है, अतः कांग्रेस दल को भी इसके लिए जवाबदेह होना चाहिए।

महोदय, मैं इस वाद-विवाद को एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति या देश की सुरक्षा स्थिति में बदलना नहीं चाहता परन्तु मैं कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाना जरूरी समझता हूँ। कृपया एक बनावटी संसार की रचना न करें। हमारे नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम अपने पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छा संबंध रखना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसे गलत संबंधों, जैसे पानी का बंटवारा संबंधी समझौता करके जिसे तीस वर्षों में हम नहीं सुलझा पाये, हम अपना संबंध स्थापित नहीं कर सकते। विगत तीन वर्षों में हम ऐसा क्यों नहीं कर पाये? क्या गंगा में पानी अचानक बढ़ गया? सरकार की उस गलती के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल और बंगलादेश में उत्पन्न पानी की कमी के बारे में जानना चाहते हैं।

मैं सुरक्षा स्थिति के लम्बे विश्लेषण की बात नहीं करना चाहता। परन्तु बजाय ऐसा करने के मैं अपने विचार प्रबुद्ध और सक्षम विदेश मंत्री तक पहुंचाना चाहूंगा कि झूठे मेल-मिलाप एक अच्छी विदेश नीति का पर्याय नहीं है। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को भी अपने विचारों से अवगत करवाना चाहता हूँ। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि एक खास स्थिति के होने की आशंका है, यद्यपि मेरे पास इसके लिए कोई विशिष्ट कारण नहीं है, इसलिए

ऐसा लगता है कि देश में जो कुछ 1962 से पहले हुआ वैसी ही स्थिति फिर पैदा हो सकती है।

मैं यह बात बहुत ही गंभीरता से तथा बहुत ही जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए और मैं संयुक्त मोर्चा सरकार पर रक्षा के लिए पर्याप्त बजटोय व्यवस्थाएं करने की तरफ से लापरवाह होने का आरोप लगाता हूँ। लगातार ग्यारहवें वर्ष में रक्षा विभाग की आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

संयुक्त मोर्चा सरकार से संबंधित मेरा दूसरा प्रश्न अर्थव्यवस्था के बारे में है। जब मेरे माननीय मित्र ने बजट प्रस्तुत किया था तो हमने इस बजट को 'छलिया बजट' कहा था अर्थात् यह बजट मात्र जाल था, अच्छी स्थिति, खुशहाली और वृद्धि का छलावा है। परन्तु सत्ता पक्ष में सभी खुश थे। मैंने आपको तभी सावधान किया था। मेरा कहना है कि बजट पर हमारा मतभेद इस आधार पर है कि खुशहाली और वृद्धि के इस छलावे का परिणाम, वास्तविक असमानता और भारत से इंडिया के विभाजन होगा।

मैं कृषि की बात करना चाहता हूँ, मैं अनाज के प्रश्न पर बात करता चाहता हूँ और मैं संयुक्त मोर्चा सरकार के गेहूं के मामले में कुप्रबंध के संबंध में विशेष रूप से बात करना चाहता हूँ। हमें बताया गया है कि देश में कुछ लाख मीटरी टन गेहूं का आयात किया जाना है। उस गेहूं का आयात करने के लिए संयुक्त मोर्चा सरकार 650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करने वाली है। ... (व्यवधान) मेरा अनुमान है कि हमें यह बताया गया है कि सरकार 2 करोड़ मीटरी टन गेहूं का आयात करेगी। ... (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : यह केवल बीस लाख मीटरी टन गेहूं है।

श्री जसवंत सिंह : क्या आप इस बात से खुश हैं कि बीस लाख मीटरी टन गेहूं का आयात किया जाना चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : हम आपकी गलती से खुश हैं।

श्री जसवंत सिंह : आप हमारी गलती से खुश हैं? ठीक है, इसमें सुधार करते हुए, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप खुश हैं कि 2 करोड़ मीटरी टन की बजाय केवल बीस लाख मीटरी टन अनाज का 750 रुपये प्रति टन की दर से आयात किया जाएगा जबकि घरेलू उत्पादक किसान इसे 550 रुपये की दर से पा सकेंगे? ... (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : यह 450 रुपये ही है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आपने फिर भूल की।

श्री जसवंत सिंह : आपको कैसे पता चला कि वास्तव में मैं नहीं चाहता कि आप मेरी बात में 450 रुपये और 750 रुपये के बीच काफी अंतर को दिखाते हुए सुधार करने की कोशिश करें?

मैं संयुक्त मोर्चा सरकार से अपील करता हूँ कि वे यह बताएं कि वे इस संबंध में क्या कर रहे हैं। मैं निराशावादी नहीं बनना चाहता; मैं आपका ध्यान पड़ोसी देशों पाकिस्तान या अफगानिस्तान में खाद्यान्न क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है, की तरफ भी नहीं दिलाना चाहता; परन्तु मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इसे कम महत्व का न समझें और यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप एक निर्णय लें कि प्राप्ति मूल्य चाहे जो हो, यह वह मूल्य होगा जिस पर वे सभी ग्राहकों को गेहूँ की आपूर्ति करेंगे।

मैं संयुक्त मोर्चा सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए प्रबंधन से सहमत नहीं हूँ और ऊर्जा क्षेत्र में संयुक्त मोर्चा सरकार की लापरवाही के कारण उसे माफ नहीं कर सकता। मैं इस सरकार पर पेट्रोलियम क्षेत्र में लगातार लापरवाही करने का आरोप लगाता हूँ। यह बहुत ही खतरनाक है; अगर ऊर्जा को सुरक्षा समझा जाता है तो राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा को इस सरकार द्वारा खतरे में डाल दिया गया है।

मैं इस अनुरोध के साथ अपनी बात समाप्त करूँगा कि भारत सरकार कोई व्यवस्था नहीं है। यह केवल निजी अवधारणाओं और आवश्यकताओं के आधार पर केवल सुविधा पर आधारित सरकार नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति को चाहते हैं और दूसरे को नहीं तो इसका अर्थ केवल पद है और कुछ नहीं। मैं इस गलत तरीके से भी प्रभावित नहीं हुआ हूँ जिसके अंतर्गत परिवर्तन की इस तरह की छीना-झपटी हुई है। अगर आप व्यक्तियों को बदलते हैं तो हम सहयोग देना जारी रखेंगे।

फिर, प्रधान मंत्री जी, न्यूनतम साझा कार्यक्रम कहां है? इसके बजाय आप इसे 'न्यूनतम व्यक्तित्व कार्यक्रम' के रूप में प्रस्तुत करते। आपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम क्यों शुरू किया? अगर इसे 'न्यूनतम व्यक्तित्व कार्यक्रम' पर ही आधारित होना था तो यह बात हमें पहले बता दी जानी थी। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हमारे प्रति जरूरत से ज्यादा उत्तरदायी है। इसलिए यह न केवल इस सभा, जो कि भारत के लोगों का सार है, बल्कि इस देश के लोगों के लिए भी अपमान की बात है। यह हमारे गरीब और अच्छे देश के सुनाम को मलिन कर रहा है। बचाव पक्ष और

आक्रामक पक्ष के लिए केवल एक ही उत्तर है कि भगवान के लिए वे सत्ता का त्याग कर दें। आप कुर्सी को देश से अधिक महत्वपूर्ण समझते हो। आपके लिए केवल एक ही रास्ता है कि अब आप सत्ता छोड़कर वापिस लोगों में जाएं।

इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आज वह दिन है जब हमारी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हर तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं और पूरे देश को यह बताना हमारा कर्तव्य है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम अब तक किस तरह टिके रहे और अब हमारा उद्देश्य क्या है। अगर हम भावनात्मक स्तर पर कोई गलती करते हैं तो मैं जानता हूँ और मुझे इस बात की जानकारी है कि राष्ट्र इस सदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्सेगा।

हमारी जिम्मेवारी बहुत अधिक है। यह इसलिए नहीं कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं बल्कि इसलिए कि राष्ट्र के अग्रणी नेताओं की तरह राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में हम शुरू से ही एक मात्र भागीदार रहे हैं। ... (व्यवधान) हमने ग्यारहवीं लोक सभा को मिले जनादेश का अर्थ समझा था। जनादेश, निश्चय ही, इस पक्ष और उस पक्ष के लिए नहीं था परन्तु इस जनादेश का यह संदेश था कि अगर हो सके तो संविधान के साथ विश्वासघात करने वाले को दूर रखने की कोशिश करें तथा यह संविधान निर्माताओं द्वारा दिया गया जनादेश लोगों में मेल बनाए रखने तथा धर्मनिरपेक्षता की मर्यादा बनाए रखने के लिए है। केवल इसी संदेश ने 12 मई को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को निर्णय लेने का संदेश दिया था, यह निर्णय किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिया गया था। उस दिन, हम नहीं जानते थे कि 'क' या 'ख' कौन आ रहा है।

अपराह्न 12.18 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

यह निर्णय बहुत ही स्पष्ट और क्रमबद्ध था। निर्णय क्या था? मैं इसे उद्धृत करता हूँ:

"कांग्रेस पार्टी ने उन राजनैतिक दलों को लेकर सरकार का गठन करने की प्रक्रिया में सकारात्मक कदम उठाने का निर्णय लिया है जो पूरी तरह धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक, साम्प्रदायिक मैत्री, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण, हमारे देश की तीव्र प्रगति तथा हमारे संविधान के मूल्यों के प्रति वचनबद्ध है।"

इस प्रकार हमारा यही उद्देश्य था और यही रहेगा।

माननीय प्रधान मंत्री, श्री एच.डी. देवगौड़ा ने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए एक सम्माननीय नेता, जो हमारे दल के अध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय दल के नेता थे, माननीय श्री पी.वी. नरसिंह राव का ठीक ही उल्लेख किया था, जिन्होंने कहा था कि हमारे दल का सहयोग शर्तों पर आधारित नहीं होगा और हम धोखा नहीं देंगे। महोदय, मैं अपने दल की ओर से फिर कहना चाहूंगा कि संयुक्त मोर्चा सरकार के लिए हमारा सहयोग और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के लिए हमारी वचनबद्धता अभी भी बिना किसी शर्त के है और जारी है। इसलिए, क्यों वापिस लिया गया है। कितनी मुश्किल से हम राष्ट्रपति भवन गए थे? किस वेदना और व्यथा के साथ हम राष्ट्रपति भवन गए थे? क्या यह किसी व्यक्ति के खिलाफ है? श्री जसवंत सिंह स्थिति का लाभ उठाते हुए कुछ नहीं कहेंगे परन्तु एक बात बहुत स्पष्ट है। हम कुछ न कुछ कहेंगे परन्तु चाहे कुछ हो हम उनके लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। यह महात्मा गांधी जी का हमारे लिए संदेश है।

आपको जो अच्छा लगे, आप कह सकते हैं। ... (व्यवधान)
मैंने बाधा नहीं डाली है। हमने किस मजबूरी में यह किया है? श्री एच.डी. देवगौड़ा और संयुक्त मोर्चा के साथियों तथा आपके मंत्रियों के खिलाफ हमारे कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं हैं। आपके पास इस सभा में रेल मंत्री श्री राम विलास पासवान जैसे सक्षम नेता हैं। वे हमारी पार्टी में नहीं हैं। परन्तु मैं देश में दबाए हुए और सताए हुए लोगों को इकट्ठा करने के उनके तरीके के लिए बांधाई देता हूँ। मैं उन्हें एक दूरी से देखता हूँ। मैं उन्हें और उनके योगदान को चाहता हूँ। वे हमारी पार्टी में नहीं थे। वे आज भी हमारी पार्टी में नहीं हैं।

श्री पी. चिदम्बरम् आपके सक्षम वित्त मंत्री हैं। सभी कठिनाइयों और मतभेदों के बावजूद - जहां भी हम और वे सहमत नहीं हुए हैं - उन्होंने बजट पेश करने की कोशिश की है। ... (व्यवधान)
मैंने आपके भाषण में बाधा नहीं डाली है।

श्री संतोष मोहन देव : जब श्री जसवंत सिंह जी बोले तो हमारे पक्ष के किसी भी सदस्य ने हस्तक्षेप नहीं किया था। ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में मर्यादा बनाए रखें।

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : क्या भाजपा एक अनुशासित पार्टी है। ... (व्यवधान)

श्री पी.आर. दासमुंशी : हमारे मंत्री बहुत समक्ष हैं। हम श्री मुलायम सिंह यादव को मंत्री नहीं समझते। हम श्री यादव की

भूमिका को उत्तर प्रदेश में ऐसे महत्वपूर्ण समय में देश में धर्म निरपेक्षता को बचाने के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं। हम यह जानते हैं। आज हम आपका विरोध कर सकते हैं। यह एक अलग बात है। परन्तु इतिहास में यह बार-बार लिखा जाएगा कि श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा देश और देश के भाग्य को बचाने के लिए निभाई गई भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमने समर्थन वापस ले लिया है और राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। किस लिए? ... (व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन : हम भी वही काम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी कृपया शांत रहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उलझन को और न बढ़ाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री पी.आर. दासमुंशी : कांग्रेस के दृष्टिकोण से जैसा कि श्री जसवंत सिंह ने कहा है हमने व्यक्तियों से संबंधित प्रश्न नहीं उठाया था। श्री एच.डी. देवगौड़ा की अध्यक्षता वाली सरकार साउथ ब्लॉक में केवल सरकार की अध्यक्षता करने के लिए नहीं है। परन्तु श्री देवगौड़ा को सम्मान के साथ मैं उनसे इस मामले की जांच करने का अनुरोध करना चाहूंगा। क्या यह जनादेश आपको केवल प्रधानमंत्री बनाकर प्रतिदिन साउथ ब्लॉक के ब्यौरे बनाने और फाइलों के निपटान या भारत में पैदा हो रहे खतरे से इसे बचाने के लिए धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत बनाने के लिए ही था? आपके लिए जनादेश क्या था? क्या यह जनादेश आपके लिए नहीं था? आप इसके बारे में जैसी चाहें जांच करवाएं। आप चाहे जिस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी विज्ञप्ति में क्या कहा गया था? क्या यह कहा गया है कि हमने इसे अचानक किया है? श्री जसवंत सिंह ने अचानक पाया कि 30 तारीख कं छुट्टी वाले दिन हमने सबसे अधिक अधार्मिक बातें की। नहीं, यह सच नहीं है। हमने 4 नवंबर को यह छाटाकीरी नहीं की थी। आप याद करें, प्रधानमंत्री महोदय, कि हमने आपके सभी घटकों को अपनी वेदना, अपनी कार्यकारी समिति का निर्णय और चल रही घटनाओं के तरीके के संबंध में वेदना आपको बता दी थी। क्या मैं कुछ बातों का उल्लेख करूँ? क्या इसे संदर्भ के बाहर होना चाहिए? हमने क्या वेदना व्यक्त की है? हमने कहा था:

“देश में खास स्थिति में अनुसूचित जाति की एक महिला उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक

[श्री पी.आर. दासमुंशी]

ताकतों को रोकने के लिए धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत बनाने के लिए आगे आएंगी।"

क्या यह कांग्रेस का गलत संदेश था? क्या यह वह जनादेश नहीं था जो आपको दिया गया था? क्या यह आपकी इच्छा के विपरीत था? क्या हम निजी मामलों पर लड़े थे? परंतु हम आपका मुकाबला नहीं कर सके। हम बहस करना नहीं चाहते। गृहमंत्री श्री इंद्रजीत गुप्त यहां बैठे हैं। मुझे बताते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है।

मुझे यह बताते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि जब मैं पांचवीं लोक सभा का सदस्य बना था तो श्री इंद्रजीत गुप्त माननीय गृहमंत्री, जो यहां उपस्थित हैं, मेरी प्रेरणा थे - वे आज भी मेरी प्रेरणा हैं - न केवल एक संसद सदस्य के रूप में बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करने के उनके तरीके और देश को अस्थिर बनाने वाली साम्राज्यवादी उनके विचारों के कारण। हम उनके वक्तव्यों के लिए व्यंग्यात्मक शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते थे, परंतु उन्होंने इसे कई तरीकों से महसूस किया। क्या यह सच्चाई नहीं है कि उन्हें इस बात का दुख हुआ कि केवल कुछ लोगों के लिए उन वीजों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता जो हमारे हाथों में हैं? क्या यह सच्चाई नहीं है? प्रधानमंत्री जी, क्या यह सच्चाई की स्वीकृति नहीं है?

हमने आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण पर केवल धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए ही प्रधानमंत्री नहीं चुना था। हमने आपको राष्ट्र का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करने के लिए चुना था कि साम्प्रदायिक ताकतें राष्ट्र की गारंटी नहीं हैं परंतु प्रतिदिन धर्मनिरपेक्ष ताकतों की नींव मजबूत होती जा रही है। प्रधान मंत्री महोदय, क्या आपने किसी भी दिन इस दिशा में विचार करने की कोशिश की है। क्या आपने इस बारे में चुनावों से पहले या बाद में कोई प्रयत्न किया था? मैं आपसे पंजाब के संबंध में प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। माननीय बरनाला जी यहां उपस्थित हैं। क्या आप यह नहीं जानते कि उन्होंने पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के समय श्री लोंगोवाल की मृत्यु के बाद कितना बलिदान दिया था? हम जानते थे कि समझौते के बाद कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव नहीं जीत पाएगी; हम जानते थे कि असम में समझौते के बाद कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव नहीं जीत पाएगी और असम गण संग्राम परिषद ही जीतेगी। परंतु हमने कहा था ए.जी.पी. को जीतने दो; लोकतंत्र की जीत होने दो; बंदूक की शक्ति को समाप्त होने दो। इस कारण, आपको लोंगोवाल जी को खोना पड़ा। क्या हमने इंदिरा जी को नहीं खोया? दिल्ली में असंख्य सिक्ख मारे गए। हम कांग्रेस की दूसरी और तीसरी पीढ़ी के लोग आपसे हाथ जोड़कर उन

दिनों को भुलाने का अनुरोध करते हैं। हम एक नया ढांचा तैयार कर रहे हैं। हमें यह बात कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही कि भविष्य में भिंडरावाले और वे सभी भटके हुए युवा जो हमारे ही भाई थे उनका मारा जाना शहीद इंदिरा जी की हत्या की तरह ही दुखदायी होगा। हम बहुत ही दुखी हैं। आप हमारी वेदना को समझने की कोशिश कीजिए। क्या यह सच नहीं है कि हमने पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी? क्या यह सच नहीं है कि जब भूतपूर्व राजीव गांधीजी का शरीर हमें नहीं मिला था तो हम कितने हैरान से खड़े थे और यही सोचते रह गए थे कि उनको चिता पर कैसे रखा जाए? क्या यह सही बातें योगदान और बलिदान की नहीं हैं? क्या यह सब कुछ केवल सत्ता के लिए है? क्या सब कुछ किसी मुद्दे के लिए नहीं है?

प्रधानमंत्री जी, उर: समय आपको यह जनादेश प्रधानमंत्री के रूप में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को इकट्ठा करने के लिए ही दिया गया था। क्या तब आपने एक छापामार की तरह व्यवहार नहीं किया था? किसको कौन सा पद मिला, क्या यह देखने के लिए आपने अपने आपको व्यक्तिगत हित के रूप में स्वयं को पेश नहीं किया था। आज क्या हो गया है? जब आप प्रधानमंत्री बने थे तो हम सभी को एक आशा थी। हमने आपको सबसे ऊपर नेता के रूप में चुना था और हम आपके पीछे सत्ता में अपनी भागीदारी के बिना ही चल पड़े। हमने सोचा था कि हम अंत तक इसी तरह चलते रहेंगे। अगर हमसे कोई भूल-चूक हुई हो तो हमें सजा दीजिए। चाहे जो हो, हम एक नई कांग्रेस का गठन करेंगे। फिर कांग्रेस को अस्थिरतावादी ताकतों और साम्प्रदायिक तत्वों की चुनौती से बचाया जाएगा। क्या हमने किसी बात पर बहस की थी?

पंजाब और कश्मीर में क्या किया गया था? भगवान का शुक है कि डा. फारूख अब्दुल्ला अब कश्मीर में हैं। कश्मीर में यह लड़ाई केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं थी। यह लड़ाई वास्तव में आतंकवादियों के विरुद्ध होने के साथ-साथ अनुच्छेद 370 के लिए थी। यह लड़ाई अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के विरुद्ध थी। प्रधान मंत्री जी, क्या यहां बैठे पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में कोई बैठक की गई थी? कश्मीर के मामले पर हम सभी साथ हैं और हम अनुच्छेद 370 के खिलाफ इस द्वेषपूर्ण अभियान के खिलाफ हैं। क्या आपने इस देश के राजनैतिक अनुरोधों और मांगों का उत्तर दिया था? ... (व्यवधान)

कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। मैं चुनाव अभियानों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देश की एकता और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत बनाने की बात कर रहा हूं। राज्यों में काफी मतभेद हैं। हमारे राज्य में भी मतभेद हैं। मैं यहां ये बातें नहीं करना चाहता। जिस दिन मस्जिद तोड़ी गई थी, श्री सोमनाथ चटर्जी, जो यहां बैठे हैं, को याद होगा कि जैसी ही यह हुआ

था, माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमें फोन पर सूचना दी थी। हम सभी - मैं, कुमारी ममता बनर्जी और अन्य इकट्ठे बैठे थे। तब हमने क्या किया था? हमने यह निर्णय लिया था कि कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हर बात की सुरक्षा होनी चाहिए और बंगाल में ऐसी कोई बात दुबारा नहीं होनी चाहिए। क्या हमने वैसा नहीं किया था? यह सब सत्ता के लिए नहीं था। यह सब हेराफेरी और षड्यंत्र नहीं है।

हमारी वेदना का कारण क्या है? प्रधानमंत्री महोदय, वास्तव में, सच्चाई यह है कि स्पष्ट रूप से कहा जाए तो हम समझते हैं कि आपने इस देश में धर्म निरपेक्ष ताकतों को एकजुट करने के मूल महत्व को कम कर दिया है।

उस दिन हमने यह समझा कि संयुक्त मोर्चा सरकार ठीक है परंतु संभवतः इसका नेता इसे सही दिशा में नहीं ले जा रहा है। हमारा दुख प्रधानमंत्री जी, आपके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप में नहीं था, न ही देवेगौड़ा के रूप में था परन्तु प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा के विरुद्ध था।

यह हमारा आरोप नहीं है। तब दुख क्या था? भा.ज.पा. ने कांग्रेस पर यह कह कर आरोप लगाया है कि इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए कि सुरक्षा अवधारणा से वह क्या समझते हैं। हां, प्रधानमंत्री जी हमें आपको सावधान करना होगा। मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री कार्यालय में कौन सलाह दे रहा है। आपने सचिव स्तरीय शिष्टमंडल द्वारा पाकिस्तान के साथ सुरक्षा संबंधी बातचीत करने की कोशिश की थी। इसका स्वागत किया गया। गुजराल जी ने पाकिस्तान से संबंधित बुजुर्ग व्यक्तियों के रियायती वीजा के संबंध में एक विवरण इस सदन में पढ़ा था। क्या हमने उनका स्वागत नहीं किया था, क्या हमने साथ नहीं दिया था या समर्थन नहीं किया था? अगर हमें आपको अपने उद्देश्य के अनुसार इस सदन में नीचा दिखाना होता तो हम भा.ज.पा. के साथ नियम 184 के अंतर्गत उनके प्रस्ताव से जुड़ गए होते। क्या हमने वैसा किया? इसके विपरीत, प्रधानमंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय भी मंत्रीमंडल में सांझी जिम्मेवारी और कार्य के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से टीका टिप्पणी थी। क्या हमने इसे बहस का मुद्दा बनाया था? क्या हमने आपको एक दिन भी परेशान किया था? हमने नहीं किया। हम समझ सकते थे कि क्या हो रहा है।

मैं श्री निर्मल कांति चटर्जी को इस मुद्दे को इस सभा में दो बार उठाने और काशी और मथुरा पर विश्व हिंदू परिषद की योजना का ज्ञान करने के लिए सरकार को सचेत करने के लिए बधाई देता हूँ। उस समय, प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में सरकार का गठन नहीं हुआ था। हमारे उत्तर प्रदेश से संपर्क हैं। हो सकता है आज हमारी पार्टी उत्तर में प्रदेश में सत्ता में न हो। हमारे स्वयं

सेवक पूरे देश में फैले हुए हैं। देश भर में हमारी जड़ें सौ वर्षों से भी पुरानी हैं। मेरे अपने दोस्त और सहकर्मी मथुरा में रहे हैं। मैं पांच वर्षों तक युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ। देश भर में फैले हमारे सहयोगी यह संदेश देते रहते हैं कि चुनौती क्या है और तैयारी क्या है? आपने इसमें से कौन सा संदेश लिया है? आपका उत्तर क्या था? आपने सोचा होगा कि यह तो सभा में किसी सदस्य द्वारा की गई एक आकस्मिक टिप्पणी है। क्या वह काफी है? क्या आपने ऐसी गंभीर स्थिति पर चर्चा करने के लिए सभी पार्टियों को बुलाया है जबकि यह आज कुमारी मायावती की सरकार के अधीन है। अगर वे असहाय और उनके दबाव में हैं तो हमें एक साथ मिलकर सोचना चाहिए कि हम उस महिला की मदद करने की किस तरह योजना बनाएं? हमें इस अभियान को किस तरह जारी रखना चाहिए? आप जो चाहें कह सकते हैं पर मैं आपसे कहता हूँ कि यह अभियान चल रहा है। अभियान की तैयारी बहुत मजबूत है। प्रधान मंत्री महोदय, क्या आपने उसका जवाब दिया? आपने नहीं दिया था। आपने इसे गंभीरता से नहीं लिया था।

चौबीस घंटे पहले, जब पाकिस्तान के साथ वार्ता की जानी थी तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस्लामाबाद से "कश्मीर के आतंकवादी मेरे दोस्त हैं" जैसा कुछ कहते हुए एक वक्तव्य सार्वजनिक रूप से जारी किया था। मैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति का वक्तव्य नहीं पढ़ना चाहता। परंतु वार्ताएं किये जाने से पहले प्रधान मंत्री की तरफ से न तो कोई निंदा की गई और न ही कोई ठोस नोट इस्लामाबाद को भेजा गया। क्या यह पूरी दुनिया में और इस उप महाद्वीप में भारत जैसे देश की मर्यादा और गौरव को बढ़ाता है?

प्रधानमंत्री जी, हम सभी पाकिस्तान के साथ समाधान करना चाहते हैं। आपके एक साक्षात्कार का, संभवतः वह साक्षात्कार आपके द्वारा न दिया गया हो, उल्लेख या गलत उल्लेख किया गया था। आपका जन सम्पर्क विभाग बहुत कमजोर है। मुझे खुशी है कि आपने यह बात स्वीकार की है कि अधिकारी और सचिव आपकी बात नहीं मान रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आपके लिए यही काफी है कि अब आप पद छोड़ने का सोचें। आपने 'खलीज टाइम्स' में एक साक्षात्कार दिया है। क्या मैं वह साक्षात्कार पढ़ूँ? आपने कहा था, "शिमला समझौते के परिप्रेक्ष्य में कश्मीर में छोटी-मोटी व्यवस्था किए जाने पर विचार किया जा सकता था।" यह संदेश सुरक्षा के संबंध में समझौते का संदेश है। हम इसे सुरक्षा के समझौते के संदेश के रूप में देखते हैं।

यह कांग्रेस पार्टी, जिसका सौ साल का अनुभव है, की संस्कृति नहीं है कि वह कार्यकारी समितियों में एक कप कॉफी

[श्री पी.आर. दासमुंशी]

के ऊपर संकल्प पारित करें। हम सोचते हैं, हम देखते हैं। क्या हम यह सब बातें बताते हुए खुश हैं? हम खुश नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी इसीलिए हमने आपको चार नवंबर को एक संदेश भेजा था ताकि आप विचार करें, बात करें, छंटाई करें, अपनी नीतियों में सुधार करें और अपनी दिशा बदलें। यह 4 नवंबर को नहीं बल्कि 16 फरवरी को किया गया था। परंतु आपका पूरा रवैया बहुत आकस्मिक था। आज का युग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है और हम देखते हैं कि देश में यही बात है कि श्री देवेगौड़ा के लिए यह कुछ भी नहीं है। आपने कहा था, "तो क्या हुआ? मैं कल जाऊंगा।" उनका कल बंगलौर वापिस जाना या उनका यहां बैठना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात उनको दिया गया जनादेश और उनको सौंपी गई जिम्मेवारी है। यही महत्वपूर्ण है। अगर वे इस अनुरोध का जवाब नहीं देते तो क्या यह देश के लिए समस्या नहीं है? ऐसा ही हुआ है। हमने उस मुद्दे पर किसी सिद्धांत या नीति पर कोई समझौता नहीं किया है।

मैं आर्थिक युद्धों पर कुछ नहीं कहना चाहता। हो सकता है बजट के संबंध में कहीं-कहीं कुछ प्रतिबंध हो। हम उनके बारे में बाद में सोच सकते थे। मैं घटक दलों के अपने कई साथियों की बातों से सहमत हूँ। परन्तु क्या प्रधानमंत्री जी ने गरीबी हटाओ कार्यक्रम पर पर्याप्त जोर दिया था?

मेरे राज्य के मुख्य मंत्री, श्री ज्योति बसु जी के साथ हमारे राजनैतिक मतभेद हो सकते हैं। अपनी पार्टी की दैनिक पत्रिका गणशक्ति की तीसवीं वर्षगांठ के एक लेख में उन्होंने लिखा था कि उन्हें किस प्रकार प्रधान मंत्री के समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आधारभूत गरीबी हटाओ कार्यक्रम पर समझौता करने के तरीके से तथा पूरे कार्यक्रम को कम किए जाने के उनके तरीके से दुख हुआ था। यह सच नहीं है कि 16 मार्च को, संयुक्त मोर्चा सरकार के वामपंथी दलों के वरिष्ठ सदस्यों, श्री बर्डन, श्री सुरजीत, श्री चित्त बसु ने प्रधान मंत्री जी को एक हस्ताक्षरित ज्ञापन दिया जिसमें यह पूछा गया था कि खेतीहर मजदूरों जो सबसे गरीब हैं, का विधेयक क्यों नहीं लाया जा रहा है? क्या उन्होंने बहुत से अन्य आर्थिक मामलों पर अपना दुख व्यक्त नहीं किया था, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उन्होंने अपना समर्थन वापिस नहीं लिया था। परन्तु सर्वमान्य रिपोर्ट यह है कि वामपंथी सी पी एम के कार्यान्वयन में उनकी निष्ठा पर डर रहे हैं। एक हस्ताक्षरित ज्ञापन द्वारा वामपंथियों ने प्रधानमंत्री जी को चेतावनी दी थी। सारी बातें गलत दिशा में जा रही हैं। वे आर्थिक मुद्दे हैं और मैं अभी उन बातों पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ।

प्रधानमंत्री जी, राजनैतिक अर्थ में आप केवल 50, 60, 70, 80 या 90 के दशक के ही प्रधानमंत्री नहीं हैं। आप एक ऐसे

युग के प्रधानमंत्री हैं जिसमें आप सभी के संयुक्त ज्ञान से सभा का दूसरा पक्ष इस आकार का हो गया। अगर आप कांग्रेस विरोधी उपलब्धियों के बारे में बार-बार बोलेंगे तो हम हार मान सकते हैं। परंतु वे इस पूरे भाग को अपने अंतर्गत ले लेंगे। प्रधानमंत्री जी यही आपकी इच्छा है। बारीकियां जानने के लिए आप ऐसा करते जाते हैं।

विपक्ष ने आपको ज्ञापन के संबंध में चेतावनी दी थी। श्री ज्योति बसु ने लेख के संबंध में आपको चेतावनी दी थी। श्री बीजू पटनायक ने होम टी.वी. को दिए गए अपने साक्षात्कार के संबंध में आपको चेतावनी दी थी। हमने आपको चार तारीख को चेतावनी दी थी; हमने आपको सोलह तारीख को चेतावनी दी थी और अंत में हमने पाया कि बातें इस हद तक हो रहीं हैं कि आप वास्तविक समस्याओं के संबंध में कुछ नहीं कह रहे थे और आने वाले खतरों के संबंध में हमने महसूस किया कि यही समय था कि हम संयुक्त मोर्चा सरकार के अपने मित्रों से पूछें, "क्या आप कृपया नेता बदलने की कोशिश करेंगे?" आप यह कह सकते हैं "यदि आपकी यही इच्छा थी तो आपने यह दावा क्यों किया?" यह एक तकनीकी मामला है। आज भी हमारा यही कहना है, प्रधानमंत्री जी, आप प्रत्येक कांग्रेसी की भावना को पहचान लें। राज्य की सभी क्षेत्रीय पार्टियों से हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह एकदम अलग मामला है। परन्तु हममें से कोई भी यह नहीं कहेगा कि क्षेत्रीय दलों के साथ हमारे मतभेदों के कारण अथवा सी.पी.आई.(एम) के साथ हमारे मतभेद के कारण सत्ता अन्य लोगों के हाथ में आ जाए जो संविधान के ढांचे परिवर्तन कर दें जो कि महात्मा गांधी का स्वप्न था और देश में स्वतंत्रता आन्दोलन की परिकल्पना थी। परन्तु हमारी वह इच्छा नहीं हमारा वह स्वप्न नहीं। हमारी पार्टी ने कोई कम बलिदान नहीं दिए।

यह सब बातें किसने कही? लोग कहते हैं बजट के बीच में आपने यह काम किया। बजट की मुख्यधारा क्या है? मेरे विचार से बजट को स्थगित किया जा सकता है परन्तु देश के धर्म-निरपेक्ष आधार के लिए खतरनाक साम्प्रदायिक ताकतों को इन परिस्थितियों में नहीं चलने दिया जा सकता, पहले उन्हें हटाना होगा बाकी सब काम बाद में होंगे।

एक बार महात्मा गांधी ने कहा था "शिक्षा बाद में ली जा सकती है परन्तु स्वराज नहीं।" आज हमारा मत यह है कि बजट स्थगित किया जा सकता है परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में देश के धर्म-निरपेक्ष आधार को क्षति पहुंचाने वाली साम्प्रदायिक ताकतों के खतरे को नहीं रहने दिया जा सकता। यह नहीं किया जा सकता ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

हमारे मुख से ही बोला जाएगा, आपके मुख से नहीं। इसलिए आप गांधी जी की मौत के दिन से आज तक की कहानी फिल्म में भी फ्लैश बैक होता है, उसको देखिए और रोते रहिए। हमसे मत पूछिए ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

मैं बी.जे.पी. के दृष्टिकोण को जानता हूँ ... (व्यवधान) बी.जे.पी. का सोचना था कि कांग्रेस का विघटन हो जाएगा। नहीं, हमारा विघटन नहीं होगा ... (व्यवधान) आप हमें सजा दीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप हमें सजा दीजिए आप हमें भगवान के सहारे छोड़ दीजिए ... (व्यवधान) मैं आपसे और आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को अपील करता हूँ कि जहां तक मैं समझता हूँ मैं उस आन्दोलन में नहीं था। अध्यक्ष महोदय, जय प्रकाश जी ने एक आन्दोलन का नेतृत्व किया जिसमें आप सब शामिल थे, वे उन्हें गलियों में ले आए ताकि वह उस शोभा पा सके। जय प्रकाश जी कहा करते थे और मैंने बोट क्लब पर उनके एक सर्वोत्कृष्ट भाषण को सुना था : जिसमें उन्होंने कहा था, "नैतिकता और हमारी अन्तर्ात्मा की आवाज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है" ... (व्यवधान) और प्रधानमंत्री जी मैं आपसे निवेदन नहीं कर रहा (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बीच-बीच में बोलिए नहीं। कृपया सुनिए।

... (व्यवधान)

श्री पी.आर. दासमुंशी : प्रधानमंत्री जी, मेरे विचार से, जैसे ही हमने समर्थन वापस लिया, आपको इसे व्यक्तिगत रूप में नहीं लेना चाहिए था। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था और तुरन्त कहना चाहिए था, "क्या यह मेरी सरकार और उसके घटकों और सी.एम.पी. में मेरे विश्वास और धर्म-निरपेक्ष दृष्टिकोण के विरोध में है? या यह बीचों बीच का रास्ता है?" वह तो मेरी समझ में आ सकता था। आप अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें व्यक्तिगत रूप से हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है। परन्तु आप असफल हो गए हैं। आपने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में राष्ट्र के महत्व को नगण्य बना दिया है।

अन्तर्राष्ट्रीय जगत में आज हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। सम्पूर्ण विश्व में भारत आज अकेला पड़ गया है। प्रधानमंत्री जी आपके प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कलकत्ता आए; तो मुझे अत्यंत दुख हुआ। यह निर्णय करना भारत के प्रधानमंत्री का काम था, कि वह देखे कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री

के साथ उनकी बैठक का समय क्या हो। परन्तु आपको इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से मिलने का समय लेना पड़ा जो बंगलौर जा रहे थे। वे आपके देश में थे, भारत की भूमि पर। क्या भारत में ऐसा पहले कभी हुआ है।

जी-15 की पहल मलेशिया ने की थी भारत ने नहीं। भारत बड़ी शक्ति था। क्या आपने अपने मंत्रीमंडलीय साथियों के साथ इस विषय पर कभी विचार विमर्श करने का प्रयास किया है? प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे अपील करता हूँ। आप कह सकते हैं कि विगत में हमारी उपलब्धियां अच्छी नहीं हैं और दस महीनों के अन्तराल में आपकी उपलब्धियां अच्छी हैं। हम आपके दस महीनों और अपने पांच वर्षों की उपलब्धियों की तुलना नहीं कर रहे। हम बहुत से आंकड़े दे सकते हैं, अब हम इस विषय पर बहस नहीं कर रहे। हम जानते हैं कि आपका समय सीमित है। आप दस महीने के छोटे से अन्तराल में चमत्कार कैसे कर सकते थे? परन्तु आपने बहुत लापरवाहीपूर्ण रवैया अपनाया। आपने बस एक प्रधानमंत्री की भूमिका चुनी। जैसे कोई अफसर अफसरशाही में सोचता है वे मेरे अधिकारी हैं, और वैसे ही आपने सोचा आप साउथ ब्लाक का प्रशासन चलाने वाले घटकों के मुखिया हैं। परन्तु हम आपसे एक धर्म-निरपेक्ष प्रजातांत्रिक संम्य के मुखिया होने की अपेक्षा करते हैं, अपने राष्ट्र को जो दिशा प्रदान कर सके, अन्तिम आदेश दे सके, इसी क्षेत्र में, प्रधानमंत्री जी आप असफल रहे।

अपराहन 12.43 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

पहले आपने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में राष्ट्र के महत्व को कम करने का प्रयास किया फिर आपने धर्म-निरपेक्ष शक्तियों के एकीकरण की उपेक्षा करने का प्रयास किया। तत्पश्चात् आपने कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास किया। इन बातों को पसन्द करें या नापसन्द - यह महत्वपूर्ण नहीं है फिर आपने गैर-कांग्रेसियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। मैं फिर दोहराता हूँ। गैर-कांग्रेसवाद से शायद कोई लाभ हो, परन्तु फिर इससे देश को अन्ततः कोई लाभ नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी राजस्थान में इन लोगों का विरोध कौन करेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कोई नहीं, प्रधानमंत्री जी। प्रधान मंत्री जी आप चाहें या न चाहें। प्रधान मंत्री जी आपकी धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के अनुसार गुजरात में उनसे कौन लड़ेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा और कोई नहीं। महाराष्ट्र, मैं उनसे कौन लड़ेगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और विपक्ष के कुछ लोग। उत्तर प्रदेश में उनका विरोध कौन करेगा ? श्री मुलायम सिंह यादव। वह उनके नेता होंगे और हम भी उनके साथ योगदान करेंगे? प्रधानमंत्री जी, बिहार में उनसे कौन लड़ेगा? आपका दल। मैं इससे सहमत हूँ। मध्य प्रदेश में इनसे कौन लड़ेगा-हमारा दल।

[श्री पी.आर. दासमुंशी]

दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में इनसे कौन मुकाबला करेगा? क्या कभी आपने इस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की ओर दृष्टिपात किया है कि आपके सुपर गैर-कांग्रेसवाद का राष्ट्र को भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आपने कभी इस बात को महसूस किया है? इसीलिए प्रधानमंत्री जी, आप असफल हो गए। अब समय आ गया है वामपंथियों ने आपको आर्थिक मुद्दों पर चेतावनी दे दी है।

व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने चाहे अपनी चिन्ता प्रकट की हो। परन्तु प्रधानमंत्री जी, मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि हमने अपने विचार अभिव्यक्त कर दिये हैं। हमारे विचार से इससे धर्म-निरपेक्ष ताकतों को पुनर्एकीकरण में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री जी, अब कार्यवाही करना आपके ऊपर है। आप यह मत समझें कि हमने आपके ऊपर कोई आरोप लगाया है। हमने यह सब स्थिति पैदा नहीं की। हम किसी व्यक्तिगत मुद्दे को नहीं उठा रहे। उस तरह से बहस करना कोई मुद्दा नहीं है। हमें आपसे बड़ी आशाएं थी। हमने अपने बीच इस पर विचार-विमर्श किया। बी.जे.पी. हमारे ऊपर दोषारोपण कर सकती है कि हमने समर्थन वापिस लिया है और राष्ट्र की हत्या की है। हम प्रजातंत्र के लिए सब खराब काम करते हैं और संस्था के मूल्यों की खातिर भी सब ऐसे काम करते हैं। मैं उन सब मूल्यों का बखान नहीं करना चाहता। इस नाजुक मौके पर हम भारतीय जनतंत्र के धर्म-निरपेक्ष संगठन के केन्द्र बिन्दु के रूप में आपको देखते हैं। प्रधानमंत्री जी, मुझे यह बड़े दुख से कहना है कि आप अपना दायित्व निभाने में और राष्ट्र को उचित व्यवस्था देने में असफल रहे हैं। मैं यह जानता हूँ कि हमें कहीं से कोई समर्थन नहीं मिलेगा। टैगोर ने जो कुछ कहा, आज हम उसे ही कहने में न्यायोचित हैं। उन्होंने कहा, “यदि तुम्हारे पुकारने पर आये और चुप रहे, यदि सब सहमे हुए हों और एक तरफ खड़े हों, निर्भीक होकर अपने मन की बात कह दो और आगे बढ़ो। प्रकाश न भी हो, आसमान का तूफान भी आपको रास्ता दिखाएगा अतः आगे बढ़ो।”

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री-परिषद् और प्रधानमंत्री में सदन द्वारा विश्वास प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन केवल इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं मंत्री-परिषद् का सदस्य हूँ अपितु इसलिए क्योंकि मैं उन सब कामों में भी विश्वास करता हूँ जो इस सरकार ने किये।

एक तरह से मैं इस सदन को यह स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि इस वर्ष हम भारत की स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं और मुझे आशा है कि इस अवसर पर सदन में होने वाली बहस देश की गरिमा के अनुरूप होगी। मुझे आशा है कि इस

अवसर पर जो भाषण दिये गए, वे न केवल आवश्यकता पड़ने पर, सरकार की नीतियों के सम्बन्ध में निर्णय लेने में हमें मदद करेंगे, अपितु उनका सही परिप्रेक्ष्य में भी मूल्यांकन किया जाएगा दुर्भाग्य से, अभी तक यह सब नहीं हुआ है।

मेरे युवा मित्र श्री दासमुंशी मेरे पुराने सहयोगी हैं।

मैंने उनका भाषण बहुत ध्यान से सुना। मैं उन्हें युवा मित्र इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं उन लोगों में एक हूँ जिन्होंने उन्हें अपने जोश से युवा कांग्रेस में उभरते हुए देखा है। सामान्यतः वे ऊपर नहीं चढ़ते। अभी भी उनकी यही उपलब्धि प्रतीत होती है।

पूरे भाषण के दौरान मैं यह समझने की कोशिश करता रहा कि वह क्या कहना चाहते हैं, ताकि हम अपनी रक्षा में कुछ कह सकें। केवल यही मैं समझ सका और मैं बाद में इस पर आऊंगा कि, मुझे ऐसा लगता है कि देश में शायद अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो यह समझते हैं कि भारत पूरे विश्व में अकेला पड़ गया है।

मुझे नहीं पता इस सप्ताह जब दिल्ली में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का सम्मेलन हुआ, वह दिल्ली में थे। मुझे आशा है कि वे जानते हैं कि 113 देश गुट निरपेक्ष सम्मेलन में सम्मिलित हुए। 113 देश मानवता का दो तिहाई भाग है और वे केवल इसलिए यहां नहीं आए कि वे भारत को प्रतिष्ठित करना चाहते थे अपितु इसलिए भी, कि वे जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते थे।

मुझे आशा है कि यदि मेरे लिए नहीं, श्री देवेगौड़ा के लिए नहीं तो जवाहरलाल नेहरू के लिए कुछ कहें, जो गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के जनक थे।

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन सम्मेलन में तीन बातों पर बल दिया गया। सम्मेलन ने विकासशील विश्व की एकता पर जोर दिया। इसमें उन देशों की एकता पर जोर दिया जो किसी न किसी समय उपनिवेशवाद का शिकार थे। इसमें उन देशों का एक स्वर में इरादा व्यक्त किया गया जो उन देशों के दबाव का प्रतिरोध करेंगे जो देश को नायक बनना चाहते हैं और एक नई ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं जो अधिकांश देशों को मंजूर नहीं है। मुझे आशा थी कि वे प्रशंसा के दो शब्द कहेंगे, मुझे आशा थी कि चाहे वे सरकार के लिए अथवा प्रधानमंत्री के लिए प्रशंसा का एक भी शब्द नहीं बोलेंगे, कम से कम वे जवाहरलाल नेहरू की उस विरासत को तो याद करेंगे जिसे हमने भारतीय स्वंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ पर अपनाया। मुझे विश्वास है कि यदि अकेलेपन से उनका तात्पर्य वांछित गठन में रहने वाले लोगों से दूरी का है तब तो हम अकेले पड़ ही गए हैं।

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, कुछ सुनाई नहीं दे रहा।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : श्री सोमनाथ मुखर्जी दूसरे सदस्यों के साथ जो विचार-विमर्श कर रहे हैं वह नाईक पर आ रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ये हमेशा गलत कहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : शायद इसमें आपको फायदा हो क्योंकि आप उनके रहस्य जान जाएंगे।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मेरे माननीय मित्र ने जो कुछ कहा है, मैं उस पर और अधिक समय व्यतीत नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि इस बहस से जुड़े मामलों पर पूरा ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हीं मुद्दों पर चर्चा जारी रखनी चाहिए। यदि मैं ऐसा कहूंगा, जब मैं मुद्दों की बात करता हूँ, तो हमें उन नीतियों को अवश्य समझना चाहिए जिन पर विगत दस महीनों के दौरान सरकार अनुपालन कर रही है।

मुझे इस बात का संतोष है कि विशेषकर विदेश नीति से संबंधित नीतियों, जिन पर मैं अपना ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास कर रहा था, का पूरे देश में स्वागत हुआ है। यह एक तथ्य है। इन दस महीनों के दौरान सक्षमता और उपलब्धियों के तीन मूल आयाम थे। प्रारम्भ में हमारा प्रयास था कि भारत की विदेश नीति को राष्ट्र की सर्वसम्मति प्राप्त रहे और वह इसे प्राप्त रही है।

मैं एक ओर अपने मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रशंसा करता हूँ और दूसरी ओर श्री पी.वी. नरसिंहराव की, और अपने पक्ष के उन दलों की जो उन मुख्य निर्णयों से जुड़े रहे हैं जिन्हें सर्वसम्मति राय मिली।

हमने कौन-कौन से मुख्य निर्णय लिये? हमने जो पहला मुख्य निर्णय लिया उसका सम्बन्ध सी.टी.बी.टी. से है। सी.टी.बी.टी. को बनाने का विचार इसी सदन में हुआ। मुझे याद है कि बी.जे.पी. सरकार के प्रति विश्वास मत व्यक्त किया जा रहा था या शायद देवेगौड़ा सरकार के प्रति विश्वास मत अभिव्यक्त किया जा रहा था तो मेरे पुराने मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया था और हमने इस सदन में वचन दिया था कि हम देश की गरिमा को बनाये रखेंगे। हमने अपना वचन निभाया। हमने सी.टी.बी.टी. के मुद्दे पर देश को जोड़ा है। हम किसी भी दबाव के आगे नहीं झुके।

अनेक ओर से हम पर दबाव डाला गया। हमें कुछ सजा भी मिली। सुरक्षा परिषद् में हमारी हार के रूप में भी एक तरह की हमें सजा दी गई। हमने इसे भी सह लिया क्योंकि हम जानते थे

कि जब हमने कोई गरिमापूर्ण निर्णय लिये हों और जब पूरा राष्ट्र एकजुट होकर हमारे साथ हो, तो हमें किसी बात का डर नहीं हो सकता। अतः मेरा मत है कि भारतीय विदेश नीति के इस दूसरे आयाम को जारी रखना है। जो काम श्री जवाहरलाल नेहरू के जमाने में शुरू हुए, उसकी निरन्तरता आज तक बनी हुई है और इसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी का विदेश-मंत्री काल भी सम्मिलित है। मैं उस समय का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ जब वह तेरह दिन के लिए प्रधान मंत्री बने। यह भी महत्वपूर्ण था। अतः जब श्री जसवन्त सिंह हमारे पड़ोस में होने वाली घटनाओं की आलोचना कर रहे थे, महोदय मैं आपके और सदन के हित में कुछ पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। मैं उद्धृत करता हूँ:-

“श्रीमती इंदिरा गांधी तथा उनके साथियों द्वारा भारत के पड़ोसियों के साथ सम्बन्धों संबंधी मुद्दों को चुनाव-विवादों में घसीटने से विदेश नीति पर सर्वसम्मति राय पैदा करने की प्रक्रिया को गंभीर आघात पहुंचा है। उनके यह आरोप कि जनता सरकार - जिसके वह विदेश मंत्री थे - ने राष्ट्रीय हितों की बलि चढ़ा दी और जनता की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अपने पड़ोसियों के प्रति कुछ अधिक उदारपूर्ण रवैया अपनाया, पूर्णतया निराधार है। विश्व के इस भाग के भिन्न देशों के हित स्वतंत्र हैं और वे परस्पर सहयोग के आधार पर कर सकते हैं। एक बड़ा राष्ट्र होने के नाते भारत का यह दायित्व है कि वह साथ-साथ लगते छोटे-छोटे देशों के साथ अच्छे पड़ोसी सम्बन्ध बनाने का उदाहरण विश्व के सामने प्रस्तुत करे।”

यह संकल्प मेरा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का है। क्या यह उसी नीति का अनुसरण नहीं, जिसका अनुपालन करते आए हैं? क्या यह वही नहीं जिसमें श्री जसवन्त सिंह अब कुछ खामियां ढूँढ़ रहे हैं?

जब हमने बंगलादेश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये थे तो मैंने सदन में बड़ी हिम्मत और गर्व से कहा था कि भारत के सभी राजनीतिक दल हमारा समर्थन कर रहे हैं और इसी कारण हम इसमें सफल हो पाये हैं। मुझे इसमें कोई व्यक्तिगत गौरव नहीं, परन्तु मैं गौरव का अनुभव इसलिए करता हूँ क्योंकि भारत के लिए, राष्ट्र के लिए यह गौरव का विषय है कि राष्ट्र जानता है कि कब उसे संगठित रहना है और कब उसे अपने मतभेद अभिव्यक्त करने हैं। इस सदन में हम अनेक मामलों पर अलग-अलग विचार रखते हैं परन्तु हर बार यह बात और अधिक तरह हमारे सामने उजागर होती है कि विदेश नीति और कुटनीति को सुधारते समय विरासत, निरन्तरता और सर्वसम्मति को अक्षुण्ण बनाए रखना होगा। हमने इसे सुरक्षित रखा है। हमने इसका सम्मान

[श्री इन्द्र कुमार गुजराल]

किया है। मैं दावा कर सकता हूँ - मुझे आशा है कि कोई माननीय सदस्य मुझसे इस विषय पर असहमत नहीं होगा कि सी.टी.बी.टी. से लेकर बंगलादेश समझौते तक ऐसा कोई भी विषय नहीं, जिस के सम्बन्ध में हमने विपक्ष और कांग्रेस सहित अन्य सहयोगी दलों से विचार-विनिमय न किया हो। अतः कांग्रेसी मित्रों का यह कहना कि उनके साथ विचार-विमर्श नहीं किया गया न तो सही है और न ही जायज़। हर नीतिगत विषय पर विस्तारपूर्वक दस्तावेजों सहित उनके साथ विचार किया गया। हमने अटल जी को भी वे दस्तावेज दिखाए और उन दलों को भी जो हमारे पीछे हैं। इसी ढंग से हम विदेश नीति पर सर्वसम्मत राय बनाते आए हैं।

हमें इस तथ्य को मूलतः याद रखना है कि भारतीय विदेश नीति न तो अभी-अभी तैयार हुई है और न 1980 में ही बनाई गई। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान ही इसकी अवधारणा हुई। मुझे नहीं पता मेरे नौजवान मित्रों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था या नहीं परन्तु मैं उस पीढ़ी से हूँ। मैं श्री चन्द्रशेखर को देखता हूँ जो यहां बैठे हैं। वे भी उसी पीढ़ी के सदस्य हैं। हमें स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने का सौभाग्य मिला। इसी दौरान हमने अपनी विदेश नीति बुनी। स्वतंत्रता संग्राम में क्या विदेश नीति तैयार की गई। यह कर्म की स्वतंत्रता और चुनाव की स्वयत्ता के रूप में कही गई। अतः 'गुट-निरपेक्ष' शब्द का प्रयोग चाहे बाद में किया गया हो, परन्तु स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान इसकी अवधारणा हो चुकी थी। इसीलिए मैं हिम्मत और गर्व से कहता हूँ कि इसी चुनाव को हमने सुरक्षित बनाए रखा है। सी.टी.बी.टी. को अस्वीकार करते समय हमारे मन में यही भावना थी। वे सोचते थे कि अन्तिम क्षण पर भारत मान ही जाएगा। 11.59 मिनट होकर बारह भी बज गए परन्तु भारत अपने रवैये पर अडिग रहा।

मेरे विचार से सरकार इस बात पर गर्व कर सकती है कि किसी भी प्रकार के दयाव, किसी प्रकार की चापलूसी और किसी तरह की सजा इस देश को अपने दृष्टिकोण से नहीं हटा सकी। इसी कारण मैं कहता हूँ कि यह कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। यह राष्ट्र की उपलब्धि है। यदि हम सही और जायज़ रूख अपनाए तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है जो इस समय देश का नेतृत्व कर रहे हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

यह इसलिए है क्योंकि मेरे साथ-साथ वे इस विदेश नीति पर अडिग होकर चलते रहे हैं। मेरे मंत्रिमंडलीय साथी भी मेरे साथ रहे। अतः पहले दिन से मेरे लिए यह महत्वपूर्ण था और हमें इस तथ्य को धारण कर लेना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्री एच.डी. देवेगौड़ा तक एक राष्ट्रीय आम सहमति बनाए रखी गई है और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। किसी भी पार्टी

से कोई भी व्यक्ति चुनाव जीत कर सदन में आकर बैठ सकता है, ऐसा होना चाहिए और यह जनतांत्रिक ढंग से सम्भव है कि पार्टियाँ बदल जाएं। परन्तु कोई भी योग्य व्यक्ति भारत की विदेश नीति को नहीं बदलेगा।

भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंहराव यहां बैठे हैं? उन्होंने पांच वर्षों में क्या किया? उन्होंने भी इसी ढंग से उस नीति का अनुसरण किया। कई बार उन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र जाने को कहा, कई बार उन्होंने यही निवेदन मुझे भी किया। अनेक बार उन्होंने हमें जेनेवा जाने को कहा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमें इसे समझना चाहिए। वे उस विरासत का अनुसरण कर रहे थे और विरासत यह थी कि विदेश नीति के मसले पर आप एक पार्टी और दूसरी पार्टी का प्रश्न नहीं बनाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुजराल क्या आप भोजनावकाश के पश्चात् अपना वक्तव्य जारी करेंगे? अथवा आप दस मिनट की समयावधि में अपना भाषण समाप्त करना चाहेंगे?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मैं भोजनावकाश के बाद बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.05 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.05 बजे पुनः सम्मेलित हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मंत्री-परिषद में विश्वास का प्रस्ताव - जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्र कुमार गुजराल अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

मिनिस्टर कोई नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वे स्वयं मंत्री हैं, महोदय।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने बोलने वाले को स्पीकर समझ लिया क्योंकि वह बोलने वाले थे, कुछ कन्फ्यूजन हो गया। गुजराल साहब आप बोलिए।

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : भोजनावकाश से पूर्व मैं आपका और सदन का ध्यान इस ओर दिला रहा था कि भारत की विरासत ने कैसे हमें नई विदेश नीति ढ़ढ़ने में रास्ता दिखाया। यह रास्ता हमें आज नहीं दिखाया गया परन्तु स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही यह समझ आई हमें। मैं कह रहा था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अद्वितीय पहलु यह था कि न केवल हमने अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता चुना, अपितु सभी नीतिगत निर्णय भी लिए - यह उस समय के नेताओं की योग्यता का करिश्मा है कि वे भारत की विदेश नीति की अवधारणा कर पाये। उनका विश्वास था कि उस नीति का एक महत्वपूर्ण भाग यह होगा कि वह स्वतंत्र होगी; किसी के दबाव से दूर होगी सब निर्णय राष्ट्र हित में होंगे और उस समय की सरकार और राष्ट्र जो भी अवधारणा करेगा, वह राष्ट्र हित में होगी।

मैंने कहा था और मैं दोहराता हूँ कि इस विरासत का सुखद पहलू यह है कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक, जो कोई भी उस स्थान पर बैठा और प्रधानमंत्री बना, उसने इस विरासत को अक्षुण्ण रखा। मूल रूप से यह विरासत यह थी कि उपनिवेशवाद के दौरान भारतीयों ने बहुत दुःख सहे, अतः उसी प्रकार के उपनिवेशवाद की अग्नि में जलने वाले लोगों के साथ हमारा विशेष प्रकार का लगाव, मैत्री और सहयोग हो गया। इसी कारण, आपको याद होगा कि यह पचासवाँ वर्ष है, और पचास वर्ष पूर्व एक एशिया सम्मेलन यहां हुआ था। उस सम्मेलन में जवाहर लाल नेहरू और महात्मा गांधी ने यह अवधारणा की थी कि जब तक सभी उपनिवेश समाप्त नहीं हो जाते तब तक भारत की स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। केवल यही नहीं, उस समय भी वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति का प्रचलन देखा। अतः इन पचास वर्षों के अन्तराल में जो भी इस पद पर सुशोभित हुआ, सभी ने भारती विदेश के इस पक्ष को महत्वपूर्ण माना, इसके लिए मैं अपने इस पक्ष के सहयोगियों और विपक्षी सदस्यों, सबकी प्रशंसा करता हूँ। 'गुट-निरपेक्ष' शब्द तो बहुत बाद में प्रचलन में आया। परन्तु शुरू में भी यही कहा गया कि हम तटस्थ रहेंगे। हम मामलों के सम्बन्ध में वही निर्णय लेंगे जो हमारे लिए उचित होगा और हमने यही किया है। हम इसी विरासत को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। अतः मैंने बार-बार सदन में कहा है और मैं फिर दोहराता हूँ कि भारतीय

विदेश नीति को अपनी विरासत को बनाए रखना है, उसे टिकाना है और साथ ही साथ निरन्तरता के सूत्र को अर्थात् आम सहमति को जारी रखना है।

कुछ समय पूर्व जैसा कि मैंने कहा और मैं फिर दोहराता हूँ कि भारतीय जनतंत्र और शक्ति का एक रोचक आयाम यह है कि विभिन्न मामलों पर हममें कुछ भी वैचारिक मतभेद हो व्यापक रूप से भारतीय विदेश नीति पर राष्ट्र की आम सहमति सभी सरकारों के दौरान बनी रही है। कुछ समय पूर्व मैंने यह पढ़ा था और मैं दोबारा जनसंघ द्वारा वर्ष 1981 में दिया गया वक्तव्य पढ़ना नहीं चाहता। अतः मैं भारतीय विदेश नीति के महत्वपूर्ण घटक के रूप में इसे देखता हूँ और यह जारी है।

यह कहते हुए, इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहूंगा कि यह विदेशी नीति की विरासत कुछ ऐसी बात है जिसे जारी रखना है। पंडितजी ने हमारे लिए अनेक महान् कार्य किए हैं। यह राष्ट्र उनकी कल्पनाशक्ति, उनकी वचनबद्धता तथा साहस तथा उन लोगों के विरुद्ध लड़ने, जो उन्हें अपने काबू में करना चाहते थे, के प्रति आभारी रहे। कुछ लोग सोचते होंगे कि शीत युद्ध के दौरान हम इस पक्ष में थे या विपक्ष में। नहीं, हम हमेशा भारत की ओर रहे, न इस ओर न उस ओर।

महोदय आपको स्मरण होगा कि स्टालिन ने जवाहर लाल नेहरू जी को उपनिवेशवाद का समर्थक माना था। डलेस ने भी जवाहरलाल नेहरूजी के बारे में ऐसी ही टिप्पणी की थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू पर इन बातों का कभी असर नहीं हुआ और ये टिप्पणियां उन्हें हतोत्साहित नहीं कर पायी थी।

अब एक मुद्दा और उठा है और हमने उसे स्पष्ट करने की भी कोशिश की है - यदि यह एक सहमति है तो उसे भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। हम सर्वसम्मति का क्रियान्वयन कैसे करेंगे? कुछ ही देर पहले मैं अपने मित्र श्री पी.वी. नरसिंह राव से मुलाकात करने गया था। जब वे प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इस पर कार्य आरम्भ किया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ और जनेवा स्थित मानव अधिकार आयोग भेजे जाते रहे हैं। मुझे भी यह विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था। हमने यह बीड़ा इसलिए नहीं उठाया कि हम उनकी राजनीति से सहमत थे। हमने ऐसा इसलिए किया था कि यह कार्य व्यापक राष्ट्र हित में था। इस सरकार ने भी वही आधार अपनाने का फैसला किया है। इससे विश्व को हमारी एकजुटता का बोध होता है और विश्व भी यह महसूस करता है कि भारत सरकार बोलती है तो पूरा भारत बोलता है और इसलिए मैंने यह कहा था कि सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने के दबाव को हमें टूटाने की शक्ति मिली।

[श्री इन्द्र कुमार गुजराल]

यह पहली चुनौती थी जिसका सामना हमें करना पड़ा था। अब हमें एक नई स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। दुर्भाग्यवश यह नई स्थिति हमारे पड़ोसी दक्षिण एशिया से संबंधित है जिसे हमेशा ही एक ऐसा क्षेत्र घोषित किया गया है जो हमेशा युद्ध और कठिनाईयों से जूझ रहा होता है। इसे कैसे बदला जाए। मैंने बार-बार कहा है और मैं समझता हूँ कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस मुद्दे पर मेरा समर्थन करेंगे क्योंकि यह उनकी भी नीति रही है। जब वह पाकिस्तान गए थे तब उनकी यही नीति थी। जब संकल्प पारित किया गया तब उनकी यही नीति थी। जब वह विदेश मंत्री थे और मैं उस समय मास्कों में राजदूत था तब उनकी यही नीति थी। मैं जानता हूँ कि वह उदाहरण के लिए रूस के बारे में क्या सोचते थे। लेकिन आज लोग रूस के बारे में बातें कर सकते हैं। लेकिन उसकी पृष्ठभूमि यही है। मुझे आशा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों में परिवर्तन नहीं आया होगा।

अतः मुख्य मुद्दा वही है कि हमारे लिए हमारे पड़ोसी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जब तक हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध नहीं रखेंगे तब तक इस पड़ोसी राजनीति से अछूता नहीं रहेंगे। श्री चन्द्रशेखर ने अपने समय में कुछ करने की कोशिश की थी। हम से हर कोई जब इस पद को संभालता है तो वह कुछ करने की कोशिश करता है जिसमें वे कभी सफल होते या कभी आंशिक रूप से सफल होते हैं। इस बार यह मेरे जिम्मे आया है और सौभाग्य से इस दिशा में हमने कुछ किया है। बांग्लादेश के साथ हमारे संबंधों में काफी सुधार हुआ है और इससे हमें काफी उम्मीद है। नेपाल के साथ हमारे संबंधों में व्यापक परिवर्तन आया है। श्री लंका और भूटान सहित सभी पड़ोसी देशों से हमारे संबंधों में काफी सुधार हुए हैं। पड़ोसी देशों के बारे में अब हमारे विचार काफी बदल गए हैं। हमारा देश काफी बड़ा है। हमारा देश काफी महत्वपूर्ण है। अतः जैसा कि मैंने अभी-अभी कहा है कि हमारे पड़ोसी देश दक्षिण एशिया तक ही केवल सीमित नहीं हैं। हम अपने पड़ोसी "आसिया" देशों के प्रति भी नजर रखते हैं। "आसिया" देशों के बीच हमारे संबंधों में काफी वृद्धि हुई है और हम आपस में बराबर संपर्क बनाए रखते हैं। हम ए.आर.आई. के सदस्य भी हैं और वह हमारे लिए एक नया क्षेत्र है। अतः, आने वाले समय में मध्य एशिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बनेगा क्योंकि कुल सुरक्षित गैस भंडार का 40% इन्हीं देशों में है। अतः अन्य सांस्कृतिक संबंधों, ऐतिहासिक संबंधों और सोवियत युग के पूर्व हमने आपस में जो सुधार किए हैं उनके अलावा वे क्षेत्र भविष्य हेतु ऊर्जा का भंडार है।

हमने देखा है और यह रूचिकर भी है कि इसी सरकार में, तीन महीने पूर्व हमने ईरान और तुर्कमिस्तान के साथ एक त्रिपक्षीय

समझौता किया है। उस समझौते का क्या मतलब है? उस समझौते का मतलब है कि अब हमारा सामान ईरान के रास्ते रेल द्वारा तुर्कमिस्तान और सभी मध्य एशिया पहुंच सकेगा। मैंने हाल ही में उस क्षेत्र का दौरा किया है। मुझे बताया गया कि इससे इसकी दूरी तीन सप्ताह कम हो जाएगी और हमारे सामान अब उड़ीसा के रास्ते नहीं जाएगा। यही उस रास्ते से जाएगा। इस समझौता से हमारे पड़ोसी नीति में एक नया आयाम आएगा।

ईरान के साथ पहले हमारे संबंध नहीं रहे थे। सौभाग्यवश, वह युग समाप्त हो चुका है। अफगानिस्तान के साथ भी हमारे संबंध ठीक नहीं थे। भारत की अफगानिस्तान नीति सकारात्मक और सहायक दोनों ही है। हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़े।

दुर्भाग्यवश उन्हें दो दशकों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, पहले रूस द्वारा हमला करने के परिणामस्वरूप और बाद में, अन्य चीजें, जो वहां हो रही हैं। हम इस विचार के प्रबल समर्थक हैं कि अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के लोग, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, अपना निर्णय स्वतः करें। मुझे उम्मीद है कि स्थिति बदलेगी लेकिन हमारी विचारधारा वही है।

मैं पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ फिर भी मैं आपका ध्यान हाल ही संपन्न हुए हिन्द महासागर रिम सम्मेलन की ओर दिलाना चाहता हूँ। भारत की पहल एक बार फिर रंग लाया और हिंद महासागर रिम के चौदह देशों की अब एक संघ है। अतः, उस क्षेत्र में भी भारत का प्रभुत्व बढ़ा है। अब आप भारत के हित को, एक ओर दक्षेस और दूसरी ओर "आसिया" एक ओर कोरिया और दूसरी ओर जापान के मददे-नजर देख सकते हैं। अब हम मध्य एशिया की ओर आते हैं और मध्य एशिया के ईरान से लेकर हम हिंद महासागर में रिम तक पहुंच गए हैं। अतः, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय प्रभाव को केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करना चाहिए। यही केन्द्र बिन्दु अंततः हमारी विदेश नीति को सुदृढ़ करेगा। हमारे मित्र ने कहा है कि हम अलग-थलग हो गए हैं। यदि यह अलग-थलग है तो 'सक्रियता' क्या है मैं नहीं जानता। एक मुद्दे पर मैं इस सरकार को श्रेय देता हूँ और वह यह है कि इसने सक्रियता की नीति का अनुसरण किया है और कभी भी प्रतिक्रियात्मक नीति नहीं अपनाई है। विश्व के सभी मुद्दों पर भारत ने एक सक्रिय कदम उठाया है और इस संदर्भ में इसकी सराहना की गई है।

मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हमने यह कैसे किया। यह इसलिए नहीं हुआ कि भारत की एक मजबूत सरकार है, इसलिए नहीं हुआ कि यह हमने अपने आप किया बल्कि भारत के आत्म-विश्वास, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के फलस्वरूप वह सब हुआ है। भारत

अब एक बड़ी शक्ति है, दूसरों को डराने-धमकाने या उन पर शासन करने के लिए नहीं, समस्याओं का समाधान करने के रूप में है। साथ ही नेहरू युग के उपरांत हम अपने प्रभाव को लोगों से दोस्ती करने और उन्हें सहायता पहुंचाने के लिए किया। मेरे मित्र, श्री जसवंत सिंह ने कहा, कि 'हमने बंगलादेश को पानी क्यों दिया', जिसके बारे में मुझे दुःख है। मेरा कहना है कि भारत को एक बड़ा देश, विराट हृदय वाला तथा एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत के पास आज इस उप-महाद्वीप का 76 प्रतिशत भू-भाग है। कुल अर्थव्यवस्था की 85% अर्थव्यवस्था भारत के पास है। जब तक आप अपनी नीतियों को उस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखेंगे आप अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे मित्र नहीं बन सकते हैं। हमने पहले काफी नुकसान उठाया है और इसके लिए मैं विगत कार्य की आलोचना नहीं करना चाहता। लेकिन मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि हमें इस मामले को अलग रूप में देखना होगा। अतः, भारत अपनी परंपरा के अनुसार उदार, विशाल हृदय और व्यापक रूप में कार्य कर सकता है। भारत की परम्परा और मर्यादा ऐसी ही रही है। हमारी सभी मर्यादायें, संस्कृति और सभ्यता दूसरों की सहायता करनी रही है। प्राचीन काल में भारत की पहचान ऐसी ही बनी है। अतः, इस विचारधारा को विभिन्न क्रियाकलापों में भी अपनाया गया है।

मैं चीन के साथ अपने संबंधों का भी उल्लेख करना चाहता हूं। मेरे मित्र श्री जसवंत सिंह ने पुनः सुरक्षा के बारे में जिक्र किया है। हां, देश की कोई भी सरकार सुरक्षा हित की अनदेखी नहीं कर सकती लेकिन सुरक्षा का मतलब अत्यधिक तोप खरीदना नहीं है। इसका मतलब और अधिक सेना हेतु जवान भर्ती करना नहीं है। जीवन में राजनय का भी इस दृष्टि से काफी महत्व है कि दुश्मन को दोस्त कैसे बनाया जाए तथा दोस्तों को निकट सहयोगी कैसे बनाया जाए। हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमें सफलता भी मिल रही है। राष्ट्रपति ज्वांग द्वारा उनकी भारत यात्रा के दौरान यह कहने से, कि भारत अब वह नहीं रह गया जो 20 वर्ष पूर्व था, सभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। ऐसा करने के लिए हमारे पास हिम्मत, क्षमता और अपने आप की रक्षा करने की नीति होनी चाहिए। हम लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं अपितु हम भी यह समझते हैं कि किसी भी देश का भविष्य उसके सुरक्षा संतुलन पर निर्भर करता है। सोवियत संघ का बहुत अच्छा उदाहरण हमारे समक्ष है जिससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। सोवियत संघ के पास सबसे बड़ी सेना और विश्व के सबसे अधिक उपकरण थे लेकिन उसका विघटन हो गया। आप अधिक उपकरण हासिल करके सुरक्षा बहाल नहीं कर सकते।

इसके साथ-साथ मैं अपने पड़ोसियों के बारे में भी बात करना चाहता हूं। आपको ज्ञात होगा कि हमारे एक पड़ोसी देश

की अर्थव्यवस्था इसलिए बर्बाद हो चुकी है क्योंकि वे अपने लोगों को भूखे रखकर लड़ाकू विमान खरीद रहे हैं। क्या इससे कुछ फायदा होता है। अंततः आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां आपको यह अनुभव होता है कि सुरक्षा का आधार उन बातों से बिल्कुल भिन्न है जैसा कि दिखाया गया है।

मैंने प्रारम्भ में कहा था कि भारत की विदेश नीति पड़ोसी देशों तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका के साथ भी आज हमारे संबंध काफी अच्छे हैं।

यदि यह चर्चा नहीं होती तो आगामी सप्ताह में मैं अमेरिका की यात्रा पर होता। अमेरिका के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मिलने का मेरा वक्त निश्चित किया जा चुका था। लेकिन इस चर्चा के फलस्वरूप मुझे वह यात्रा रद्द करनी पड़ी। यह समय क्यों निश्चित किया गया था? ऐसा इसलिए किया गया था कि उन्हें भारत की विदेश नीति के बारे में एक सकारात्मक दृष्टिकोण महसूस हुआ था। पहली बार वे इस बात को महसूस कर उसकी सराहना कर रहे थे कि भारत में आगे बढ़कर अपने पड़ोसियों की सहायता करने की शक्ति विद्यमान है और इसके लिए भारत की सराहना भी हुई है। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि वे भारत को डरा-धमका नहीं सकते। सी.टी.बी.टी. इस दिशा में जबरदस्त उदाहरण है। वे इस संबंध में हमें डरा-धमका नहीं पाये। अतः, अब एक नई समीकरण बन रही है और वह यह है कि चाहे मैं अमेरिका के बारे में बातचीत करूं या मैं यूरोप को ध्यान में रखकर बात करूं, हमारे बीच एक अच्छी मित्रतापूर्ण संबंध है। हम अच्छे मित्र बन सकते हैं, लेकिन साथ ही, हमारे पास हिम्मत और क्षमता भी है जिससे कि हम अपना सर ऊंचा रख सकें।

महोदय, मैं और ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता हूं। मैं एक बात कहना चाहूंगा और वह यह है कि, जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमें भविष्य का ध्यान रखने के साथ-साथ हमें अपनी धरोहर, विशेषकर स्वतंत्रता के पच्चासवीं वर्षगांठ के अवसर पर, को ध्यान में रखना चाहिए जो काफी महत्वपूर्ण है। जब मैं ये बात कहता हूं तो जवाहरलाल नेहरू जी की वे प्रसिद्ध पंक्तियां याद आती हैं जिसे मैं आपके लिए यहां उद्धृत करता हूँ:-

उन्होंने कहा था कि-

“इतिहास, परम्परा, संसाधन, हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी अपार क्षमता, जिन अनेक चीजों के फलस्वरूप भारत को स्वतंत्रता मिली उससे विश्व के मामले में स्वाभाविक ही भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यह और वह चुनने का प्रश्न ही नहीं उठता; भारत जो है और भारत को जो होना चाहिए यह इसी का परिणाम है। और चूंकि विश्व के मामले में हमें

[श्री इन्द्र कुमार गुजराल]

वह भूमिका अदा करना है, इसलिए हमारे ऊपर अन्य जिम्मेदारी और भारी उत्तरदायित्व भी है।"

अतः, अब हम उस महान् जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर सोच रहे हैं। स्वतंत्रता के इस पच्चासवें वर्ष के उपरान्त और आगामी शताब्दी के लिए हमें स्वतः यह बताना होगा कि भविष्य के लिए हमारे स्वप्न क्या हैं और यहां मैं पुनः जवाहरलाल नेहरू को उद्धृत करता हूं। उन्होंने कहा था कि:-

"इस देश को कुछ भूमिक दी है; हममें से वह भाग्यवान् चाहे वह महिला हो या पुरुष, यहां उपस्थित हैं या नहीं हैं मैं नहीं जानता। यह इतना महान् शब्द है जो आम लोगों पर लागू नहीं होता। लेकिन, चाहे हम भाग्यवान् पुरुष या महिला रहें हो या नहीं भारत भाग्य विधाता का देश है और जहां तक इस महान् देश पर हमारे प्रतिनिधित्व का प्रश्न है तो हम भारी उम्मीद से उसके सामने खड़े हैं, साथ ही हमें उस विधाता को पुरुष या महिला समझकर कार्य करना चाहिए और उसी के रूप में अपनी, विश्व और एशिया की सारी समस्याओं को देखना चाहिए।"

जवाहरलाल नेहरू हमारे लिए विरासत में यही छोड़ गए थे। वह हमारी उत्तरदायित्व है। राष्ट्र के रूप में, न कि दल के रूप में, और न ही सरकार के रूप में, हम सब का यह उत्तरदायित्व है और इसलिए, मैं यही मात्र करना चाहता हूं और पुनः भारत की मर्यादा का जिक्र करता हूं। भारत की वह मर्यादा उर्दू के इस द्विपद में कहा गया है:-

[हिन्दी]

कोई वज्र हो कोई अंजुमन, ये शऊर अपना कदीम है
जहां रोशनी की कमी मिली वहां एक चिराग जला दिया।

[अनुवाद]

भारत की यह नीति है, यही भविष्य है और हम उसी को बरकरार रखना चाहते हैं। मैं वायदा करता हूं कि हम उसे बनाये रखेंगे और यह राष्ट्र उसे बरकरार रखेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं क्योंकि मैं महसूस करता हूं, इस सभा के प्रत्येक सदस्य का यह देशभक्तिपूर्ण कर्तव्य है और मुझे संदेह नहीं कि कांग्रेस दल के ज्यादातर माननीय सदस्य भी ऐसा ही महसूस करते होंगे।

महोदय, श्री जसवंत सिंह यहां उपस्थित नहीं हैं। वह एक प्रमुख विपक्षी दल की ओर से एक प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप

में भाषण दिया था। लेकिन देश में उनकी खराब स्थिति तथा इस सभा में कुल सदस्यों का 20 प्रतिशत भाग को देखते हुए मैं नहीं समझता कि उनके हित में यहां कुछ है और इसी कारण उन्होंने इससे बचने के लिए ऐसे दुर्वचन बोले हैं।

महोदय, कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है। जसवंत सिंह ने भारी असच्चाई, लोक सभा और देश की अवमानना, दोहरी भाषा, काल्पनिक संकट, धोखाधड़ी, विधायिका के साथ स्वांग, भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखने की साजिश, वाद-विवाद के स्तर में भारी गिरावट जैसे शब्दों का प्रयोग किया है - जैसे उन्हें सत्ता में रखने के लिए हम वचनबद्ध थे। कड़े शब्दों का प्रयोग तभी किया जाता है जब लोग अंधेरे में भटकते रहते हैं और मुख्य बात से सहमत होते हैं। मैं ऐसी किसी राजनैतिक दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, को नहीं जानता जिसने इस देश के संविधान का दुरुपयोग किया है और जिन्होंने इस सभा का प्रत्येक क्षण विगत 13 दिनों तक बर्बाद किया जब वे संवैधानिक जनमत या लोगों के जनमत के झूठे आधार पर सत्ता संभाल रखी थी। क्षमा याचना करते हुए यह जानना चाहता हूं कि देश में उन तेरह दिनों तक क्या राजनैतिक तमाशा किया जा रहा था। यह एक विधायी तमाशा भी था। जब माननीय राष्ट्रपति जी ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था तो वह जानते थे कि सभा में उनका बहुमत नहीं है फिर भी उन्होंने इसकी उत्तरदायित्व संभालते हुए 13 दिनों तक कोशिश जारी रखी। पिछले वक्त जब उनके विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तब मैंने कहा था, और मैं उसे पुनः दोहराता हूं कि उस चर्चा का प्रत्येक क्षण कि इस सभा में उनका बहुमत नहीं है फिर भी वे सत्ता से चिपके रहे। भारतीय राजनीति का स्तर इससे ज्यादा क्या गिर सकता है। मैंने पहले जो कहा था उसे दोहराते हुए पुनः कहता हूं कि इस सभा में संविधान की मर्यादा बार-बार भंग किया गया। उतने दिनों तक सत्ता से चिपके रहने वाले लोग हमें शिक्षा दे रहे हैं। मैं कांग्रेस पक्ष के माननीय मित्रों से कहता हूं कि वे अपनी खुशी को देखें और उनके दुःख को देखें। इसके लिए कौन उत्तरदायी है?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी ने धर्मनिरपेक्षता के संबंध में अपनी वचनबद्धता का जिक्र किया है। आपने धर्मनिरपेक्षता के बारे में अपनी वचनबद्धता का पालन करते हुए उन्हें पुनः सत्ता का स्वप्न देखना सिखाया है।

श्री ए.सी. जोस (इदुक्की) : वे केवल इसका सपना देख सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि आप सोचते हैं तो व ठीक ही है। यदि यह स्वप्न ही रहे तो मुझे खुशी होगी। लेकिन आज देश में क्या स्थिति है? जिन लोगों ने 6 दिसम्बर, 1992 की घटना से

इस देश की धर्मनिरपेक्षता को अपवित्र किया था आज हमें वे भारतीय संविधान और इस सभा की अवमानना करने का आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोगों के पास शर्म नाम की कोई चीज नहीं होती है। लेकिन हम राष्ट्रीय लाज की उन दिनों की घटनाओं को नहीं भूला सकते हैं। लेकिन उन्होंने इसके लिए पश्चाताप का एक शब्द भी नहीं बोला। हम जानते हैं कि इस देश के राजनैतिक वातावरण को दुषित करने का जानबूझ कर प्रयास किया जा रहा है।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे) : किसके द्वारा?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि आप नहीं समझे तो मुझे खेद है।

महोदय, कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा 30 मार्च को एक पत्र लिखा गया था। आज की चर्चा उसी का परिणाम है। उस पत्र में नेतृत्व में परिवर्तन की कोई बात नहीं थी। वह मुझ बाद में उभरा। मैं कांग्रेस और सभा के सभी प्रबुद्ध वर्ग से अनुरोध करता हूँ कि क्या देश एक वर्ष के अंदर दूसरी बार चुनाव कराने का बोझ उठा सकता है? क्या आप इस देश के लोगों का सम्मान कर रहे हैं? पिछले चुनाव को एक वर्ष भी नहीं हुआ है। यदि इस सभा को भंग किया जाता है, जैसा कि जान पड़ता है, यदि कांग्रेस अपने निर्णय पर अटल रहती है और यदि यह प्रस्ताव गिर जाता है तो इस देश के इतिहास में लोक सभा की यह सबसे कम अवधि होगी।

महोदय, हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सोच रही होगी कि इससे उसे लाभ होगा। वे यह भी जानते हैं कि वे स्वतः कुछ नहीं कर सकते इसलिए वे सभी तरह की जोड़-तोड़ में लगे हैं।

आप देखें कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के साथ वहां उनकी सरकार है। वहां उन्होंने ऐसी सरकार क्यों बनाई? बहुजन समाज पार्टी को एक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या कहना है? काशीराम जी यहां उपस्थित हैं, मुझे विश्वास है कि उन्हें याद होगा। बहुजन समाज पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहना है? आप राजनैतिक नैतिकता की बात करते हैं लेकिन आप सत्ता की लोलुपता में एक साथ आये हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि आप या कांग्रेस पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने की गलती की है। यह बात यहां तर्कसंगत नहीं है। मैं उनके व्यक्तित्व का उल्लेख कर रहा हूँ। यहां अनेक तरह की बातें हमें कही गई हैं। सत्ता में रहने की दृष्टि से आपने पंजाब में श्री बरनाला का हाथ धामा। हरियाणा में आपने हरियाणा विकास पार्टी के साथ

गठजोड़ किया। महाराष्ट्र में आपने शिव सेना के साथ, जो आपके स्वाभाविक मित्र हैं, के साथ गठजोड़ और फिर बिहार में आपने विघटित समता पार्टी के साथ गठजोड़ किया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है तो उनकी राजनैतिक विश्लेषण यही है और हमें कहा गया कि हम सिद्धान्त की राजनीति में विश्वास नहीं करते।

महोदय, चाहे किसी को पसन्द आये या नहीं जनादेश साफ है। किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला है। आपको बहुमत क्यों नहीं मिला? आपने हर संभव प्रयास किया; हर दल ने पूरा-पूरा प्रयास किया था। आपको कुल वोट का 20 प्रतिशत मिला था। आज आप एक सबसे बड़ा दल हो सकते हैं किंतु सरकार बनाने के पीछे क्या कारण था? जिस राजनैतिक नैतिकता की बात आप कर रहे हैं, वह सरकार बनाते वक्त कहां गई थी?

अतः, जनादेश यही था कि विभिन्न दल आपस में मिलकर सरकार बनायें। अन्यथा आप छः महीने या एक साल में चुनाव नहीं करवा सकते हैं। क्या लोग यह चाहते हैं कि देश प्रत्येक चुनाव पर 500, 600 या 700 करोड़ रुपए खर्च करने के अतिरिक्त दो या तीन महीनों तक सभी विकास कार्य अवरुद्ध कर दिए जाये तथा सरकार द्वारा कोई निर्णय न लिया जाये? मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से जानना चाहता हूँ कि क्या जब उनके नेता ने 30 मार्च को पत्र लिखा था तब उनका यही उद्देश्य था कि नौ या दस महीने के अंदर नये चुनाव करवाये जाएं। हमारा देश अभी भी एक गरीब देश है और हम अपने करदाताओं का 500 से 600 करोड़ रुपए का खर्च वहन नहीं कर सकते। जब श्री वाजपेयी के विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी तब यदि मैं उस अभिव्यक्ति का प्रयोग करूँ तो कांग्रेस दल की ओर से क्या कहा गया था? 27 मई को श्री शरद पवार द्वारा दिये गये भाषण कि एक अंश को मैं उद्धृत करता हूँ:-

“मेरे विचार से विभिन्न दलों की नीतियों और हमारे कांग्रेस दल की नीतियों में कुछ अंतर है। लेकिन देश में स्थिर सरकार की आवश्यकता है। कभी-कभी राजनैतिक बाध्यता के फलस्वरूप कुछ दल जिन्हें देश की एकता और धर्म-निरपेक्षता में विश्वास है, एकजुट होने की कोशिश करते हैं। इसलिए, कांग्रेस ने बाहर रहकर संयुक्त मोर्चा को समर्थन देने का निर्णय लिया था।”

श्री नवल किशोर शर्मा (अलवर) : इसमें क्या दोष है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप वक्ता हैं? आप अपने वक्ता का इंतजार क्यों नहीं करते...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कमेंट्री न करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कांग्रेस ने यह रख क्यों अपनाया? संयुक्त मोर्चा अस्तित्व में क्यों आयी? इसके महत्व को बार-बार बनावे जाने की आवश्यकता है। इस देश में कतिपय मूलभूत नियम हैं। धर्मनिरपेक्षता कोई अनर्गल शब्द नहीं है। यह संवैधानिक वचनबद्धता की विषय वस्तु है। हम में से अनेकों के लिए यह विश्वास की बात है और हमें इस महान् विचार-धारा को बनाये रखने के लिए वह सब कुछ करना चाहिए जिससे कि यह सत्ता के भूखे राजनीतिज्ञों की गलत इच्छा और इरादों पर न्यूँछावर न हो जाए।

यह विश्वास किया जाता है और ठीक ही विश्वास किया जाता है कि इस देश की धर्मनिरपेक्षता को बनाये रखने में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा शत्रु है और इसीलिए संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया और कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया...(व्यवधान) संयुक्त मोर्चे का उदय धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने और इस देश को सम्प्रदाय के आधार पर विभाजन से बचाने तथा घृणा और असुरक्षा की भावना से बचाने के लिए किया गया था। यही कारण था कि हम सभी को उस दल को समर्थन करना पड़ा। उस समय, हमने कहा था कि कांग्रेस ने कम से कम परिपक्वता का परिचय दिया था और उसे इस देश के भविष्य के बारे में अपनी चिंता का बोध कराया था। अतः, एक ऐसी सरकार, जो देश की धर्मनिरपेक्षता की परम्परा को बनाये रखने के साथ-साथ देश की एकता और अखंडता को बनाये रखे, के लिए गठन किया गया और उन्होंने सर्वसम्पत्ति से संयुक्त मोर्चा सरकार का समर्थन करने का फैसला किया। मैं अपने सभी मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि "क्या स्थिति वास्तव में बदल गई है? क्या स्थिति ऐसी बदल गई है कि देश को अनिश्चितता की लहर में झोंक दिया जाए जिसका आशय एक वर्ष के अंदर निर्वाचन कराने तथा देश की धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने, राजनैतिक व्यवस्था को पंगु करने, साम्प्रदायिक ताकतों द्वारा सर उठाने और कट्टरवादियों का वर्चस्व बनाने जैसी स्थिति पैदा की जा सके? क्या यह स्थिति आज के लिए उपर्युक्त है?"

मैं एक इतिहास का विद्यार्थी हूँ। यहां अनेक श्रेष्ठ राजनैतिक उपस्थित हैं। आज देश में आम धारणा यह है कि शायद ही किसी एक राजनैतिक दल को बहुमत मिले जिससे कि वह सरकार बना सके। अतः, हम चाहे इसे पसन्द करें या न करें साझा सरकार अब नियति बन चुकी है। भविष्य में अब किसी एक दल द्वारा सरकार बनाना संभव नहीं है। तब क्या होगा? हम संसद सदस्यों को क्या करना चाहिए? श्री पी.आर. दासमुंशी कह रहे थे कि श्री एच.डी. देवेगौड़ा एक अच्छे आदमी हैं, एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं लेकिन एक अच्छे धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं। क्या कांग्रेस दल द्वारा निर्णय किए जाने का यही तरीका है? हम लगातार पूछते रहे हैं कि "यदि आप वास्तव में कुछ कहना चाहते थे तो हममें से किसी नेता को, जो यहां उपस्थित हैं, क्यों नहीं कुछ कहते?" कांग्रेस दल अगर यह

कहता कि 'हम मुद्दों के आधार पर समर्थन देंगे' तो मुझे खुशी होती। आपने वह कहा था। यह बिल्कुल साफ है। एक राजनैतिक दल के रूप में आपको निर्णय लेने का अधिकार है। क्या आपने कोई मुद्दा दर्शाये थे, विशेषकर 30 मार्च को आपके द्वारा पत्र लिखने के पहले? कृपया इस प्रश्न का जवाब दें जिससे कि लोग जान सकें। श्री जसवंत सिंह ने भाषा पर अनुपम वर्चस्व के कारण कुछ मजाक उड़ाया है और उनकी भाषा तब और अच्छी हो जाती है जब उसमें कोई तथ्य नहीं होता है।

मैं संयुक्त मोर्चा सरकार के कार्य निष्पादन से खुश हूँ। विगत दस महीनों में इस सरकार के कार्य से मैं खुश हूँ। यह सरकार 14 राजनैतिक दलों के मेल से बनी है जिसमें विभिन्न दलों की विभिन्न विचारधारायें, विभिन्न बातों पर बल दिया गया है और इसमें कुछ क्षेत्रीय दल भी हैं।

फिर भी, हम श्री गुजराल और हमारे प्रधानमंत्री को विदेशी मामलों में उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई देते हैं। सी.टी.बी.टी. इसका एक अच्छा उदाहरण है। बंगलादेश के साथ संधि भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। 'नैम' सम्मेलन भी इसमें शामिल है। रूस का दौरा भी इन उपलब्धियों में शामिल है। जहां तक विदेशी मामलों का संबंध है कोई भी भारत सरकार की उपलब्धियों पर गर्व कर सकता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। हमने इसके लिए उनसे कहा था और सरकार ने स्वीकार किया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने इसे स्वीकार किया। उन्होंने इसे किया। अब इसे कार्यान्वित करना राज्य सरकारों का काम है। यद्यपि इसके लिए अत्यधिक आर्थिक सहायता अपेक्षित है, तथापि सरकार ने देश के निर्धन लोगों के हित के लिए अनेक अवसर जुटाए हैं। इसमें एक है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।

केन्द्र और राज्यों के बीच संबंधों में सुधार हुआ है। जी हां, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अन्तर-राज्य परिषद् जो वर्षों से निष्क्रिय थी पुनरुज्जीवित हो गई है। मुख्य मंत्री एकत्र हुए, उन्होंने चर्चा की और उन्होंने प्राथमिकताओं पर निर्णय लिए। देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधि जो विभिन्न राजनैतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एकत्र हुए और उन्होंने चर्चा की। यह एक अच्छा कार्य है या नहीं? यह देश के हित में है या नहीं कि अन्तर राज्य परिषद् की बैठक बुलाई गई? उन्होंने निर्णय लिए। हमारे सम्माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया।

मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन नियमित रूप से हुए। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठकें भी नियमित रूप से की गईं। मैं उत्तर-पूर्व भारत के राज्यों पर

उचित ध्यान देने के सरकार के निर्णय की विशेष रूप से प्रशंसा करता हूँ। कृपया इसे मत भूलिए। पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। देश के वर्षों से अत्यधिक नज़रअंदाज़ किए गए क्षेत्रों, चाहे वहाँ कोई भी दल प्रभाव में रहे हों कोई भी राजनैतिक दल सत्ता में हो, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उत्तर-पूर्व भारत को पुनः अपनी गरिमा प्राप्त हुई है, देश में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान मिला है।

मैं देश के दलितों और गरीब लोगों को उन्हें उनका दर्जा दिलाने में सरकार की भूमिका की प्रशंसा करता हूँ। क्या हम उन्हें उनका स्वाभिमान दिलाने में कुछ नहीं कर सकते? मैं नहीं समझता कि किसी सरकार ने इस ओर प्रयत्न किया है। भा.ज.पा. ने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया क्योंकि उसने मंडल आयोग की रिपोर्ट को कार्यनिवृत्त किया। इसका क्या अभिप्राय था? इसका अभिप्राय केवल देश के एक वंचित समुदाय के एक वर्ग को उसकी पहचान कराना था। लम्बे समय से इसके लिए की जा रही मांग को कार्यान्वित किया गया था। उन्हें उनकी पहचान कराई गई थी। उन्हें मुख्य धारा में लाने और उन्हें उनका स्थान दिलाने के लिए कुछ प्रबन्ध किए जा रहे थे। यही कारण था कि समर्थन वापस ले लिया गया। भा.ज.पा. नहीं चाहती थी कि दलित लोगों को कोई विशेष लाभ प्राप्त हो। यह उनकी भूमिका थी। लेकिन सरकार ने अपना कार्य जारी रखा।

प्रचार मंत्री जी ने लोकपाल विधेयक को पास कराने का वादा किया जिसके दायरे में प्रधान मंत्री जी को भी शामिल किया जाना है। उन्होंने इसके लिए स्वीकृति दी। महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक के संबंध में विवादों के बावजूद, इसके लिए वचन दिया गया। लेकिन आज कांग्रेस दल ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहा है कि महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक को चर्चा के लिए भी नहीं लाया जा सकता। डा. गिरिजा व्यास यह क्या हो रहा है? यह आपका निर्णय है ... (व्यवधान)। आप नहीं चाहते कि उर्वरकों के लिए राजसहायता जारी रखी जाए। कम से कम हमने यह महसूस किया है कि इस सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता मौजूद है। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि सरकार में पारदर्शिता मौजूद है। लेकिन श्री सीताराम वाजपेयी के आते ही लगता है कि सब कुछ भुला दिया गया है ... (व्यवधान)? मुझे लगता है कि जैसे यह दोनों एक बन गए हैं। वास्तव में, श्री सीताराम केसरी लगता है कि वह सीताराम वाजपेयी बन गए हैं। मुझे खेद है। वास्तव में मेरा अभिप्राय श्री सीताराम केसरी से है।

कांग्रेस दल ने बिना शर्त समर्थन का निर्णय लिया था फिर यह मुद्दा दर मुद्दा समर्थन बना। बाद में यह 'कोई समर्थन नहीं' बन गया। क्यों, श्री जसवंत सिंह जी ने महान् मराठा की प्रतिक्रिया के लिए ठीक ही कहा है कि यह बहुत ही अकस्मात् था। मैंने

भी इसे अनुभव किया है। मैंने किसी पत्रिका में कुछ और पढ़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है :

[हिन्दी]

सब बम बम है।

[अनुवाद]

यह कहा गया है। मैं नहीं जानता कि यह क्यों कहा गया है। वे इसे स्पष्ट करेंगे। वे बहुत प्रसन्न थे। क्यों? उन्होंने शायद सोचा होगा कि अगले दिन श्री सीताराम केसरी प्रधान मंत्री बन जाएंगे। श्री देवेगौड़ा जी को अहसास हो जाएगा कि उन्हें बहुमत प्राप्त नहीं है और वह चुपचाप त्याग-पत्र दे देंगे। तब राष्ट्रपति उन्हें बुलाएंगे, सभी उनके पास जाएंगे और कल वह प्रधानमंत्री बन जाएंगे।

यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था। निश्चित रूप से हम यह मानते हैं, मेरी पार्टी ने भी यह कहा था। हम इस देश की मौजूदा परिस्थिति में कांग्रेस दल को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। श्री जसवंत सिंह जी ने कांग्रेस के सत्ता में आने के लिए इस प्रयास को उपहासास्पद बताया है कि वे (कांग्रेस) बिना कोई जिम्मेदारी निभाए बाहर से समर्थन देगी। क्या कोई ऐसी पार्टी हो सकती है? क्या आप किसी पार्टी का उदाहरण दे सकते हैं जिसने अपने नेता को भारत का प्रधान मंत्री बनाने से इनकार किया हो? क्या देश में ऐसी कोई पार्टी है? आप का कहना है कि हम सत्ता में रहने का आनन्द उठाना चाहते हैं। यह आपकी मंशा है कि आपने उत्तर प्रदेश में छः माह के लिए मुख्य मंत्री पद को स्वीकार किया है। यह क्या है? जिस प्रकार आपने सत्ता को बांटने को स्वीकार किया है, मैं समझता हूँ कि इससे बेहूदा वैधानिक समन्वय और कोई नहीं हो सकता। सत्ता का भूखा कौन है? इसमें कोई शंका नहीं है कि इसका निर्णय इस देश की जनता करेगी।

मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि कांग्रेस के मेरे प्रतिष्ठित मित्र इसे स्पष्ट कर पाएंगे। जो भी कहें, कांग्रेस के लिए स्वतंत्रता के पचास वर्षों का कोई महत्व नहीं है। आप देश में गड़बड़ वाली स्थिति चाहते हैं। आप देश में चुनाव कराना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि विभिन्न पार्टियाँ आपस में झगड़ती रहें, जनता विभाजित रहे। कोई भी व्यक्ति देश की स्वतंत्रता के पचास वर्षों के बारे में सोच नहीं रहा न ही इसे इस रूप में मना रहा है।

इसके लिए क्या समय चुना गया? सभा की बैठक 21 अप्रैल को होने वाली थी। वित्त विधेयक 5 अथवा 6 मई को पारित किया जाना था। सभा की बैठकें 9 मई तक होनी थी। आप अविश्वास प्रस्ताव 7 मई को ला सकते थे। तब यह अनिश्चितता पैदा नहीं होती। भारत-पाकिस्तान चर्चा चल रही थी। क्या यह उचित समय था? 'नैम' की बैठक होने वाली थी। क्या देश की

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

गरिमा कोई महत्व नहीं है? आपने 30 मार्च का समय चुना जब विभिन्न देशों के अनेक नेताओं को भारत आना था अथवा भारत आने वाले थे। क्या यह समय चुना जाना सही था?

बजट अभी पारित किया जाना है। अब हमें बजट पारित करने के लिए कोई नया तरीका ढूंढना होगा। अध्यक्ष महोदय चिन्तित हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संशोधन लाने के बारे में माननीय राष्ट्रपति जी भी चिन्तित होंगे। हम सभी चिन्तित हैं। 31 मई के बाद क्या हो जाएगा जब लेखानुदान पारित करने के लिए अवधि पूरी हो जाएगी? 31 मई से पहले नई सरकार कैसे बन पाएगी, यदि विघटन होता है? आप नए लेखानुदान कैसे पारित कर सकते हैं? किसी ने इस बारे में नहीं सोचा।

संयुक्त मोर्चे के अनेक नेताओं ने सुझाव अथवा प्रस्ताव रखे थे। निश्चित रूप से 143 अथवा 144 सदस्यों के कांग्रेस दल के विचारों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। एक समन्वय समिति बनाई जाए। आप समन्वय समिति की अध्यक्षता करें। प्रत्येक मामले पर विस्तार से चर्चा की जाए। उन्हें मौका दें और यदि आप चाहते हैं तो आप अपनी बात रखें। लेकिन बिना कुछ ऐसा किए, समर्थन वापस ले लिया गया। माननीय राष्ट्रपति जी को इसकी सूचना एक पत्र के माध्यम से दी गई जिसके लिए श्री जसवन्त सिंह जी ने ठीक ही कहा है - वह एक बार ही ठीक बोले - कि निश्चय ही इसमें पुनरावृत्ति थी और यह एक अच्छा प्रारूप नहीं था।

रक्षा मामलों, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं, कानून और व्यवस्था स्थिति, अर्थव्यवस्था में निष्क्रियता, बढ़ती साम्प्रदायिकता आदि के आधार पर समर्थन वापस लेने के लिए उनके अनुसार मंत्रिमंडल उत्तरदायी था - क्योंकि सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धान्त को नज़रअंदाज किया जा रहा था। अब इसका निष्कर्ष यह निकला कि एक नेता को बदल डालो। अतः वास्तव में उनकी पार्टी द्वारा ही पत्र वापस ले लिया गया। यह सभी आरोप दूर हो गए। मैं नहीं जानता कि श्री देवेगौड़ा इतने प्रभावशाली थे, मैं चाहता हूँ कि वे इतने प्रभावी होते कि वह देश की सरकार के प्रत्येक मंत्रालीय कार्य पर निर्णय ले सकते। अन्य मंत्रियों से उन्हें कोई शिकायत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि श्री श्रीकान्त जेना बहुत अच्छे हैं। वे इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। यही बात गृह मंत्री और रेल मंत्री के साथ है। रेल मंत्री भी उन्हें बहुत प्रिय हैं। वह सभी से रेल का वादा करते हैं ... (व्यवधान)

महोदय, मैं क्या कर सकता हूँ? सभा में सी.पी.आई.(एम.) का नेता और बाहर से पार्टी का समर्थन होने के कारण मैं नहीं चाहता कि यह सरकार गिरे। यद्यपि जब मैंने उन्हें समर्थन दिया था तो बंगाल वंचित रहा। अतः यह आपसी तालमेल है जो कि सबको कायम रखना चाहिए। आप सही हैं। लेकिन हमें आपसी

तालमेल बनाए रखना चाहिए और हम इसे अपनी इच्छा थोपकर कायम नहीं रख सकते। स्वाभाविक है कि इस समय भारत कर्नाटक से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्य पहुंचे। जी हां, मैंने हमेशा यही कहा है ... (व्यवधान) श्री माधवराव सिंधिया जी कहां हैं? मैं समझता हूँ कि वह इस समय उपस्थित नहीं हैं। जब वह रेल मंत्री थे, उनके राज्य से राजधानी एक्सप्रेस चलती थी, उससे पहले राजधानी एक्सप्रेस वहां नहीं जाती थी। जब श्री कमलापति त्रिपाठी रेलमंत्री थे, काशी-विश्वनाथ एक्सप्रेस चलाई गई थी। इसी प्रकार उत्तर भारत में रेलवे की आधी गाड़ियां ग्वालियर आती हैं।

श्री ए.बी.ए. गनी खां चौधरी (मालदा) : मालदा के बारे में आपकी क्या राय है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी हां, मालदा के लिए श्री गनी खां चौधरी मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। यद्यपि आप भी यहां आधी रेलें उपलब्ध करा सकते थे लेकिन वहां अच्छे बाग हैं, अच्छी रेल सेवा नहीं है ... (व्यवधान) ... मैं उनको इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, इसके अतिरिक्त मैं क्या कर सकता हूँ? (व्यवधान)

अतः सभी मंत्री अच्छे हैं। उनका कार्य निष्पादन अच्छा है। सभा में सभी सम्माननीय सदस्य हमारे अच्छे मित्र हैं। गैस कनेक्शन सुविधा और दूरभाष कनेक्शन सुविधा तापस लेने के बावजूद उनके खिलाफ मुझे कोई शिकायत नहीं है। उनसे कोई शिकायत नहीं है ... (व्यवधान) आप सभी सदस्य यहां उपस्थित हैं और विशेष सत्र में एकत्र हुए हैं जिसके लिए माननीय राष्ट्रपति जी के निदेश थे क्योंकि श्री देवेगौड़ा जी की शक्ल पसन्द नहीं है। मेरे विचार से उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करवा लेनी चाहिए थी और इसमें परिवर्तन करवा लेना चाहिए था।

महोदय, क्या भारत जैसे देश में इस प्रकार सरकार चलाई जा सकती है? क्या देश के भाग्य का वैयक्तिक स्वाभिमान पर निर्णय लिया जा सकता है?

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : श्री हरकिशन सुरजीत जी आपको इसकी सलाह नहीं देंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे ख्याल में आप किसी समिति के सभापति हैं। आपके कमरे का पता नहीं क्या होगा।

महोदय, भारत किसी व्यक्ति विशेष के स्वाभिमान पर नहीं चल सकता। यहां अनेक जटिलताएं हैं। हम अभी विकासशील देश की गिनती में आते हैं। अतः यहां अनेक गरीब लोग हैं जो कि गरीबी की रेखा से नीचे हैं। वे अनपढ़ हैं। जन्म दर, मृत्यु दर भी अभी बहुत अधिक है। यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात

है। बेरोजगारी की समस्या बहुत जटिल है और हम इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करते।

आज श्री पी.आर. दासमुंशी बोले। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने अपने सभी प्रयत्न किए। इससे अधिक वे क्या कर सकते थे?

परन्तु परिणाम बहुत ही दयनीय रहे। इसलिए संयुक्त मोर्चे की ओर से यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम सभी मामलों पर आमने-सामने बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार थे। क्या आप एक परिपक्व व्यक्ति की तरह आमने-सामने बैठकर विचार-विमर्श नहीं कर सकते? अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले क्या आप परिपक्व व्यक्तियों की भांति मामलों पर चर्चा नहीं कर सकते? यदि आप तीन सप्ताह अथवा केवल सात दिन रुक जाते तो आसमान धरती पर नहीं गिर जाता। चर्चा के लिए सूचना जारी की जा सकती थी फिर जो भी निष्कर्ष निकलता देखा जाता। इसमें देश को क्या संकट था? यह संभवतः सबसे अल्पावधि वाली लोक सभा होगी। जैसाकि मैंने कहा है कि इसमें बहुत अधिक खर्चा होता है जो कि देश वहन नहीं कर सकता। यह लोगों के प्रति अन्याय है। यह देश के लोगों के प्रति उचित नहीं है।

इन वाद-विवादों में से एक में श्री पी.वी. नरसिंह राव ने जो कहा है, वह प्रशंसनीय है, और मैं उसे उद्धृत करता हूँ:

“लेकिन यह जनादेश भारत की जनता द्वारा अभी तक दिए जनादेशों में सबसे अधिक कठिन है। इसलिए सभी पार्टियों को मिलकर सोचना और विचार करना चाहिए। पुनः चुनाव और फिर से जनादेश प्राप्त करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यह बहुत ही उपहासास्पद होगा। यह इस सभा के सदस्यों के लिए अपमान-जनक होगा। इसलिए हमें कोई रास्ता ढूँढ निकालना है। कांग्रेस अन्य दलों से बातचीत करने, विचार-विमर्श करने, अपनी बात अधिकार से कहने में कभी नहीं हिचकिचाई।”

मैं श्री पी.वी. नरसिंह राव के भाषण से उद्धृत कर रहा हूँ, आप लोगों में से बहुत से लोग इससे परिचित हैं या नहीं, मैं इस बारे में नहीं जानता।

“नम्बर एक, महोदय, हम जो नहीं करना चाहते उसके बारे में हम बिल्कुल स्पष्ट हैं और वह है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन।”

यह सभा को आपका वादा था। अब आप देखें आप किसे शक्ति प्रदान कर रहे हैं।

एक चीज़ जो किसी को यद नहीं है वह है कि त्रिशंकु संसद हो सकती है। हम कितने चुनाव करवाएंगे? साम्प्रदायिक ताकतें अपना सिर उठाएंगी। जैसा कि मैंने कहा है सभी विकासात्मक

गतिविधियाँ रुक जाएंगी। और किसे लाभ होगा? क्या इससे धर्मनिरपेक्ष शक्तियाँ एकत्र होंगी? बड़ी विनम्रता से मैं श्री राजेश पायलट और उनके दल में उनके मित्रों से जानना चाहूँगा कि 'क्या नए चुनाव इस देश में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को ही एकजुट पर पाएँगे अथवा देश का विघटन होगा?

अपराह्न 2.57 बजे

[श्री पी.सी. चावको पीठासीन हुए]

इसलिए मेरा मेरे मित्रों से अनुरोध है कि बाहर से और भीतर से समर्थन देने वाले सभी दल एक साथ मिलकर आमने-सामने बैठकर चर्चा करें और परिपक्व लोगों की तरह निर्णय लें कि क्या किया जाना चाहिए। देश में लोगों के हित में हमें कुछ नीतिमत्ता दिखानी चाहिए। पुनः भविष्य के बारे में सोचें; वर्तमान और दूर भविष्य दोनों के बारे में सोचें। अभी भी समय हाथ से नहीं निकला।

हैरानी होती है कि लोग हम से क्यों पूछते हैं—हो सकता है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मित्रों से भी पूछा हो 'कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या हिसाब-किताब लगाया था?' 30 मार्च को क्या मंशा थी, संख्या का यह क्या खेल था। क्या सरकार को बनाने में समर्थता संख्याओं से सम्बद्ध है? संख्या एक होगी; 30 मार्च से 11 अप्रैल तक अर्थात् आज तक वह सभा में बहुमत सिद्ध करने में असमर्थ रहे। वे संयुक्त मोर्चे में विभाजन कराने में सफल नहीं हुए। जैसा कि मुझे लगता है हमारे अच्छे मित्र और कांग्रेस नेता श्री सीताराम केसरी 'राम' की तरह सिंहासन नहीं सभालेंगे लेकिन वह 'अटल भक्त हनुमान' की भूमिका निभाएंगे और कांग्रेस पार्टी में मेरे सभी मित्र, बिना कोई बेइज्जती समझे 'वानर सेना' की भूमिका निभाएंगे।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, पिछले कुछ दिनों से वह बार-बार रामायण और महाभारत का उल्लेख कर रहे हैं। ऐसा उन पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रभाव के कारण हुआ है।

अपराह्न 3.00 बजे

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने 6 दिसम्बर को बाबरी मस्जिद जिसे “ढांचा” कहा गया गिराने के लिए ‘कार सेवकों’ का उपयोग किया। वे बहुत खुश थे और गर्व महसूस कर रहे थे(व्यवधान)। भूतपूर्व मुख्य मंत्री यहां मौजूद हैं। भा.ज.पा. के मुख्य मंत्री ने कार सेवक भेजे और वह हिसाब ले रहे थे कि महाराष्ट्र से कितने ‘कार सेवक’ भेजे गए। अब, कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी मित्र इस देश के धर्म निरपेक्ष ताने-बाने को नष्ट करने के लिए कार सेवकों के रूप में कार्य करेंगे। यह स्थिति है(व्यवधान)

यह किसी का एकाधिकार नहीं है। मैं यह मानता हूँ। लेकिन कृपया सोचिए कि इस देश के भविष्य के लिए क्या अच्छा है।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

यदि पुनः चुनाव होते हैं तो हमें कोई डर नहीं। यह होंगे। हम इसका सामना करेंगे। किसे सबसे ज्यादा खतरा है, हम यह जानते हैं। आपके यह दल, वह दल, 'पवार' ग्रुप, 'पायलट' ग्रुप, अनेक तरह से बातचीत और जोड़-तोड़ चल रही है। मैं नहीं जानता कि क्या श्री संतोष मोहन देव कोई ग्रुप बना सकते हैं। सभी ग्रुप कायम रहेंगे।

मुझे मालूम है कि संतोष मोहन देव आज बहुत ही संतुष्ट व्यक्ति हैं। मैं नहीं जानता कि वह श्री संतोष मोहन देव 'पुरकायाष्ठा' बन सकते हैं (व्यवधान) उनके निर्वाचन क्षेत्र में कुछ 'पुरकायाष्ठा' भा.ज.पा. नेता बनने वाले हैं। श्री प्रियरंजन दास मुंशी, प्रियरंजन सिकोदर भा.ज.पा. नेता बन सकते हैं।(व्यवधान) यह सब हो रहा है। आप उनकी मदद कर रहे हैं। आप उन्हें शक्ति प्रदान कर रहे हैं।

मेरा विचार है कि अभी समय नहीं निकला है। यहां मैं संयुक्त मोर्चे की सरकार के बने रहने पर जोर दे रहा हूं, मुझे पूर्णतः ज्ञात है कि केवल संयुक्त मोर्चा इस देश में सरकार नहीं बना सकता और धर्मनिरपेक्ष दलों को एकजुट होकर आगे आना होगा। यह धारणा गलत है कि कांग्रेस हमेशा धर्मनिरपेक्ष पार्टी बनी रहेगी। हम यह नहीं मान सकते कि वह हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी।

श्री संतोष मोहन : समर्थन लेने के लिए, कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन जब आपको समर्थन मिल जाता है आप कांग्रेस को भूल जाते हैं।

सभापति महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी आपकी पार्टी की प्रशंसा कर रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री संतोष मोहन देव : हम आपको आने वाले समय में बताएंगे। क्या वह हमें पश्चिम बंगाल में धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ मिला लेंगे?(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह तुरन्त उनकी बात काट देते हैं।(व्यवधान)

अतः, यह प्रश्न-काल नहीं है। प्रश्न-काल नहीं चल रहा है। हम हमेशा इस पर चर्चा कर सकते हैं। संक्षेप में मैं कह रहा हूं, 'प्रतीक्षा करिए'। यदि आप स्वादिष्ट दोपहर के भोजन अथवा रात के भोजन की दावत देते हैं तो हम आपके यहां जा सकते हैं। जिम्मेदाराना ढंग से इसे लें। इस सरकार को कायम रखने का मेरा उद्देश्य यह है कि कम से कम गरीब लोग यह महसूस करें कि इस देश में ऐसा प्रशासन मौजूद है जो लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहा है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम को सभी ने समर्थन दिया है। कांग्रेस पार्टी ने भी इसको समर्थन दिया है। आपकी अनुमति से क्या मैं इस सभा में वह पढ़कर सुना सकता हूं जो

श्री ए. आर. अन्तुले ने 11 जून को कहा था? मैं उद्धृत करता हूं :-

"महोदय, विनम्र सहयोग के साथ मैं आशा करता हूं कि संसद बिना रुकावट, बाधा, पांच वर्ष की पूरी अवधि तक कार्य करेगी। मुझे आशा है इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं कह सकता हूं कि हम किसी बेबुनियाद आधार पर सरकार को गिरने नहीं देंगे क्योंकि जैसाकि हमारे नेता ने बताया है कि कार्यक्रम जो तैयार किया गया है वह हम सबकी सहमति से बनाया गया है। चूंकि कार्यक्रम हम सबका है और इसका आधार धर्मनिरपेक्षता है, वास्तव में यही इसका मूल है। मैं समझता हूं उन्हें कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हमें कोई डर नहीं है, भा.ज.पा. चाहे कुछ भी कहता रहे। और प्रधानमंत्री पूरे पांच वर्ष तक बने रहेंगे।"

आपने उस समय कभी भी उनका साथ देने से इन्कार नहीं किया था।

महोदय, उन्होंने आगे कहा। मैं उसे उद्धृत करता हूं:-

"जब तक प्रजातंत्र में धर्मनिरपेक्षता की भावना नहीं तो वह प्रजातंत्र नहीं है। यदि हम भा.ज.पा. द्वारा लगाए गए हिसाब-किताब को देखें तो अल्पसंख्यकों के लिए कोई स्थान नहीं है।"

श्री अन्तुले, मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि आपको इसका उत्तर देना है।

महोदय, पुनः मैं श्री पी.वी. नरसिंह राव को उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने 11 जून, 1997 को इस सभा में जो कहा था, मैं वह उद्धृत कर रहा हूं:-

"महोदय, उनका कहना था कि क्या कांग्रेस पार्टी का समर्थन है और क्या वह सत्ता पार्टी द्वारा घोषित न्यूनतम साझा कार्यक्रम के पक्ष में हैं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इसे पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। इसमें कुछ मतभेद हो सकते हैं। कुछ मामलों में हम चाहते हैं कि कुछ तेजी लाई जाए। यह कुछ बातें हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है और उन्हें सुलझाया जा सकता है। सिद्धान्ततः और कार्यक्रम की विषय-सूची में हमें ऐसा कुछ नहीं लगा है जिसका हम विरोध कर सकते हैं अथवा हम जिसका विरोध करना चाहेंगे।"

इस प्रकार वक्तव्य कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष ने इस सभा में दिया था। इसलिए उन्हें न्यूनतम साझा कार्यक्रम से कोई आपत्ति नहीं है। यदि उन्हें कार्यक्रम को कार्यानिवत करने की गति

के बारे में कोई आपत्ति है तो निश्चित रूप से यह चर्चा का विषय है? प्राथमिकताओं पर निर्णय लिया जा सकता है।

महोदय, हमारा देश एक विशाल देश है। इस देश में लगभग 95 व 96 करोड़ लोग हैं। हम इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इस संसद को 11 अप्रैल, 1997 को अपना ऐतिहासिक कर्तव्य है। आज हम वापस ऐसी स्थिति पर पहुँच गए हैं जहाँ केवल एक व्यक्ति विशेष झगड़े का कारण है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि उचित ढंग से चर्चा की जाती है तो उनके विरुद्ध ऐसा कुछ नहीं है, निश्चित रूप से इन विवादों को सुलझाया जा सकता है। लेकिन एक अवसर दीजिए। पहले आप अविश्वास प्रस्ताव वापस लें तब आप अपनी शर्तें रख सकते हैं। आपकी शर्तें बहुत विलम्ब से यहां तक कि 30 मार्च को भी प्राप्त नहीं हुई थीं। अतः यदि इस पर बाद में निर्णय लिया जा सकता है तो आप निश्चित रूप से इस पर बात कर सकते हैं।

महोदय, हमें खुशी है अन्यथा हम यहां सरकार का समर्थन करने के लिए न खड़े हुए होते। लेकिन यह बहुत दूर प्रभावी है। जैसा कि मैंने कहा है यह देश के भविष्य का प्रश्न है। यह केवल किसी सरकार का जीवन नहीं है। मैं इस देश को चुनावों की अनिश्चितता के कारण नहीं पुनः चुनाव युद्ध के चक्रवात में फँक देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं नहीं जानता कि बजट पारित किया जाएगा अथवा नहीं। मैं नहीं जानता कि वित्त विधेयक पारित किया जाएगा अथवा नहीं। हमें निर्णय लेना है। आज कुछ चर्चा हुई है। सभी की ओर से सहयोग के बावजूद पता नहीं क्या होगा। क्या देश इस प्रकार की स्थिति को झेल सकता है?

अतः मैं महसूस करता हूँ कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा है इस प्रस्ताव को समर्थन देना इस सभा के प्रत्येक सदस्य का देश के प्रति कर्तव्य है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी अवसर हाथ से नहीं निकला है। सही ढंग से चर्चा की जा सकती है और किसी निर्णय पर पहुँचा जा सकता है। हम देश के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इस देश के लोगों के आर्थिक उद्वार के लिए विकास की प्रगति की अत्यधिक आवश्यकता है।

महोदय, एक विकासशील देश इस प्रकार प्रतिवर्ष अनिश्चित समय के चुनाव प्रक्रिया को वहन नहीं कर सकता। इसलिए, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और मुझे आशा है कि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, अवश्य ही कोई सही कदम उठाया जाएगा।

एक दिन मैंने अपने युवा मित्र श्री प्रियरंजन दासमुंशी को सुना था कि राजनीति में कोई अंतिम शब्द नहीं होता, कोई अंतिम घटना नहीं होती और इसी प्रकार उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से बहुत सी बातें कही थीं। मैं नहीं जानता कि अब वह क्यों गायब हो गए

हैं। यह नहीं है कि हम किसी की दया के पात्र हैं। हम दया नहीं चाहते। यदि आप सरकार गिराना चाहते हैं तो इस देश की जनता इसका निर्णय लेगी। वह आपके बारे में तथा भा.ज.पा. के बारे में सही निर्णय लेगी।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : सभापति जी, आज जो संसद में बहस हो रही है, मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत के संसदीय इतिहास में यह सबसे अधिक लज्जाजनक और दुख का दिन है। मेरे मित्र श्री जसवंत सिंह ने राजनीतिक मामलों में बहुत से मतभेद होने के बावजूद भी मैं आदर के साथ यह कहना चाहूंगा कि सोमनाथ जी की बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जसवंत जी ने इस विवाद को उस स्तर पर उठाने की कोशिश की, जिस स्तर पर हमें और आपको देश भर के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही मैं अपने गुरुदेव श्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी यह कहना चाहूंगा कि यह वानर सेना का मामला केवल इस तरफ नहीं है, आप भी जाने-अनजाने उसी वानर सेना का अंग बन रहे हैं। यह बात मैं बहुत सोच-समझकर कह रहा हूँ। आज भारत जिस स्थिति में है, उसका जिक्र सोमनाथ जी ने किया और जब से कांग्रेस के मित्रों ने समर्थन वापस लेने का निर्णय लिया है, वह स्वयं में एक शंका, एक रहस्य पैदा करता है। आखिरकार 30 मार्च को ही क्यों चुना गया है? जिस समय पाकिस्तान से हमारे रिश्ते सुलझाने की कोशिश हो रही थी, जिस समय बंगलादेश के साथ हमारे देश के लोग और हमारे विदेश मंत्री एक नया रिश्ता कायम करने की कोशिश कर रहे थे, जिस समय हमारे प्रधान मंत्री और हमारे वित्त मंत्री रूस के साथ एक नया समझौता कर रहे थे, उस विवादास्पद सवाल पर, जो आज से दो-तीन वर्ष पहले दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए बड़े संकट का समय मालूम होता था, जिस समय प्रधान मंत्री मास्को में थे उसी समय कांग्रेस में उच्च स्तर पर यह निर्णय लिया जा रहा था कि सरकार से समर्थन वापस लिया जाना चाहिए। उनको वापस आये चार दिन भी नहीं बीत पाये, रूस से समझौता करके कोई प्रधान मंत्री लौटे और प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बना रहे, यह कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसे आप और हम सब लोग जानते हैं। इसके पीछे एक इतिहास है, जिस इतिहास से और कोई अवगत हो या नहीं हो, हमारे विदेश मंत्री, गृह मंत्री, श्री सोमनाथ जी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भली प्रकार से परिचित हैं। क्या हम लोग इस स्तर पर पहुँच गये हैं और इन बातों को सोचने के लिए अपने को मजबूर नहीं मानते जब कि 'नैम' की मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं। यह बात आज से नहीं 50 वर्षों से कुछ ताकतें चाह रही हैं। जसवंत सिंह जी ने आज कुछ और चीजों के लिए इस सरकार की आलोचना की लेकिन गुजराल साहब ने अगर अपने पड़ोसियों के साथ अपने देश के रिश्ते सुधारे तो मैं ऐसा

[श्री चन्द्रशेखर]

समझता हूँ कि भारत की इससे बड़ी सेवा दूसरी नहीं हो सकती है। आज दुनिया की बड़ी ताकतें भारत की ओर एक कुपित दृष्टि से देख रही हैं, दुनिया के लोग इस कोशिश में हैं कि भारत कोई बड़ा राष्ट्र न बन जाए, कोई महान राष्ट्र न बन जाए, कोई शक्तिशाली राष्ट्र न बन जाए। हम सब एक ही परिवार के लोग थे जो अलग-अलग हिस्सों में बंट गये, यह दुर्दैव था। इसे चाहे आप इतिहास की भूल कहिये या इतिहास की दुर्घटना कहिये। चाहे वह बंगलादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो और चाहे बर्मा हो, हम सब लोग एक साथ थे लेकिन आज अलग हो गये। अगर इन देशों में एका हो जाए, अगर सार्क के लोग एक दृष्टि से सोचने लगे तो दुनिया में भारत को महान राष्ट्र होने से कोई नहीं रोक सकता। यह चुनौती उन देशों के लिए है जो दुनिया को अपने रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और समझते हैं कि गरीब राष्ट्रों को सम्मान और मर्यादा की जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है। ऐसे समय इस देश में अस्थिरता पैदा करना ठीक नहीं है। मैं उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहता जिनका जिक्र अभी सोमनाथ जी ने बजट के सवाल पर, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के चुनाव पर और हमारे देश की अनेक समस्याओं पर किया है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय जगत में जब इतनी बड़ी-बातें हो रही हों, ऐसे समय कांग्रेस पार्टी समर्थन वापस ले तो इससे राजनीति के एक विद्यार्थी के नाते मेरे मन में शंका जरूर पैदा होती है।

उसी आशंका के कारण मैं कहता हूँ कि यह केवल एक अविवेकपूर्ण निर्णय नहीं है बल्कि यह देश की राजनीति का एक महान राजनीतिक अपराध है जिसका इतिहास कभी न कभी निर्णय करेगा। मैं यह बात इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिन सवालों पर आज सरकार की आलोचना की जा रही है, जिन सवालों के ऊपर आज देवेगौड़ा के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, क्या वे सवाल जायज हैं? आर्थिक मामलों में क्या उनकी राय और आपकी राय अलग है? मैं उनकी आर्थिक नीतियों का समर्थक नहीं हूँ। मैंने कभी भी चिदम्बरम जी के सपने को साकार होते हुए नहीं देखा। हमने कभी यह नहीं सोचा कि उस बजट में कुछ भी ऐसा है जिससे गरीबों को राहत मिल सकेगी। हमारे मित्र मुरली मनोहर जोशी जी बराबर मुझसे कहते रहते हैं कि यह बजट हमें बरबादी की ओर, अंधकार की ओर ले जाएगा। मैंने उसकी आलोचना की है। जिन नीतियों को आज अपनाया जा रहा है, दुनिया के सहारे जिस तरह से इस देश को विकसित करने का सपना प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी देख रहे हैं उससे मैं असहमत हूँ और वह कोई छिपी असहमति नहीं है। इस सदन के अंदर और इस सदन के बाहर उस असहमति को मैंने हमेशा व्यक्त किया है।

सभापति महोदय, क्या हमें अपने देश की मर्यादा का कुछ ख्याल है या नहीं? हमें अपने देश के भविष्य का ख्याल है कि

नहीं? यह 100 करोड़ का देश जिसकी हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति रही है, जिसकी ओर आज सारी दुनिया आशा भरी निगाह से देखती है, जिसका जिक्र हमारे विदेश मंत्री ने किया है, मैं उन बातों का जिक्र फिर से नहीं करना चाहता हूँ।

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी यहां नहीं हैं। उन्होंने बड़े जोश में भाषण दिया। जोश कभी-कभी अच्छा भी होता है और जब कहा जाए कि गलत बात का समर्थन करना है, तो जरा ज्यादा जोश दिखाना जरूरी भी हो जाता है, लेकिन जो बातें कहीं गईं, क्या उनका तथ्यों से कोई सामंजस्य है, क्या उसका संबंध वास्तविकता से है? सारे देश के अखबार, सारी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि पिछले वर्षों में श्री गुजराल ने जिस तरह की विदेश नीति चलाई है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुजराल साहब हमारे मित्र हैं। मैं उनकी ज्यादा तारीफ नहीं करना चाहता। शायद प्रधान मंत्री भी होने वाले हैं। इसलिए यह डर भी है कि कोई शायद यह न समझे कि मुझे उनसे कुछ पाना है, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि देश के विदेश मंत्री चाहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे गुजराल साहब हों, चाहे कोई दूसरा हो, दुनिया के रंगमंच पर हरेक अपनी भूमिका निभा रहा है। ऐसे समय उसका पैर खींचना, कांग्रेस की कौन सी परंपरा का अंग है, कांग्रेस की कौन सी महत्ता का अंग है? मैं यह नहीं जानता।

आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हो, मैं नहीं जानता सही है या नहीं, लेकिन अखबारों में खपर छपी है कि देवेगौड़ा छिपे-छिपे बी.जे.पी. से बात कर रहे हैं। इसलिए उनकी धर्मनिरपेक्षता में संदेह है। हमारे मित्र संतोष मोहन देव जी, पार्टी के सचेतक बन जाते हैं और स्वयं सोये रहते हैं और सचेतक बनने का काम करते रहते हैं। क्या उस समय आप सोये हुए थे जिस समय बाबरी मस्जिद गिर रही थी? क्या उसका सारा दोष अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, सारा दोष मुरली मनोहर जोशी जी का है? या सत्ता में बैठे हुए प्रधान मंत्री पद पर हैं। उस समय आप भी मंत्री थे। उस मस्जिद को गिरते हुए आपने भी देखा है। आज देवेगौड़ा को आप धर्मनिरपेक्षता की बात सिखा रहे हैं? देवेगौड़ा को मैं भी जानता हूँ। इस तरह से दूसरे सर्टिफिकेट देने का काम आप न करें, तो ज्यादा अच्छा है। रोज-रोज धर्मनिरपेक्षता का नारा देकर कब तक आप भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते रहोगे? क्या कभी आपने अपने दामन में भी झांक कर देखा?

सभापति जी, मैं बोलना नहीं चाहता था। आपके निर्देश से बोल रहा हूँ। मन में एक पीड़ा होती है, एक कसक होती है। संसदीय जनतंत्र अगर चलाना है, तो हम किसी को अछूत नहीं रख सकते। मैं जानता हूँ कि इसका गलत अर्थ लगाया जाएगा या गलत बातें की जाएंगी। मैंने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बहुत घायने में असहमत हूँ, लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी इस संसद का एक अंग

है, सोमनाथ जी, उनको अछूत समझ कर हम संसदीय जनतंत्र को नहीं चला सकते। तानाशाही भले ही चला सकते हैं। यह बात हमको याद रखनी चाहिए। इसीलिए हमारे एक मित्र, जो यहीं कहीं बैठे होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे मित्र हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि आप दोनों तरफ की बात मत बोला कीजिए। मैं दोनों की तरफ की बात नहीं बोलता हूँ। जो मैं सही समझता हूँ वह कहता हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। न मुझे कुछ इधर से लेना है और न उधर से कुछ लेना है। मैं अपनी बात जो सही समझता हूँ वह कहता हूँ और आज ही नहीं कह रहा हूँ, 1962 से लेकर 1997 तक, जो मैंने सही समझा है, कहा है।

गुजराल जी कम से कम आप इसके गवाह हैं। आप उन दिनों कितनी बार मंत्री पद का संदेशा लेकर मेरे पास आये थे। आज हमको सिखाया जा रहा है - कांग्रेस की परम्परा, कांग्रेस का इतिहास। कौन सा कांग्रेस का इतिहास? वह इतिहास जो आपने 30 मार्च को बनाया है या वह इतिहास जिस में सुभाष चन्द्र बोस महात्मा गांधी की मुखालफत करते हैं और लोग सुभाष चन्द्र बोस के पीछे जाते हैं। कांग्रेस में बैठे हुए नेताओं में कुछ लोगों पर मुझे दया आती है खासकर हमारे मित्र सनद मेहता पर, पता नहीं वह यहां हैं या नहीं, पुराने समाजवादी आंदोलन में वह हमारे साथी रहे हैं। विचारों की दृढ़ता और आदर्शों के साथ प्रतिबद्धता थी लेकिन किस आदर्श के अनुसार यह पत्र लिखा गया है वह पत्र मेरे पास नहीं है क्योंकि वह कुड़े में जाने लायक है। इससे अधिक मैं उसको महत्व नहीं देता। जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा है क्या वह भारत की अस्मिता और गरिमा को जानता है? क्या इतिहास में अपनी जिम्मेदारी को परखता है? क्या वह जानता है कि इसके पीछे कितना बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है? क्या वह जानता है कि इससे कितनी बड़ी अस्थिरता समाज में आ सकती है? मैं इतिहास की और बातों को यहां नहीं दोहराना चाहता।

सभापति जी, मैं भी कांग्रेस में रहा हूँ और उस समय कांग्रेस में रहा हूँ जब उसमें आज के कांग्रेसी नहीं थे बल्कि महान दिग्गज नेता रहे हैं। मैं उस वर्किंग कमेटी में रहा हूँ जिस में इंदिरा गांधी जैसी महान् नेत्री के विरुद्ध खड़े होकर जीता था। आज राजेश पायलट जी यहां बैठे हुए हैं। मुझे उनसे बड़ी उम्मीद थी। पूना में रहता है तो शिवाजी की प्रेरणा लेता है और यहां आता है तो पता नहीं कहा-कहां से प्रेरणा लेता है। ... (व्यवधान) मुझसे नहीं लेता।

सभापति जी, मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूँ कि बहुत चर्चा चलती है, यहां तक कि अटल जी भी हमसे पूछते हैं कि शरद पवार की क्या राय है। मैं आपको बता दूँ कि 30 मार्च के बाद आज मुझे शरद पवार जी के दर्शन हुए हैं। टेलीफोन पर भी मेरी कोई वार्ता उनसे नहीं हुई। मुसीबत में पड़ने पर लोग मेरे पास

आते हैं, मुसीबत पैदा करने के समय मेरे पास नहीं आते। ... (व्यवधान)

मैं यह बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि संकट गंभीर है, समय गंभीर है और ऐसे समय को हमें हंसी में नहीं टालना चाहिए। इसे गंभीरता से लेना चाहिए। आप किसी व्यक्ति से नाराज हो सकते हैं, व्यक्ति आयेंगे जायेंगे लेकिन इतिहास का अंतिम व्यक्ति कोई नहीं है। बड़े से बड़ा पुरुष भी इतिहास में केवल अर्द्धविराम है, पूर्णविराम नहीं है।

[अनुवाद]

कोई व्यक्ति इतिहास में पूर्ण विराम नहीं है। यहां तक कि विभागीय लोग भी अर्द्धविराम हैं।

[हिन्दी]

ये सब नेता तथा प्रधानमंत्री आयेंगे जायेंगे लेकिन कम से कम कांग्रेस पार्टी की जो मान्यतायें बनी थी, जिस पार्टी में मैं भी बहुत दिनों तक रहा हूँ, संतोष मोहन देव जी, उन मान्यताओं को इस तरह पैरों के नीचे धूल में मत कुचलिये। आप समर्थन दें या न दें, यह आपकी पार्टी का निर्णय है।

श्री संतोष मोहन देव : आज कांग्रेस की जो हालत है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आपको कितनी बार बोला था कि आप कांग्रेस में आ जाइये लेकिन आपने हमेशा कहा कि नहीं आयेंगे। अगर आप आ जाते तो कुछ भी नहीं होता।

श्री चन्द्रशेखर : सभापति जी, इनके निमंत्रण के लिए मैं बड़ा आभारी हूँ लेकिन इनको याद रखना चाहिए कि मैंने कांग्रेस तब छोड़ी थी जब उसकी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी थी। गुजराल जी आप जानते हैं कि मैंने कांग्रेस किन परिस्थितियों में छोड़ी थी। 1975 में इमरजेंसी के दिनों में विरोधी पार्टियों को निर्णय करना था कि क्या करें? उनके सामने एक ही रास्ता था कि जेल जायें, लेकिन मेरे पास दो रास्ते थे कि मैं भारत सरकार में जाऊँ या जेल में जाऊँ लेकिन मैंने जेल में जाना स्वीकार किया था। गुजराल जी आप याद रखिये कि मैंने सरकार में जाना स्वीकार नहीं किया आप भी मेरे पास आये थे। इसलिये मैं ऐसी बातें कभी नहीं कहता।

सभापति जी, उस समय मैं कांग्रेस को छोड़कर चला गया था तो आज जो कांग्रेस के नेताओं के कहने पर मैं कांग्रेस में चला जाऊँ, आपकी बुद्धि की बलिहारी है। ... (व्यवधान) कांग्रेस कार्यक्रमों में, नियमों में, सिद्धांतों में, आदर्शों में अगर आस्था रखने वाला संगठन बने तो मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है।

कांग्रेस पार्टी का व्यापक समर्थन है। कांग्रेस पार्टी फिर पुनर्जीवित हो सकती है लेकिन उसे पुनर्जीवित करने के लिए संतोष मोहन

[श्री चन्द्रशेखर]

देव जी, थोड़ी हिम्मत चाहिए। राजेश पायलट जी, हिम्मत दिखाते हो तो उस हिम्मत के लिए अकेले चलने की शक्ति होनी चाहिए। प्रियरंजन दास जी, रविन्द्र नाथ ठाकुर को कोट करना आसान है लेकिन समूह के साथ चलने की प्रवृत्ति मन की कमजोरी है, यह बात याद रखो। यदि कांग्रेस के चंद लोगों में अकेले चलने की प्रवृत्ति हो जाए तो कांग्रेस आज भी ऊंचा संगठन बन सकती है। संतोष मोहन देव जी जिस दिन कांग्रेस बनाएंगे और मुझे निमंत्रण देंगे तो मैं उस पर जरूर विचार करूंगा लेकिन आज की कांग्रेस को मैं दूर से भी छूना नहीं चाहता, आप यह बात याद रखना।

सभापति जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस गहरे संकटकाल में किसी व्यक्ति के ऊपर केवल उंगली उठाकर बात करना शोभा नहीं देता। राजनीति, व्यक्तिगत आक्षेपों की राजनीति नहीं है, चाहे वह आदर्शों के नाम पर हो या सिद्धान्तों के नाम पर हो। व्यक्तिगत आक्षेपों से हमें दूर होना चाहिए।

मैं एक बात बहुत संकोच के साथ लेकिन अपना राष्ट्रीय कर्तव्य समझकर कहता हूँ। आज ऐसा समय आ गया है जब हम सब, चाहे उधर बैठे लोग हों चाहे इधर बैठे लोग हों, मिलकर सोचें कि हमारे सामने चुनौतियाँ क्या हैं, हमारी समस्याएँ क्या हैं। राष्ट्रीय सवालों पर हम एक सहमति बना सकें, उन सवालियों के समाधान के लिए कोई कार्यक्रम बना सकें और उनके अनुसार इस संसदीय जनतंत्र को चलाने की कोशिश करें तो शायद भारत को इस संकट से उबार सकते हैं। यह संकट वास्तविक संकट है। जो धिनौना संकट आपने पैदा किया है, वह आपको मुबारक हो लेकिन जल्दी ही यदि इस संकट से आप अपने को मुक्त कर सकें और देश को मुक्त कर सकें तो वह अच्छी बात होगी।

मैं नेता, विरोधी दल से कहना चाहूँगा कि यह सरकार आज के बाद आपकी मर्जी पर चलती रहेगी। क्या यह जरूरी है कि जो पत्र लिखा गया है उसी के आधार पर समर्थन करें? जो पत्र लिखा गया है, आज इस सरकार के खिलाफ मत देकर आप उस का समर्थन करेंगे, अपने आक्रोश का प्रदर्शन नहीं करेंगे - यह बात हमेशा याद रखिए। सात दिनों में कोई सत्ता भोगी नहीं जा रही है। अगर 13 तारीख को यह सरकार नहीं जाती तो उनके मुँह पर कालिख लगेगी जिन्होंने अमर्यादित व्यवहार किया है, जिन्होंने गैर-जिम्मेदाराना हरकत की है, जिन्होंने राष्ट्र के साथ एक बड़ा अपराध किया है, जिन्होंने नैतिकता को, राष्ट्रीय कर्तव्य को तिलांजलि दी है। सभापति जी, आप उसमें आज शामिल न हो क्योंकि मैं उनसे कोई सद्बुद्धि की आशा नहीं करता लेकिन आपसे सद्बुद्धि की जरूर आशा है। इसी निवेदन के साथ धन्यवाद।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : आदरणीय सभापति जी, मैं श्री देवेगौड़ा जी की ओर से सदन में रखे गए विश्वास प्रस्ताव पर चंद बातें कहना चाहता हूँ। मैं इस प्रस्ताव का

विरोध करता हूँ। पूरा देश जानता है कि सदन का सत्र चालू था और उसके दरमियान अर्थ संकल्प पेश किया गया। स्थायी समिति द्वारा उस अर्थ संकल्प का अध्ययन करने के लिए एक महीने की छुट्टी दी गई है। उस दरमियान ऐसी एक न्यूज आ गई। उस दिन जब मैं दिल्ली आने वाला था उसी समय मुझे पता लगा कि कांग्रेस पक्ष की ओर से देवेगौड़ा सरकार को आज तक जो समर्थन दिया जा रहा था, अब उसे वापिस ले लिया गया है और राष्ट्रपति जी से वैसा बोला गया है। मैं यह सुनकर हैरान हो गया। इसकी वजह क्या थी। मैंने जब अखबार पढ़ा तो पता लगा कि देवेगौड़ा जी कम्युनल पार्टी से बात करते हैं।

देवेगौड़ा जी ने हमारे देश का जो सैकुलर ढांचा है, इसे तोड़ने की कोशिश की है, देवेगौड़ा जी हमें सम्मान नहीं देते, देवेगौड़ा जी हमारी प्रतिष्ठा नहीं रखते, इसकी जानकारी इस कांग्रेस पार्टी को कब हो गई, मुझे पता नहीं। मैं 21 तारीख तक इस सदन में था, हर बात में कांग्रेस पार्टी हिस्सा लेती थी, इस पक्ष का, देवेगौड़ा जी का समर्थन करती थी और मैं नहीं जानता कि अचानक क्या हुआ और इस समर्थन को वापस लिया गया।

यह प्रस्ताव रखने के बाद आज सुबह मैंने यहां देखा, इस प्रस्ताव का समर्थन कौन कर रहा है और इस प्रस्ताव के खिलाफ कौन बोल रहा है। मैं बहुत उम्मीदों के साथ हमारे दोस्त प्रियरंजन दासमुंशी जी का भाषण सुन रहा था, उन्होंने बहुत ठोस स्पीच दी और यह बताया कि हमने जो समर्थन वापस लिया है, उसकी वजह क्या है। क्या बताया? ये सब यूनाइटेड फ्रंट वाली पार्टियाँ खराब हैं, नहीं। अच्छे कौन हैं, मुलायम सिंह जी अच्छे हैं। अच्छे कौन हैं, लालू प्रसाद यादव जी अच्छे हैं। अच्छे कौन हैं, राम विलास पासवान जी बहुत अच्छे रेलवे मिनिस्टर हैं, लेकिन बुरा कौन है, देवेगौड़ा जी। वही बुरे हैं, क्योंकि वे पंत प्रधान हैं। मैंने जो अर्थ लगाया तो इसका मकसद यह है कि इन लोगों की आंख उस पंत प्रधान के पद के ऊपर है, ऐसा मैं सोच रहा था। यह पंत प्रधान का जो पद है, अगर देवेगौड़ा जी चले जाएंगे तो कांग्रेस अपना राज लायेगी, कांग्रेस की पावर आ जायेगी, प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस का बनेगा और ये सारे यूनाइटेड फ्रंट वाले उनकी सहायता करेंगे। इसी रीडिंग के साथ, यही भावना दिल में रखकर उन्होंने यह फैसला करना लिखा, ऐसी मेरी भावना हो गई है।

चार दिन से मैं दिल्ली में सुबह और शाम सुन रहा हूँ। सुबह एक बात आती है, शाम को बदल जाती है। बातचीत चल रही है और आखिरी मसला कहां तक आकर पहुंचा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वन पाइंट प्रोग्राम चाहिए, हमें सिर्फ देवेगौड़ा जी नहीं चाहिए, चाहे तो आप राज करो। नेतृत्व में बदलाव करो, हम आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। यदि यही बात थी तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि कांग्रेस वालों ने 10 महीने तक देवेगौड़ा जी का क्यों साथ दिया, क्या वजह थी?

आप लोगों को यह मालूम नहीं था कि हवाला कांड के अन्तर्गत बहुत सारे केसेज कांग्रेस के बहुत सारे लोगों के खिलाफ वहां पड़े हुए हैं? ये केसेज आगे जाने वाले हैं और उसके ऊपर कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई हो जायेगी, यह क्या कांग्रेस वाले नहीं जानते थे? जानते थे।

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : हवाला केसेज विधड़ा हो रहे हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : यह जानने के बावजूद फिर यह क्यों हो गया? उसके बाद में और न्यूज आनी चालू हुई और महतो ने सीता राम केसरी जी का नाम ले लिया। यहां पर सब हलचल पैदा हो गई। सीताराम केसरी जी को ऐसा लग गया कि मैं इस पार्टी का प्रेसीडेंट हूं और इस मसले के अन्दर अगर मुझे कैद किया गया तो कांग्रेस पार्टी की हालत क्या होगी, शायद इसी डर के मारे, और भी कुछ मसला था, मैं उसका उल्लेख करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वह बात अखबार में आई हुई है और केसरी जी इस सदन में नहीं हैं, इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। यदि वे इस हाउस में होते तो मैं जरूर बात करता। तो दिल में डर के मारे यह निर्णय किया गया।

मुझे कांग्रेस के बहुत सारे सांसद मिले, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, बोले कि हमें भी पता नहीं है। मैंने शरद पवार जी का पूना से रिएक्शन सुना, जैसा जसवन्त जी ने सुबह बोल दिया। मुझे यह पता था, जो कुछ बोलना है, शरद पवार जी पूना में, मुम्बई में जरूर बोलेंगे। दिल्ली में आने के बाद, जिस समय वे सीताराम केसरी जी के घर के अन्दर जाएंगे तो बाहर आते समय पूछ अन्दर डालकर फिर वापस आयेंगे, वैसा ही हुआ। जो पूना में कहा, वह यहां पर नहीं है। जो यहां कहा, वह पूना में नहीं है, यह उनकी राजनीति आज तक चल रही है। मैं यहां पूछना चाहता हूं कि इस देश के बारे में ऐसा सोचते समय जो सांसद यहां पर आये हुए हैं, इन्होंने क्या किया? आपने राज किया, अच्छी बात है, मेरे पास उस समय की 11 मई, 20 मई और 11 जून की प्रोसीडिंग्स हैं, जिसमें उस वक्त माननीय विभिन्न सदस्यों ने जो भाषण दिया था। मैंने उन्हें बड़े गौर से पढ़ा है। मैं उस समय भी सदन में मौजूद था और उनको स्वयं सुना भी था। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मा. सोमनाथ जी ने कहा कि यह मेनडेट है। ये लोग साम्प्रदायिक हैं और हम साम्प्रदायिकता के खिलाफ सारे सेकुलरवादी इकट्ठे हो जाएंगे और देश को नेतृत्व देंगे। हमने कहा कि ठीक है, अगर सब सेकुलर साथ में आ जाते हैं, उसमें मुस्लिम लीग भी साथ होती है तो वह भी सेकुलर मानी जाएगी और शिव सेना साथ नहीं होती तो वह सेकुलर नहीं मानी जाएगी। देश में सेकुलर-सेकुलर कहा जाता है, आखिर इस सेकुलर का मतलब क्या है? हर व्यक्ति यहां आकर बोलता है कि वह सेकुलर है। मैं पूछना चाहता हूं जब बम विस्फोट में दोषी लोगों के खिलाफ डाटा के अंदर कार्रवाई हुई तो यहां सदन के बैल में सब

दलों के मुस्लिम सांसद आ गए और मांग करने लगे कि डाटा हटाओ, अगर हम वास्तव में सेकुलर हैं तो ऐसा क्यों हुआ, सिर्फ मुस्लिम सांसद ही क्यों आए, उनके बाकी के साथी क्यों नहीं आए यह कहने के लिए कि डाटा के अंतर्गत जिन पर कार्रवाई की गई है उनको रिहा करो, क्योंकि वे बेकसूर हैं? यदि सेकुलर लोगों का राज है तो मुस्लिम सांसद ही क्यों आए, आप सब भी क्यों नहीं आए? मैं उस समय यही सोच रहा था। मैंने उस समय यह सवाल भी उठाना चाहा, लेकिन मुझे इजाजत नहीं मिली। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि सेकुलर राज आ गया था तो ऐसा कौन सा आसमान गिर गया जिसके लिए कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया।

उस समय अंतुले जी ने जो कहा था मैं वह कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था -

“अब जनादेश क्या है, हमारे जैसी शासन व्यवस्था में जनादेश आपको शासन करने का आदेश देता है।”

बाद में वे फिर कहते हैं -

“हम वर्तमान सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, अपितु कुछ समय पश्चात् हमारे नेता और कार्यकारी समिति सरकार में शामिल होने का निर्णय लेती है तो हम शामिल हो सकते हैं।”

उसके बाद अंतुले जी क्या बोलते हैं, मैं वह भी कोट करना चाहता हूं।

“मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी जनादेश के ऊपर अटूट श्रद्धा है।”

कांग्रेस के नेता ने जो कुछ कहा, मैं वही यहां दोहरा रहा हूं। उसके बाद वे बोलते हैं -

“अब मैं श्री एच.डी. देवेगौड़ा को यहां पर बैठे हुए देखता हूं तो मैं इस पर ध्यान नहीं देता कि वह किस दल से सम्बन्धित हैं। मुझे एक भारतीय नागरिक होने पर गर्व है, क्योंकि जैसा मैंने आरम्भ में कहा था कि यह लोकतंत्र की प्रामाणिकता है कि एक गांव का गरीब किसान भारत के प्रधान मंत्री पद पर आसीन है और बिना किसी उग्रभाव के और प्रतिस्पर्धा के कर्नाटक के मुख्य मंत्री को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है।”

उसके बाद अंतुले जी फिर बोलते हैं, जो मैं यहां कोट करना चाहता हूं -

“मैं आशा करता हूं कि इसी संसद में इस सरकार को बिना किसी अड़चन के, बिना किसी अवरोध के पूरे पांच साल काम करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि इसमें कोई मुश्किल

[श्री मधुकर सरपोतदार]

नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से यह कहना चाहता हूँ कि हम किसी तुच्छ आधार पर सरकार को गिराने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि जैसा हमारे नेता ने कहा है और जो कार्यक्रम दिया गया है उसके अनुसार यह सरकार काम करेगी।"

ऐसा बैरिस्टर अंतुले जी ने इस सदन में कहा था। यदि कांग्रेस वालों की उस समय यह भावना थी, तो अब कौन सा आसमान गिर गया कि देवेगौड़ा जी आज खराब हो गए।

अब तक तो अच्छा था। आप सब भी बोलते थे। कांग्रेस से सब उसकी सिफारिश करते थे। थोड़ी आलोचना करने के बाद उन्होंने अर्थ-संकल्प का स्वागत किया है। वह अर्थ संकल्प को पास करने वाले हैं, फिर अब क्या आसमान गिर गया है? मेरी समझ में एक ही बात आती है। पूरे देश की यदि आप परिस्थिति देखें तो एक ही तस्वीर सामने आती है। चाहे कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश या पंजाब कोई भी ले लीजिए, जहां कांग्रेस चुनकर आने की कोशिश करती है, वहां पर उनको मौका नहीं मिलता। वे सोचते हैं कि यह एक आखिरी मौका हमें मिला है, उसका हम क्यों न फायदा उठाएं? जितने लोग हमारे साथ आते हैं, उनको साथ में लेकर अपना मन्तव्य क्यों न पूरा करें? इस कोशिश में यह निर्णय लिया गया है, ऐसी मेरी भावना है। इन लोगों ने यह नहीं सोचा कि हमारे देश की जनता गरीब है। हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं आज भी हैं। हमारे देश में पिछले सालों में करोड़ों रुपया खर्च किया गया है लेकिन जनता तक कुछ नहीं पहुंचा है। हमने ऐसे-ऐसे एन.जी. ओज, को पैसा दिया जिसका कुछ हिसाब नहीं है। इस दृष्टि से अगर देखें तो तीस साल से जिस ढंग से हमारे देश में राज चल रहा है, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि गरीबों के नाम पर इस देश को लूटने का काम आज तक कांग्रेस वालों ने किया है। शायद देवेगौड़ा जी उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कांग्रेस को आज वह नहीं चाहिए। देवेगौड़ा साहब ने ऐसा क्या बिगाड़ा है? अगर उनके बाकी सब मंत्री अच्छे हैं तो देवेगौड़ा जी क्या खराब हैं? जिस बहाने से आप देवेगौड़ा जी को दूर करना चाहते हैं, वह बहाना ठीक नहीं है। इसके बाद 28 मई के दिन शरद पवार जी यहां पर क्या बोलते हैं? "जब उनके याने भा.ज.पा. के पास बहुमत नहीं है फिर भी सरकार बनाने का प्रयास यहां पर किया जो एक तरह से प्रजातंत्र को कलंकित करने का काम है। यहां बहुमत नहीं है। मिले हुए वोट भी कांग्रेस से कम हैं। इसके अलावा सारी बातें कही जा सकती हैं।"

ऐसा कांग्रेस ने, 28 मई के दिन जब सम्माननीय वाजपेयी जी ने यहां पर विश्वास प्रस्ताव पेश किया था, उस समय माननीय शरद पवार जी ने अपने भाषण में कहा था। उसके बाद 11 जून को शरद पवार जी ने भाषण नहीं दिया था। लेकिन 28 मई के दिन जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि "कांग्रेस

यूनाइटेड फ्रंट को बाहर से समर्थन देगी। जब तक गरीब जनता की उन्नति की ओर इस सरकार की नीतियां रहेंगी, तब तक कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आने वाली हुकूमत को मदद करने वाली है।" इसलिए मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूँ कि क्या गरीबों की समस्या हल हो गई है? क्या देश में अब कोई समस्या नहीं है? आज वे क्यों बोलते हैं कि देवेगौड़ा जी, आए जाइए। क्या ग्यारह महीने के अंदर देवेगौड़ा जी इतने काम करने वाले हो गए कि दस महीने में उन्होंने पूरे देश की गरीबी मिटा डाली। क्या इसलिए कांग्रेस बोलती है कि आप जाइए और अपनी जगह ऐसा कोई व्यक्ति लाइए जिसे कांग्रेस पसंद करती हो। कांग्रेस यदि पसंद नहीं करती है तो वह प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। ऐसी हालत में देश को पहुंचा दिया है, ऐसी दशा में देश को फेंक दिया है। कांग्रेस वाले तो बहुत जानकार हैं। बहुत सालों से राजनीति कर रहे हैं। भ्रष्टाचार भी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वह भ्रष्टाचार नहीं जानते हैं। वे जानते हैं कि कौन से माध्यम से भ्रष्टाचार कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा रास्ता बनाया हुआ है। जब इस भ्रष्टाचार को रोकने का समय आया तब ऐसी बात यहां से वे करते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह जो नीति अपनाई गई है, वह देश के लिए घातक नीति है। ... (व्यवधान) महिलाओं से संबंधित विधेयक जब मंजूर नहीं होता था, तब कांग्रेस वाले देवेगौड़ा जी को बोलते थे कि यदि यह विधेयक मंजूर नहीं करोगे तो हम आपसे अपना समर्थन वापस ले लेंगे।

सब महिलायें यहां पर कह रही थीं। ऐसा मौका आपको कांग्रेस वालों ने नहीं दिया। इसके अलावा जो कांग्रेस की एमपीज हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को यह भी नहीं कहा कि यदि देवेगौड़ा जी यह विधेयक सदन में नहीं लाते हैं, तो उनसे समर्थन वापस ले लो। मेरे विचार से यह बहुत बेहतरीन मौका था और विधेयक मंजूर हो सकता था, लेकिन यह विधेयक आज तक मंजूर नहीं हो पाया। इसके बाद उत्तर प्रदेश की हालत देखिए। माननीय रमेश भण्डारी जी वहां पर केन्द्रीय रक्षा मंत्री, मुलायम सिंह जी के साथ काम कर रहे थे। मुलायम सिंह जी और रमेश भण्डारी जी दोनों मिले जुले हैं। उनके बारे में आप शिकायत कर सकते थे। उत्तर प्रदेश की हालत के बारे में आग लोगों का यह कहना था कि वहां अचानक सदृश्य स्थित है। हमारे गृह मंत्री जी ने ऐसा कहा था। बाद में उनके ऊपर कुछ ऐसा दबाव लाया गया और बात का अर्थ ही बदल डाला। क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, आखिर में वह इन्द्रजीत गुप्ता जी के ऊपर छोड़ दिया गया। इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से, जिस ढंग से और जिस परिस्थिति में इस सदन के अन्दर इन्द्रजीत गुप्ता जी ने बोला था "यह अराजकता, अव्यवस्था और विनाश का मामला है....." इन शब्दों का प्रयोग हुआ। उस समय आपके लिए अच्छा मौका था और कांग्रेस वाले बोलते कि वहां से रमेश भण्डारी को हटाइए, नहीं तो हम हमारा समर्थन वापस ले लेंगे। उस समय भी आपने समर्थन वापस नहीं लिया।

अब आप गेहूँ की स्थिति देखिए। गेहूँ की कीमत बढ़ाई गई है। यहां हर सदस्य इस बात को बोलता था, हम किसान के दोस्त हैं, किसान के पीछे रहेंगे। किसानों को उस समय गेहूँ की कीमत 4.15 रुपए मिलती थी। इन्होंने बाहर से गेहूँ 6.50 रुपए पर खरीद लिया और बिज्जी 7.50 रुपए पर की, यानी दुगुना पैसा कमाने का काम किया। मैंने उस वक्त कई खत लिखे और कहा कि उनको कुछ सहूलियत दे दो। हमारे यहां के कुछ किसान बहुत हैरान हैं कि ऐसा किया जा रहा है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अन्दर लोगों को जो गेहूँ मिलना चाहिए, वह गेहूँ उनको नहीं मिलता है। यदि आप इस नीति में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो समस्या हो जाएगी। आखिर में बात उनको समझ में आ गई, उन्होंने महसूस किया और गेहूँ की कीमत एक रुपया बढ़ा दी और अब सुन रहे हैं कि 4.15 रुपए से कीमत बढ़ा कर 5.15 रुपए करने का इरादा है। अब स्थिति यह है कि सरकार नहीं है और उनके पास पावर नहीं है और कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। ऐसी हालत में वह गरीब किसान लुट जाएगा। इस हालत में वह देश का जो मजदूर है, वह लुट जाएगा।

इस सदन के अन्दर जब-जब भी मैं राजनीति के बारे में सोचता हूँ, तो हमारे दिल में यह भावना आ जाती है कि राजनीति का अर्थ अनिश्चितता है। राजनीति में इस सदन के अन्दर कोई भरोसा नहीं है कि क्या होगा। कुछ भरोसा नहीं है। जब हम लोग यहां पर चुनकर आते हैं, तो एक ही बात सोचते हैं कि हमें पावर कैसे मिलेगी। हमारे हाथ में राज कैसे आएगा और हम कैसे राज करेंगे। जब तक राज नहीं होगा, तब तक हम जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं। ऐसी भावना दिल के अन्दर आ गई है। इसलिए जब भी हम यहां पर चुनकर आते हैं, तो पावर के लिए सोचते हैं, चाहे 15 पार्टीज को साथ बैठाकर पावर मिल जाए या सब को साथ ले लो, लेकिन पावर चाहिए। किसी को मुखिया बनाकर चार महीने के लिए बैठा दो और फिर दूसरे को मुखिया बना कर 15 महीने के लिए बैठा दो तथा फिर नीचे उतार दो। इसका मतलब यह हो गया कि राजनीति एक खेल हो गया है और यह खेल किसके साथ ... (व्यवधान) ऐसी हालत में उस समय राष्ट्रपति जी ने एक बड़ी पार्टी के रूप में सरकार बनाने के लिए हम लोगों को बुलाया। हम लोगों की 193 की संख्या थी और एक विचारधारा के लोग थे। आप पन्द्रह पार्टियां हैं, बीच में सी.पी.एम. वाले हैं और यहां पर कांग्रेस वाले हैं। मैं उस दिन बात कर रहा था, मा. आजाद वे सदन में नहीं हैं, हम को बोलते हैं कि सेंटर में रखा है। मैंने कहा, सेंटर में क्यों आए हैं, आपको नहीं आना चाहिए था। एक तो उस तरफ रहना चाहिए और नहीं तो इस तरफ रहना चाहिए। दोनों जगह छोड़कर आपने सेंटर की जगह पसन्द की है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। राजनीति में ऐसा होता है, यह खेल खेला जाता है। लगा कि भा.ज.पा. वाले तो डर गए और आप लोगों के दिल में यह

भावना है कि यदि हमारा राज नहीं आएगा और चुनाव होने के बाद भा.ज.पा. होगी, तो भविष्य में हमें कभी भी राज करने का मौका नहीं मिलेगा। यह सब से बड़ा डर आप लोगों के दिल में है। इसलिए सदन में इस ढंग से बात कही जा रही है और इस कारण से देश की राजनीति में ऐसा हुआ है। यह डर निकाल दो कि कौन सैक्युलर हो सकता है और कौन नॉन-सैक्युलर हो सकता है।

इस देश में जो पैदा हुआ है वह इस देश का नागरिक है। यदि आपके दिल में यह भावना है कि यह हमारा है तो यह सेक्युलर है, हिन्दू है, मुसलमान है, ईसाई है तो आप सब को तोड़-फोड़ करके अलग करते हो और अपना राज चलाने की कोशिश करते हो। फिर जनता के बारे में कौन सोचेगा? 50 साल हो गए,

[अनुवाद]

इस वर्ष हम अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती का वर्ष मना रहे हैं।

[हिन्दी]

आप कौन से ढंग से करने वाले हैं? क्या इस ढंग से करने वाले हैं - सरकार को मिटा दो, गिरा दो। यह क्या धंधा हो गया है? यह हमारे देश की पूरी जनता एक है, हम कौन से ढंग से खेल खेल रहे हैं। हम किस ढंग से और किस के साथ खेल रहे हैं। यह खेल आपका आपस में नहीं हो रहा है। इसमें जान किस की जा रही है, जनता की जान जा रही है। उसके बारे में कोई डिजीजन नहीं है।

महोदय, अर्थ संकल्प को इस सदन में पेश किया गया है। उसके बारे में बहस करनी चाहिए थी। इसके अंदर यदि कुछ परिवर्तन करना था तो वह परिवर्तन हमें करना चाहिए था। उसके अंदर कुछ सुझाव देने थे तो वे सुझाव देने चाहिए थे। मेरा कहना यह है कि कम से कम अर्थ संकल्प को पूरा होने के बाद, 9-10 मई तक यह हाउस चलने वाला था, आप अगर नोटिस देते और कहते कि इस शासन की ये तीन-चार वजह है जिससे हम सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो हम समझ सकते थे। केवल किसी एक के दिल में ऐसा आ गया और बाद में सभी लोग इकट्ठे हो जाएं और एक आवाज से रोना चालू कर दें कि हम सब एक हैं, जब बाहर मिलते हैं तो कहते हैं कि हम क्या करें, हमें फंसाया गया। हमें किसी ने बोला नहीं, हम चुनाव में जाने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। अगर ये लोग बोलेंगे तो मैं इनका नाम भी ले लूंगा कि कौन ऐसे बोलते थे।

यहां गैस कनेक्शन और टेलीफोन का सवाल आ गया। मैंने यह सवाल यहां पर पूछा तो इस सदन में हमारे एक सांसद मित्र

[श्री मधुकर सरपोतदार]

ने खड़े होकर मेरी सहायता नहीं की और बाद में 400 सांसद स्पीकर महोदय के पास जाकर अर्जी दे आए कि हमें गैस कनेक्शन और टेलीफोन चाहिए। वे यहां क्यों नहीं बोलते? यह हाउस किसके लिए है, आपको लोगों ने चुन कर भेजा है। आपके दिल में यदि किसी का कोई डर नहीं है और जो कुछ करना चाहते हो, सच्चाई के साथ जाना चाहते हो तो यहां दिल खोल कर बोलो, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। पता नहीं सोमनाथ जी को क्या हो गया कि उन्होंने यह पसन्द कर लिया कि हम बाहर रह कर सपोर्ट करेंगे और अगर ये नहीं मानेंगे तो धक्का मारेंगे। यह रिमोट कंट्रोल की बात करते हैं। यहां भी रिमोट कंट्रोल की बात करते हैं। यहां भी रिमोट कंट्रोल रहता है। ... (व्यवधान) हमारे यहां है, हमने देखा है। हम लोग तो मानते हैं कि हम लोगों ने यह नीति स्वीकार कर ली है। ऐसा नहीं है कि मुंह के ऊपर एक बात करते हैं और हकीकत में दूसरी बात है। अगर आप आज तक की देश की राजनीति देखेंगे तो रिमोट कंट्रोल का राज चलता आया है। क्या नेहरु जी का रिमोट कंट्रोल नहीं था? इंदिरा गांधी जी का रिमोट कंट्रोल नहीं था? यहां पर राव जी बैठे थे तो क्या उनका रिमोट कंट्रोल नहीं था? यदि नहीं था तो आप खड़े होकर बोलिए कि नहीं था। मैं आपसे सवाल पूछता हूं आप जवाब दीजिए। ... (व्यवधान)

महोदय, अगर कोई भी पार्टी के अंदर आखिरी स्थिति होती है तो वह रिमोट कंट्रोल की होती है। आज रिमोट कंट्रोल की स्थिति है, चाहे सीताराम केसरी जी बैठे हों। मैं आज बोलना चाहता हूं कि जो कुछ सूत्र-संचालन चल रहा है वह लोक सभा से नहीं, राज्य सभा से चल रहा है। जरा गौर से सोचिए, मैंने समझा था कि देवेगौड़ा जी लोगों के सामने जाएंगे और लोक सभा का सदस्य बन कर आएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वह राज्य सभा में गए। आज इन्द्र कुमार गुजराल जी का नाम लिया गया, यह भी राज्य सभा वाले हैं। क्या इन लोगों ने ऐसी कुछ कांसपिरेसी की है कि यहां लाना है तो सिर्फ राज्य सभा का सदस्य ही लाकर रखना है और जो राज्य सभा वाले बोलेंगे वह हम करेंगे। यदि ऐसी भावना है तो यह नीति के विरोध में है, रिमोट कंट्रोल के अंदर आप सब लोग काम करने वाले हैं। आपके दिल में यह आशंका है कि यदि आज हम कुछ अपोज करेंगे तो शायद हमें लोक सभा का टिकट अगली बार नहीं मिलेगा, यह डर और आशंका है। हमारे दिल में ऐसा कोई डर नहीं है। हम अपनी पार्टी के साथ ईमानदारी रखते हैं और इसी ढंग से इस राजनीति का खेल कर रहे हैं। ... (व्यवधान) हम लोगों से बार-बार पूछा गया कि आप देवेगौड़ा को सपोर्ट करेंगे तो मैंने उनको जवाब दिया कि एक तरफ 142 कांग्रेस वाले हैं दूसरी तरफ बी.जे.पी. के 160 लोग हैं, इन 300 लोगों का यह कहना है कि हम अपोज करने वाले हैं।

तो हमारी छोटी पार्टी है, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज बी.जे.पी. ने कुछ कहा भी नहीं है फिर भी सोमनाथ जी बोलते हैं कि बी.जे.पी. और कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने वाले हैं। कितनी बड़ी आशंका उनके मन में है। फिर अपने लिए कहते हैं कि एक होकर काम करेंगे। मेरा कहना यह है कि पहले एक दूसरे पर विश्वास करना उन्हें सीखना चाहिए। उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। हम विश्वास से काम करते हैं। यदि हमारे दिल के अंदर ऐसी बात होती तो हम पहले ही बोलते। उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने कहा था कि यदि आप, आप यहां से बहिर्गमन करोगे तो हम शायद सहायता नहीं करेंगे। मेरा मानना यह है कि हमारे दिल में जो भावना हो उसे कह देने से नुकसान नहीं होता है। यदि हम चोरी-छिपे मिले और कोई चपला हो जाए और फिर हम जनता को ब्लैम करें तो यह कौनसा तरीका है राज चलाने का, यह मैं पूछना चाहता हूं। ऐसे हालात के अंदर यहां पर बहुत कुछ बोला गया है। यहां पर इंद्रजीत गुप्ता और शरद पवार बोले थे, और भी बहुत सारे लोग बोले थे। ये लोग 28 मई और 11 जून दो दिन बोले थे। रामविलास जी आपने भी कुछ कहा था लेकिन रेल मंत्री बनने के बाद आपने सबको खुश करने का काम किया है। आप महाराष्ट्र की तरफ देखने की बात तो कहते हैं लेकिन देखते नहीं हैं, यह एक हकीकत है और आप हंसकर बात करते हैं यह भी एक हकीकत है। हम इसमें ही खुश हैं। आप रोएंगे तो हमें दुख होगा। आज अगर आपको रोने का समय आएगा तो हम आपकी सहायता करेंगे, ऐसा नहीं सोचना राजनीति में। राजनीति में काम करना है तो उसी ढंग से करो जो जनता के लिए अच्छा हो, जो गरीबों के लिए अच्छा हो, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए अच्छा हो। आपको केवल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि माइनोरिटी या एस.टी.एस.सी. के लिए हो। हमें, एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से लड़ाई करें, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। यदि आप मुसलमान के हितों के लिए झगड़ते हो तो मैं आपका स्वागत करता हूं लेकिन जो आई.एस.आई. की गतिविधियां हैं, जो बम विस्फोट हो रहे हैं जिसमें बेकसूर लोग मारे जाते हैं उनका निषेध करने के लिए बनातवाला जी आपको आगे आना चाहिए, यही हमारा इस बारे में कहना है और यही हमारा दुःख भी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री मधुकर सरपोतदार : जी हां। मैं समाप्त करने वाला हूं।

[हिन्दी]

आपने मुझे थोड़ा समय और दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस ढंग से हम राजनीति चलाएंगे तो यह ठीक

होगा। यह कोई आपके दुश्मन नहीं हैं। हमारे यहां अनेक धर्मों के लोग हैं। हमारे यहां मुसलमान हैं, ईसाई हैं तथा सब जाति के लोग हैं। हम सभी चुनकर आए हैं। आप यह क्यों समझते हैं कि हम साम्प्रदायिक हैं और आप सेक्यूलर हैं। अगर हम लोग साम्प्रदायिक हैं तो आप लोग भी साम्प्रदायिक हैं। आज हर व्यक्ति अपनी जाति लेकर आगे बढ़ता है। ऊपर से कहता है कि हम ही केवल साम्प्रदायिक हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सी साम्प्रदायिकता है। अगर बोलना है तो दिल खोलकर बात करो। हम जाति या प्रांत की बात नहीं करते, हम तो कहते हैं कि इस देश के खिलाफ काम करने वाला जो कोई होगा वह हमारा दुश्मन होगा और उसे किसी को भी माफ नहीं करना चाहिए। चाहे वह बम विस्फोट में पकड़ा गया हो या आई.एस.आई. वाला हो या अन्य कोई देश के खिलाफ बात करने वाला हो। जो हमारे देश में खतरा पैदा करना चाहते हैं वे हमारे दुश्मन हैं, हमें इस ढंग से देखना चाहिए। आज संयुक्त मोर्चा वाले सबक सीखे हैं। ... (व्यवधान) मैंने 11 जून को बात कही थी। मैंने इसी हाउस में कहा था और उसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ। ... (व्यवधान) अगर आप किताबें पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा ना। जरा गौर से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। पढ़ोगे नहीं तो पता नहीं लगने वाला है। यहां पर बिना पढ़े भी बात करने वाले लोग मौजूद हैं। वे लोग अंदाजे में अपनी बात कहते हैं। मैंने कहा था कि "संयुक्त मोर्चा वालो, आप खुशी से राज करो, लेकिन इनसे बचकर रहो।" यह मैंने उस समय बोला था। क्या यह बात मैंने सही नहीं कही थी? चन्द्रशेखर जी यहां से चले गये हैं। उनको अनुभव हो चुका है। चरणसिंह जी अब नहीं रहे हैं उन्होंने इनका अनुभव लिया था।

अपराह्न 4.00 बजे

बहुत सारे अनुभवी लोग यहां हैं। कांशी राम जी भी हैं। उन्होंने कांग्रेस के साथ एलायंस करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा। उन्होंने कांग्रेस वालों से कहा था कि अगर यूनाइटेड फ्रंट वाले इसमें आपकी सहायता नहीं करते तो आप समर्थन वापस ले लो लेकिन इन्होंने उसे सुना नहीं और वे सुनेंगे भी नहीं ... (व्यवधान)

यहां महिला रिजर्वेशन की बात होती है। मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यदि किसी ने विरोध किया था तो यूनाइटेड फ्रंट वालों ने ही उसका विरोध किया था। ऐसा विरोध इसलिए किया गया कि मुलायम सिंह जी ऐसा नहीं चाहते थे। मुलायम सिंह जी को क्या अच्छा लगता है, वह आप यहां करते हैं। देश में मुलायम सिंह जी को क्या अच्छा लगता है, सरपोतदार को क्या अच्छा लगता है, वाजपेयी जी को क्या अच्छा लगता है, यह नहीं देखना चाहिए। देश के लिए क्या अच्छा लगता है, वह देखना चाहिए, लेकिन वह आपने नहीं किया। आखिर में बी.जे.पी. और शिव सेना को इसमें कुछ काम करना पड़ा। आप कहते हैं कि कांशी राम

जी को हमने फंसा लिया। आप लोगों ने तो पन्द्रह पार्टियों को फंसा लिया। सबसे बड़ी बात भरोसे की होती है। आपने किसी अन्य को यह हक नहीं दिया। आप यह अन्याय नहीं कर सकते। मैं कांग्रेस वालों को बताना चाहता हूँ कि हमें पता है कि आप लोग चुनाव का सामना करने से डरते हैं। आप चुनावों के बारे में फैसला नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि कोई अन्दरूनी अरेजमेंट हो जाएगा। मुझे अभी भी उम्मीद है।

[अनुवाद]

"हम चुनावों की घोषणा नहीं करने वाले हैं। हम माननीय राष्ट्रपति जी के पास जाकर उन्हें यह नहीं कहने वाले हैं कि सदन को भंग करें और चुनाव करवाएं।"

अपराह्न 4.01 बजे

[कर्नल राव रामसिंह पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

यदि ऐसा होगा तो हम उसका स्वागत करेंगे और जरूर स्वागत करेंगे लेकिन ऐसा नहीं होगा। कुछ न कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कोई अंधेरे में बैठेगा, कोई कमरे में बैठेगा, कोई कोने में बैठेगा, उसका कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा चाहे तो गुजराल जी प्रधान मंत्री बने या पासवान जी बनें। यदि पासवान जी प्रधान मंत्री बनते हैं तो हम जरूर काम में उनकी सहायता करेंगे लेकिन वह केवल हंस कर न देखें, थोड़ा काम भी करें, बहुत अच्छा मौका है। मुझे पता नहीं आज शाम सात बजे क्या होने वाला है। हर व्यक्ति अपनी-अपनी ओपिनियन यहां एक्सप्रेस करेगा। मैं इस हाउस में यह कहना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत भाग्यवान हैं। मैंने इस बारे में अटल जी से बात की थी और उनसे कहा कि हम इसलिए भाग्यवान हैं कि हम पहली बार इस लोक सभा में आए और हमें तीन बार विश्वास प्रस्ताव पर वोटों का मुकाबला करने का मौका मिला। यहां बहुत से सांसदों को बहुत वर्षों का अनुभव है। हमें इन्द्रजीत जी, सोमनाथ जी, चन्द्रशेखर जी, सोमनाथ जी और अटल जी के साथ बैठने का मौका मिला। वे 30-40 साल से यहां हैं। ये लोग कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, क्या रणनीति बनाते हैं, क्या राजनीति करते हैं, ये सब देखने का हमें अच्छा मौका मिला।

हमें यहां एक बात सुनने का बार-बार मौका मिला। कभी भी कोई भी फैसला होता है तो सोमनाथ जी पहली बात यह करते हैं कि 6 दिसम्बर 1992 को बाबरी ढांचा गिरा दिया। यह ऐसे बात करते हैं जैसे इनके ऊपर किसी ने कुछ गिरा दिया। यह कौन

[श्री मधुकर सरपोतदार]

सा तरीका है? बाबरी मस्जिद को मुसलमान भूल गए। बहुत सारे मुसलमानों को बाबरी मस्जिद का पता नहीं है और वे इसको भूल गए लेकिन सोमनाथ जी इसे भूलना नहीं चाहते। इसको लेकर उनके दिल को बहुत गहरा दुख पहुंचा है। वह जब तक दूर नहीं होता, तब तक वह ऐसा बोलते रहेंगे। आचार्य जी, आप उनको समझाइए। आप उनको समझा सकते हैं। वह जमाना पीछे गया। आगे क्या होगा, वे देखेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम वह दिन कैसे भूल सकते हैं?

श्री मधुकर सरपोतदार : हम देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है? आपके जैसे समझदार लोग इस हाउस में आएंगे तो उस फैसले के बारे में कुछ न कुछ रास्ता निकाला जा सकता है। आप दिल खुला रख कर आ जाओ। सैकुलर के ढंग से नहीं आना। कोई सैकुलर नहीं है। हर इन्सान अपनी जात लेकर पैदा हुआ है और कोई अपनी जात छोड़ना नहीं चाहता, मैं भी नहीं छोड़ना चाहता। हम जात के लिए काम नहीं करेंगे, हम देश के लिए काम करेंगे, यह हमारा नारा है। आप मंडल की बात करते हैं। श्रीमान बाल ठाकरे जी ने उस समय कहा था कि जिस के लिए मंडल लाना चाहते हो, उस गरीब का ख्याल करो, पावर्टी लाइन को देखो और उसके नीचे जो लोग रहते हैं चाहे वे किसी जाति के हों, उनका आप ख्याल रखो, वह चाहे मुसलमान ही क्यों न हों। इसके बावजूद भी हमें कोई समझने की कोशिश नहीं करता। साम्प्रदायिक कह कर हमारे ऊपर ठप्पा लगाया और इसको लेकर दबाने का काम किया जाता है। आप सब को ऐसी बात कहते हो। देश की जनता जाग उठी है, पूरे ढंग से जाग उठी है।

आप लोगों ने दस महीने में जो कुछ किया उसके कारण यह दो विश्वास मतों के स्थान पर आज तीसरा विश्वास मत भी आ गया। आज आपने जो बात कही है, वह सारे देश की जनता से न केवल सुनी है बल्कि देखी भी है। जब आप लोग निर्वाचन क्षेत्र में जायेंगे तो वे आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया। यदि हमें पूछेंगे तो हम जरूर कहेंगे कि हमने कोई मुसीबत खड़ी नहीं की। श्री देवेगौड़ा सरकार आज नहीं तो कल गिर जायेगी, इसके लिये हमने कोई कोशिश नहीं की। हम तो सदा उनके अच्छे काम में सराहना करते रहे हैं। श्री देवेगौड़ा साहब की गलती श्री बाल ठाकरे से मुलाकात बताई गई और कहा गया श्री बाल ठाकरे साम्प्रदायिक हैं, उनसे मिलकर गलती की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उससे क्या आसमान गिर गया? क्या स्व. इन्दिरा गांधी श्री बाल ठाकरे से नहीं मिली थीं? अभी नागपुर में अध्यक्ष पद के लिये कांग्रेस द्वारा शिव सेना की सहायता करने की बात की गई। आप नागपुर वाले लोगों से पूछिये कि क्या यह वास्तविकता नहीं है? आप हर व्यक्ति से पूछिये कि क्या हम साम्प्रदायिक हैं।

ऐसा कोई व्यक्ति कांग्रेस में नहीं है जो हमसे न मिला हो लेकिन उन्होंने साम्प्रदायिकता को देखकर अपना काम देखा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये गांधी जी का बहुत नाम लेते हैं जिनका स्टैचू बाहर धूप और पानी में बैठा रखा है और रात-दिन वहीं पर रहता है लेकिन उनके नाम लेने वाले लोग आज क्या कर रहे हैं। आज जो भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या वह गांधी जी को मंजूर था, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप गांधी जी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि हमारी पार्टी में रहो, भ्रष्टाचार करो, चाहे जितनी सम्पत्ति जमा करो, सुबह-शाम चोरी करो लेकिन गांधी जी का नाम लेते रहो। यह कौन सी अच्छी बात है? राजनीति में भाग लेने वाले हर व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूँ कि आप स्वयं को देखो कि क्या कर रहे हो - एक-दूसरे का गला काट रहे हो। श्री जेना पार्लियामेंटरी मिनिस्टर हैं। वे बहुत से बिल पास कराते रहते हैं। ठीक है, उनका आपका काम है कि हंस-हंसकर बात करो और काम निकाल लो। यह बहुत अच्छी राजनीति है लेकिन लोहिया की राजनीति नहीं है। यहां श्री मुलायम सिंह हैं, श्री बेनी प्रसाद वर्मा हैं, उनको देखने से पता चलता है क्योंकि पहचान तो देखने से होती है।

हमारे देश में अनेक लोहियावादी रहें हैं जिनमें श्री राम विलास पासवान भी हैं। यदि वे आगे बढ़ना चाहते हैं तो सब को साथ लेकर आगे बढ़े ऐसा नहीं कि दलितों को आगे बढ़ाने की बात करें। हमारे देश में पिछले 50 साल से कांग्रेस के राज में देश की जनता दलित बन गई है। आप इस सारे दलित जनता का नेता बनो ... (व्यवधान) जहां तक बी.जे.पी. का सवाल है, वे दो थे, 36 हो गये और आज 162 पर पहुंच गये हैं लेकिन आगे जाकर 260 भी बनेंगे। हम गलत रास्ते पर जाकर कैसे बनेंगे। उनका रास्ता सीधा है, फंसाने का रास्ता नहीं है जबकि आपकी फंसाने की राजनीति है। यदि इस फंसाने की राजनीति को छोड़ दोगे तो आप अच्छे रास्ते पर आ जायेंगे।

सभापति महोदय, मैं श्री इन्द्रजीत गुप्ता जी का बहुत ही सम्मान करता हूँ। उनके पास जो भी सहायता लेने के लिये गये, उन्होंने बड़े गौर से सुना और उसकी सहायता की। हम ऐसे लोग चाहते हैं जिनकी कथनी करनी में फर्क न हों। हम तो आप जैसा गृह मंत्री चाहते हैं। आप सब जगह इस ढंग से जाते हो। आप देश के गृह मंत्री बनकर रहो, देश को संभालो ... (व्यवधान)

मैंने शुरू में कह दिया कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। इसलिये कहा कि कहीं बाद में भूल न जाऊं लेकिन यहां पर श्री प्रिय रंजन दास मुंशी ने ऐसा नहीं कहा कि वे इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। उन्होंने तो सब दोस्तों पर छोड़ दिया और इन्होंने बहुत बड़ी बात की है। पूरे हाउस को गुमराह करने की कोशिश की है कि कांग्रेस ने कौन-कौन से

अच्छे काम किया हैं और बहुत अच्छे लफ्जों में बात की है। हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप ऐसा मौका भविष्य में किसी को न दीजिए। यदि काम करना है तो बिना धोखे के करो, हिम्मत से साथ दो। धोखा देना है तो पहले से मत दो। महिला आरक्षण विधेयक के पास होने की अभी तो गुंजाइश नहीं है, अगली बार देखेंगे। जेना जी तो महिला आरक्षण विधेयक के बारे में कामयाब हो गए। एक तरफ से मुलायम सिंह जी बोलते थे, दूसरी तरफ से देवेगौड़ा जी बोलते थे और तीसरी तरफ से गीता मुखर्जी जी बोलती थीं। इस उम्र में भी वह इतना दौड़ती थीं जिससे मैं समझता था कि इतनी बड़ी उम्र होने के बावजूद वे महिलाओं के सम्मान के लिए भाग दौड़ कर रहीं हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं। आखिर जो कुछ होना था, हो गया। देवेगौड़ा जी के बहुत अच्छा काम करने के बाद आपको क्या मिला? आपने सबके साथ हंसकर काम किया, खुश करने का काम किया, लेकिन इनको शायद आपने पहचाना नहीं, तभी आपको धोखा हो गया। भविष्य में राजनीति में जो कुछ आप करेंगे, उस समय हमारा साथ देने वाले लोग कौन हैं, उनका कहना क्या है और हकीकत में क्या करना है, इसको ठीक आजमा लो और इस पर निर्णय ले लें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको तथा पूरे सदन को धन्यवाद देता हूँ और इस प्रस्ताव का फिर से विरोध करता हूँ।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : सभापति जी, दस महीने के बाद यह सरकार एक बार फिर से देवेगौड़ा जी के नेतृत्व में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए इस सदन में आई है। हमें पूरा विश्वास है कि यह सदन इस विश्वास मत के पक्ष में अपना मतदान करेगा।

सभापति जी, हमारे जैसे गरीब परिवार में पैदा हुए लोग कभी नहीं सोचते थे कि हम कभी एक गांव के भी मुखिया बनेंगे, लेकिन यह प्रजातंत्र है जिसमें आज एक गरीब घर का बेटा राम विलास पासवान देश का रेल मंत्री बन जाता है और देवेगौड़ा जैसा गरीब किसान का बेटा देश का प्रधान मंत्री बन जाता है। यह सब प्रजातंत्र की देन है। जो काम हम कर रहे हैं, हम नहीं सोचते कि उससे प्रजातंत्र की नींव कमजोर हो रही है या मजबूत हो रही है। हम लोग यहां 1977 से आए हैं। जब 1977 में मैं आया था तो उसके ढाई साल बाद चुनावों में जाना पड़ा। 1989 में हम आए तो फिर 15 महीने बाद चुनावों में जाना पड़ा और आज जो नीबट आई है, जिस तरह की राजनीति चल रही है, कहीं फिर से चुनावों में न जाना पड़े। मैं अपने साथियों को कहते हुए सुनता हूँ कि अभी तो पिछला कर्जा सधा नहीं है, आगे का क्या होगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत करने का काम हम कर रहे हैं या प्रजातंत्र की जड़ें कमजोर करने का काम कर

रहे हैं? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भले ही दस महीने मुझे रेल मंत्री बने हो गए हैं पर आज भी कोई रेल मंत्री कहकर पुकारता है तो मुझे लगता है कि शायद जाफर शरीफ साहब या कलमाड़ी साहब को पुकारता होगा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं रेल मंत्री हूँ और किसी बहुत बड़ी सरकार में हूँ जिसको भारत सरकार कहा जाता है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे ऊपर जो दायित्व है, उसको पूरा करने का काम करें। सरकार रहे या जाए, हमने बार-बार यही कहा है। हम कुछ दिन पहले गया गए थे, हमारे सब साथी यहां मौजूद हैं। राजनीतिक जीवन में जो विकास का काम होता है, जो सरकार का काम होता है, हमने कभी उसमें पार्टी को नहीं देखा है।

हमारी सरकार ने नहीं देखा है, देवेगौड़ा जी ने नहीं देखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे किसी भी पोलिटिकल पार्टी का नेता या कार्यकर्ता हो, यदि वह यह कहे कि इस सरकार ने कभी दलीय भावना से काम किया है तो हम आपके सामने नतमस्तक होने के लिए तैयार हैं और मुझे इसके लिए गर्व है। आज जब हम बात करते हैं तो तमाम पार्टी के सांसद बोलते नहीं हैं लेकिन उनकी आंखों में आंसू हैं, वे जाना नहीं चाहते हैं लेकिन मजबूर हो रहे हैं। लेकिन यह परिस्थिति पैदा की गई है, कि कारण से पैदा की गई, यह आज पूरे के पूरे मुल्क में टेलीकास्ट हो रहा है, देश में ही नहीं विदेश में भी टेलीकास्ट हो रहा है। पूरा का पूरा देश और विदेश यह जानना चाहते हैं कि देश के ऊपर यह संकट क्यों आया है? संतोष मोहन देव कभी हमने यह कहा कि हम यहां परमानेंट बैठने के लिए आये हैं। हम गया में गये हुए थे, रांची में गये हुए थे, अखबारवालों ने हमसे पूछा कि यह सरकार कितने दिन रहेगी। हमने कहा कि मुझे मालूम नहीं है, चूंकि हमारी मेम्योरिटी नहीं है। क्रिकेट का खेल चल रहा था, मैंने कहा कि क्रिकेट में दो तरह का खेल होता है, एक वन डे मैच होता है और एक फाइव डे मैच होता है। हमें नहीं मालूम कि हम वन डे मैच खेल रहे हैं या फाइव डे मैच खेल रहे हैं। मेरा काम है रन बनाना, हम विकेट बचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम जनता का काम करेंगे। हमारी सरकार जाती है तो जाने दो, लेकिन उसके लिए हमें कोई गम नहीं होगा। गम हमें उस दिन होगा जिस दिन हम कुर्सी से चिपके रहेंगे और हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे। सरकार जाती है या नहीं जाती है यह चीज बड़ी नहीं है, सबसे ज्यादा हमें दुख यह है कि तीसरा विश्वास मत है। अभी हमारे भाई अजीत सिंह जी नहीं हैं, अभी दो बार चुनाव से होकर आये हैं और फिर तीसरी बार चुनाव में जाना पड़ेगा। एक साल में तीन बार चुनाव अर्थात् हर चार महीने के बाद चुनाव हो रहे हैं। गरीब आदमी कहां से पैसा लायेगा और यदि उसके पास पैसा नहीं है तो क्या बाहर से पैसा लायेगा और यदि बाहर से पैसा लायेगा तो क्या वह गरीब की वकालत कर पायेगा, क्या कभी यह सोचने का हमने काम किया है।

[श्री रामविलास पासवान]

सभापति जी, हम लोग राजनीति में आये हैं, राजनीति किसके लिए होती है। मैं इस बात को मानता हूँ कि कोई आदमी कहता है पावर-पावर। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि पोलिटिक्स में पावर होती है, मैं यह भी जानता हूँ यहां कोई सन्यासियों की जमात नहीं है और मैं यह भी जानता हूँ कि पावर एक तलवार के समान है, उस तलवार के प्रयोग से अपनी गरदन भी कट सकती है और दुश्मन की गरदन भी कट सकती है। पावर का उपयोग आप किसके लिए करते हैं, यही सबसे बड़ी चीज होती है। इसलिए पावर अपने आपमें कोई बुरी चीज नहीं है लेकिन पावर का उपयोग आप किसके लिए करना चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। हम बार-बार कहते हैं कि राष्ट्र का हित सबसे ऊपर है, उसके बाद पार्टी का हित है और उसके बाद व्यक्ति का हित होता है और होना भी यही चाहिए कि राष्ट्र हित सबसे ऊपर, उसके बाद पार्टी का हित और उसके बाद व्यक्ति का हित। लेकिन जब-जब इस देश में या संसार के मुल्कों के जिस हिस्से में व्यक्ति का हित सबसे ऊपर आ जाता है और राष्ट्र का हित सबसे नीचे आ जाता है, वह देश कभी तरक्की नहीं कर पाता है। हमें आज यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि जब हम देखते हैं कि यहां पर्सनेलिटी कल्ट चलता है, पर्सनेलिटी कल्ट कहां चलता है, यह एशियन देशों में सबसे ज्यादा चलता है। आप अमरीका में चले जाइये, अमरीका में हमने राष्ट्रपति को देखा है, वहां कितने राष्ट्रपति बने, कितने प्रधान मंत्री बने। ब्रिटेन में कितने प्रधान मंत्री बने हैं, लेकिन पर्सनेलिटी कल्ट सबसे ज्यादा एशियन कंट्रीज में चलता है, कहीं-न कहीं एरिस्टोक्रैटिक माइंड है, कहीं न कहीं हम व्यक्तिगत भावना से ओत-प्रोत रहते हैं। जसवंत सिंह जी ने ठीक कहा कि जब कोई डिंजीन आप राष्ट्र हित में नहीं रखते हैं और व्यक्ति के आधार पर जजमेंट लेने का काम करेंगे तो वह उचित नहीं होगा। इसके बारे में एक कहावत है कि यदि शेर का लीडर गीदड़ या भेड़ का बना दीजिए तो वह युद्ध जीता लेता है लेकिन अगर शेर का लीडर भेड़ को बना दीजिए तो वह सबको ले जाकर कुएं में डुबो देने का काम करता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह देश का दुर्भाग्य यहां आज आया है। देश का प्राइम मिनिस्टर क्या कोई मजाक होता है, यह नेता का पद है, पार्टी क्या चीज है। जब मन में आये नेता बदल दो, जब मन हो प्रधान मंत्री को बदल दो। देवेगौड़ा जी प्रधान मंत्री हैं, यूनाइटेड फ्रंट के लीडर हैं। राजेश पायलट जी यहां बैठे हुए हैं, नरसिंहराव जी बैठे हुए हैं, कोई नेता है जो यह कहे कि देवेगौड़ा जी के खिलाफ कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी यह कहना कि देवेगौड़ा को बदला जाना चाहिए, नेता को बदला जाना चाहिए, क्यों बदला जाना चाहिए। कभी हम लोगों ने मंडल कमीशन लागू किया था। हम जसवंत सिंह जी से सहमत हैं, उन्होंने कहा था कि मतभेद होता है।

आइडियौलीजकल मतभेद है। हमारा बी.जे.पी. से मतभेद है। उनका हम से मतभेद है। न वे हमसे छिपाते हैं और न हम उनसे छिपाते हैं। हमारा कहीं भी व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। हमने जब मंडल कमीशन लागू करने की बात की, तो हमने उनसे कुछ नहीं छिपाया, उन्होंने हमसे नहीं छिपाया और हमारी सरकार चली गई। कहा गया नरसिंह राव जी को बदलो। बाबरी मस्जिद के बाद, नरसिंह राव जी को बदलने की बात कही गई। क्या कभी नेता बदला? यदि आपको हमारी सरकार गिरानी थी, पार्लियामेंट चल रही थी, आप प्रेसीडेंट के बेस पर सरकार को गिराने का काम कर सकते थे। अभी 21 अप्रैल को पार्लियामेंट फिर चलने वाली थी। हमने नहीं कहा कि हम बहुमत में हैं। आप जिस दिन चाहते, उस दिन अपना समर्थन वापस ले लेते।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह तो वही बात हो गई जैसा कहा जाता है कि "पीने वालों को तो पीने का बहाना चाहिए" कोई न कोई बहाना आपको बूढ़ना था, वह आपने बूढ़ ही लिया। इसके लिए हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। यदि इस देश को आप फिर चुनाव में ले जाना चाहते हैं, इस देश के ऊपर आप आर्थिक संकट लाना चाहते हैं, तो हमें कुछ नहीं कहना है। कांग्रेस में 90 प्रतिशत सांसद ऐसे हैं जो चुनावों में नहीं जाना चाहते हैं। उधर भी 90 प्रतिशत सांसद ऐसे हैं जो चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं और हमारे यहां भी 90 प्रतिशत से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, यदि आप जाना चाहते हैं, तो जाइए। चुनाव में जाना एक अलग चीज है। यदि चुनाव में जाने के लिए हमें फोर्स किया जाएगा, तो हमें जाना पड़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जनता ने हमें पांच साल के लिए भेजा है। इसलिए हम या आप कोई शौक से चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री का पद प्रधान मंत्री का ही होता है। वह देश का नेता होता है। वह देश का प्रधान मंत्री होता है। जब रूस में जाता है, टेलीफोन कर के बात करता है, तो वह कान्फीडेंस से बात करता है। हमें कहां किसको टेलीफोन पर सूचना देनी है यदि वह इन बातों को ध्यान में रखेगा, तो कभी भी देश नहीं चल सकता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप किसी को भी प्रधान मंत्री बना दीजिए, वह देश के मान-सम्मान का प्रतीक है। या किसी को मत बनाइए और फिर ऐसा कीजिए कि पहले से उससे तय कर लीजिए कि आपको हमारे फलों-फलों कार्य करने हैं। यदि आप किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, तो उसका प्रधान मंत्री कोई पार्टी का ही आदमी नहीं होता है, वह देश का प्रधान मंत्री होता है और उसका पूरा-सम्मान होता है। वह जब विदेश में जाता है, तो पूरे कान्फीडेंस से बात करता है और वहां पर पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है।

बचपन से लेकर हम पढ़ते और देखते तथा सुनते चले आए हैं, जब से पं. जवाहर लाल नेहरू विदेश जाते थे, इंदिरा गांधी जी विदेश जाती थी, वी.पी. सिंह विदेश जाते थे या अब देवेगौड़ा विदेश जाते थे कि हमारा प्रधान मंत्री वहां के प्रधान मंत्री से किसी भी प्रकार आत्मविश्वास में और परसनेलिटी में कम नहीं होना चाहिए। यदि भारत के प्रधान मंत्री से रोज यह कहा जाए कि हम आपसे समर्थन वापस लेते हैं, तो क्या उसमें उतना कान्फिडेंस रह सकता है? राजेश पायलट जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, स्वामी जी हमारे अच्छे मित्र हैं। रात में बात करते हैं, दिन में बात करते हैं। क्या किसी को मालूम था, किसी टाप के लीडर को मालूम नहीं था, जितने यहां बैठे हुए हैं, उनको तो मालूम नहीं था कि चिट्ठी लिखी जा रही है समर्थन वापस लेने की। सब लोग अपने-अपने क्षेत्र में घूम रहे थे। शरद पवार मुम्बई में अपने क्षेत्र में घूम रहे थे। ये कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है। मध्य प्रदेश के लोग कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था। किसको जानकारी थी? किसको जानकारी थी। इतना बड़ा डिजीजन ले लिया गया और उसे आप डिफेंड कर रहे हैं। आप आज भी कह दें कि हम क्या करें, गलती हो गयी। नेता का आदेश है इसलिए हमको मानना है तो हम समझ सकते हैं। आप इतना कह दें कि गलती हो गयी और हम इसको सुधार रहे हैं तो यह बात समझ में आ सकती है लेकिन गलती को आप डिफेंड पर डिफेंड करते जा रहे हैं और फिर आप गढ़े हुए मुद्दे को उखाड़ने का काम करते हैं। कभी हम लोगों ने सोचा है, हमारे मंत्रिमंडल के इतने लोग हैं। किसी भी मंत्रिमंडल में हमने कभी पुरानी चीजों को देखने का काम किया है - हमसे अखबार वाले पूछते थे कि क्या हो रहा है? हम भी कहते थे कि क्या हो रहा है, मैं नहीं जानता लेकिन मेरे ऊपर जो दायित्व है, उसका मैं निर्वाह कर रहा हूं। हमने साफ कहा था कि कल क्या हुआ, मैं नहीं जानता। मैं इतना ही जानता हूं कि हम जिस पार्टी से समर्थन ले रहे हैं, वह हमारा अंग है और भविष्य में हम गलत कामों को रोकने का काम करेंगे। हमने कभी किसी मामले में पूर्वाग्रह से काम नहीं किया। लेकिन आश्चर्य लगता है। पूर्वाग्रह क्या होता है? देश ने एक रेफरेंस देने का काम किया था - करप्शन पर। हमको खुशी होती यदि ये हमारे खिलाफ या हमारी सरकार के ऊपर चार्ज लगाते, श्री देवेगौड़ा के ऊपर, श्री राम विलास पासवान के ऊपर या किसी भी मंत्री के ऊपर चार्ज लगाते कि यह मंत्री इस करप्शन के मामले में फंसा हुआ है, इसके ऊपर यह भ्रष्टाचार का आरोप है तो वह बात हम समझ सकते थे। इन 10 महीनों के अंदर इतने प्रश्नों के जवाब हुए, इतने सारे सवाल आये। कोई भी आदमी अंगुली उठाकर यह नहीं कह सकता कि किसी मंत्री पर एक नये पैसे के भ्रष्टाचार का चार्ज लगा हुआ है। इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रही है, सी.बी.आई. अपना काम कर रहा है। सी.बी.आई. किसके घर में रेड नहीं कर रही है? क्या सी.बी.आई.

हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री लालू यादव प्रसाद के यहां नहीं जा रही है? क्या सी.बी.आई. सी.पी.एम. के नेता के घर नहीं गयी? कल्पनाथ राय जी यहां बैठ हुए हैं।

एक इंस्टीट्यूशन है और एक पब्लिक इंटरैस्ट लिटीगेशन खोल दिया गया है। उस पब्लिक इंटरैस्ट लिटीगेशन में किसी के खिलाफ कोई भी मुकदमा कर सकता है और कोर्ट उसकी मानीटरिंग करनी शुरू कर देती है। आप क्या हमसे यह उम्मीद करते हैं कि हम कोर्ट में जाकर इंटरफियर करें? आप हमसे क्या कहना चाहते हैं कि हम सी.बी.आई. में इंटरफियर करने का काम करें। अलग-अलग इंस्टीट्यूशन हैं और हर कोई अपना-अपना काम कर रहा है। आपने शुरू कहां से किया? आपने आईडियोलॉजी के सवाल से शुरू किया। आपने पहले कहा कि हम सरकार बनायेंगे तो कांग्रेस के एम. पीज ने पूछना शुरू कर दिया कि कहां से सरकार बनायेंगे। आपके पास 138 सदस्य हैं, हमारे पास 192 हैं और उनके पास कुल मिलाकर 204 हैं। 204 का एक अलग गोल है और 138 और 192 का अलग गोल है। 138 और 192 के गोल में आप कहते हैं कि हम सरकार बनायेंगे तो किस तरीके से आप सरकार बनायेंगे। आपने क्या सोचा? आपने यह सोचा कि यूनाइटेड फ्रंट कोई चुंचू का मुरब्बा है जिसको एकदम तोड़ देंगे।

पहले दिन जब यूनाइटेड फ्रंट बैठी तो उसने कहा कि

[अनुवाद]

“हम श्री एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़े हैं।”

[हिन्दी]

पहले दिन से हम कह रहे हैं कि हम श्री देवेगौड़ा के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़े हैं। आप कहते हैं कि हम चट्टान को तोड़ना भी जानते हैं। कैसे तोड़ना जानते हैं, हमें नहीं मालूम।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ठीक है। हमारा आपसे मतभेद हो सकता है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो मालूम होता था कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी भाषण देने के लिए आ रहे हैं तो हम स्कूल में बस्ता छोड़-छोड़कर उनके भाषण को सुनने के लिए चले जाते थे। आज उनसे हमारा मतभेद हो जायेगा तो क्या हम अटल बिहारी वाजपेयी को गाली देना शुरू कर देंगे? राजनीति में कुछ तो मर्यादा होनी चाहिए, कुछ तो चीज होनी चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का इतिहास पढ़ते हैं। हम लोग तो कांग्रेस के शुरू से विरोधी रहे हैं। यह कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जब एक कम्युनलिज्म का मुद्दा आया। सच्ची बात तो यह है कि जब इमरजेंसी लगी थी तब हम बी.जे.पी. के साथ थे और हमने जेल में एक साथ रहने का काम किया। श्री वी.पी.

[श्री रामविलास पासवान]

सिंह के समय में जब उनके समर्थन में सरकार बनी तब भी हमें कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन 6 दिसम्बर 1992 को जो घटना घटी। उस घटना की चोट इतनी बड़ी दिल पर लगी कि आज तक हम उसे भूल नहीं पा रहे हैं। उसके मुकाबले जब कभी भी सेक्युलरिज्म का मामला आता है, आप भी सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हैं और हम लोग भी दुहाई देते हैं, फिर भी हम लोग एक फ्रंट पर आने का काम करते हैं लेकिन इसका मतलब क्या है? आप एक तरफ तो यह कह रहे हो कि कल चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की संख्या और बढ़ जायेगी। दूसरी तरफ देश को धकेलकर चुनाव के मोड़ तक ले जाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि नेता बदलो। क्या यह कभी संभव है? मैं आज पार्टी के लीडर की हैसियत से कहना चाहता हूँ कि देवेगौड़ा के नेतृत्व में देश ने आर्थिक प्रगति की है, देवेगौड़ा के नेतृत्व में हमने दस महीने में स्वच्छ प्रशासन देने का काम किया है, एक क्लीन ऐडमिनिस्ट्रेशन देने का काम किया है। देवेगौड़ा के नेतृत्व में कहीं कम्युनल रॉयट्स नहीं हुए, कहीं कास्ट रायट्स नहीं हुए। देवेगौड़ा के नेतृत्व में विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, देवेगौड़ा के नेतृत्व में हमारे पड़ोसी राष्ट्रों में भारत की साख बढ़ी है। देवेगौड़ा जी एक सक्षम प्रधानमंत्री हैं। देवेगौड़ा जी को डिसओन करने का कोई कारण नहीं है। देवेगौड़ा की लीडरशिप में हम जीएंगे, मरेंगे। जो भी करना होगा, हम देवेगौड़ा की लीडरशिप में करेंगे, यह हम आज साफ कहना चाहते हैं। आप किसी भ्रम में मत रहिए। ... (व्यवधान) यदि कोई आईडियोलॉजीकल डिफरेंस होता है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता था, जो भी करना होता आप करते लेकिन कोई आईडियोलॉजीकल डिफरेंस नहीं है, किसी चीज पर भी मतभेद नहीं है।

अभी चंद्र शेखर जी ने हिन्दुस्तान, पाकिस्तान के बारे में कहा। हम प्रति वर्ष रेलवे का बजट पेश करते हैं। हर साल हमको विदेशी कर्ज का सूद चुकाने में 68 हजार करोड़ रुपये देने पड़ते हैं। पूरे देश का बजट 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये का है और उसका एक-तिहाई सूद चुकाने में चला जाता है। क्या उसके लिए देवेगौड़ा जिम्मेदार है? हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का युद्ध आज कैसे-कैसे हो रहा है। आज हमको रूस से या चीन से खतरा नहीं है, किसी मुल्क से खतरा नहीं है। खतरा किससे होता है—हिन्दुस्तान को पाकिस्तान से, पाकिस्तान को हिन्दुस्तान से। युद्ध के लिए दोनों हाथियार खरीदने के लिए पैसा रखते हैं और हाथियार कहां से आते हैं—एक ही देश है जो हिन्दुस्तान को हाथियार देता है और पाकिस्तान को भी देने का काम करता है। आप एक बार फैसला कर लें कि हमें पाकिस्तान को एंटम बन से उड़ा देना है या पाकिस्तान फैसला कर ले कि हिन्दुस्तान को उड़ा देना है—क्या यह कभी संभव है? न सात जन्मों में हम पाकिस्तान को उड़ा सकते हैं और न ही पाकिस्तान सात जन्मों में हिन्दुस्तान को खत्म कर सकता है। एक टैंक को खरीदने में जितना पैसा लगता है, उससे हम सौ स्कूल खोल सकते हैं, सौ अस्पताल खोल सकते

हैं। हमारे गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहां पैसा नहीं है कि हम खेतों में पानी दे सकें, लोगों को शिक्षा दे सकें। हमारे पास इसके लिए पैसा नहीं है कि हम स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सकें लेकिन हम प्रति वर्ष हजारों-करोड़ों रुपये हिन्दुस्तान-पाकिस्तान में युद्ध के नाम पर खर्च करते हैं।

चंद्र शेखर जी ने ठीक कहा कि हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश—तीनों एक ही मां-बाप की संतान हैं। आज यदि पाकिस्तान को कुछ होगा तो वह हिन्दुस्तान को गाली देना शुरू कर देगा और यदि हमें पेट में दर्द होगा तो हम भी पाकिस्तान को गाली देना शुरू कर देंगे। क्या दोनों देशों में दोस्ती का वातावरण तैयार नहीं हो सकता है? अरब-इज़राइल एक हो सकते हैं, पूर्वी जर्मनी-पश्चिमी जर्मनी एक हो सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ एक हो सकती हैं तो क्या हिन्दुस्तान-पाकिस्तान एक नहीं हो सकते। क्या उसके लिए पहल नहीं की जानी चाहिए? जब पहल करने का काम किया गया, चार दिन की इम्पीटेंट बैठक भारत में होने वाली थी, जब हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है तो उसी समय आपने समर्थन वापस लेने का काम किया और ऊपर से आप सेक्युलरिज्म की दुहाई दे रहे हैं। ओमान के सुल्तान यहां आए हुए हैं और आप समर्थन वापिस ले रहे हैं। नैम के 70-80 देशों के विदेश मंत्रियों का 7 और 8 तारीख को सम्मेलन हुआ, वे भारत में आ रहे हैं, आप दो दिन वेट नहीं कर सकते थे। क्या हो रहा था, हमको तो कुछ पता नहीं चल रहा था। क्या हुआ, यदि आप 21 तारीख को पार्लियामेंट खुलने वाली थी, 21 अप्रैल को पार्लियामेंट खुलने वाली थी, 21 तारीख को पार्लियामेंट में आकर यह कहते कि सरकार में हमको विश्वास नहीं है, हम अविश्वास का प्रस्ताव मूव करते हैं तो क्या पहाड़ उलट जाता। हमारे दिमाग में आज तक जो बातें आ रही हैं, यह 30 तारीख की डेट को क्यों चुना गया, 30 मार्च को ही क्यों चुना गया ... (व्यवधान)

श्री चेल्लैया नंदी (सिद्दीपेट) : सरकार को गिराने के लिए मुहूर्त अच्छा था।

श्री राम विलास पासवान : किस चीज का मुहूर्त, किस चीज के लिए था?

इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने क्या गलत काम किया। हमारी सरकार ने यही गलत काम किया कि हमने कश्मीर चुनाव करवा दिये और मुझको इस बात की खुशी है कि चाहे किसी की भी सरकार बने कहीं, चुनाव पंजाब में हुआ, चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन किसी पोलिटिकल पार्टी का कोई आदमी नहीं कह सकता है कि कहीं भी एक नये पैसे का पक्षपात किया, कहीं नहीं किया। जिसकी सरकार बननी थी, डेमोक्रेटिक तकाजा है, जिनकी सरकार जहां बननी थी, वहां

सरकार बन गई, लेकिन जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसको हमने जारी करने का काम किया।

उस तरीके से आज पहली बार मुझको ऐसा अनुभव हो रहा है, जहां-कहीं भी मैं जाता हूं, हमको क्या है, मैं आपको बतलाता हूं, मैं परसो एस्कोर्ट हॉस्पिटल में गया था, बीजू पटनायक जी बहुत बीमार हैं, उनको देखने के लिए गया था, वहां डाक्टर ने घेर लिया। जहां-कहीं जाते हैं, आज चाहे कोई इंटेलेक्चुअल हो, चाहे मीडिया हो, चाहे मिडिलमैन हो, चाहे माइनोरिटी हो, चाहे दलित हो, किसी भी सैक्शन का आदमी आज आप चले जाइये, लोगों से पूछिये, किसी सैक्शन का आदमी आज आपके इस काम से खुश नहीं है। हर आदमी कहता है कि गलत काम हुआ। मुझको पहली बार खुशी है कि राम विलास पासवान को, यूनाइटेड फ्रंट को चुनाव में जाना भी पड़ेगा तो हम दिल को ऊंचा करके जाएंगे, हमने 10 महीने के अन्दर देश के साथ धोखा देने का काम नहीं किया है। समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ हमने न्याय करने का काम किया है। आज हम डिफेंस में नहीं हैं, डिफेंस में वे रहेंगे।

किसी भी चीज को करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता है। नेता की आवश्यकता होती है, इमेज की आवश्यकता होती है, इश्यूज की आवश्यकता होती है। आपके सामने क्या इश्यू है, जनता के सामने क्या इश्यू है, किस इश्यू के ऊपर आप कहेंगे। वहीं इश्यू जो आपने फ्रेम किया है? आज आप क्या इमेज लेकर हम चुनाव के मैदान में जा रहे हैं, क्या लीडरशिप को लेकर चुनाव के मैदान में जा रहे हैं कि साहब हम पर्सनल मामले से चुनाव करवा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आप सब लोग यहां बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं और आप सब लोगों से मैं बार-बार प्रार्थना कर रहा हूं, इसको सोचने का काम कीजिए। गुस्से में जहर खाना बड़ा आसान होता है, लेकिन पांच महल से कूद जायें और कह दें कि हम क्रान्ति कर रहे हैं तो पांच महल से कूदने से सुसाइड होता है, क्रान्ति नहीं होती है। ठीक है, इनको आज फायदा मिल रहा है, बी.जे.पी. को आज फायदा मिल रहा है, हम भले कहें कम्युनल, कम्युनल लेकिन ... (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : ट्रैक्टर से कूदने पर क्या होता है?

श्री राम विलास पासवान : भले आज आप कहिये, कम्युनल, कम्युनल, लेकिन खटमल काटेगा तो क्या शेर को मारिएगा? खटमल जब काटता है तो खटमल को मारा जाता है, शेर को खोजते नहीं फिरा जाता है। इसलिए हम आपसे कहने के लिए आये हैं कि आज देश की जनता ... (व्यवधान)

अभी प्रियंजन दासमुंशी जी ने एक बात कही। प्रियंजन दासमुंशी जी से आपस में हम लोग बहुत मिलते हैं, बात भी करने का काम करते हैं ... (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : खटमल तो हम समझ गये, शेर कौन है?

श्री राम विलास पासवान : हम प्रियंजन दासमुंशी जी से एक ही चीज कहना चाहेंगे कि आप पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, कौन कम्युनल है, कौन सैकुलर है, किसको समर्थन करना चाहिए था, समर्थन नहीं करना चाहिए था। सरपोतदार साहब ने डा. लोहिया की बात ठीक कहीं, हम लोग डा. लोहिया के उतने ही अनुयायी हैं, जितना कोई दूसरा आदमी अनुयायी है। हम सब लोग एक साथ रहे हैं। सोशलिज्म का पाठ भी हमने किसी से कम सीखने का काम नहीं किया है। लेकिन हम आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि यह जो लड़ाई है, इसमें यदि आप देखेंगे तो हर चीज में कहीं न कहीं राष्ट्रीय हित का सवाल है, उसको भी देखने का काम करना पड़ेगा। आप एक ही लाइन में मुलायम सिंह जी को एक तरफ कह देते हैं कि वे सेकुलर हैं और दूसरी तरफ कह देते हैं कि फलां आदमी के साथ मिलकर फलां ने मिलकर सरकार बनाने का काम क्यों किया। हम इस झगड़े में नहीं जाना चाहते। लेकिन एक बात जब तय हो गई कि बी.जे.पी. और बी.एस.पी. ने मिलकर सरकार बना ली तो फिर उसमें क्या बुरा है। मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं दलितों की राजनीति करता हूं, सरपोतदार जी ने भी यह कहा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं दलितों की राजनीति नहीं करता, देश की राजनीति की बात करता हूं। लोहिया जी के अनुसार विचार का सम्बन्ध खून के सम्बन्ध से ज्यादा गाढ़ा होता है। जो अल्ट्रा क्रान्तिकारी होता है, वही सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स बन जाता है। इसलिए हमारी लड़ाई विचाराधारा की है। विचार का सम्बन्ध खून के सम्बन्ध से ज्यादा गाढ़ा होता है। इस देश में हर जाति और धर्म में पैदा हुआ व्यक्ति डा. भीमराव अम्बेडकर की बात करता है। लेकिन बाबा साहेब ने अपना नेता किसे माना था, उन्होंने अपना नेता बुद्ध को माना था बुद्ध कोई दलित या पिछड़े नहीं थे, वे क्षत्रिय थे, लेकिन उनका समता का मार्ग था। इसीलिए उन्होंने कहा था:-

बुद्धम् शरणम् गच्छामि।

संघम् शरणम् गच्छामि।

धम्मम् शरणम् गच्छामि।

इसी तरह से विवेकानंद जी कौन थे, वे कायस्थ थे। उन्होंने कहा था - अरे पूंजीपतियों, अरे ऊंची जाति के लोगों, तुम अपने अधिकार क्षुद्रों को दे दो, नहीं तो जब ये उठेंगे तो अपनी फूंक

[श्री रामविलास पासवान]

से तुम्हारी सारी ताकत को उठाकर रख देंगे। इसी तरह दयानंद सरस्वती को लें, वे ब्राह्मण थे। जब उन्होंने पाखंडवाद के खिलाफ लड़ना शुरू किया, जब सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से उन्होंने पूरे देश में अंध विश्वास के खिलाफ लड़ना शुरू किया तो उन्हें भी जहर दिया गया। दयानंद सरस्वती भी ब्राह्मण थे और उनको जहर देने वाला भी ब्राह्मण था। इसी तरह गांधी जी कौन थे, वे वैश्य थे। उनको किसी मुसलमान ने या दलित ने गोली नहीं मारी थी, उन्हें नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। इसलिए हमारी लड़ाई आइडियोलॉजी की लड़ाई है। हम तो कहते हैं कि यदि तुम ब्राह्मण हो तो चुद्ध बनो, यदि कायस्थ हो तो विवेकानंद बनो और यदि वैश्य हो तो गांधी बनो और देश को एक नए रास्ते पर ले जाने का काम करो, यह हमारी आइडियोलॉजी है।

मैं इस प्रस्ताव पर बोलना नहीं चाहता था। अगला चुनाव होगा, हम फिर चुनाव में जाएंगे तो यही काम्बीनेशन रहेगा। थोड़ा वे कम हो जाएंगे तो वे बढ़ जाएंगे और थोड़ा हम कम हो जाएंगे तो वे बढ़ जाएंगे। कुल मिलाकर नतीजा यही होने वाला है। इसी नतीजे पर आपको चलते रहना है। इसलिए मैं कोई आरोप-प्रत्यारोपण करने के लिए यहां खड़ा नहीं हुआ हूँ। जो सदन की भावना है, वही स्वीकार्य होगी। सब जानते हैं कि इन दस महीनों के दरमियान हमने क्या कोशिश की है। उमा भारती जी और मैं दोनों एक ही पार्टी के नहीं हैं, लेकिन उनकी राम विलास के प्रति जो रिस्पेक्ट है, उतनी ही बी.जे.पी. के प्रति रिस्पेक्ट है।

सभापति महोदय : मंत्री जी आप और कितना समय लेंगे?

श्री राम विलास पासवान : मैं खत्म कर रहा हूँ। सरकार की उपलब्धियों के बारे में प्रधान मंत्री जी ने बताया है, थोड़ा और बता देंगे। मैं यहां अपनी बात कह रहा हूँ। शरद पवार जी यहां बैठे हैं, मैं जानता हूँ कि अगर आज आप बोल्लड माइंड हो जाते तो यह संकट हल हो जाता। आपके अपने सांसद आपसे गुस्सा हैं। आपको वे बोलते हैं या नहीं, यह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपके अपने सांसद आपसे गुस्सा हैं। आप यहां नहीं थे तो सब लोगों ने एक ही बात कही। चंद्र शेखर जी ने भी विशेष तौर पर कहा कि जब आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो छत्रपति शिवाजी के भेष में रहते हैं और यहां दिल्ली में आते हैं तो कौन से भेष में हो जाते हैं, यह पता नहीं चलता। इसलिए अभी भी आपके पास मौका है आप अभी भी चैन पुल कर सकते हैं। इसलिए मैं एक बार पुनः अपने सभी सांसदों से अपील करना चाहूंगा कि आज जो देश की हालत है, उसमें यह मत भूलिए कि आपके सामने कल कोई आर्थिक संकट आने वाला है। जो राजनैतिक संकट है, वह तो अलग चीज है। जो हो गया है, वह अलग चीज है। कल कोई आर्थिक संकट आएगा, उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार होंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब हम दस लाख लोगों के मत पर यहां चुनाव में जीतकर आये हैं, हमारा एक एम.पी. अपने

संसदीय क्षेत्र का एम.पी. होता है। लेकिन एक एम.पी. पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जो भी निर्णय लेने का काम करें, देश का नक्शा सामने रखने का काम करें और अपने साथियों का नक्शा सामने रखने का काम करें। मैं नहीं समझता हूँ कि आज जो निर्णय लिया है, तीस तारीख को जो निर्णय लिया है, उसमें कोई देश का हित है। उसमें कोई पार्टी का भी हित नहीं है। कल यदि चुनाव आएगा, यह भी आपकी स्थिति को साबित करने का काम करेगा। यह निर्णय न देश के हित में है और न ही पार्टी के हित में है। यदि व्यक्ति के हित में कोई निर्णय लिया गया है तो मैं समझता हूँ कि व्यक्ति के हित को राष्ट्र के हित के ऊपर नहीं रखना चाहिए और इस पर फिर से पुनर्विचार करने का काम कीजिए और अंतिम समय में भी देश को इस राष्ट्रीय संकट को बचाने का काम कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विश्वास मत का जो प्रस्ताव है, उसकी सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ। आपने सपय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई - उत्तर पूर्व) : सभापति जी, प्रधान मंत्री श्री देवेगौड़ा जी ने अपनी मंत्री परिषद के विश्वास का जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हूँ। मैंने प्रारम्भ में जानबूझकर यह बताया कि मैं इस विश्वास मत के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि बहुत सारे भाषण यहां पर हुए हैं। उनमें विरोध हो रहा है या समर्थन हो रहा है, यह अभी भी पता नहीं चल रहा है। इसलिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

अभी-अभी राम विलास पासवान जी का यहां पर भाषण हुआ, वह बाहर क्यों गए हैं, मैं यह पूछना नहीं चाहता। चैन पुलिंग के बाद तो बाहर जाना पड़ता है। ...*(व्यवधान)* उन्होंने शरद जी से अपेक्षा की कि वह चैन पुल कर लें।

एक माननीय सदस्य : छः महीने की सजा होती है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। दस महीने के प्रधान मंत्री की सजा भुगतने के बाद शरद जी और छः महीने की सजा भुगतने की मनःस्थिति में होंगे, ऐसा कम से कम लगता तो नहीं है। इसलिए आप प्रार्थना भले ही करें। इस सदन ने विश्वास के अनेक प्रस्ताव देखे हैं। अविश्वास के भी प्रस्ताव देखे हैं। गर्मागर्मी की चर्चा देखी है। लेकिन शायद सदन के इतिहास में ऐसी चर्चा विश्वास-अविश्वास के प्रस्ताव पर सदन ने नहीं देखी है क्योंकि जो विश्वास मांग रहा है, उसे अपने पर ही विश्वास नहीं है। उसका अपने पर से विश्वास नहीं है। जब अपनों पर ही विश्वास नहीं तो परावों के साथे से वह अपने आप

को विश्वास मत पारित करा लेंगे, इस भ्रम में इस प्रकार की चर्चा चल रही है। इसलिए प्रधान मंत्री जी ने विश्वास का प्रस्ताव रखा है। हम निश्चित रूप से अपेक्षा रखते थे और आदरणीय जसवंत सिंह जी ने अपने भाषण में कहा कि प्रधान मंत्री जी अपने भाषण में विस्तार से यह बताते कि उन पर विश्वास का प्रस्ताव रखने की नीबत क्यों आई? महामहिम राष्ट्रपति जी ने क्यों उन पर विश्वास का प्रस्ताव रखने के लिए कहा? लेकिन प्रधान मंत्री जी के पूरे आधे घंटे के भाषण में उन्होंने एक शब्द से यह नहीं कहा कि वह इस सदन का विश्वास क्यों मांग रहे हैं? वे अपनी कशमकश में तो यहां भूल गए, भाषण समाप्त होने तक भी, कि उन्होंने सदन से यह औपचारिक प्रार्थना नहीं की कि आप मुझे अपना विश्वास दे दो। ... (व्यवधान) में उन्हें दोष नहीं देता हूं, क्योंकि प्रधान मंत्री जी जानते हैं ...

एक माननीय सदस्य : उन्होंने अंग्रेजी में कहा।

श्री प्रमोद महाजन : क्योंकि प्रधान मंत्री जी जानते हैं कि उनका विश्वास इस सदन में तय नहीं हो रहा है, कहीं और हो रहा है और वह निश्चित रूप से क्या हो रहा है, उस क्षण की जानकारी के अभाव में उन्होंने अपने सारे शस्त्र उत्तर के भाषण के लिए रखे हैं। सौ सुनार की और एक लौहार के रूप में शायद वह विश्वास मत के अंतिम भाषण में हमको यह बतायेंगे कि यह विश्वास मत का प्रस्ताव क्यों आया। लेकिन जितने और भाषण मैंने सुनें, उसमें भी यह जो संकट आया है, इस संकट के संबंध में किसी ने स्पष्ट रूप से चर्चा करने की हिम्मत नहीं की। गुजराल जी का भाषण विदेश नीति पर बहुत बढ़िया हुआ। उनकी विदेश-नीति से हम सहमत हों या न हों, लेकिन उनका भाषण सुनते हुए मुझे लगा कि यह विश्वास-मत पर चर्चा नहीं है, शायद विदेश मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा हो रही है और इस पर जिस प्रकार का भाषण होना चाहिए, उस प्रकार का भाषण उन्होंने दिया। उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय संकट की बात कही, उन्होंने पाकिस्तान के संकट की बात कही, उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात कही और महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन जो राजनीतिक संकट के कारण आज 11 तारीख को हम यहां मिले हैं, उस संकट के बारे में उन्होंने अपना कोई अभिमत नहीं दिया।

प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में उपलब्धियां गिनाईं, मैं केवल समयाभाव के कारण एक छोटा सा उदाहरण देकर आगे चलूंगा। उन्होंने कहा कि छः साल के बाद हमने अन्तरराष्ट्रीय परिषद् को लिया। अब का संकट आपने छः साल में अन्तरराष्ट्रीय परिषद् को क्यों नहीं लिया, इसके लिए निर्मित संकट ही नहीं है। अगर आपको किसी परिषद् को कहना चाहिए था, तो स्टीयरिंग कमेटी में क्या हुआ, नैगोशिएटिंग कमेटी में क्या हुआ, इस बारे में बताना चाहिए था। आज का जो संकट है, स्टीयरिंग और

नैगोशिएटिंग, फार्मल और इनफार्मल, इससे निर्मित संकट है। आज तक इंटरस्टेट काउन्सिल में क्या हुआ और नेशनल डेवलपमेंट काउन्सिल में क्या हुआ, इन दोनों की चर्चा करके 11 तारीख में आप हमारा समय क्यों बरबाद कर रहे हैं। आप यह बताइए कि स्टीयरिंग कमेटी में क्या हुआ, लेकिन न उन्होंने स्टीयरिंग कमेटी की बात कही, न फार्मल कहीं और न इनफार्मल कहीं, न उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया और न उन्होंने लैटर आफ विद्वाल की बात कही। उन्होंने जिस प्रकार से भाषण दिया, उससे लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और एक लाइन में विश्वास मत पढ़ दिया तथा दो-चार बातें काउन्सिल की कहीं और बैठ गए। अगर प्रधान मंत्री इस प्रकार विश्वास मांगेंगे और चन्द्रशेखर जी अपेक्षा करते हैं कि उनके गुरु जी विश्वास दे दें, तो कुछ विश्वास के लिए कहें, लेकिन उन्होंने तो नहीं मांगा। हां, प्रियरंजन दासमुंशी जी ने अपनी ओर से यह प्रयास किया कि हम विश्वास के प्रस्ताव का विरोध क्यों कर रहे हैं, भले ही उन्होंने स्पष्ट शब्दों में न कहा हो, लेकिन जब तक स्थिति निश्चित न हो, तब तक अन्धे में प्यादा कहना आवश्यक नहीं है। लेकिन उन्होंने जरूर कहा, मैं उनका भाषण सुन रहा था और मुझे लगा कि यह विरोधाभास का पुलिंदा था। आपने मुलायम सिंह जी की तारीफ की और कहा कि वे उत्तर प्रदेश में धर्मनिरपेक्षवाद के निर्माता हैं, मानते हैं, मुलायम सिंह महान हैं और वे सैक्युलर इंडिया में सबसे बड़े हैं। आगे उन्होंने कहा देवेगौड़ा जी, आपने मायावती जी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने दिया? बेचारे देवेगौड़ा जी क्या करेंगे, उनके पास सात मैनबर नहीं है - 70 सभाओं के बाद 28 में 7 पर उनका आंकड़ा उत्तर प्रदेश में आ गया - वे तय क्या करेंगे। मायावती जी प्रधान मंत्री इसलिए नहीं बनी ... पता नहीं, आज कल ... (व्यवधान) इसलिए झगड़ा देखकर आश्चर्य लगता है, मायावती जी मुख्यमंत्री बननी चाहिए थी आप सब के समर्थन से, क्योंकि कांग्रेस और बी.एस.पी. दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे।

अपराह्न 4.55 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हम भी चुनाव में थोड़ा घूमे थे। हमने केसरी जी का भाषण सुना कि अगर आप समर्थन नहीं करेंगे तो हम केन्द्र सरकार का समर्थन हटा लेंगे। अब इसके बीच में कौन खड़े थे। सारी दुनिया जानती है कि मायावती के बीच में अगर कोई मुख्य मंत्री पद के लिए खड़ा था तो वह केवल मुलायम सिंह जी थे। कांग्रेस की हिम्मत नहीं हुई और अगर यह हिम्मत नहीं हुई तो मुलायम सिंह जी को कुछ नहीं, वे उत्तर प्रदेश में धर्मनिरपेक्ष के निर्माता हैं। इसलिए बेचारे देवेगौड़ा जी आज दोनों तरफ से मार खा रहे हैं तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम बहुत बार भुगतें हैं। प्रियरंजन दास

[श्री प्रमोद महाजन]

जी बोल रहे थे कि भई, हम तो बहुत वर्षों तक यहां बैठ कर दोनों की मार खा चुके हैं तो एक बार आप भी खाकर देखिए। अब जहां आपने यह कहा कि हमने मायावती को मुख्य मंत्री बनाया और क्यों बनाया तो हमारे छः महीने की तरह आप भी तो दस महीने में इनको निकालने की बात कर रहे हो, सिर्फ चार महीने का ही झगड़ा है क्या। आप भी तो दस महीनों में ही निकालने की बात कर रहे हो। आपका कौन सा पांच साल का नरसिंह राव जी के अभिवचन का पालन हो रहा है, आप भी तो दस महीने के बाद इनको बदल रहे हो। हमने तो कम से कम पत्रकार परिषद में कहा कि छः महीने वे रहेंगे और छः महीने हम रहेंगे। हमने तो जो भी था उसे खुल कर कहा, लोगों के सामने लाएं। आपने कभी भाषण में यह नहीं कहा था कि हम दस महीने के बाद सोचेंगे या नौ महीने के बाद सोचेंगे कि परिणाम क्या है और उसके अनुसार हम निर्णय करेंगे। हमने जो कहा वह जान-बूझ कर कहा और इसलिए मायावती को अगर मुख्य मंत्री बनाया तो हमने बनाया। अगर उत्तर प्रदेश का रास्ता निकालने की कोशिश की तो हमने की, आप नहीं कर सके।

महोदय, मैंने सुना फारूख जी की तारीफ हुई और उस समय वे बैठे भी थे। उनको भी अच्छा लगा कि काश्मीर का चुनाव फारूख जी को जीतना चाहिए था। फिर मैंने धीरे से अपने काश्मीर के मित्रों से पूछा कि क्या कांग्रेस काश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही थी, क्या उन्होंने वहां भी फारूख जी को बाहर से सपोर्ट दिया था कि तुम ही लड़ो और तुम ही जीत जाओ। जम्मू-काश्मीर के इतिहास में पहली बार सबसे कम वोट पड़े हैं, सबसे कम सीटें प्राप्त की हैं। अगर आप खुद फारूख जी से लड़े तो देवेगौड़ा फारूख जी को कहां से बचाएंगे? असली कारण क्या है, वह बताइए। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के अध्यक्ष लेघारी ने क्या कहा कि हम अपने अध्यक्ष के बारे में कुछ नहीं कह सकते, मतलब आप कुछ नहीं कह सकते कि उसने क्या कहा। मतलब, अपनी पार्टी के अध्यक्ष के बयान की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो बेचारे देवेगौड़ा लेघारी की जिम्मेदारी कहां से लेंगे, यह बात मेरी तो समझ में नहीं आती। लेघारी ने क्या कहा, खलीज़ टाइम्स से हम भी दुखी हैं। पाकिस्तान के अध्यक्ष ने जो कहा वह निन्दा के पात्र हैं। खलीज़ टाइम्स में जिस प्रकार आया उसका खंडन भी बाद में किया होगा। अगर वह सच है तो गलत है। लेकिन उसका किसी एक व्यक्ति से संबंध नहीं था। तब आप यह बोल रहे थे कि संयुक्त मोर्चे के सदस्य, नेशनल काँग्रेस के फारूख अब्दुल्ला ने छिंदवाड़ा में भरी सभा में कहा कि एक-तिहाई काश्मीर पाकिस्तान को देना चाहिए। ... (व्यवधान) अब उस फारूख जी के घर पर बैठ कर आप तय कर रहे हैं और इसलिए आज सुबह किसी समाचारपत्र में लिखा था कि इनका नेगोसिएशन क्यों नहीं सफल हुआ। उन्होंने कहा कि इन्होंने जगह गलत ढूंढी। पहले

फारूख अब्दुल्ला जी के यहां बैठे, अब वहां कोई भी आदमी लाईन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाहर तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बीच में वह लाईन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था इसलिए वे उसके बाहर नहीं जा सकते थे। फिर दूसरी बार शरद जी के यहां बैठे, अब वहां कोई फेंस-सीटिंग सा मामला है, पोजेटिव डिस्मिशन होता ही नहीं तो वहां डिस्मिशन कैसे होगा। ... (व्यवधान) मुझे तो लगा कि आपको अगर समझौता सफल करना था तो हमें कम से कम वाजपेयी से, बासपा से और कांशीराम जी से पूछ लेते कि आप कहां बैठे थे। ... (व्यवधान) आपको शायद उस जगह से रास्ता मिल सकता। मतलब, जिसने एक-तिहाई काश्मीर देने की बात कही कि हिन्दुस्तान की संसद का एक-तिहाई काश्मीर वापिस लेने का यूनेनिमस रेजोल्यूशन है। वह भी एक काश्मीर का मुख्य मंत्री एक-तिहाई काश्मीर देने की बात करता है और आप उनकी यहां बैठ कर तारीफ करते हो, हमें राष्ट्रहित समझाने की बात करते हो। प्रियरंजन दास जी ने ज्योति बसु के गणशक्ति का आर्टिकल विदाउट ट्रांसलेशन देवेगौड़ा जी को कहा कि आप पढ़ो। उस सोमनाथ दा ने पढ़ा, फिर भी नहीं माना। अब सोमनाथ दा भी खुद ज्योति दा का नहीं मान रहे हैं।

अपराहन 5.00 बजे

और भाषण में कहा कि ये जो कम्युनल हो गए हैं इनसे कौन लड़ेगा? इन्होंने 10-5 प्रांत गिनाए - इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं उनका भारत का नक्शा देख रहा था। मुझे यह लगा कि यह तो ठीक है। उन्होंने महाराष्ट्र कहा, राजस्थान कहा ठीक है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि केरल में कौन किसके साथ लड़ रहा है, आंध्र में कौन किसके साथ लड़ रहा है, कर्नाटक में कौन किसके साथ लड़ रहा है। तमिलनाडु में, उड़ीसा में, बंगाल, असम में, त्रिपुरा में कौन किसके साथ लड़ रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके साथ लड़ रही है, क्या हमारे साथ लड़ रही है? ... (व्यवधान) आपका तो अगली बार पता भी नहीं मिलेगा, चुनाव आ जाने दो। आप में से आधे लोगों का तो सब बैरंग वापस आ जाएगा कि पता चलन है। नार्थ एवेन्यू में भी नहीं रहते हैं, साउथ एवेन्यू में भी नहीं रहते हैं, इसलिए इसकी चिंता मत करो कि आगे क्या होना है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मुझे इनकी राजनीति में कोई रूचि नहीं है क्योंकि संसद में आया है इसलिए बात करने की आवश्यकता है अन्यथा यह सत्ता दल है और यह समर्थित दल हैं। सत्ता इनके समर्थन से है, अब इन्होंने समर्थन हटा लिया है, और इनका आपस का मामला है, ये आपस का झगड़ा है। पंचायत में लेकर आए हैं इसलिए बात करने की आवश्यकता पड़ रही है, नहीं तो हमें आपके झगड़े में कोई रूचि नहीं है। आप समर्थन दें या न दें यह आप तय करें। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति आप कर रहे हैं वह समझ में आने वाली बात नहीं है। अगर सब मंत्री अच्छे हैं

तो आपका पत्र क्या है? पत्र में आपने संयुक्त मोर्चे के कौन से मंत्री को बख्शा है। संयुक्त मोर्चे को किस बात के लिए आपने कहा कि अच्छा है और इतना ही नहीं, मैं तो पत्र को देखकर आश्चर्य-चकित हो गया। राष्ट्रपति को लिखा है कि पंजाब के चुनाव में इन लोगों ने हमारी मदद नहीं की, इसलिए हम लोग हार गये। अब राष्ट्रपति इसका क्या करेंगे। यू.पी. में आप हार गये, पंजाब में हार गये, इसका आपके समर्थन के विज्ञापन से क्या लेना-देना है। मान लीजिए आप इकट्ठा भी हो जाते, तो भी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की इतनी ताकत थी कि आपको वे हरा देते। लेकिन आप राष्ट्रपति को लिख रहे हैं कि यू.पी. में क्या हो रहा है।

[अनुवाद]

वे हमें राजनैतिक रूप से सहायता नहीं कर रहे हैं। हम सभी उपचुनाव हार रहे हैं। वे हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

इसमें राष्ट्रपति क्या करेंगे। इलेक्शन तो आप लूज कर रहे हैं। आप उसका ड्रॉफ्ट देखिये। शरद पवार जी देख रहे हैं, जरूर देखें। मैं पढ़कर बात कर रहा हूँ।

[अनुवाद]

महोदय, मैं समय की बचत करूँगा। उनका कहना है कि पंजाब, हरियाणा में उप चुनावों के क्रम में, संयुक्त मोर्चा सरकार राजनैतिक या साम्प्रदायिकता की ताकतों को रोकने के लिए कांग्रेस के साथ काम करने में असमर्थ रही। राष्ट्रपति जी को इस बात से क्या करना है?

[हिन्दी]

यह तो चुनाव का समझौता है, किसका किसके साथ हो जाए। इसका प्रस्ताव के साथ क्या संबंध है। प्रियरंजन जी शायद नींद में हैं। ... (व्यवधान) इस सदन में कोई नहीं सोता है, सब चिंतन करते हैं। अध्यक्ष जी, उन्होंने दुःख बताया कि दोनों तरफ से मार पड़ रही है। जसवंत सिंह जी ने मारा, अब मैं भी मारूँ तो ठीक नहीं है। मुझे कभी-कभी उनकी हालत समझ में आती है। संयुक्त मोर्चे की सत्ता कांग्रेस के आधार पर है। पूरा समर्थन इनका है नहीं तो इनकी शपथ नहीं होती। इन्होंने सत्ता दी और उत्तर क्या दिया। एक बड़े नेता ने कहा कि "समर्थन वापस लिया तो जूते पड़ेंगे"। मुझे मालूम नहीं है, यह संसदीय शब्द नहीं है, अच्छा शब्द नहीं है लेकिन बड़े नेता ने कहा है तो हम क्या करें? किसी ने कर्नाटक की विधान सभा में यह कहा कि "हिम्मत है तो समर्थन वापस लेकर दिखाओ" और एक बड़े ने तो कहा

[अनुवाद]

आपके पास विकल्प है - संयुक्त मोर्चा या तिहाड़ जेल। पसंद आपकी है।

[हिन्दी]

यह कौन सा समर्थन मांगने का ढंग है। मैं आप लोगों की नाराजगी समझ सकता हूँ। हमने वी.पी. सिंह को समर्थन दिया था तो थोड़ी बहुत नाराजगी तो हम भी आपकी समझ सकते हैं। अब यहां खड़े होकर कह रहे हैं कि हम अपील करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं - तो यह पहले क्यों कहा।

असली झगड़ा साम्प्रदायिकता का नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी 10 महीने पहले साम्प्रदायिक थी तो आज भी उतनी ही होगी। हम तो उतने ही हैं। सिर्फ साम्प्रदायिकता के नाम पर आप दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। आज बिखरने की बात क्यों हो रही है। ऐसी कौन सी बड़ी बातें आई जो सो कॉलड कम्यूनलिज्म से बड़ी हुई थी। लेकिन एक बात संयुक्त मोर्चा को भी समझनी चाहिए कि जिन के समर्थन पर राज कर रहे हैं, उनके साथ कुछ तो अच्छा बर्ताव करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा केस में अचानक एक नया नाम जुड़ गया, जो पहले नहीं था। महतो ने कभी उस नाम को नहीं लिया। वह अब इस केस के साथ जुड़ गया। ऐसे में परेशानी तो होगी। किसी वरिष्ठ नेता के खिलाफ इस प्रकार का आरोप पत्र आया तो क्या परेशानी नहीं होगी। किसी ने पार्टी को दो करोड़ का चंदा दिया यानी सूटकेस में नहीं, बैंक से दिया। बैंक से चंदा नहीं देना चाहिए था, उनकी कम्पनी डूब रही थी, डूबने वाली कम्पनी को इतना चंदा देने का अधिकार नहीं है, गैर कानूनी है लेकिन चंदा दिया तो उसके घर में रेंड करा दी। ऐसे में आगे चुनाव में कैसे होगा? जो सरकार समर्थन दे रही है, उसको चंदा देने वालों के यहां रेंड करते हो, ऐसे समय दुख होना स्वाभाविक है। किसी ने पार्टी को तीन करोड़ रुपया विदेश से दिया और ड्राफ्ट से दिया,

[अनुवाद]

कोई सूटकेस नहीं, कोई छद्म व्यापार नहीं तथा कोई घूस नहीं।

[हिन्दी]

ड्राफ्ट बना कर सिंगापुर से भेजा। बैंकिंग सिस्टम यह है कि ड्राफ्ट पर भेजने वाले का नाम नहीं होता। चिदम्बरम जी पूछते हैं कि किस ने तीन करोड़ दिया, नाम बताओ। अपनी पार्टी है, समर्थन दे चुकी है, पूछने का अधिकार भी आपको है कि किस को देना है और किस को नहीं देना है। जब सब पार्टियों से हिसाब मांगा, यह बात ठीक है कि बहुत सालों से कुछ पार्टियों ने हिसाब न रखा हो और कांग्रेस पार्टी वक्त पर हिसाब दे नहीं सकी, ऐसा होता है क्योंकि वह समर्थन देने वाली पार्टी है। आप दो-चार दिन

[श्री प्रमोद महाजन]

आगे-पीछे कर देते। उसने दस महीने समर्थन दिया और आपने उन पर 24 करोड़ का इनकम टैक्स लगा दिया। दस महीने में इनकम कुछ नहीं और टैक्स 24 करोड़। हिन्दुस्तान की सारी राजनीति में एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है "न खाता न बही, हम जो कहें, वही सही" ... (व्यवधान) मैं किसी का नाम नहीं लना चाहता। जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा पचास वर्ष तक ऐसी थी कि हम जो कहें वही सही, उसको आपने नोटिस दे दिया। उसको डिसप्रोपोशनेट असेट्स का नोटिस दे दिया। 25 साल किसी ने हिसाब नहीं मांगा और आप हिसाब मांगने लगे। अगर उन्हें गुस्सा आया हो उसमें दोष किस का है। कांग्रेस वाले बोल नहीं रहे हैं, इसलिए मैं उनकी थोड़ी मदद करना चाहता हूँ। किसी को हत्या में फंसा दिया, किसी को डकैती में फंसा दिया, किसी को भ्रष्टाचार में फंसा दिया। वे आडवाणी जी थोड़े हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। किसी-किसी नेता की ऐसी हिम्मत होती है। इनकी नहीं है। हिम्मत हो तो ऐसी, जब आडवाणी जी पर आरोप लगा तो उन्होंने कहा कि मैं लोक सभा की सदस्यता से त्याग पत्र देता हूँ और मैं उस दिन तक लोक सभा में नहीं जाऊंगा, जब तक कोर्ट से बरी नहीं हो जाऊंगा। हिन्दुस्तान के इतिहास में उन्होंने अपनी पवित्रता सिद्ध की और कोर्ट से बरी हो गए। वह फिर लोक सभा में प्रवेश करेंगे। आप इनसे अपेक्षा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जैसा व्यवहार करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो वे जैसा व्यवहार करते हैं, आप उस प्रकार उनसे व्यवहार करिए। अब कहा जाता है कि

[अनुवाद]

कानून अपना काम खुद करेगा।

[हिन्दी]

ऐसा कैसे चलेगा? आप रेसकोर्स में बैठे हो और उनको ओन कोर्स में भेज रहे हो। ऐसा कैसे चलेगा?

श्री सुन्दर लाल पटवा (छिंदवाड़ा) : आप पहली बार राव साहब के चेहरे पर मुस्कराहट लाये हैं।

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, इसको व्यंग मत लीजिये, यह असली झगड़ा है। पहले दिन से ही सत्ता का असली झगड़ा है। आप इसे साम्प्रदायिक ताकत का जामा दे रहे हैं जैसे 6 दिसम्बर। ये तो हमें सर्टिफिकेट देने को तैयार हैं कि

[अनुवाद]

6 दिसम्बर, 1992 को भा.ज.पा. पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष था।

[हिन्दी]

कम से कम यह तो दे दो। कोई खड़ा होकर कह दे कि आप 6 दिसम्बर के कारण नॉन-सैकुलर हैं। लेकिन आप लोग तो पैदायशी सैकुलर हैं जबकि हमको आपने नॉन-सैकुलर बोला है। जब जनता पार्टी से निकले तब भी और जब किसी देश में किसी

को आपस में झगड़ना होता है तो भारतीय राजनीति में दोषी हमें ठहराया जाता है। झगड़े आप करें और नाम हमारा। हमें आपसे क्या लेना-देना? आपका नाम ले रहे हैं कि 6 दिसम्बर से साम्प्रदायिक हैं, उसके पहले नहीं थे। श्री वी.पी. सिंह बहुत बड़े नेता हैं जो अपने सिद्धांतों पर अडिग हैं। 1989 में जब लड़ाई लड़ रहे थे तो मथुरा में एक सभा हुई जिसमें उन्होंने बी.जे.पी. का झंडा उतार देने के लिये कहा। चूंकि कांग्रेस को हराना था, इसलिये झंडा तो उतार दिया लेकिन कहा झगड़ा करें और वे अपना भाषण करके बैठ गये। जब उनको हमारे समर्थन की आवश्यकता पड़ी तो बी.जे.पी. की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो उस समय अनेक्सी में चल रही थी, में सब लोग आये और कहा कि सैकुलरिज्म छोड़ दो, आप सपोर्ट दो। इस देश में सपोर्ट किसी का भी चलता है। अभी आपने श्री सोमनाथ जी का भाषण नहीं सुना जिसमें उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर सकते, उनकी सपोर्ट ले सकते हैं। यदि आदमी गंदा है तो क्या लेना और क्या देना? लेना-देना पूरा होना चाहिये। लेने में अच्छा और देने में गंदा, यह कैसे चलेगा? जब हम लोगों ने 1989 में समर्थन दिया था तो 18 महीने हमारे बलबूते पर सरकार चली, तब आपको याद नहीं आया। उस समय किसी ने मंडल की बात की। मुझे अच्छी तरह मालूम है क्योंकि उस समय मैं राज्य सभा का सदस्य था। 7 अगस्त, 1990 को राज्य सभा में प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया था। राज्य सभा में उसकी चर्चा होती है, लोक सभा में नहीं। मंडल क्यों आया, क्या आप लोग भूल गये? 9 अगस्त को चौ. देवी लाल ने यहां एक रैली की जिसमें यह चुनौती दी और उस रैली से बचने के लिए आपने मंडल आयोग का रास्ता ढूंढा था। उस समय कोई सामाजिक न्याय की शुरूआत नहीं हुई थी। बी.जे.पी. का सौभाग्य था और उस दिन राज्य सभा में मैं पहला वक्ता था और बी.जे.पी. की ओर से हमने मंडल आयोग का समर्थन किया था, स्वागत किया था और आज भी करते हैं। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा एम.एल.एज. और एम.पी. हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को देते हैं ... (व्यवधान) ... आप लोग मंडल आयोग की बात करते हो। हम लोगों ने इसलिये अपना समर्थन हटाया क्योंकि राम मंदिर की लड़ाई शुरू हो गई थी। श्री आडवाणी जी को पकड़ा गया। हम उन पार्टियों में से नहीं जो संकट आने पर अपने प्रधानमंत्री को डुबो देने में दो मिनट भी नहीं सोचते और कुछ लोग संकट आने पर अपने अध्यक्ष को डुबोने में ज्यादा देर नहीं सोचते। हम उन जैसी पार्टियों में से नहीं हैं। जब हमारी पार्टी के अध्यक्ष को पकड़ा गया, उसके विरोध में और राम मंदिर के लिये हमने अपनी सपोर्ट विद्वद्गी की थी और इस बात में हमें बिल्कुल शर्म नहीं, हमें तो गर्व है। कम से कम श्री चन्द्रशेखर जी इस बात को मानेंगे कि राम मंदिर और दो कांस्टेबल में से कौन सी रीजनिंग ज्यादा साफ़ होती है। कम से कम इतनी कोशिश करिये। पहली बार इन्दिरा जी चरण सिंह को लाई, एक

दिन भी सरकार नहीं चली - निकृष्टतम बाहरी समर्थन। हमने समर्थन दिया तो 17 महीने सरकार चली। फिर राजीव जी ने चन्द्रशेखर जी को समर्थन दिया तो केवल 4 महीने सरकार चली। इस प्रकार कुल 21 महीने हुये। हमने तीन सरकारें देखीं जिसकी औसत आयु 7 महीने हुई। मैं श्री देवेगौड़ा जी को बधाई देता हूँ कि वे आऊटसाईड सपोर्ट से नौ महीने सरकार चला पाये, आज तक कोई नहीं चला पाया और वह एवरेज 7 महीने आ गई। कांग्रेस ने तीन बार सपोर्ट विदड़ा की, किस कारण से की? न चौधरी चरण सिंह के संबंध में और न ही चन्द्रशेखर के संबंध में कोई कारण था और न आज कोई कारण दिखाई देता है। यदि कुछ दिखाई देता है तो केवल एक कारण और वह है स्वार्थ। इसलिये बी.जे.पी. की सपोर्ट विदड़ा करने को इसके साथ कम्पेयर नहीं किया जा सकता। वह सैद्धांतिक विदड़ाल था, अगर हम चाहते तो जरूर करते। अब दुख इस बात का है कि हमने उस आऊटसाईड सपोर्ट से ज्यादा सीखा तभी हम जरा संभल संभलकर चलते हैं कि किसको सपोर्ट करना है, किस को नहीं करना है। उस आऊटसाईड सपोर्ट से कांग्रेस नहीं सीखी और वे सीखना भी नहीं चाहते। यहां तक कि श्री चन्द्रशेखर भी नहीं सीखना चाहते।

देवेगौड़ा जी आपके मित्र हैं। अगर आप उनको अपने अनुभवों के बारे में बता देते तो कम से कम वह शपथ नहीं लेते। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ। वह सांप्रदायिकता की लड़ाई नहीं है। होम मिनिस्ट्री के कागज मेरे हाथ में हैं। 1996 में हिन्दुस्तान में किन प्रांतों में कितने दंगे हुए, उसका हिसाब इसमें है। महाराष्ट्र में जहां मोस्ट कम्यूनल हारमनी चल रही है शिव सेना और बी.जे.पी. की, वहां सात दंगे हुए। बिहार में मोस्ट सैक्यूलर गवर्नमेंट चल रही है और 24 वहां दंगे हुए। ... (व्यवधान)

श्री राम कृपाल चादव (पटना) : यह गलत है। हम आपको चुनौती देते हैं, आप इसको प्रूव कीजिए। ... (व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : मैं आशा करता हूँ कि गृह मंत्री जी के पीछे जो लोग खड़े हैं, उनकी बात सुनकर अगर इसमें सुधार करना हो तो गृह मंत्री जी करेंगे।

दूसरी कम्यूनल गवर्नमेंट राजस्थान में है जहां एक दंगा हुआ। मध्य प्रदेश में सैक्यूलर गवर्नमेंट है और वहां 40 दंगे हुए। दिल्ली में कम्यूनल गवर्नमेंट है, वहां एक दंगा हुआ। सबसे सैक्यूलर गवर्नमेंट केरल में है जहां 34 दंगे हुए। ये आंकड़े मेरे बनाए हुए नहीं हैं, यह गृह मंत्री द्वारा दिया हुआ कागज है। इसलिए यह विषय सांप्रदायिकता और असांप्रदायिकता का नहीं है। हम मानें या न मानें, मगर इस संयुक्त मोर्चा की सरकार या प्रधान मंत्री के लिए आंसू बहाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक माननीय सदस्य : दंगे कराने वाले राज में होंगे तो दंगे कैसे होंगे?

श्री प्रमोद महाजन : अगर ऐसा है तो हमें हमेशा राज में रखो, दंगे होंगे ही नहीं। यह मैं दंगे न होने की एक तरकीब बता रहा हूँ। यह मैं बहुत बार सुन चुका हूँ।

अध्यक्ष जी, इस सरकार का जन्म ही विचित्र तरीके से हुआ। कल रात मैं दूरदर्शन पर देख रहा था और आज समाचार-पत्रों में भी पढ़ा कि 13 पार्टियां अपने-अपने सदस्यों को व्हिप देने वाली हैं। उन्होंने दिया कि नहीं वह मैं नहीं जानता, वह उनका अपना मामला है। दें या न दें उनकी मर्जी है। मैं सोच रहा था कि कौन किसको व्हिप देगा और कैसे देगा? मुझे खल्लप जी का ध्यान आया। अभी वह सैक्यूलर हैं। साल भर पहले महाराष्ट्र गोमान्तकवादी पार्टी, बी.जे.पी. और शिव सेना का एक समझौता हुआ था। हमने चुनाव लड़ा था और इनको मुख्य मंत्री बनाने का हमारा प्रयास था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया क्योंकि वह चुनाव हार गए। अब वह सैक्यूलर हो गए और हम कम्यूनल हो गए। यह तो चलता रहता है, यह हमारे साथ कोई नयी बात नहीं है। मुझे लगा कि 13 पार्टियों में खल्लप जी का व्हिप कौन किसको देगा? मुझे लगा कि वह राइट हाथ से व्हिप लिखेंगे और लेफ्ट हाथ को दे देंगे। यह सरकार ऐसे ही बनी है। मुझे लगा कि शीश राम जी, सतपाल जी को व्हिप देंगे या सतपाल जी शीश राम जी को व्हिप देंगे? क्योंकि व्हिप देने वाले तो कांग्रेस में चले गए और ये इधर बैठ गए। अब नारायण दत्त जी तो इधर हैं नहीं। देंगे किसको? मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। खल्लप जी यहां बैठे हैं। अभी चीन में भारत का एक संसदीय दल गया था। आपके आशीर्वाद से और खल्लप जी के नेतृत्व में हम गए थे। आजकल चीन में जनतंत्र जानने की उत्सुकता बहुत बढ़ी है। अब दिन बदले हैं। पहले तो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी यहां की कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण पर आती थी, आजकल तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पर आकर भारत में अभ्यास करना चाहती है क्योंकि वह भी जानते हैं कि इनमें तो कुछ बचा नहीं है, क्या फायदा है इनसे संबंध रखकर? जो नयी पार्टियां आने वाली हैं, उनसे संबंध रखो। जब हम चीन गए तो संसदीय दल में रमाकांत जी थे, श्रीबल्लभ पाणिग्रही जी थे और बहुत से सदस्य थे, कुछ राज्य सभा के सदस्य भी थे। वहां कुछ लोगों ने पूछा कि आपकी डेमोक्रेसी कैसे चलती है क्योंकि उन लोगों की संसद अलग है, इलैक्शन का तरीका अलग है। रमाकांत जी हमारे नेता थे। हमारी-उनकी पुरानी मित्रता है, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप ही बताइए कि कैसे डेमोक्रेसी चलती है और इनसे चर्चा करो। एक एम.पी. ने मुझे पूछा कि

[अनुवाद]

आपका प्रजातंत्र कैसा है?

[श्री प्रमोद महाजन]

[हिन्दी]

मैंने कहा कि मैं सिर्फ परिचय करवाता हूँ, आप डेमोक्रेसी समझ लीजिए।

[अनुवाद]

मैं प्रमोद महाजन हूँ। मैं लोक सभा का सदस्य हूँ। मैं एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी से हूँ और मैं विपक्ष से हूँ।

[हिन्दी]

चीनी आदमी मुझे देखते रह गए। उन्होंने कहा—

[अनुवाद]

क्या आपकी एक मात्र सबसे बड़ी पार्टी है? मैंने कहा, “हां” इस सदन में एक मात्र सबसे बड़ी पार्टी है और हम विपक्ष में हैं।”

[हिन्दी]

फिर मैंने श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही जी की ओर हाथ कर दिया, वह सामने हैं, उनकी ओर हाथ करके कहा:—

[अनुवाद]

वे दूसरी सबसे बड़ी पार्टी से हैं। वे सरकार के बाहर हैं, फिर भी सरकार को सहयोग दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री एम.ए. बेबी की ओर इशारा करके कहा

[अनुवाद]

उनकी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। वे संयुक्त मोर्चा में हैं परन्तु सरकार के बाहर हैं।

[हिन्दी]

और फिर मैंने कहा कि

[अनुवाद]

वे श्री रमाकांत डी. खलप हैं। वे अपनी पार्टी के एक मात्र सदस्य हैं और वे सरकार में हैं।

[हिन्दी]

अब अध्यक्ष जी, अगर इस प्रकार की विसंगतियों से इस मोर्चे का जन्म हुआ हो तो आप आज कुछ भी कर लें - चाहे शरद पवार जी चेन खीच लें, कुछ भी कर लें। हो सकता है कि आप देवेगौड़ा जी को बदल दें क्योंकि वह तो 42 पार्टियों के नेता हैं,

उससे छोटी पार्टी निकालिये, उसे प्रधान मंत्री बनाइये। धीर-धीरे करके जिसकी कोई पार्टी न हो तभी उसके प्रधान मंत्री बनने के अवसर इस लोक सभा में बढ़ते जायेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोक सभा में उसके पीछे कितने आदमी हैं इससे प्रधान मंत्री नहीं बनेगा, जितने कम होंगे, उसका बनेगा, ठीक है न्यूट्रल आदमी है, गड़बड़ी नहीं करेगा। एक अनुभव देखने के बाद अगर कांग्रेस दूसरों को देखना चाहती है तो उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन इससे रास्ता नहीं निकलेगा। सत्य यह है कि सत्ता की पिपांसा संयुक्त मोर्चे की इच्छा है और कानून का भय, कांग्रेस का डर है, उसी कारण यह सरकार इकट्ठी हुई थी, बाकी इस सरकार में कुछ नहीं है। संयुक्त मोर्चे के लिए हमारे मन में दया क्यों आये, यह मोर्चा 13 पार्टियों का था, सरकारिया कमीशन वाला ... (व्यवधान) क्या 13 पार्टियों में से एक-दो पार्टी टूट गई ... (व्यवधान) यह धारा 356 का दुरुपयोग करने वाली है और इसी सरकार ने गुजरात में हमारे मुख्य मंत्री का बहुमत होते हुए और सदन में सिद्ध करने के बाद भी हमारी सरकार गिरा दी, क्या इसने दया की? ... (व्यवधान) उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी हम थे।

श्री बसुदेब आचार्य : मेज्योरिटी में नहीं थे।

श्री प्रमोद महाजन : आपके तो मैम्बर ही नहीं थे, आप मेरी मेज्योरिटी पूछ रहे हैं। आप फालतू बातों में न जाकर अपने मैम्बरों को ढूँढिये। जिसका कोई मैम्बर नहीं है, वह मेज्योरिटी की बात कर रहा है। आपके लिए तो चार ही काफी हैं। इसलिए इनकी राजनीतिक हलचल हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रही। जैसे चंद्रशेखर जी अटल जी को कह रहे हैं कि गुरुदेव बचाइये, वह आप कह रहे हैं। उधर देखिये। पहले गाली दो और फिर बोलो कि बचाइये - यह काम आप कर सकते हैं, हमसे नहीं हो सकता। लोग आलोचना करें और कहें कि समर्थन दो, हम रात-दिन गाली खायें यह नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय, अब सवाल है कि बजट का क्या होगा। आर्थिक संकट का सवाल है, वह इनको सोचना चाहिए हम क्यों सोंचे, हम तो विपक्ष में हैं, हम कोई बजट के समर्थक नहीं हैं, उसे पास करना हमारा काम नहीं है, जिसका काम है उससे पूछिये, हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। आप पहले सोचकर आइये। जैना जी आप तो कहते हैं कि मुझे पास नहीं करना है। सी.पी.एम. ने भी कहा था कि हम पास नहीं करने देंगे, कांग्रेस ने कहा कि हमें मतलब नहीं है फिर बी.जे.पी. को क्यों दोष दे रहे हो। बी.जे.पी. राष्ट्र हित में किसी भी चीज के लिए तैयार हो सकती है। लेकिन राष्ट्र हित में तैयार होने का मतलब कोई पागलपन नहीं है कि कोई भी कुछ भी मांग ले और हम दे दें कि ले लो। यह कोई साधु-संतों की जमात नहीं है, विश्व हिंदू परिषद हमारे साथ है इसका मतलब यह नहीं है कि सारे साधु हैं और इस बजट को हम

समर्थन दें। मैं बजट पर भाषण नहीं कर रहा अखबारों में इश्तिहार छापे, कार सस्ती, टी.वी. सस्ता, ए.सी. सस्ता, सेलुलर फोन सस्ता, चिदम्बरम जी की कृपा से सब सस्ता ही सस्ता - क्या इसे सपोर्ट करें।

अध्यक्ष महोदय, ये किसान हैं, इनको क्राप इश्योरेंस की चिन्ता नहीं है। इनको ओपन इश्योरेंस की चिन्ता है। अगर ये क्राप इश्योरेंस की चिन्ता करें, तो हम समझ सकते हैं। इसलिए हमें नहीं लगता कि हमें समर्थन देने की कोई आवश्यकता है। सोमनाथ जी, आप वामपंथी दलों के इतने ज्येष्ठ नेता हैं। मैं तो आपके आने से पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे इस हिप्पोक्रेसी के बारे में कुछ नहीं कहना। यह वर्षों से चलता आया है कि कांग्रेस का समर्थन चाहिए। उनका समर्थन नहीं चाहिए! अगर इस प्रकार से होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कुछ निकलेगा।

अध्यक्ष जी, अभी सोमनाथ जी ने अपने भाषण में कहा - सीताराम वाजपेयी। वे इतने अच्छे वक्ता हैं और उनको अभी सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान भी मिल चुका है। इससे स्वाभाविक है कि उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई है। यह उन्होंने गलती से नहीं कहा है। वे इतने बुरे वक्ता नहीं हैं कि सीताराम केसरी के पीछे का केसरी शब्द भूल जाएं और अटल बिहारी वाजपेयी का वाजपेयी शब्द सीताराम के साथ प्रयोग कर दें। मैं उनको जानता हूँ। वे बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत बड़े वकील हैं। प्रोफेसर भी हैं। लॉ कालेज में पढ़ाते हैं। उन्होंने केसरी को सीताराम वाजपेयी कहा और सीताराम केसरी क्या कहते हैं - वे कहते हैं देवेगौड़ा वाजपेयी। यानी दोनों में वाजपेयी कामन हैं। इस प्रकार वे यह बताना चाहते हैं कि वाजपेयी जी कोई खलनायक हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि वाजपेयी कोई खलनायक नहीं है वाजपेयी जी इस देश के महानायक हैं, राष्ट्र नायक हैं। इस बात को जनता भी मानती है। आप चाहे कितनी कोशिश कर लें, वह सब बेकार हो जाएगी।

आप आखिर इकट्ठे क्यों होते हैं। सदन में श्री राम विलास पासवान से लेकर श्री प्रियरंजन दासमुंशी तक के भाषण हुए। सबने कहा कि झगड़े में मत पड़ो, दोस्ती कर लो, बांट लो। नहीं तो ये आ जाएंगे। आपने यही सदन में कहा। आपको असली डर सांप्रदायिकता का नहीं है, आपको असली डर भारतीय जनता पार्टी का है। अगर भारतीय जनता पार्टी को जीतना है, तो लोगों से वोट लेकर जीतेगी। ऐसे ही शहरों से वोट लेकर नहीं जीतेगी। किसी मैनीपुलेशन से नहीं जीतेगी। यहां कोई बिहार की राजनीति थोड़े ही चलेगी। अगर जीतना है, तो लोगों के पास जाना पड़ेगा और लोगों से वोट लेना पड़ेगा। हिन्दुस्तान के लोग आज वाजपेयी जी की सस्कार चाहते हैं। इसलिए आप कितनी भी दोस्ती करने की कोशिश करें और शायद कुछ दिन आप अपनी सरकार को बचा भी लें, छोड़ा बदल भी दें, कोई और लंगड़ा बोड़ा ले आएँ, उससे ज्यादा दिन तक आपकी सरकार चलने वाली नहीं है। हम चिन्तित

नहीं हैं। आज के संकट के दोषी आप हैं और यह भी सत्य है कि आपको हमारा भय है क्योंकि आप जानते हैं कि आप पिछले 10 महीनों में ऐसे खेल दिखाए हैं, अगर आने वाले चार-छः महीनों में कुछ और ऐसे खेल दिखाओगे और कोई गड़बड़ करोगे, तो हिन्दुस्तान की जनता समझ जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, आज अगर हिन्दुस्तान को कोई स्थिर सरकार दे सकता है, तो अटल जी के नेतृत्व में हम और हमारे दोस्त मिल कर स्थिर सरकार दे सकते हैं। स्थायित्व का दावा अब हम करेंगे। इसलिए आज भले ही आप इस संकट से निपट लें, लेकिन आज नहीं तो कल और कल नहीं, तो परसों, आपको जनता के पास जाना होगा और जब आप जनता के पास जाएंगे, तो इस विश्वास मत का परिणाम कुछ भी हो, जनता के पास अटल जी के नेतृत्व में हम इतना विश्वास मत लेकर आएंगे कि आपके इकट्ठे होने से भी हमारे राज को कोई रोक नहीं सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं अगले वक्ता को बुलाऊँ, मैं सदन को यह स्मरण कराना चाहता हूँ कि सर्वदलीय बैठक में लिया गया निर्णय यह था कि बहस 7 बजे से पहले समाप्त की जानी चाहिए जिससे प्रधानमंत्री उसके बाद अपना जबाव दे सकें और 8 बजे तक मतदान करवाया जा सके। मैं समझता हूँ कि अभी भी बोलने वालों की एक बहुत लंबी सूची, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण वक्ता शामिल हैं, बाकी है। इसलिए, हमें समय के बारे में काफी सावधान होना पड़ेगा।

मैं सभी वक्ताओं से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे इस बात का ध्यान रखें कि हमारे पास अधिक समय उपलब्ध नहीं है।

श्री शिवराज वी. पाटिल जी कृपया आप बोलिए।

श्री शिवराज वी. पाटिल (लातूर) : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ आपने कहा, मैं उसका अनुपालन करूँगा और बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहूँगा।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री शिवराज वी. पाटिल : महोदय, मैं यहां किसी व्यक्ति या किसी पार्टी की आलोचना करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे देश में उत्पन्न होने वाली कई ऐसी स्थितियों के संबंध में जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

[श्री शिवकाज जी. पाटिल]

अपराह्न 5.30 बजे

[श्री पी.एम. साईद पीठासीन हुए]

यह सभा सर्वोच्च है। यह सभा हमारे देश में सबसे शीर्ष संगठन है और इस सभा में बैठे हुए सभी सदस्य बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही अनुभवी और ऐसे दृष्टिकोण वाले हैं जिससे देश की वास्तव में सहायता हो सकती है। इसलिए, यह हमारे लिए आवश्यक हो गया है कि हम यह पता लगाएं कि वास्तव में समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं के वास्तविक समाधान क्या हो सकते हैं? अगर हम वास्तविक समस्याओं का पता लगाने में गलती करते हैं और यदि हम वास्तविक समाधानों का पता लगाने में कोई गलती करते हैं, तो मुझे भय है कि इससे व्यक्तियों को नुकसान होगा, पार्टियों को नुकसान होगा, लोगों को नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा और प्रणाली को भी नुकसान होगा। इसीलिए, मैं सोचता हूँ कि इस बहस के दौरान हमारे सामने कौन-कौन सी समस्याएं आई हैं, हमें इस बात का पता लगाना चाहिए।

अगर मैंने बहस को सही ढंग से समझा है, तो इस बहस के दौरान मैंने एक समस्या यह पाई है कि क्या हमें तुरंत चुनाव कराने चाहिए कि नहीं। राजनीतिज्ञों को चुनावों से नहीं डरना चाहिए और अगर यह अति आवश्यक हो जाता है तो हमें लोगों के पास जरूर जाना चाहिए और उनके फैसले के साथ वापस आना चाहिए। परंतु क्या यह हमारे देश के लिए, जिसकी जनसंख्या 95 करोड़ है हर साल चुनाव कराना ठीक है? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका हमें जवाब देना चाहिए।

मेरे विचार से, अधिकांश सदस्य चाहे वे इस पार्टी के हों या विरोधी पार्टियों के, या चाहे वे सत्ता दल के हों या सहयोगी दलों के, मैं समझता हूँ - जैसा कि मेरा विचार है कि वे चुनाव करवाना नहीं चाहते। अगर वे चुनाव करवाना नहीं चाहते और अगर अन्य लोग भी चुनाव नहीं करवाना चाहते, तो क्या इस सभा में हमें ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए जिसमें चुनाव कराना हमारे लिए आवश्यक हो जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका हमें जवाब देना चाहिए। मेरे विचार से हमें इस प्रश्न का जवाब इसी सभा में दिया जाना चाहिए। यही कहना काफी नहीं है कि यह एक समस्या है और उसका समाधान ही न ढूँढा जाए। यह हमारी शक्ति के अधीन होना चाहिए। इसका समाधान निकालना हमारी क्षमता में होना चाहिए। हमें इस समस्या का समाधान ढूँढना कठिन क्यों लग रहा है? मेरे विचार से हमें इसका समाधान निकालना कठिन इसलिए लग रहा है क्योंकि कई बार हमने किसी सिद्धांत के आधार पर काम न करके अपने मस्तिष्क के अंतर्गत होने वाली किसी प्रवृत्ति के आधार पर और किसी प्रकार की घृणा के आधार पर काम किया है।

हमने भाषण सुने हैं और इन भाषणों में देखा कि कांग्रेस-विरोधी, पार्टी विरोधी, कुछ पार्टीवाद या इस वर्ग विरोधी या उस वर्ग-विरोधी जैसी बातें ही सामने आईं। अगर इस तरह की घृणा रही तो कोई भी समाधान ढूँढना बहुत मुश्किल होगा।

इस समस्या के संबंध में मेरा साधारण सा अनुरोध, सुझाव और अपील यह है कि सभी दलों के नेता इकट्ठे बैठकर समाधान निकालें और कोशिश करें कि तुरंत चुनाव न हों। अगर चुनाव होते हैं, तो चाहे हम इसे चाहें या न चाहें, जबरदस्ती हम लोगों के पास जाएंगे पर हिचकिचाहट और निराशा के साथ नहीं, बल्कि साहस के साथ हम लोगों के पास जाएंगे।

किन्तु समय और स्थिति की मांग यह है कि हमें चुनाव से बचना चाहिए। यह किसी एक या अन्य पार्टी के लिए नहीं है, हम सभी को यह देखना है कि ऐसा समाधान, जो बहुमत को और अगर संभव हो तो इस सभा के सभी लोगों को स्वीकार्य हो, निकाला जाए और उस समाधान को लागू किया जाए।

इस बहस में सामने आने वाली दूसरी समस्या क्या है? इस समस्या पर एक-दो सदस्यों ने विचार प्रकट किए हैं। मैं समझता हूँ श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य सदस्यों ने भी इसका उल्लेख किया है। श्री प्रमोद महाजन ने भी अपने परिहासपूर्ण एवं सुन्दर भाषण में इसका उल्लेख किया है। अगर यह सरकार कायम रहती है, तो इस बजट को पारित करने में कोई समस्या नहीं होगी। परंतु यदि सरकार आगे नहीं चलती है, तो प्रश्न यह उठता है कि क्या बजट पारित किया जा सकता है या नहीं? प्रक्रिया के संबंध में जितना मुझे ज्ञान है उससे पता चलता है कि बजट को पारित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर इस सभा के सभी सदस्य चाहते हैं, तो बजट पारित हो जाएगा। बजट को पारित करने में कोई तकनीकी कठिनाई नहीं होगी। अगर सरकार आगे चलती है तो निश्चय ही कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर सरकार नहीं चलती है, फिर भी अगर सदस्य चाहते हैं कि बजट पारित किया जाए, तो इस बजट को पारित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस बजट को पारित करने में कोई तकनीकी कठिनाई नहीं होगी और हम इसका समाधान ढूँढ सकते हैं।

जिस तीसरी समस्या को उछाला गया है और जिस पर बहस की गई है, वह सरकार की स्थिरता के संबंध में है। दुर्भाग्यवश, पिछले दस महीनों में हमारे लिए यह आवश्यक हो गया था कि तीन विश्वास प्रस्ताव लाए जाएं। दस महीने के समय में हमें तीन विश्वास प्रस्ताव लाने पड़े। यह एक विडंबना है कि जो बात नियमों के अंतर्गत पूरी नहीं हो सकती, हमसे वह करने की आशा की जा रही है और जो बात नियमों के अंतर्गत की जानी चाहिए, वह नहीं की जा रही है। अविश्वास प्रस्ताव का तो प्रावधान है, परंतु विश्वास प्रस्ताव का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी हमने एक

ऐसी स्थिति पैदा की है जिसमें हमें सभा में आकर सरकार में विश्वास व्यक्त करने के संबंध में कहना होगा। मैं इसके तकनीकी और कानूनी पहलुओं की बात नहीं कर रहा हूँ। परंतु सच्चाई यह है कि तीन बार हमें सभा के समक्ष आना पड़ा और कार्य पालिका में इस सभा के विश्वास के संबंध में कहना पड़ा। यह बात हम सभी को याद रखनी चाहिए और हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए।

चार वर्ष पहले 1993 में मैंने कहा था कि इस सदन में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं होगा मुझसे पूछा गया था आप ये सब बातें क्यों कह रहे हैं और हमें निराश क्यों कर रहे हैं? आज 1997 में स्थिति यह है कि आज तीन समूह हैं। और ये तीन समूह समान रूप से ताकतवर हैं। अगर दो समूह साथ नहीं मिलते हैं तो कोई सरकार नहीं बन सकती है और इसी स्थिति के कारण सरकार स्थिर नहीं है। श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री जसवंत सिंह और मैं समझता हूँ कि श्री राम विलास पासवान ने भी कहा था कि यदि हम अब चुनाव कराते हैं, तो हमें इन तीनों पार्टियों में से किसी को भी बहुमत नहीं मिलेगा। यह एक भविष्यवाणी है। यह हमारा आकलन है कि चुनावों के बाद भी कोई पार्टी बहुमत प्राप्त नहीं करेगी। सामान्यतः, जो स्थिति अब है वही स्थिति आम चुनावों के बाद भी जारी रहेगी। अब, अगर यह स्थिति है तो क्या इस सभा के और इस संसद के माननीय और बुद्धिमान सदस्यों के लिए यह आवश्यक नहीं हो जाता कि वे इसका समाधान निकालें कि ऐसी स्थिति में भी कुछ ऐसी बातें हों, जिससे सरकार को तर्कसंगत स्थिरता प्राप्त हो। कुछ तो ऐसा है जिसके कारण हमें हर छठे महीने, हर साल या दूसरे साल लोगों के पास उनके मत मांगने नहीं जाना पड़ेगा।

श्री राम विलास पासवान, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री जसवंत सिंह और कांग्रेस पार्टी के कुछ अन्य लोगों ने भी यह कहा कि ऐसा लगता है कि हम गठबंधन के युग में आ गए हैं। अगर हम गठबंधन के युग में हैं और यदि गठबंधनों ने विगत में सही ढंग से कार्य नहीं किया तो हमें कोई समाधान नहीं ढूंढना चाहिए? क्या हमें कोई तरीका नहीं ढूंढना चाहिए जिससे गठबंधन सरकार बने और कार्य करे? प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोरारजी भाई की गठबंधन सरकार थी। प्रधान मंत्री के रूप में श्री वी.पी. सिंह की गठबंधन सरकार थी। श्री चंद्रशेखर की एक ऐसी सरकार थी जो वास्तव में गठबंधन सरकार तो नहीं थी, परंतु उसे कांग्रेस पार्टी का सहयोग प्राप्त था। ये तीनों सरकारें ज्यादा देर नहीं चल सकीं। वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकीं, और यह सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर रही है। हम एक ऐसी स्थिति में हैं जिसमें हमें या तो लोगों के पास वापस जाने जैसा या एक दूसरे से समझौता करने जैसा समाधान ढूंढना पड़ेगा।

अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो क्या हमारे लिए कोई समाधान ढूंढना आवश्यक नहीं है? क्या हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम एक ऐसी प्रणाली पर ही निर्भर रहें जिसे इस देश में पूर्णतया स्वीकार किया गया है? अब तक, जब महान नेता विद्यमान थे, स्वतंत्रता संग्राम की भावना थी, सिद्धांत थे, सरकारें स्थिर होती थीं। पंडित जी की सरकार एक स्थिर सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार स्थिर थी, श्री राजीव गांधी की सरकार स्थिर थी, श्री पी.वी. नरसिंहराव की सरकार भी स्थिर सरकार थी। परंतु ये गठबंधन सरकारें स्थिर नहीं हो सकतीं। अगर गठबंधन सरकारें स्थिर नहीं हैं और अगर गठित की जाने वाली गठबंधन सरकारें स्थाई नहीं होने वाली हैं, तो क्या हमें इसका समाधान नहीं ढूंढना चाहिए? इस प्रश्न का जवाब हम सभी को देना चाहिए। वही तात्कालिक समस्या है। मुझे विश्वास है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता इकट्ठे बैठकर इस समस्या का समाधान ढूँढ़ेंगे। क्या हम इस दीर्घाधि समस्या को लंबे समय तक दबा सकते हैं और अगर हम लंबे समय तक दबाते हैं, तो फिर हम देखेंगे कि सोवियत संघ जैसे देश में जो हुआ, वही यहां भी होगा - तब इसका परिणाम क्या होगा? अगर गठबंधन सरकारें नहीं चलती हैं और अगर हमें बार-बार चुनाव कराना पड़ेगा, तो क्या होगा? वास्तव में इस प्रश्न का हमें उत्तर तो देना ही पड़ेगा।

कुछ लोग पूछते हैं: 'इस समस्या का समाधान क्या है? इस प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहां इसका एक समाधान राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था दिया गया है और क्या यह इस देश के अनुकूल है या नहीं, इस बात का फैसला हम सभी को करना होगा। अगर यह अनुकूल है तो हम इसे अपनाएं। अगर यह अनुकूल नहीं है तो हम इसे न अपनाएं। कई देशों में राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था चल रही है, परंतु कई देशों में यह नहीं चल सकी। जहां तक सोवियत संघ का प्रश्न है, यह नहीं चली। इसलिए, प्रश्न यह है कि हमारे देश में, जहां कई धर्म हैं, कई भाषाएं बोली जाती हैं, क्या हम राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था को सफलतापूर्वक चला सकते हैं? मेरे विचार से हम संसदीय प्रणाली के बारे में भी कुछ कर सकते हैं और हम एक तरह से तर्कसंगत स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि किस प्रकार से या किस तरीके से हम भारतीय संविधान के अंतर्गत गठित सरकार को तर्क संगत स्थिरता प्रदान कर सकते हैं?

मेरे विचार से, सकारात्मक विश्वास प्रस्ताव की प्रणाली होने से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके चांसलर को हटाया नहीं जा सकता। चांसलर को तभी हटाया जा सकता है जब किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में, जो चांसलर नहीं है, सकारात्मक प्रस्ताव पारित किया जाए और जब इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो पूर्व चांसलर को जाना पड़ता है। इससे जर्मनी की सरकार को स्थिरता मिली है। कुछ ऐसे देश हैं जहां प्रधानमंत्री और मंत्रियों

[श्री शिवराज जी. पाटिल]

को सदन के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है और एक बार उनका चुनाव हो जाने पर उन्हें साधारण बहुमत या पूर्ण बहुमत से भी उनके स्थानों से नहीं हटाया जा सकता। उनके संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि उन्हें उनके स्थानों से हटाने के लिए विशेष बहुमत होना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को चुनने के लिए और उसे हटाने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार के तरीके से एक तर्क संगत स्थिरता दी जा सकती है।

मैं इस सम्मानित सभा के समक्ष यह सुझाव देना चाहता हूँ कि आज जो सरकार है उसे पूरी तरह जवाबदेह और उत्तरदायी होना चाहिए। हर छोटी बात के लिए सरकार को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, एक रुपए के कटौती प्रस्ताव द्वारा सरकार को गिराया जा सकता है; राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव न पारित करके हम सरकार को गिरा सकते हैं; स्थगन प्रस्ताव पारित करते हम सरकार को गिरा सकते हैं; और साधारण बहुमत द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके भी हम सरकार को गिरा सकते हैं।

यह साधारण बहुमत क्या है? लगभग 540 सदस्यों वाले इस सदन में अगर सौ सदस्य उपस्थित होते हैं और 51 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत देते हैं, तो सरकार को जाना पड़ेगा। यह एक बिल्कुल ही अलग बात है कि ऐसी स्थिति में सभी पाटियों को यह देखना होता है कि जब इस सदन में मतदान किया जा रहा हो, तो उनके सभी सदस्य वहाँ विद्यमान हों। यह बिल्कुल ही अलग बात है। परंतु प्रश्न यह है कि यह एक साधारण बहुमत है। इसलिए मैं यह सुझाव दे रहा हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे अधिक स्थिरता दी जा सके। यही देखना काफी नहीं है कि वर्तमान सरकार काम करती है अथवा चली जाती है; यही देखना काफी नहीं है कि वर्तमान बजट पारित होता है या नहीं। सरकार को काम करना होगा; अगर यह चलती है; अगर यह नहीं चलती, तो हम दूसरी सरकार चुन सकते हैं। अगर हमें बजट पारित करना है, तो हमें बजट पारित करना होगा। परंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि तर्कसंगत रूप से स्थिर और अधिक स्थिर सरकार का होना ही समस्या है।

इस समय, जब हमारे पास समय उपलब्ध है, यदि आप इस समस्या का समाधान नहीं करते हैं, तो भविष्य हमें दोषी ठहराएगा। हम वे लोग हैं जो इस सर्वोच्च निकाय में बैठे हुए हैं। इससे ऊपर कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो इस तरह की राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान दे सके। अगर हम इन दीर्घकालिक समस्याओं की तरफ से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तथा एक दूसरे पर हंसते हुए, एक दूसरे से नफरत करते हुए, एक दूसरे की निंदा करते हुए, और बड़ी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हुए दिन

प्रतिदिन की समस्याओं को ही सुलझाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि यह देश या इस देश की भावी पीढ़ियाँ हमें माफ करेंगी।

जहाँ तक श्री देवेगौड़ा का संबंध है, मैं उन पर आरोप नहीं लगा सकता। वे काफी कठिन स्थिति में हैं और इस स्थिति का सामना करना होगा। उस समस्या का समाधान करने में हम सभी को आपस में सहयोग करना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। यहाँ तक कि श्री देवेगौड़ा जी को भी सहयोग और मदद करनी होगी; स्थिति का भी साथ देना होगा। स्थिति गंभीर है। मतदाताओं द्वारा दिया गया जनादेश भी जटिल है। किसी का कहना है कि यह इस बात के पक्ष में है, यह उस बात के पक्ष में है, यह इस बात के विरुद्ध है, यह उस बात के विरुद्ध है। ये स्थिति के वास्तविक मूल्यांकन नहीं हैं। अगर आप कहते हैं कि यह ठीक है या वह ठीक है तो आपका ऐसा कहना सही नहीं है। परन्तु किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना कठिन है। स्थिति गंभीर है और हमें कोई समाधान ढूँढ़ना होगा तथा मुझे आशा है कि यह सम्मानित सभा ऐसा कोई समाधान ढूँढ़ लेगी जो इस सभा में बैठे लोगों तथा इस सभा के बाहर भी लोगों की इच्छाओं के अनुरूप हो।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदंबरम) : सभापति महोदय, मैं श्री एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् में विश्वास मत प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव के समर्थन के लिए दस महीने में दूसरी बार खड़ा हुआ हूँ।

दस महीने पहले, मैंने गर्व, दूरदृष्टि, भावी दृष्टिकोण और उपलब्धि की भावना को ध्यान में रखते हुए कहा था कि 544 सदस्यों वाली इस सम्मानित सभा ने लोगों के जनादेश की सही-सही व्याख्या की थी। आज जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे उपलब्धि की अनुभूति हुई, मुझे गर्व का भी अनुमान हुआ साथ ही भावी घटनाओं की भी अनुभूति हुई। परन्तु मुझे यह मानना पड़ेगा कि मेरे दिल में काफी दुख है कि इस संसद, इस सभा को, लोगों के जनादेश से गुमराह किया जा रहा है और जो कुछ लोगों ने दस महीने पहले निर्णय लिया था, उसका गलत अर्थ लगाया जा रहा है। मैं इसे स्पष्ट करूँगा।

इस देश का शासन चलाना आसान काम नहीं है। हम सभी कभी-न-कभी सरकार में रह चुके हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी लगभग दो-ढाई वर्षों तक विदेश मंत्री रहे थे। हम सभी किसी न किसी राज्य की सरकार में रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वास्तव में ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी जो सरकार में न रही हो या जो अब सरकार में न हो या जो सरकार में न आना चाहती हो। वास्तव में, चुनाव की राजनीति शासन करने की आकांक्षा इस देश के जन-प्रतिनिधि के रूप में शासन करने की आकांक्षा पर आधारित है।

जैसाकि मैंने कहा है, भारत का शासन चलाना आसान काम नहीं रहा है। आजादी के तुरंत बाद सरदार पटेल को बहुत ही जटिल स्थिति का सामना करना पड़ा - किस तरह कोई 600 जमींदारी भागों, 600 स्वतंत्र भागों पर शासन कर सकता है। फिर भी, उन्होंने भारत को एकजुट करने की कोशिश की तथा वे भारत का एक सम्पूर्ण नक्शा बनाने में सफल रहे जिसमें कहीं कोई अलग टुकड़ा नहीं था।

पंडित जवाहर लाल नेहरू को न केवल इस सभा का पूरा-पूरा सहयोग मिला बल्कि भारत के लोगों का भी प्यार और स्नेह मिला। फिर भी, उन्हें भारत पर शासन करने में कठिनाई आई और ये कठिनाइयां साठ के दशक के प्रारंभ में बहुत जटिल हो गई थीं और उनके शासन काल के अंतिम दिनों में यह स्पष्ट हो गया था कि पंडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी को सरकार चलाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

पहले किसी भी समय से अब भारत का शासन चलाना बहुत कठिन बात हो गई है। मई 1996 में भारत के लोगों का फैसला सामने आया। यह बहुत ही उलझा हुआ फैसला था। कोई इसकी किस तरह व्याख्या करता है? मेरे मित्र श्री प्रमोद महाजन को ही लें, दस महीने बाद उन्होंने इसकी व्याख्या एक अलग ही तरीके से की। एक ऐसे तरीके से जिसमें लोगों के एक बड़े भाग को अलग रखा गया। वास्तव में, जब श्री जसवन्त सिंह ने बहस शुरू की, तो मैंने समझा कि वे डेलकारनेगी की किताब 'हाऊ टू विन फ्रेंड्स एंड इनफ्यूएंस पीपुल' से कोई पृष्ठ पढ़ रहे हैं। जब श्री प्रमोद महाजन बोले तो मैंने समझा कि वे मेन कांफ पुस्तक से प्रभावित थे। क्या लोगों के जनादेश की व्याख्या करने का यही तरीका है। हम भारत में विशेष पार्टियां नहीं हो सकते। हम शासन की प्रक्रिया से औरों को अलग नहीं कर सकते। विपक्ष के नेता को सम्मान के साथ मैं कहता हूं कि भाजपा की गलती यह है कि विख्यात लोगों के होते हुए जो औरों को अलग करने के सिद्धांत से ऊपर उठना चाहते हैं, यह पार्टी अब भी यह संदेश देती है कि यह भारत के शासन में लोगों के बड़े भाग को अलग रखेगी।

हमने इसकी व्याख्या कैसे की? जब मैंने कहा 'हम' तो इस पक्ष के और उस पक्ष के सदस्यों ने इसकी व्याख्या कैसे की थी? हमने इसकी व्याख्या एक साथ बैठकर तथा अपने आपसे यह पूछकर की थी : "आवश्यकता क्या है" मेरा अभिप्राय है कि किसी का अपमान न हो।

मेरा जीवन कांग्रेस पार्टी में राजनीति करते हुए बीता है। मैं किस तरह भूल सकता हूं कि आज मैं जो कुछ हूं वह मुझे कांग्रेस पार्टी ने बनाया है? परन्तु जनमत कहता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने का अपना नैतिक अधिकार खो दिया है -

हमेशा के लिए नहीं। मई 1996 में, कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करने का अपना नैतिक अधिकार खो दिया। यह पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसा हुआ है। राजीव जी के साथ ऐसा 1989 में हुआ था और उन्होंने इसे बड़े शांत भाव से स्वीकार किया था। इससे पहले ऐसा 1977 में हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने इससे शिक्षा ली और कहा : क्या भारत में ऐसा कोई है, क्या भारत में अन्य पार्टियां हैं, क्या भारत में पार्टियों का ऐसा समूह है जो बदलती हुई राजनैतिक परिस्थितियों के कारण हुए परिवर्तनों से पैदा कांग्रेस पार्टी द्वारा निर्धारित किए गए कार्यक्रमों को चला सकें?

महोदय, यह उन्हीं परिस्थितियों की देन है कि क्षेत्रीय पार्टियां एक साथ इकट्ठी हुईं। हम भारत में शासन चलाने के बारे में व्यंग्यपूर्ण बातें न करें। हम भारत में शासन चलाने के बारे में कोई उपहास न करें। भारत में प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति के लिए क्षेत्रीय दलों को एकजुट रखना, राष्ट्रीय दलों को एकजुट रखना और बड़ी संख्या में लोगों को एकजुट रखना आसान नहीं है।

वास्तव में, उनके इस काम से मुझे ईर्ष्या नहीं है। आज, वास्तविक शक्ति जन-सामान्य के हाथ में चली गई है। हमें इतिहास पर नजर डालनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने किस तरह और क्यों विभिन्न राज्यों में अपनी प्रभावी स्थिति खो दी है? मैं ऐसे राज्य से आया हूं जहां कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रभावी स्थिति खो दी है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस यह समझने में असफल रही कि शक्ति उच्च वर्ग, ऊंची जातियों, धनी वर्गों से गांवों के लोगों, मध्यम वर्ग और सबसे निम्न जातियों, अति गरीब लोगों, बेरोजगार लोगों, निर्धन लोगों, आय-विहीन लोगों, अब तक मूक पड़े लोगों के पास जा रही है। जैसे-जैसे नीचे की ओर प्रवाहित होती गई, जैसाकि लोकतंत्र में होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों में अपना प्रभुत्व खो दिया। क्षेत्रीय दल लोगों की आकांक्षाओं को जगाने में अच्छी तरह से सफल रहे। इससे तमिलनाडु में डी.एम.के. और अन्ना.डी.एम.के., आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, असम में असम गण परिषद्, पंजाब में अकाली दल, अब हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी और केरल में कई पार्टियों के उत्थान की बात स्पष्ट होती है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा।

भारत में विभिन्न क्षेत्रों में पर लोगों की आकांक्षाएं पृथक् पाई जाती हैं और चूंकि क्षेत्रीय नेता, लोगों के अधिक करीब होते हैं जन-सामान्य के प्रतिनिधि सच्चाई को, लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को, अच्छी तरह प्रकाशित कर पाते हैं। यदि आप कोई ताजा उदाहरण जानना चाहते हैं तो आप कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस को देख सकते हैं। सालों-साल आतंकवादी उनका पीछा करते रहे। कई सालों तक उनके नेताओं को कश्मीर में जन-सभाओं को सम्बोधित नहीं करने दिया गया। इस पार्टी ने संसदीय चुनावों में

[श्री पी. चिदंबरम]

भी भाग नहीं लिया परन्तु पार्टी के नेताओं को लोगों ने विधान-सभा चुनावों में सत्ता सौंप दी। मेरे मित्र श्री जसवन्त सिंह तो इस तथ्य से वाकिफ़ हैं ही परन्तु मैं श्री प्रमोद महाजन से अपील करता हूँ कि वे भारत के शासन का मज़ाक न उड़ाएँ, क्षेत्रीय पार्टियों के शासन का मज़ाक न उड़ाएँ चूँकि वे इस तथ्य को स्वीकार करने से इंकार करते हैं, पर वे इसे समझने में असमर्थ हैं या इसे समझने के इच्छुक नहीं अथवा वे एक हास्य कलाकार की भूमिका अदा करना चाहते हैं।

दस महीने पूर्व राष्ट्रीय दलों, सी.पी.आई.(एम.), सी.पी.आई., और जनता दल यदि एक मोर्चे ने, जिसका अभी भी कई राज्यों में प्रभाव है, और कुछ राज्य-स्तरीय दलों ने मिल कर सरकार बनाई। इस सरकार का चुनाव घोषणा-पत्र कुछ सिद्धांतों पर आधारित था। मुझे लगता है कि श्री पी.आर. दासमुंशी ने इसे विस्तार से बताया है और हम सभी इसमें भागीदार हैं, इस गठबंधन का घोषणापत्र का प्रथम मूल-सिद्धांत यह था कि यह जनतंत्रीय आधार है। इस सदन के अतिरिक्त सत्ता और किसी को भी नहीं सौंपी जा सकती। हम यह सिद्ध करना चाहते हैं कि यह सदन ही कार्य करे। हम यह सिद्ध करना चाहते हैं कि भिन्न-भिन्न दलों के सदस्य इस सदन के 544 सदस्य अभी भी सरकार दे सकते हैं। अन्य कारकों की ओर ध्यान देते समय इस बात को नहीं भुलाया जाना चाहिए। प्रथम मूल सिद्धांत है लोकतंत्र दूसरा है धर्म-निरपेक्षता। यह गुणवत्ता-क्रम नहीं है। मैं तो केवल इनकी सूची बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला सिद्धांत नीचे वाले सिद्धांत से अधिक श्रेष्ठ है।

श्री चन्द्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने तो उनका सर्वाधिक प्रभावशाली भाषण मैंने भी सुना। यह देश सिवाय धर्म-निरपेक्षता के, और किसी सिद्धांत के सहारे चल ही नहीं सकता, अतः इसे धर्म-निरपेक्ष ही रहने दें। क्या आप ऐसे भारत की कल्पना कर सकते हैं जिसमें रहने वाले सब लोग एक ही धर्म के अनुयायी हों? क्या आप ऐसे भारत की कल्पना कर सकते हैं जहाँ के सब लोग एक ही भाषा बोलते हों? क्या आप ऐसे भारत की कल्पना कर सकते हैं जहाँ के निवासी एक माडल, एक कोड, एक जैसे शासन के अनुगामी हों? होगा तो फिर भी वह एक देश ही परन्तु वह भारत नहीं होगा। जिस भारत देश को हम जानते हैं वह विभिन्न धर्मों का आलम है, विभिन्न भाषाओं का घर है, अनेक सांस्कृतिकों का समन्वय है।

अपराह्न 6.00 बजे

जिस भारत का शासन हम चलाने का दावा करते हैं, वह केवल धर्म-निरपेक्ष भारत ही हो सकता है। 40 वर्ष तक लगातार जिस सिद्धांत के आधार में चलाया जाता था अर्थात् 'विभिन्नता में एकता' नामक सिद्धांत से जाने जाने वाले भारत को फिर यदि उस भारत को एक समान कोड से चलाया जाए, चाहे वह कोड

राजनीतिक हो, धार्मिक हो या नागरिक तो आप उस भारत देश को नष्टप्रायः कर देंगे जिसे हमने स्वतंत्र करवाया था और साथ ही उस भारत को भी जिससे हम स्नेह करते हैं और जिसे चाहते हैं।

धर्म-निरपेक्षता के सिद्धांत से, भी जो सिद्धांत कुछ आगे बढ़ जाता है, वह है तीसरा सिद्धांत 'बहुत्ववाद' का। हमारा देश बहुत्ववाद का देश है। हमें यह तो अवश्य मानना होगा कि मतभेद तो होंगे ही। वास्तव में हमें इस तथ्य को अवश्य मानना होगा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि चालीस वर्ष के लम्बे अन्तराल में बृह-प्रकार-वादी आकांक्षाएं उभर कर आगे नहीं आईं। 975 मिलियन लोगों की जनसंख्या वाले भारत में अनेक प्रकार की विचारधाराएं होंगी। श्री प्रमोद महाजन ने अपने भाषण में भारत के इस बहुत्ववाद को स्वीकार करने से इंकार किया है, उस पर मुझे आपत्ति है।

महोदय, जैसा कि मैंने कहा है यहां क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं। भारत इतना बड़ा देश है जिसे केवल दिल्ली से ही नहीं चलाया जा सकता। भारत इतना विभिन्नता-युक्त देश है कि दिल्ली की सरकार यह नहीं कह सकती "आप यह करेंगे और यह नहीं करेंगे" जैसा कि विगत दस महीने में जैसा कि हमने दिखा दिया है कि इस देश को और भी अच्छे ढंग से और कुशलता से चलाया जा सकता है। क्षेत्रों को अधिकार न्यस्त करके, राज्यों को अधिकार समर्पित करके। अन्ततः, मैं यह कहना चाहता हूँ और कांग्रेस पार्टी के अपने मित्रों से अपील करता हूँ और इसमें विश्वास करता हूँ, विगत दस महीनों के दौरान जो बात स्पष्टतः सामने आई है, जो हमारी संविधान की प्रथाओं में भी लिखी गई है वह यह है कि भारत को प्रभावी केन्द्र सरकार द्वारा नहीं, अपितु सहकारी संघवाद के माध्यम से शासित किया जा सकता है।

महोदय, हमने क्या किया है? मुख्यमंत्रियों की बैठकों में, राष्ट्रीय विकास परिषद और अर्न्त-राज्य परिषदों की बैठकों के दौरान आप कुछ भी कहते रहें परन्तु बी.जे.पी. के मुख्य-मंत्रियों, शिव-सेना के मुख्यमंत्रियों, अन्य दलों के मुख्यमंत्रियों ने एकत्रित होकर पक्षपात रहित जो रवैया दिखाया है, मुझे लगता है, आज बी.जे.पी. के सदस्यों में भी दृष्टिगोचर नहीं होता। मैं उन मुख्यमंत्रियों की सराहना करता हूँ। मैं उन्हें सलाम करता हूँ। यदि मुझे ठीक-ठीक याद है तो हमने मुख्यमंत्रियों की तीन, अर्न्त-राज्य परिषद् की दो, राष्ट्रीय विकास परिषद् की दो बैठकें आयोजित की हैं, विद्युत मंत्रियों और अन्य मंत्रियों की बैठकें भी बुलाई हैं। आप याद कीजिए। क्या आप किसी मुख्यमंत्री का एक भी विरोधी स्वर याद दिला सकते हैं जिसमें यह कहा गया हो कि प्रधानमंत्री ने जो किया, अथवा इन बैठकों की जो सर्वसम्मत राय जाहिर की गई, वह उचित नहीं थी? क्या किसी भी मुख्यमंत्री ने खड़े होकर यह कहा कि केन्द्र सरकार हमारी उपेक्षा कर रही, तथा ध्यान नहीं

रखती या यही हमारे प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती है? किसी भी बैठक में एक भी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं कहा।

मेरा विनम्र निवेदन यह है कि भविष्य में भारत का शासन केन्द्र में एक मंत्री-परिषद् मात्र द्वारा नहीं चलाया जा सकता। यह शासन तो केवल तभी चलाया जा सकता है जब केन्द्रीय मंत्री-परिषद् अपने साथ राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भी ले कर चले। पहली बार, हमने इस बात को मान्यता दी है, कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों का हक केवल राज्यों का प्रशासन चलाने में नहीं है अपितु केन्द्र के शासन चलाने में देश का शासन चलाने में भी उनका दायित्व और जबाबदेही है।

महोदय, इस सबका हमने कैसे कार्य-निष्पादन किया है? हम शक्तियों के विकेन्द्रीकरण में विश्वास करते हैं। हमने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह कहा है, हमने कहा है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को राज्यों में हस्तांतरित किया जाना चाहिए, हमने कहा है कि राज्यों को अधिक धन दिया जाना चाहिए। मुझे अपने बजट भाषण पर गर्व है जिसमें मैंने कहा है कि मैंने केन्द्रीय योजना में 2500 करोड़ रुपये की बचत की है। इसका मैंने बजट घाटे को पूरा करने अथवा केन्द्र की किसी अन्य योजना में प्रयोग नहीं किया। जहाँ मैंने 2500 करोड़ रुपये की बचत की, वहीं मैंने अतिरिक्त 2500 करोड़ रुपये राज्यों को भी दिये। मैंने हंसी-हंसी में इसका जिक्र किया है कि राज्य सरकारों को देने के लिए ही केन्द्र सरकार से धन जुटाया है।

यह कह कर कि केन्द्र सरकार के सब राजस्व राशियों और करों का 29% भाग राज्यों की ओर जायेगा, मैंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज शासन बहुत संकट में है। इसका कारण तो बताने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। मैं नहीं कह सकता कि यह स्थिति कब पैदा हुई और क्यों पैदा हुई। तत्पश्चात् मैं यह भी नहीं कह सकता कि यह सब ईस्टर संडे को ही क्यों हुआ मैं नहीं कह सकता कि यह तब क्यों हुआ जब भारत में सब लोग छुट्टी के मुड में थे, ईस्टर का दिन मनाने का माहौल था जब वेतन-भोगी लोग अगले दिन अपना वेतन पाने का इन्तजार कर रहे थे, जब नवी योजना एक अप्रैल से शुरू होने की आशा की जा रही थी, जब भारत और पाकिस्तान में वार्ता चल रही थी और जब 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री द्वारा गुट-निरपेक्ष मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन होना था। मैं नहीं कह सकता कि यह क्यों हुआ? मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि लाखों भारतीयों की तरह इससे मुझमें भी बहुत उदासी की भावना आई।

पिछले दस दिनों के दौरान हम सभी अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में हैं। लोग क्या कहते हैं। क्या वे खुश हैं? क्या जो कुछ हो रहा है उससे वे खुश हैं? क्या उन्हें हम पर गर्व है? क्या वे सोचते हैं कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं? क्या वे सोचते हैं कि

यहाँ सदन में बैठे-बैठे हम जो काम कर रहे हैं परिवर्तन ला रहे हैं, उससे अमृत पैदा होगा या जहर? भारत के लाखों लोगों के दिलों में उदासी भरी पड़ी है।

मैं इस सरकार की बहुत बड़ाईयाँ नहीं कर रहा। यह सरकार दस महीने से सत्ता में है। पहले दो तीन महीने विशेषकर बहुत कठिन थे। मैंने उस पक्ष और इस पक्ष के अपने साथियों के साथ कठिनाईयाँ बांटी हैं। हमने बड़े दोस्ताना माहौल में उन्हें बताया है कि कठिनाईयाँ हैं। हमारे मंत्री नये, कार्यक्रम नए हैं। हमें विभिन्न राजनीतिक दलों की मांगों को समझना था, हमें मुख्यमंत्रियों को इस बात के लिए तैयार करना था कि वे शासन से जुड़ें। फिर भी दिसम्बर 1996 से क्या एक आत्मविश्वास की एक भावना नहीं आ गई जो लगभग पिछले डेढ़ साल में नहीं थी? क्या दिसम्बर 1996 से निर्णय लेने की भावना नहीं आई? क्या बहुत नाजुक प्रकार के निर्णय ले नहीं लिये गए हैं? क्या सरकार ने वित्त मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय और ग्राम मंत्रालयों में बड़े-बड़े निर्णय नहीं लिये हैं? क्या हमने श्रमिक वर्ग की समस्याओं को नहीं सुलझाया? क्या हमने अवकाश प्राप्ति पर मिलने वाली वृत्ति सीमा को नहीं बढ़ाया? क्या हमने निविदाओं के क्षेत्र में बचत नहीं की? बहुत से निर्णय लिए गए हैं।

इन सबका यहाँ बखान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। जब मैंने बजट पेश किया तो उपलब्धियों को प्रकाशित करना और भविष्य की ओर दृष्टिपात करना मेरा विशेषाधिकार था। प्रधानमंत्री जी मेरे प्रति बहुत सहृदय रहे हैं। उन्होंने अत्यंत उदार रवैया अपनाया है। अपने शुरू की टिप्पणियों में उन्होंने मेरे द्वारा पेश किए जाने वाले बजट के गुणों को बताने में पर्याप्त समय लगाया है। मुझे यह कहना है कि बजट किसी एक व्यक्ति की रचनात्मक कल्पना का फल नहीं होता, बजट एक मिली जुली प्रक्रिया है जो मैं सदन के साथ मिलकर बनाता हूँ और एक ऐसी रचना जो सदन के माध्यम से मैं भारत के लोगों के साथ बनाता हूँ। बिना प्रधानमंत्री के मैं अकेला बजट नहीं बना सकता, जब तक मेरे सहयोगी मेरा समर्थन नहीं करते और मैं ऐसा बजट भी प्रस्तुत नहीं कर सकता जिसे आप सब किसी न किसी तरह से स्वयं को जोड़ न सकें। जब तक आप उस संदेश को जन-जन तक नहीं पहुंचा पाते, मैं ऐसा बजट पेश करने में असमर्थ रहूंगा जो लोगों में व्यापक समर्थन पैदा कर सके। प्रधानमंत्री ने उदारतापूर्वक उद्गार बजट के लिए अभिव्यक्त किए हैं, उनके लिए मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूँ।

परन्तु दिसम्बर 1996 के बाद से शासन आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। जनवरी में हमने कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिये। फरवरी में हम अपने पड़ोसियों तक पहुंचे। मार्च के महीने में शेयर बाजार में नई तेजी आई; देश में और व्यापार में एक नया आत्म-विश्वास जागा; देश के युवाओं, विशेषकर वैज्ञानिकों, शिक्षित वर्ग और उद्यमियों में नया आत्म विश्वास पैदा हुआ, आत्म-विश्वास की वह लहर हर जगह विद्यमान थी।

[श्री पी. चिदम्बरम्]

इसने बस इतना ही करना है कि यात्रा करनी है, गाड़ी में, हवाई जहाज में, पत्तनों पर और रेलवे स्टेशन पर। लोग चलते-चलते यह कहते हैं कि अब काम हो रहे हैं।

मेरे मित्र श्री प्रियरंजन दास मुंशी ने हम पर जो आरोप लगाया है मैंने पूरी विनम्रता से उसे समझने का प्रयत्न किया है। उनका कहना है कि हमने धर्म-निरपेक्ष ताकतों को एक किनारे कर दिया है, हमने कांग्रेस पार्टी को भी एक तरफ कर दिया है। धर्म-निरपेक्ष ताकतों का एकीकरण विश्वास की बात है; यह कोई प्रतिस्पर्धात्मक क्रिया नहीं, न ही प्रदर्शनात्मक प्रक्रिया है। यह एक विश्वास की प्रक्रिया है। यदि हम धर्म-निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं; यदि सदन का बहुमत धर्म-निरपेक्षता में विश्वास रखता है, तो धर्म-निरपेक्ष शक्तियों की उपेक्षा कैसे की जा सकती है? यहां-वहां हम चुनाव हार सकते हैं, मुझे पता है उन्होंने छिंदवाड़ा का उल्लेख किया है; पंजाब का उल्लेख किया है; मुझे विनम्रतापूर्वक उनसे एक प्रश्न पृष्ठना है; छिंदवाड़ा में शून्य स्थान पैदा करने की क्या आवश्यकता थी? छिंदवाड़ा से कांग्रेस का सदस्य था।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा (छिंदवाड़ा) : चिदम्बरम् जी, मुझे बुरा था।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम् : मैं श्री पटवा की बात समझ रहा हूँ। यदि भाग्य का यह निर्णय था कि श्री पटवा को सदन में आना ही था तो छिंदवाड़ा में तो शून्य स्थान पैदा होना ही था।

श्री सुन्दर लाल पटवा : मैं श्री केसरी का आभारी हूँ।

श्री पी. चिदम्बरम् : हां, पंजाब में अकाली दल एक प्रभावशाली दल है। हमें इस तथ्य का सामना करना है कि वहां अकाली दल का जोर है। बरनाला जी और अन्य कृपया मुझे गलत न समझें - यह केवल एक राय की अभिव्यक्ति है - जब अकाली दल एक बहिष्कारात्मक दल बना तो उसने अपने लिए समस्याएं पैदा कर लीं। परन्तु जब अकाली दल पंजाब के अन्य क्षेत्र में भी पहुंच गया तो उसने लोगों का विश्वास जीत लिया।

अब पंजाब में जब कुछ राजनीतिक दल कांग्रेस तक नहीं पहुंच पाये - वे जिनका राज्यों में भी कुछ प्रभाव है, मेरे दल का, डी.एम.के. और टी.डी.पी. का वहां कोई आधार नहीं, तो पंजाब, हरियाणा और कुछ अन्य स्थानों पर जो परिणाम निकले, वे हमें पसन्द नहीं आए। परन्तु क्या एक चुनाव परिणाम इस निष्कर्ष की ओर इंगित करता है कि हमने धर्म-निरपेक्ष शक्तियों को दकिनार कर दिया है? यह बहुत तुच्छ तर्क है जो स्वीकार करने योग्य

नहीं। यदि ऐसा तुच्छ तर्क दिया जाएगा तो भारत के लोग इसे अस्वीकार कर देंगे।

जहां तक कांग्रेस को एक किनारे करने का प्रश्न है, तो यदि इसमें हमारा दोष है तो उसे स्वीकार करने और इस हेतु क्षमायाचना करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु यह दोष फिर सबका, प्रत्येक मंत्री का, संयुक्त मोर्चे के प्रत्येक घटक दल का होगा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को कैसे एक किनारे किया? जब संयुक्त मोर्चे ने कांग्रेस को नजर अंदाज नहीं किया? कांग्रेस पार्टी संयुक्त मोर्चे के प्रति स्निग्ध और प्रधानमंत्री से रुष्ट क्यों है? जब कांग्रेस की सदस्य संख्या इतनी अधिक है तो कांग्रेस पार्टी को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है?

अनुले जी, जरा याद करिए, जब आप बोल रहे थे तो मैंने इतने जोर-जोर से अपना सिर हिलाया कि मेरे सहयोगियों ने मुझे गलत भी समझ लिया, आपने यह कहा था कि एक न एक दिन कांग्रेस सत्ता में अवश्य आएगी। मात्र एक भाषण, चाहे वह कितने भी जोरदार ढंग से दिया गया हो, सदन की गणना को नहीं बदल सकता। इस सदन की सदस्य संख्या बड़ी स्पष्ट है, हम कुल 185 या 190 हैं और आप 144, तमिल में एक कहावत है:-

"नेकु थोन्ई अदरना

दुनाइक् नेई अदरना"

मैं इसकी व्याख्या करता हूँ। 'नेई' का अर्थ 'घी', थोन्ई का अर्थ है 'पतोल' बर्तन जो ताल के पत्तों से बना है। आप बिना बर्तन के घी को नहीं पकड़ सकते। बिना बर्तन के कोई घी नहीं होता। बिना 'घी' के उसके डिब्बे का कोई मूल्य नहीं।

गणना हमारे सामने स्पष्ट है, जब 185 सदस्य 144 के गत में पड़ते हैं तो परिणाम क्या हो सकता है? 177 सदस्य तो खुशियां मनाते हैं जैसे वह सत्ता में आ चुके हों। हम अपना तमाशा क्यों बनवाते। हम अपना मजाक क्यों बनवाते? क्या देश में बी.जे.पी. को सरकार बनाने देने के लिए हम विभक्त हो रहे हैं?

चलिए, हम अपना तमाशा न बनवाएं। यदि कोई कठिनाइयां हैं तो हमें उन पर विचार-विमर्श करना चाहिए। यदि कोई कठिनाइयां हों, तो उन्हें सुलझाने का तरीका है सभ्य वार्तालाप द्वारा; यही वह तरीका है जिसमें लोग एक मेज पर बैठ कर कह सकते हैं, चलें, हम अपनी कठिनाइयों को दूर करें।

महोदय, यह कहना कि कांग्रेस को नजरअंदाज किया जा रहा है, सर्वथा निराधार आशंका है। कांग्रेस पार्टी को नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। ...(व्यवधान) मुझे इस बात को पूरा करने दें।

श्री संतोष मोहन देव : क्या आप एक मिनट रुकेंगे? मुझे यह है कि बार-बार कांग्रेस को आलोचना का केन्द्र बनाया गया है। 16 फरवरी को हमने मुद्दा-आधारित समर्थन का निर्णय वापिस ले लिया था। परन्तु 29 मार्च तक इनमें से कोई भी व्यक्ति हमारे नेताओं से नहीं मिला, न ही उनसे कोई वार्ता की। अब हर कोई आकर कांग्रेस को उपदेश दे रहा है। वे कांग्रेस को एक पायदान की तरह प्रयोग कर रहे हैं। फिर आप हमें यह सब बातें सुना रहे हैं। आप कांग्रेस को एक पायदान की तरह उपयोग नहीं कर सकते ... (व्यवधान) कृपया ये सब बातें मत कहिए। ठीक-ठीक बात कीजिये।

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने सोचा मैं अधिक ठीक हूँ। मैंने सोचा मैं मध्यस्थता का कार्य कर रहा हूँ। पिछले 15 मिनट के दौरान मैंने एक भी ऐसा शब्द नहीं बोला जिसमें किसी पर आरोप लगाया गया हो। मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ कि इस सदन का गणनांक सबके सामने है। मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ कि इस सदन की सदस्य संख्या को शासन में बदलने का एक ही तरीका है, और वह यह है कि संयुक्त मोर्चा और कांग्रेस पार्टी मिल कर काम करें। मैं विनम्रता पूर्वक यह कह रहा हूँ और बहुत ईमानदारी से उस पार्टी के प्रति एक भावना से कह रहा हूँ जिसका मैं 20 सालों तक सदस्य रहा हूँ। क्या मैंने एक भी शब्द ऐसा बोला है जिससे किसी को चोट पहुंची हो? अपने मतभेदों को सुलझाने का एक तरीका होता है वो तरीका जो इन्दिराजी ने हमें सिखाया, राजीव जी ने हमें सिखाया, एक ऐसा तरीका जिसे हम सबने आत्मसात किया है।

कांग्रेस पार्टी का मैं सर्वाधिक सम्मान करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के अनेक नेताओं का भी अधिकतम सम्मान करता हूँ ... (व्यवधान)

अपने मतभेदों का समाधान करने का एकमात्र तरीका हमारे पास यही है कि हम उन तरीकों को ढूँढ़ कर निकालने के लिए, साथ-साथ काम करें, मिल बैठें, परस्पर बात करें जिनसे देश की धर्म-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक शक्तियों को रास्ते से न हटाया जा सके। मैंने यह बहुत विनम्रतापूर्वक कहा है। मुझे नहीं पता कि मेरे अच्छे मित्र श्री संतोष मोहन देव ने इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों व्यक्त की। हमने एक साथ काम किया है। हम प्रतिदिन एक दूसरे से बातचीत करते हैं। हम एक दूसरे के साथ सम्पर्क में रहते हैं। मुझे लगता है उनका मन्तव्य ऐसा नहीं था ... (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : आप फिर से ऐसा वातावरण तैयार कर सकते हैं जिसमें हम मिल जुल कर कार्य कर सकें। ... (व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : मैं भी यही कह रहा हूँ। मैंने शुरू में ही कहा था कि यदि हमने कांग्रेस को नज़र-अन्दाज करके कोई गलती की है तो हम उस गलती को स्वीकार करते हैं और उसके

लिए क्षमा चाहते हैं। मैंने ऐसा कहा है। मैंने अपना भाषण इन्हीं शब्दों से शुरू किया था कि यदि हमने कांग्रेस पार्टी को नज़रअन्दाज करने की भावना पैदा की है तो मैं अपनी गलती मानता हूँ और उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। परन्तु ऐसी कोई मंशा नहीं थी क्योंकि कांग्रेस को नज़रअन्दाज करने का क्या उद्देश्य हो सकता है? कांग्रेस को नज़र-अन्दाज किया ही कैसे जा सकता है?

मुझे अपना भाषण पूरा करने दें। मैं कोई लम्बा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता। मैं तो केवल इतना ही कहता हूँ कि यह सरकार दस महीने से सत्ता में है। उसने विश्वास का प्रस्ताव पेश किया है। यदि तीनों मुख्य दल अपने-अपने निर्णयों पर अटल रहें तो विश्वास मत का परिणाम हमें मालूम है। इस निर्णय से कोई विशेष रूप से प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं होता। मेरे लिए तो दोनों समान हैं। परन्तु इस सरकार को वोट द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इसने कोई प्रमुख भूल या गम्भीर अपराध नहीं किया। इतिहास में इस सरकार का अपना एक स्थान रहेगा। भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास में इसने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है।

कुछ क्षण पूर्व श्री ज्योति बसु ने हमें बताया, “निराश मत होइए।” ऐसा नहीं है कि हमें उनसे प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए अथवा श्री ज्योति बसु ने जो कुछ पश्चिम बंगाल में किया है हम उसका मुकाबला कर सकते हैं; ऐसा भी नहीं है कि हममें उसका मुकाबला करने की क्षमता और गुण हैं जो श्री ज्योति बसु ने पश्चिम बंगाल में किया है। संयुक्त मोर्चा की पहली सरकार श्री ज्योति बसु के कथनानुसार मात्र आठ महीने तक टिकी। दूसरी तरह महीने और तीसरी बीस साल चली। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें इससे सबक लेना चाहिए। क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम सब मिल कर काम करें ताकि धर्म-निरपेक्ष शक्तियाँ, लोकतांत्रिक शक्तियाँ शासन में रहें, प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो।

प्रश्न तो यह है। यही प्रश्न हमारे दिलों में आज उठना चाहिए। इस सरकार को इच्छाओं से नहीं हटाया जा सकता; इसकी उपलब्धियों को इच्छाओं से समाप्त नहीं किया जा सकता।

“ठक्कर ठागाविलर एनबाथू अवरअपूर येक्षार्थर कानापादुवाथू।”

जिन्होंने समन्वित रूप से प्रयास किए और जिन्होंने समन्वित रूप से प्रयास नहीं किए दोनों अपने कर्मों के द्वारा ही जाने जायेंगे। मेरा विश्वास है कि श्री एच.डी. देवेगौड़ा की इस सरकार ने देश के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी है। ऐसा समय आयेगा जब इतिहासकार इस समयावधि पर अपनी टिप्पणियाँ लिखेंगे और चाहे वह कितना भी छोट हो, लेकिन वह यह अवश्य कहेंगे कि यह सरकार भारत की पहली असली मिली जुली सरकार थी। उन्होंने प्रयास किए, उन्होंने कठोर आराधना की

[श्री पी. चिदंबरम]

परन्तु दस महीने से अधिक न टिक पाये; फिर भी भारत के संविधान में उन्होंने वो अध्याय जोड़ा, जो कभी उससे अलग नहीं किया जा सकेगा और वह है सहयोगी संघवाद का सिद्धांत। इतिहासकार यह भी कहेंगे कि उन्होंने भारत के आर्थिक इतिहास में कुछ ऐसे सिद्धांत जोड़े जो इसे 21वीं शताब्दी के विश्व के सर्वाधिक मजबूत देशों की श्रेणी में ला देगा और यह कि इस सरकार ने विकास की गति प्रदान की और सामाजिक न्याय कार्यक्रमों, को सुधारों को तेज किया जिसके फलस्वरूप यह देश 2020 तक विश्व का चौथा सबसे बड़ा आर्थिक तंत्र बन जाएगा। अतः अपना भाषण पूरा करते हुए मुझे कुछ हासिल करने की खुशी हो रही है, गर्व हो रहा है परन्तु साथ ही यह सब विनम्रता पूर्वक मैं उदास हो रहा हूँ यह सोचकर कि एक प्रयोग एक उत्कृष्ट प्रयोग समाप्ति की ओर अग्रसर हो गया है।

आप मुझे यह कहने की अनुमति दें कि इस प्रक्रिया में कोई पूर्ण-विराम नहीं है। जीवन एक सतत क्रिया है। राजनीति में कुछ समाप्त नहीं होता। जो वस्तु आरम्भ हुई है उसका अन्त तो आवश्यक है परन्तु हर समाप्ति के बाद नई आरम्भ होती है। मुझे नहीं पता आज आठ बजे, किसी वस्तु का अन्त होगा। परन्तु यह भी निश्चित है कि यह किसी घटना की शुरुआत भी होगी। विगत दस महीनों में हमने जो कुछ किया, इसके लिए मुझे जरा भी पछतावा नहीं है। यदि इस घटना का अन्त करना ही है तो संघर्ष के अन्दाज में हम इसका अन्त करेंगे। परन्तु संघर्ष करते हुए अन्तिम अध्याय की ओर जाते हुए, चलिए हम एक नये अध्याय की शुरुआत करने के लिए साथ-साथ चलें। हम संघर्ष करते हुए जाएंगे ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा : चिदम्बरम जी, अपने दोस्तों को पहचाना नहीं आपने।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : चलो एक नया अध्याय शुरू करें क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आराम का नाम जीवन नहीं, जीवन चलती धारा है और राजनीतिक जीवन इससे भिन्न नहीं है।

मैं आपके प्रति और सदन के अन्य सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मेरे प्रति स्निग्ध और उदार रवैया अपनाया। हमने सम्पूर्ण लगन, विनम्रता और ईमानदारी से इस देश के लोगों की सेवा की है। हमारा भविष्य क्या है, यह तो अभी देखा जाना है। यह निर्णय करते समय लोगों का, चुनने वालों का और दस महीने पहले दिए गए जनादेश का मजाक न उड़ाएं। चलो इसका रचनात्मक रूप से पुनः अर्थ लगाएँ ताकि लोग संसद पर नाज़ कर सकें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, मैं अभी चिदम्बरम साहब का भाषण बड़े गौर से सुन रहा था, बात मेरी समझ के परे है कि वह क्या कहना चाहते हैं। वह इस सरकार का विदाई भाषण भी दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगली सरकार के लिए भी वह रखना चाह रहे हैं। इसलिए जो कुछ भी उन्होंने कहना शुरू किया आखिर में उनकी यह बात समझ के बाहर चली गई। आज जो स्थिति इस सदन में और देश में उत्पन्न हुई है उसके लिए कौन जवाबदेह है। इस स्थिति के लिए विपक्ष की जवाबदेही नहीं है, इस स्थिति के लिए जवाबदेही है उन लोगों की जो एक जगह इकट्ठा हुए थे। जब 11वीं लोक सभा का गठन हुआ था तो अपने ढंग से जिन लोगों ने जनादेश की व्याख्या की थी और एक जगह इकट्ठे हुए थे। किस बात के लिए वे इकट्ठे हुए थे। जनादेश साफ था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जो माननीय सदस्य बाहर जाना चाहते हैं वे चुपचाप बाहर चले जाएं, कोई व्यवधान न डालें। जो माननीय सदस्य रास्ते में खड़े हैं, कृपया चुपचाप बाहर जाएं?

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, आम चुनाव में देश की जनता ने साफ जनादेश दिया था और वह जनादेश कांग्रेस के खिलाफ था और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के पक्ष में था। उस जनादेश का सम्मान करते हुए राष्ट्रपति जी ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को सरकार बनाने का न्यौता दिया था और उन्होंने इस जवाबदेही को स्वीकार किया था। लेकिन जब वे विश्वास का प्रस्ताव लेकर आये तो यहां पर किस प्रकार से मजाक उड़ाया गया था। उस दौरान दिये गये अपने भाषण को लोग याद कर लें। मैं इस सदन का कीमती समय उन लोगों के भाषणों को उद्धृत करके बरबाद करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे यकीन हो गया है कि इस देश में लोग दिल से नहीं कंठ से भाषण देते हैं और भाषण देने के बाद उसको कचरे में फेक देते हैं। उस समय जो उन्होंने कहा था उन बातों को उन्हें यहां याद रखना चाहिए था और उस समय एक सरकार को गिराने के लिए और एक दूसरी सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाया था। लोगों ने मिलकर एक सरकार बनाई। अभी इस देश के अंदर तीन तरह की खेमेबंदी है। इस देश में आपने एक खेमा संयुक्त मोर्चे का बनाया, चिदम्बरम जी आप उस खेमे में बहुत सक्रिय थे और उस संयुक्त मोर्चे का 190, 188 या 178 जितनी भी संख्या थी, मुझको स्पष्ट पता नहीं चलता, अलग-अलग अखबारों में अलग-अलग संख्या छपी है, आपकी जितनी भी संख्या थी, आप अपने में से

किसी को भी नेता चुनने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए आपने थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन अख्तियार की।

अपराह्न 6.28 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

और सबसे पहले श्री वी.पी. सिंह को खदेड़ा कि आप नेता बन जाइये लेकिन वह तैयार नहीं हुए, भाग खड़े हुए, चार घंटे तक अपने घर से बाहर दिल्ली की सड़कों पर चक्कर लगाते रहे और तीन-तीन मुख्य मंत्री जाकर उनके दरवाजे पर बैठे रहे क्योंकि उनको मालूम था कि इनका क्या हज़र होने वाला है। श्री ज्योति बसु को उनकी पार्टी ने प्रधान मंत्री बनने से रोक दिया, बाद में भले ही उन्होंने कहा कि यह सी.पी.एम. ने ब्लंडर किया उसके बाद मुझे मालूम नहीं है देवेगौड़ा जी कहते हैं कि मैं तो फोर्थ च्वाइस था। देवेगौड़ा जी इत्मिनान से कर्नाटक के मुख्य मंत्री थे और जब चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे तो मुझे अच्छी तरह याद है जब टेलीविजन पर उन्होंने कहा था कि मुझे कर्नाटक की सीमा से बाहर जाने की कोई इच्छा नहीं है, दिल्ली की राजनीति को देखने के लिए हम लोगों की तरफ से श्री बोम्मई और श्री हेगड़े साहब हैं। लेकिन दिल्ली देखने के लिए श्री देवेगौड़ा जी स्वयं यहां आ गये। उन्होंने कहा कि भगवान की यही इच्छा थी, किस्मत ने उन्हें यहां पहुंचा दिया। खैर इसमें देवेगौड़ा जी का कोई कसूर नहीं है। वे मुख्य मंत्री थे और वहां से उठाकर संयुक्त मोर्चा ने उनको प्रधान मंत्री बनाया जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता उस समय श्री नरसिम्हा राव जी थे। अब कांग्रेस पार्टी में किस तरह नेता बदले जाते हैं उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन चूंकि आपने देश में ऐसी परिस्थिति पैदा की है तो आपकी पार्टी के बारे में भी देश भर में टिप्पणी हो रही है। श्री नरसिम्हाराव से एक हजार शिकायत हो सकती थीं। लेकिन आप किस तरह पार्टी चलाते हैं, जिस तरह से आपने श्री नरसिम्हाराव जी को हटाया, वह भी एक इतिहास है। चाहे कोई भी नरसिम्हाराव जी से सहमत हो या असहमत हों, लेकिन उन्हें हटाने का जो तौर-तरीका आपने अख्तियार किया उसी दिन लोगों ने समझ लिया कि आप कौन सी संस्कृति इस देश में बढ़ाना चाहते हैं। श्री नरसिम्हाराव जी उस समय भूतपूर्व प्रधान मंत्री, कांग्रेस के अध्यक्ष और सी.पी.पी. के लीडर थे। यह कांग्रेस पार्टी विचित्र पार्टी है। आप नेता की कुर्सी से किसको जवाब दे रहे हैं। उनके सामने खड़े होने का साहस किसी को नहीं होता है। जो भाषण श्री नरसिम्हाराव जी ने सदन में पिछले विश्वास प्रस्ताव पर दिया, मुझे लगता है कि अगर यही भाषण दो-चार बार उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में दे दिया होता तो शायद इनको यह दिन न देखना पड़ता। लेकिन वे भाषण देते। जब वे सत्ता से बाहर चले गए, तो वैसा भाषण दिया और बड़ा लाजवाब भाषण दिया और पूरे देश के साथ वायदा कर दिया कि हम देवेगौड़ा सरकार को

चलाएंगे और कहा कि हम किसी तरह से भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। यह भी कहा कि अगर तुमको हाथ मिलाना हो, तो मिला लो। आज क्या होने वाला है। आपको धमकी दी गई कि नेता बदल दो। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि तभी हम बात करेंगे। यदि अभी हम यहां से सब लोग उठकर बाहर चले जाएं, तो क्या होगा? क्या आप सरकार गिरा देंगे? यह बात तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हम जब इनके खिलाफ वोट करेंगे, तभी तो इनकी सरकार गिरेगी। यदि इस दृष्टि से देखें, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन हाथ मिला रहा है? आपने पूरे देश को वचन दिया था और दुनिया से कहा था कि हम इनको समर्थन देंगे। यदि आज हम यहां वोट न करें, तो क्या आप सक्षम हैं इनकी सरकार गिराने में? आप क्या करने जा रहे हैं? आप देवेगौड़ा जी को हटाने जा रहे हैं? क्या कारण है देवेगौड़ा जी को हटाने का?

उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन कांग्रेस ने यूनाइटेड फ्रंट सरकार से अपना समर्थन वापस लिया, उस दिन मैं अपने प्रांत में धनबाद में था। वहां हमारी पार्टी की एक जनसभा थी। दो बजे के करीब हम लोग खाना खाकर ऐसे ही लेते थे। चूंकि मैं थका हुआ था, इसलिए मुझे गहरी नींद आ गई। हमारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता बड़े उत्साह से आए और मुझे झकझोर कर जगा दिया और बताया कि कुछ अखबार वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चा से समर्थन वापस ले लिया है। मैंने कहा कि यदि सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, तो देवेगौड़ा जी की नींद हराम होगी। आप लोग मेरी नींद क्यों हराम कर रहे हैं? खैर, मैंने वहां भी यही कहा कि चुनाव होना चाहिए। जोड़तोड़ की राजनीति से बेहतर है कि देश में मध्यावधि चुनाव हों।

अध्यक्ष महोदय, जब मैं अगले दिन पटना पहुंचा, तो वहां से मैंने अपने एक पुराने व्यक्तिगत मित्र को जो आजकल सरकार में हैं और मंत्री के पद पर हैं उनसे पूछा। हम लोग राजनीति के नाते भले ही एक दूसरे के आमने-सामने खड़े हों, लेकिन दुनिया जानती है कि हम व्यक्तिगत मित्र हैं। अखबारों में यह खबर छपी है, लेकिन मुझे संतोष नहीं हुआ है। असली बात क्या है यह जानने की उत्सुकता बनी रही है। इसलिए मैंने पटना आकर श्री श्रीकान्त जेना जी को फोन कर दिया। बात खोलने में कोई हर्ज नहीं है। पारदर्शिता होनी चाहिए। हमने इनको फोन लगाया और पूछा कि यह क्या हुआ और कैसे हुआ, तो जेना जी ने कहा कि यह 30 तारीख को हुआ है और उससे पहले दो बार और हो चुका था और केसरी जी राष्ट्रपति भवन के दरवाजे से लौट आए। तब हमने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। हमने समझा की शायद हमसे कोई मजाक कर रहा होगा। इसलिए ऐसी सूचना हमें दी गई। जब मैं दिल्ली आया, तो दिल्ली आकर मैंने इस बारे में कुछ और

[श्री नीतीश कुमार]

खोजबीन की, तो पक्का पता चला कि पहली बार 25 तारीख को ही, क्योंकि ज्योतिषी ने 25 तारीख का मुहूर्त निकाला था, इसलिए 25 तारीख को ही समर्थन वापसी की बात हो गई और खत जा रहा था, तो पता नहीं किसी ने समझाया कि प्रधान मंत्री आज मास्को में हैं। क्या इसे बनाना रिपब्लिक बनाना है? प्रधान मंत्री विदेश में हैं और यहां समर्थन वापसी की बात करना ठीक नहीं है। फिर दूसरी बार प्रयास हुआ, तो नेलसन मंडेला आ गए। इस प्रकार देवेगौड़ा जी को मास्को की यात्रा ने और नेलसन मंडेला जी ने पांच दिन का समय दे दिया। अंत में, फिर बात आई कि इसके बाद पाकिस्तान के साथ बातचीत चल रही है। फिर नैम का गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होने वाला है। तो कहा गया कि अब इतनी देर तक बर्दाश्त नहीं होगा और सीधे पत्र राष्ट्रपति जी के पास चला गया। अब उस पत्र में क्या है, यह सब यहां पर लोगों ने पढ़ कर सुना दिया है। उनके बारे में कहकर मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तो इसमें बिहारी का चक्कर है। जहां भी मैं जाता हूं, वहां मुझसे लोग पूछने लगते हैं कि यह बिहारी का क्या चक्कर है। मैं परेशान हो जाता हूं। इसलिए मुझे यहां पर खड़ा होना पड़ा। अब बिहार के आदमी को बंगाल का आदमी मिल गया। बंगाली ने बिहारी को फंसाने के लिए वैसी ही ड्रापिंग कर दी जिससे आगे के लिए रास्ता ब्लाक हो जाए। क्योंकि बिहारी और बंगाली का चक्कर पुराना है। अब बिहारी कामनसेंस तो रख सकता है, लेकिन यहाँ लिखत-पढ़त का मामला था। लिखत-पढ़त में बंगाल का आदमी आ गया। अब जब तक राव साहब रहे थे, तब तक उनकी लायलटी राव साहब के साथ थी और जबर्दस्त रूप से थी। अब पता नहीं क्या चक्कर था शायद राव साहब का ही चक्कर रहा होगा, भगवान जाने, लेकिन आखिर में वह चिट्ठी चली गई। उस चिट्ठी पर स्टैंड नहीं कर सकते हैं। अब आज देवेगौड़ा जी, यहां बहस हो रही है और आप पूरी तैयारी कर रहे हैं कि एक-एक कर के आप सबका भेद खोल कर रख देंगे। हम सब आपसे उम्मीद भी कर रहे हैं कि आज आप सबका भांडा फोड़ दीजिए। वापसी का असली कारण क्या है? बाहर कुछ और अंदर कुछ वाली बात है। आप सब बातें खोलकर रख दीजिए। आपको क्या गर्ज पड़ी है। आप तो एक विनम्र गरीब किसान परिवार से हैं। यह खुद कहते हैं कि मैं एक विनम्र और गरीब किसान हूं। आज आपसे इसी सफाई की उम्मीद है। आप साफ और सच बोलिये। आगे के लिए कोई रास्ता बनाने के चक्कर में नचाकर न बोलियेगा। असली बात क्या है, क्या है सी.बी.आई. का चक्कर? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने खुले आम समर्थन वापस ले लिया और आप यहां भाषण की तैयारी में हैं। आपके मंत्रिमंडल के कुछ लोग आपके पक्ष में भाषण दे रहे थे। मैं भी गौर से देख

रहा था। आपके मंत्रिमंडल के सदस्य श्री गुजराल साहब, श्री राम विलास पासवान व श्री चिदम्बरम साहब आपके पक्ष में भाषण दे रहे हैं जबकि अभी गुजराल साहब का नाम प्रधान मंत्री बनने के लिए उड़ा हुआ है और श्री राम विलास पासवान जी का नाम भी उड़ा हुआ है। ... (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : ऐसा नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आप डिरेल क्यों हो रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार : अच्छा है आप प्रधानमंत्री बन जाइये लेकिन आपको तनायेगा कौन? ... (व्यवधान) बिहारी तो इस देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा लेकिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। श्री देवेगौड़ा जी आपके पक्ष में जो बोलने के लिए खड़े हुए थे उस समय मैं उन्हें बड़े गौर से देख रहा था। गुजराल साहब, राम विलास पासवान जी और चिदम्बरम साहब, तीनों मंत्री हैं और मंत्रिमंडल के प्रति विश्वास का प्रस्ताव आपने रखा है। मंत्रिमंडल के बाहर वालों का भी भाषण होना चाहिए। बाहर वालों में श्री सोमनाथ चटर्जी बोल रहे थे। वे सरकार से बाहर हैं लेकिन संयुक्त मोर्चा में हैं। उनकी तो विचित्र स्थिति है। सी.पी.एम. की स्थिति गुड़ खाये गुलगुलों से परहेज जैसी है। हमारे यहां यह कहावत प्रसिद्ध है। वही बात है कि सरकार के बाहर रहेंगे और सरकार का समर्थन करेंगे। संयुक्त मोर्चा में रहेंगे लेकिन संयुक्त मोर्चा सरकार में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने जो भाषण दिया वह अलग है लेकिन संयुक्त मोर्चा के वे लोग जो सरकार में शामिल हैं उनमें से किसी संसद सदस्य का भाषण नहीं हुआ। मतलब साफ है। सुबह से ही हवा गरम है। जब हम लोग इस संसद के सेंट्रल हाल में आये तो हमें वही खबर मिली। अभी चिदम्बरम साहब भाषण दे रहे थे लेकिन तमिल मनिला कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने बताया कि श्री देवेगौड़ा जी को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। हम लोग परेशान थे। बाद में पता चला कि श्री देवेगौड़ा जी ने इस्तीफा भी दे दिया। देवेगौड़ा जी आपकी गाड़ी लेट पहुंची। यहां पर किसी को पता नहीं था लेकिन आप आये और आपने संसद का सामना करने का फैसला किया। आप संसद का सामना कर रहे हैं लेकिन कल रात भर क्या होता रहा, यह आपको मालूम है। यह भी आपको मालूम होगा कि कौन-कौन लोग कहाँ-कहाँ मिले क्योंकि जब तक आप प्रधानमंत्री हैं तब तक आई.बी. आपके हाथ में है। कौन किसको फीन करता है, यह भी आपको मालूम होगा। यह भी आपको मालूम हो गया होगा कि हम लोगों के जो चाचा हैं श्री केसरी जी, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी वह भले ही कांग्रेस से न पूछी हो लेकिन आपकी

पार्टी के कुछ लोगों से और संयुक्त मोर्चा के कुछ लोगों से जरूर बात की थी। ... (व्यवधान) इस देश में एक-एक आदमी जान रहा है और संयुक्त मोर्चा में...

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, श्री नीतीश कुमार को अपनी प्रतिष्ठा खोने का गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। वे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जिनमें हास्य-भावना विद्यमान है। मुझे डर है कि वे ऐसे व्यक्ति के रूप में न जाने-जाने लगे जो अफवाह फैलाता हो।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आपने ही कह दिया कि अगली बार क्या होगा? हमने आपके एक से एक अच्छे भाषण सुने लेकिन आज जैसा रद्दी भाषण पहले कभी नहीं सुना। ... (व्यवधान) पहले जब आप बोलते थे तो हमारे जैसा आदमी कुछ देर के लिए आपके प्रवाह में बह जाता था लेकिन आज हम तथ्य ही तलाशते रहे कि आप कहां है। आप आठ बजे के बाद देवेगौड़ा जी के साथ रहिये या मूपनार साहब को प्रधानमंत्री बनाने में रहिये या गुजराल साहब को बनाने में रहिये, हमको नहीं मालूम। अगर कहीं डा. मन मोहन सिंह जी का भी नाम चले तो उससे अच्छा खुद बनने के चक्कर में रहिये, जो भी स्थिति हो। सुबह हवा गरम थी जो आप सबको मालूम है। पूरा देश जानता है कि आप जिस पार्टी के हैं, उस पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं और कुछ लोग सैडिस्टिक प्लेजर में आनंद लेते हैं। कुछ लोग इसमें आनंदित होते हैं कि हम तो बने रहे, देखो कितने लोग चले गए। देवेगौड़ा ने हमें जितना कहा यदि उतना नहीं किया तो हम देवेगौड़ा को भी साफ कर देंगे। जरा इन बातों पर भी गौर कीजिए। हम जानना चाहते हैं कि अंदरूनी बात क्या है। जब सी.बी.आई. की चर्चा आई तो राम विलास पासवान जी ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उल्लेख किया। जहां तक मुझे मालूम है, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही है, बिहार के मुख्य मंत्री के खिलाफ जरूर जांच चल रही है। अब आपने उन्हें जनता दल का अध्यक्ष बना दिया है तो बात अलग है। शरद यादव जी कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए हैं। आप तो अभी दुनियाभर में एकता की बात कर रहे थे। राम विलास पासवान जी डॉयलॉग की बात कर रहे थे। लेकिन पासवान जी, कभी आप और शरद यादव जी बढ़िया सा डायलाग कर लेते तो बात कुछ और हो जाती। आप दोनों आपस में डायलाग नहीं करते हैं तभी तो कैसे-कैसे लोग अध्यक्ष बनते हैं, जरा इस पर भी गौर कीजिए। आप रेल मंत्री बनकर संतुष्ट रहिए। आपको क्या है, आप तो मस्त आदमी हैं, यह हम जानते हैं। जब तक सरकार नहीं बनी थी तब तक कल्याण विभाग में आपने जो काम किया, उसे देश की जनता

को बताते थे। कल जब आप सरकार के बाहर रहेंगे तो रेल विभाग में जो भी किया, वह बताते रहेंगे। इस मामले में आपकी खासियत है। आप चिन्ता, फिक्क से निश्चित हैं। आप यहां बहुत अच्छा भाषण दे देंगे लेकिन निश्चित होकर निकलकर चले जाएंगे। चिन्ता तो सांसद करेंगे। आपने यहां जो वचन दिया है, वह जब पूरा नहीं होगा तो वे अपनी कौन्सिलटूँसी में भुगतेंगे। इसमें आपका क्या कसूर है। आप तो कहेंगे कि हमको मौका ही नहीं मिला क्योंकि आपने जितनी घोषणाएं कर दी हैं, वे कभी पूरी होने वाली नहीं हैं। आपके लिए बहुत अच्छा है कि सरकार जा रही है। यदि सरकार पांच साल रह जाती तो आज जो सोमनाथ जी आपको डार्लिंग रेलवे मिनिस्टर कह रहे थे, कल पता नहीं क्या खिताब देते।

इसलिए देवेगौड़ा जी, हम जानना चाहेंगे कि असलियत क्या है। कहां-कहां सी.बी.आई. का मामला है? श्री नरसिंह राव जब गद्दी पर बैठे थे तब उनसे कई बार पूछा गया तो उन्होंने बहुत सफाई से जवाब दे दिया। उनकी मास्टरी है, उनका एक नहीं अनेक भाषाओं पर कमांड है। मामला कोर्ट में था। हम जानना चाहेंगे कि क्या सी.बी.आई. आपके निर्देश पर काम कर रही है? क्या आप किसी को बचा नहीं पा रहे हैं मतलब कुछ दूरी तक आप लोगों को बचा रहे हैं। जब तक वह आपका काम कर रहा है तब तक शायद बचाते रहेंगे और जब हाथ से बाहर जाने लगता है तो सी.बी.आई. पर उसे छोड़ देते हैं। हम यह भी जानना चाहते हैं कि सी.बी.आई. क्या चीज है। यह सचमुच जांच की कोई एजेंसी है या प्रधानमंत्री के हाथ में लोगों को ब्लैकमेल करने का साधन है। हम लोग आज तक समझते थे कि सी.बी.आई. कोर्ट के निर्देश पर कई मामलों की जांच कर रही है और कई मामलों में कोर्ट की निगरानी चल रही है। आप चाहकर भी किसी को नहीं बचाइए।

एक बार हमसे जनता दल के एक व्यक्ति ने पूछा। राम कृपाल जी, जरा मुझको बोलने दीजिए। ... (व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : हम यह जानना चाहते हैं कि ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री नीतीश कुमार : जनता दल के ही कई लोग हमसे खास मामलों में पूछते हैं कि क्या होगा, फलां बच जाएगा, क्या देवेगौड़ा सरकार को बचा लेंगे? हमने कहा कि देवेगौड़ा तो क्या, क्योंकि कोर्ट निगरानी कर रहा है इसलिए यदि श्री राम कृपाल प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वे भी नहीं बचा पाएंगे। हम सच्चाई जानना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। चाचा केसरी का क्या मामला है? उनको किन लोगों ने भड़काया है? ये सारी बातें हम

[श्री नीतीश कुमार]

खुलकर जानना चाहेंगे। आप बता दें तो देश का बहुत भला होगा क्योंकि उस कुर्सी पर पता नहीं कुछ दिनों के लिए कितने लोग आने वाले हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों का जो मामला है, वह बात आज ही सदन में तय हो जाए। मैं उन चीजों में नहीं जाऊंगा, अच्छी बात नहीं है। इस देश में बहुत कुछ हो रहा है तो यह सब भी होता रहे, उसमें ऐतराज की बात नहीं है। प्रधानमंत्री की अपनी गरिमा होती है। लेकिन आप सच्चाई बता दीजिए कि कितनी दूरी तक आपके हाथ में कोई मामला है क्योंकि कल से आपके हाथ में कोई मामला रहने वाला नहीं है। उनके हाथ में कोई मामला नहीं रहने वाला है, जो बात समझ में आ रही है, उससे यही नतीजा निकलता है। लेकिन अभी भी रास्ता है, अब यहां संसद् के जितने लोग हैं, कई लोग घबराये हुए हैं कि चुनाव होगा, चुनाव होगा। मेरे जैसा आदमी तो चुनाव चाहता ही है, मैंने तो पहले दिन ही कहा कि चुनाव होगा। जिस दिन यह सदन बना, उसी दिन हमारी समझ में आ गया कि चुनाव होगा। मैं तो अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को धन्यवाद देने के लिए जब गया तो उसी समय मैंने कहा कि किसी क्षण भी लोक सभा भंग हो सकती है, इसलिए अगली बार के लिए वोट भी हम आपसे आज ही मांग रहे हैं। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ऐसे संसद् सदस्य हमको जरूर मिले, जिन्होंने कहा कि साहब 10 महीने हो गये, अभी तो हमने पूरे इस संसद् के गलियारे को ही नहीं देखा है। कई लोगों ने कहा है कि सांसद का क्या काम होता है, यह भी हम नहीं जानते हैं, इस तरह की चर्चा आई और वैसी परिस्थिति में इस देश के सामने एक चुनाव की स्थिति पैदा हुई है तो आज तो दो ही स्थितियां संसद् के सामने हैं। देवेगौड़ा साहब का तो लोगों ने पैर खींच ही लिया है, आगे से भी आप सचेत रहिये और हम यही आपसे कहेंगे कि आपने सब बातों का खुलासा करने के बाद देवेगौड़ा साहब, आप कुछ हिम्मत करिये। आप हिम्मत करिये, जिन-जिन लोगों ने आपकी पीठ में छुरा भोंका है, पहले से, कल रात से लेकर आज दिन तक सब का हिसाब आप चुकता करना चाहते हैं तो आप जरा उन लोगों को दरकिनार करिये और हिम्मत करिये, तब जाकर इधर के साथ आपकी दोस्ती बन सकती है और एक नई चीज कायम हो सकती है। आप या तो यह करिये, नहीं तो आप जितने लोग बैठे हुए हैं, अब एक ही बात है, स्थायित्व सब कोई चाहता है तो आप ऐसा करिये कि आपमें से अपने हिसाब से कुछ लोग तय कीजिए, बंधुआ मजदूर मत बने रहिये और आप देश के हित में फैसला कीजिए और फैसला करके इधर 204 हैं, आप कोई एक जमात बनाइये। मिल-जुलकर के इस सदन से भी स्थाई सरकार को बनाया जा सकता है। या फिर यह सब नहीं करना है तो मुझको तो कई सदस्यों ने पूछा, हमने तो उनको कहा कि एक उपाय है। एक काम तय करिये, जो लोग डिजोल्मेशन नहीं चाहते हैं, वे सब लोग इस सदन के बाहर निकलिये, चाहे वे जिस पार्टी के हैं और एक ही साथ राष्ट्रपति भवन मार्च कर जाइये। राष्ट्रपति जी से वहीं जाकर

अनुरोध करिये कि दरबार हाल में यहीं हम लोगों को जगह दीजिए, यहीं पर हम लोग नेता चुनेंगे, यह भी एक रास्ता हो सकता है: एक असामान्य परिस्थिति, असामान्य रास्ता।

आपको मजाक लग रहा होगा, हम अपने साथ मजाक कर रहे हैं, हम इसलिए मजाक कर रहे हैं कि बड़े-बड़े नेता जो कहलाते हैं, वे इस देश के साथ मजाक कर रहे हैं। क्या हो रहा है, देश को क्या कर दिया है, किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है? आज अभी चिदम्बरम साहब बोल रहे थे, उठकर चले गये, उन्होंने कहा कि आपको छिन्दवाड़ा में वेकेंसी क्रिएट करने को किसने कहा था तो पटवा साहब ने उठकर कहा कि मेरे लिये। बात सही है, यह बात यूँ ही कह दी गई। मैं तो आप लोगों से कह रहा हूँ, छिन्दवाड़ा में वेकेंसी क्रिएट की, पटवा जी आये और दिल्ली में उस कुर्सी की वेकेंसी आप क्रिएट कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को लाने के लिए और कुछ नहीं। इसके लिए तो हम सब आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम सब लोग तो वहीं से निकलकर आये हैं। कुछ कारण हैं, तभी तो निकलकर आये हैं और जब निकलकर आये हैं तो आपके गुण-दोष को भी जानते हैं, क्योंकि वह आप ही का गुण-दोष नहीं है, अपना भी गुण-दोष हम उसको समझते हैं। इसलिए हम तो जानते हैं कि आपमें कोई समझौता नहीं हो सकता और अगर समझौता होगा भी तो कुछ देर का समझौता होगा, वह समझौता टूट जायेगा। फैसला कर लीजिए, प्रधान मंत्री कौन होगा। एक दर्जन नाम निकल गये, बारी-बारी से जितने आपके मुख्य मंत्री हैं, सब प्रधान मंत्री पद के दावेदार हैं। कोई एक दूसरे को नहीं चाहेगा, खोज होगी कि ऐसे आदमी को बनाओ, जिसके पीछे एक दूसरा कोई आदमी खड़ा न हो। तो इस देश में ऐसे-ऐसे प्रयोग हो रहे हैं। यह इस देश के साथ जो मजाक चला है, मैं आपके माध्यम से दरखास्त करना चाहता हूँ ... (व्यवधान)

एक प्रान्तीय सदस्य : ऐसे आदमी उधर हैं, जिसके पास एक आदमी भी न हो।

श्री नीतीश कुमार : एक नहीं, अनेक लोग हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, व्यक्तिगत रूप से हम उनका आदर करते हैं। हम उनका नाम क्यों लेंगे? एक से एक जानकार हैं, क्योंकि आजकल देश की राजनीति में एक विचित्र स्थिति आई है, जो बड़े जानकार लोग होते हैं, उनके पीछे जनता नहीं होती है और जिनके पीछे जनता रहती है, जानकारी का उनको अभाव है। यह देश में एक विरोधाभास भी है, इसलिए हम ऐसे ही कैसे कह दें कि रूटलैस है, इसका मतलब वर्थलैस हैं। ऐसा नहीं है। भले ही उनकी रूट नहीं हो, लेकिन उनकी कीमत है, उनकी जरूरत है।

इस देश में कुछ नहीं होना है। इसी तरह से लड़कर इस परिस्थिति को पैदा किया गया है।

मैं आपके माध्यम से सब लोगों से यही दरखास्त करूंगा कि आप लोगों ने प्रयोग कर लिया, आपका प्रयोग विफल रहा। आज रात के बाद जो भी प्रयोग करेंगे, उसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला, क्योंकि जनता की नजर में आपकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। हम लोगों की नजर में तो पहले से ही नहीं थी। इसलिए भगवान के लिए और इस देश की जनता के लिए जल्दी सिंहासन खाली करो। चुनाव में जनता जो भी फैसला करेगी उससे आगे के लिए जो भी रास्ता निकलेगा, वह रास्ता जनता के हक में होगा।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे समय सीमा बता दें, क्योंकि मैं घंटी की आवाज से डर जाती हूं। आप जो भी समय सीमा बताएं, मैं मर्यादा का पालन करूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलिए।

कुमारी उमा भारती : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज से दस महीने पहले जब इस सरकार का गठन हुआ था उस समय क्या सिद्धांत था, किस आधार पर संयुक्त मोर्चा की सरकार का गठन हुआ था, आज जो बिखराव की स्थिति आई है और जिसके कारण आज यहां पर देवेगौड़ा जी की सरकार विश्वास मत की याचना कर रही है, उसके पीछे भी क्या सिद्धांत है और क्या तर्क है, वह बात अभी स्पष्ट नहीं हुई है। जब हम पिछले साल की घटनाओं को याद करते हैं उस समय जब संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ था और संयुक्त मोर्चा की सरकार ने इस सदन में विश्वास मत हासिल किया था, उस समय सब लोगों ने एक सुर में कहा था कि यह धर्मनिरपेक्षता और साम्प्रदायिकता की लड़ाई है और साम्प्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतें धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए एक हो जाएं। लेकिन आज जो स्थिति पैदा हुई है उसमें से दो बातें स्पष्ट करनी पड़ेगी।

जिन लोगों ने पिछले साल धर्मनिरपेक्षता के नाम पर देवेगौड़ा जी की सरकार बनाई थी या तो हम अब साम्प्रदायिक नहीं रह गए हैं या फिर संयुक्त मोर्चा के जो लोग हैं, वे धर्मनिरपेक्ष नहीं रह गए हैं। क्योंकि पहले एक होने का क्या कारण था और आज अलग होने का क्या कारण है। पहले एक नहीं हुए थे, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक हुए थे। क्या धर्मनिरपेक्षता को कोई खतरा नहीं रह गया है? क्या हमारे ऊपर अब साम्प्रदायिकता का लेबल जो लगाया गया था, वह नहीं रहा? अभी यहां पर जितने भी लोगों के भाषण हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक दलों के अलावा सभी दलों ने एक बात कही है कि अगर आज चुनाव की स्थिति आती है तो सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को

मिलेगा। यानि सभी ने भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाया है। लेकिन असली बात कुछ और ही है और वह यह है कि पिछले एक साल के अंदर एक कल्पना बनी थी और वह थी तिहाड़ जेल में जाने का डर। उस डर के कारण एक करप्शन प्रोटेक्शन कम्पनी बनी। क्योंकि उनको डर था कि हमें तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा, बोरिया-बिस्तर बांध कर वहां बैरकों में रहना पड़ेगा इसलिए उस करप्शन प्रोटेक्शन कम्पनी को एक सिद्धांत का जामा पहनाना था और इसके लिए उन्होंने अपना नाम रखा कि हम 'धर्मनिरपेक्ष लोग' साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं।

माननीय नीतीश कुमार जी बार-बार प्रधान मंत्री जी से पूछ रहे थे। अब वह इस बात को कोई थोड़ी बताएं। जरूर कहीं न कहीं कोई ऐसी गड़बड़ी हुई है और तिहाड़ जेल में किसी के जाने की तैयारी हुई है और उसको यह बात बर्दाश्त नहीं हो पाई है। इसलिए यह फिर धर्मनिरपेक्ष और साम्प्रदायिक ताकतों की बात सामने आई है। यह बात पिछले साल भी चली थी और अभी भी चली है। अभी मधुकर राव सर्पोतदार जी भी कह रहे थे कि हकीकत यह है कि जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष और साम्प्रदायिक कहते हैं, क्या वे धर्मनिरपेक्षता तथा साम्प्रदायिकता का मतलब समझते हैं?

मैं दो उदाहरण देना चाहूंगी। एक उदाहरण कश्मीर का और दूसरा उदाहरण चरखी दादरी का है क्योंकि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने भाषण देते हुए प्रधान मंत्री देवेगौड़ा जी पर यह आरोप लगाया कि वह साम्प्रदायिक ताकतों से मिल गए हैं। उन पर यह भी आरोप लगाया कि वह एक संघ के किसी कार्यक्रम में गए थे। यह बात जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहां पर उद्धृत की थी तो उन्होंने इसका खंडन भी नहीं किया था। संघ के किसी कार्यक्रम में जाना अगर अपराध है तो संघ के एक भूतपूर्व प्रचारक का जो अभी भी अपने आपको संघ का स्वयं सेवक कहते हैं, उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने का काम किसने किया? गुजरात के जो मुख्य मंत्री श्री शंकर सिंह बघेला हैं, वे पहले संघ के प्रचारक थे। वह आज भी कहते हैं कि मैं संघ का स्वयं सेवक हूँ और उनको मुख्य मंत्री बनाने का काम किया। इसलिए यह अपने पास धर्मनिरपेक्षता का रेग्युलेटर रखते हैं। मैं साम्प्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के दो उदाहरण देती हूँ। जो लोग भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर साम्प्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष होने का आरोप लगाते हैं, चरखी-दादरी में जो घटना हुई है जिसमें दो जहाज आपस में टकरा गए थे और उसके कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे। वहां पर जिस क्षत-विक्षत स्थिति में लाशें पड़ी हुई थीं। वहां पर वह दृश्य इतना भयानक था कि कहीं पर हाथ पड़े हुए थे, कहीं पर सिर पड़े हुए थे और कहीं पर पैर पड़े हुए थे। जो परिवारीजन

[कुमारी उमा भारती]

अपने रिश्तेदारों की लाशें उठाने के लिए आए थे, वे लोग भी लाशों का उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। यहां पर मैं सभी उपस्थित धर्मनिरपेक्षता का दावा करने वाले लोगों को याद दिलाना चाहती हूं कि उस समय खाकी निक्कर और काली टोपी पहनने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों ने ही वहां जाकर लाशें उठायी थीं और उन्होंने हिन्दू और मुसलमान का कोई भेद नहीं किया था। वहां पर उन लोगों ने मृतकों के परिवारजनों से पूछा कि कौन किसका रिश्तेदार है और जिसने कह दिया कि यह मेरा रिश्तेदार है और यदि वह मुस्लिम है तो मुस्लिम संस्कार की व्यवस्था करवायी। किसी ने कह दिया कि यह हिन्दू है तो उसके लिए हिन्दू धर्म के संस्कार की व्यवस्था करवायी। आज यदि उन मुस्लिम परिवारों से जाकर कोई पूछें तो वह कहेंगे कि हमारा भला कोई कर सकता है तो यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ही है जो हमारा भला कर सकता है। उन्होंने हमारी भावनाओं की कद्र की और हमारे मृतक रिश्तेदारों के अंतिम संस्कार के लिए कब्रें खोदने के कार्य में भी उन्होंने हमको सहयोग दिया। एक तरफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के चरित्र की पहचान है जो चरखी दादरी उनके चरित्र का प्रमाण-पत्र दे रही है और दूसरी तरफ कश्मीर की घाटी में साढ़े तीन लाख हिन्दू जम्मू में पड़े हुए हैं और ये धर्मनिरपेक्ष ताकतों के मुंह के ऊपर ताला लगा हुआ है। ये आज तक उनके पक्ष में नहीं बोल पाए हैं। साढ़े तीन लाख हिन्दू जम्मू शहर में पड़े हुए हैं। यह इनकी विकृत धर्मनिरपेक्षता जिसको यह साम्प्रदायिकता कहते हैं, वह चरखी-दादरी बता रही है कि हमारी साम्प्रदायिकता कितने साधुवाद और आदर के योग्य है।

मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। जब आप साम्प्रदायिकता की बात करते हैं और यह सवाल पूरे देश की जनता के मन में है। आप बताइए कि जब ईद, होली, दीपावली, दशहरा या मुहर्रम आदि त्यौहार आते हैं तो पुलिस की स्पेशल फोर्स क्यों लगाई जाती है? हमारे देश में मुहर्रम, दशहरा शांति से क्यों नहीं निकलते? त्यौहार तनाव में नहीं मनाए जाते। त्यौहार आनन्द में मनाए जाने चाहिए। त्यौहार के समय पर तनाव क्यों आ जाता है? पुलिस की स्पेशल फोर्स की मीटिंग्स क्यों होती हैं? इसके लिए कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इस तनाव को समाप्त करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा।

यहां पर मुलायम सिंह यादव जी बैठे हुए हैं, वह अपने आपको धर्मनिरपेक्षता का बहुत बड़ा मसीहा मानते हैं। राजेश पायलट जी और नरसिंह राव जी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं पूरे हिन्दुस्तान के हिन्दुओं से अपील करूंगी कि आप अपने घर में ईद की सेवियां बनाइए और मुसलमानों से अपील करूंगी कि आप दीवापली के चिराग अपने घर में जलाइए। यही एक रास्ता है जिससे साम्प्रदायिक सद्भाव के प्रस्फुटित होने की सम्भावना हो सकती है।

अपराह्न 7.00 बजे

हिन्दुओं के घर में ईद की सेवियां बनें और दीवाली के चिराग मुसलमानों के घरों में जलें, यानि साम्प्रदायिक सद्भाव की ताली दोनों हाथों से बजे, एक हाथ हिन्दू का हो और दूसरा हाथ मुसलमान का हो। लेकिन आप साम्प्रदायिक सद्भाव इस प्रकार लाना चाहते हैं, कश्मीर के 3.5 लाख हिन्दुओं के नाम पर आपकी जुबान पर ताले लग गए, आपकी जुबान सिल गई। यह साम्प्रदायिक सद्भाव का रास्ता नहीं है। इसलिए आज आपकी धर्म-निरपेक्षता की पोल भी सारे हिन्दुस्तान की जनता के सामने खुल गई है। अभी प्रमोद महाजन जी फारुख अब्दुल्ला का उदाहरण दे रहे थे। धर्म-निरपेक्षता के नाम पर फारुख अब्दुल्ला का जो ब्यान था, उस पर चुप्पी लगाने का काम जो इस सरकार ने किया है, वह बड़ा-भारी अपराध किया है। इस सदन में पूरे राष्ट्र को संकल्प पढ़ कर सुनाया गया कि पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है, वह भी भारत को देने के बारे में पाकिस्तान को विचार करना चाहिए। संसद की अवमानना की है फारुख अब्दुल्ला ने, देश का अपमान किया है फारुख अब्दुल्ला ने और उस पर भी युनाइटेड फ्रन्ट की सरकार चुप रही - क्यों?

महोदय, मैं देवेगीड़ा जी का बहुत आदर करती हूं। इसके पीछे एक कारण है, एक घटना। एक दिन मैंने देवेगीड़ा जी के घर पर टेलीफोन किया। मेरे क्षेत्र में एक महिला सत्पंच को चार्ज नहीं मिल रहा था। मुझे लगा कि देवेगीड़ा जी के यहां फोन करके उनसे समय लूंगी और उस महिला को उनसे मिलानगी। मैंने देवेगीड़ा जी के यहां टेलीफोन किया और मुझे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विश्वास नहीं हुआ कि मैं देवेगीड़ा जी से उसी समय टेलीफोन पर बात कर रही हूं। मैं तो उनके पी.ए. महोदय से यह कहना चाहती थी कि मुझे देवेगीड़ा जी से बात करनी है, मुझे समय चाहिए, लेकिन अचानक देवेगीड़ा जी आ गए। मेरे और उनके बीच में जो संवाद हुआ, वह भी मैं आपको बताती हूं। मैंने कहा - महोदय, क्या आप हैं? आप टेलीफोन पर आ गए हैं, मुझे आश्चर्य है। उन्होंने कहा - हां, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं। मैं प्रधान मंत्री हूं, लेकिन फिर भी मैं इस बात को भूलता नहीं हूं कि मैं कॉमन-मैन हूं। इसलिए मैं तत्काल आपसे बात करने के लिए आ गया। उनकी सरलता ने और उनकी नम्रता ने और उनके इस प्रकार के बर्ताव ने हमको बहुत प्रभावित किया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ घटनायें ऐसी घटी हैं, जिसमें संयुक्त मोर्चे की सरकार ने मौन रह कर बहुत पड़ा पाप किया है। कांग्रेस के लोगों ने तो जो पाप किया, सो किया और उन पापों को छिपाने में देवेगीड़ा जी ने पूरी सहायता करने की कोशिश की, लेकिन कुछ जगहों पर सहायता नहीं कर पाये, तो आज जैसी मुश्किल भी उनके सामने आकर खड़ी हो गई। जब पी. चिदम्बरम जी भाषण दे रहे थे, जिस प्रकार वे कांग्रेस के लोगों की तरफ इशारा

कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर वे खुल कर इस सदन में घोषणा कर दें कि पिछले पांच सालों में जो कुछ भी इन्होंने किया, उसको माफ करने के लिए तैयार हैं, तो शायद उसी क्षण कांग्रेस के लोग कह देंगे कि आप आराम से चार साल और सरकार चलाओ, हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आज इस प्रकार की स्थिति है। मैं मानती हूँ, देवेगौड़ा जी ने प्रयास किया होगा, छिपाने की कोशिश की होगी, लेकिन कई बार ऐसे पाप होते हैं, जो छिपते नहीं हैं और सिर पर चढ़ कर बोलने लग जाते हैं तथा उनको छिपाना मुश्किल पड़ता है। प्रधान मंत्री तो क्या ब्रह्मा जी भी उन पापों को छिपा नहीं सकते हैं। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है। जब ऐसी मुश्किल हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति हो जाती है। लेकिन संयुक्त मोर्चे की सरकार ने भी तो कुछ पाप किए हैं। फारुख अब्दुल्ला के ब्यान के बाद सरकार क्यों चुप रही? पी. चिदम्बरम जी ने लंदन में जाकर जो भाषण दिया, जिसका मैंने सदन में जिक्र किया था, उसको पढ़ कर बहुत दुःख हुआ था। इसलिए मैं उपस्थित माननीय सदस्यों से कहना चाहती हूँ कि राष्ट्र की अस्मिता के मामले में दलीय राजनीति से ऊपर उठ कर बोलना चाहिए। हमने बचपन से यह सीखा है, खुद से बड़ा पार्टी का हित होता है और पार्टी से भी बड़ा देश का हित होता है और जब देश के हित की बात आती है, तो उस समय पार्टी के हित से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। अंग्रेजों के बीच में पी. चिदम्बरम जी ने लंदन में जाकर जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा कि आप हमारे देश में एक बार आए और दो सौ साल हमारे देश में रहे, अब आप दोबारा हमारे देश में रहने के लिए आएं। वे कहते हैं कि यह भूल से निकल गया। मैं कहती हूँ कि यह भूल से नहीं निकला, यह अन्दर का संस्कार बोल पड़ा है, यह अन्दर का चरित्र बोल पड़ा है, यह अन्दर की सोच बोल पड़ी है, यह अन्दर की बैकग्राउण्ड बोल पड़ी है। ये अन्दर की बातें हैं, यह अन्दर की मैनटैलिटी है, यह अन्दर की मानसिकता है, यह गुलामी की मानसिकता है, जिससे आज तक इन लोगों को मुक्ति नहीं मिली है। इस पर भी संयुक्त मोर्चे की सरकार चुप लगा गई - क्यों?

माननीय प्रधान मंत्री जी ने सदन में हमेशा एक बात कही है कि मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, गरीब परिवार से आया हूँ और मैं सोशियल जस्टिस चाहता हूँ। मैं कहती हूँ कि सोशियल जस्टिस के नाम पर संयुक्त मोर्चे की सरकार ने हिन्दुस्तान की महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। इन्होंने कहा था कि हम पहले ही सत्र में महिलाओं को आरक्षण देने का काम करेंगे और आरक्षण देने के लिए विधेयक लाएंगे। लेकिन कुछ हप्ते पैचीदगियां खड़ी हो गई, जिसके लिए सिलैक्ट कमेटी का गठन करना पड़ा। उस सिलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत हो चुकी है और प्रधान मंत्री जी टरकाते रहे हैं कि आज ला रहे हैं, कल ला रहे हैं और अगले हफ्ते ला रहे हैं। रामविलास पासवान

जी, मैं कहती हूँ कि आपको और प्रधान मंत्री जी को बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपने सोशियल जस्टिस के नाम पर महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही थी। आप जरा बाहर निकल कर जाइए और महिलाओं के रोष का सामना करके देखिए कि आप ने कितना बड़ा विश्वासघात महिलाओं के साथ किया है। कितना बड़ा छलावा महिलाओं के साथ किया है।

महोदय, बार-बार लोकपाल विधेयक को लाने की बात कही गई है। मुझे मालूम है, लोकपाल विधेयक को लाने का मतलब है कि जितने बेचारे तिहाड़ जेल में नहीं जाना चाहते थे, उनके भी जाने की तैयारी हो जाती। लोकपाल विधेयक की बात बार-बार कही गई, लेकिन वह नहीं आया।

दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट की बात कही गई है, वह नहीं आई। इसी प्रकार से वोहरा कमेटी की, जो राजनीति में अपराधीकरण से संबंधित बात थी, वह रिपोर्ट में नहीं आई। सरकारिया आयोग की बात चली, उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई। इसी प्रकार से उत्तराखंड की बात है। वहां प्रधानमंत्री जी जाकर कहते रहे कि उत्तराखंड घोषित होने ही वाला है। वहां के लोगों के साथ विश्वासघात किया गया। महिलाओं के साथ छलावा किया गया। प्रसार भारती के मामले में असत्य बोला गया और धोखा दिया गया। मैं यहां पर सोशल जस्टिस के नाम पर किसी का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि इस सदन के अंदर नाम लेने की मनाही है। कहा जाता है कि जो सफाई के लिए यहां नहीं आ सकता उसका नाम न लिया जाए, लेकिन अगर वास्तव में सोशल जस्टिस की बात थी तो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति सात सालों से मुर्गियों का दाना खाता रहा, भैंस का भूसा खाता रहा, गाय का चारा खाता रहा। गाय, भैंस कौन पालता है, मुर्गी कौन पालता है। उस आदमी का भाषण यहीं से शुरू होता था - ऐ मुर्गी, सुअर पालने वाले, गाय, भैंस चराने वाले। मैं सोचा करती थी कि भाषण में इनको सबसे पहले यही क्यों याद आता है। फिर बाद में मेरी समझ में आया कि जो जिसकी खाता है वह भाषण देने से पहले उसी को याद करता है। अंत में उस व्यक्ति की हिम्मत देखिए, उसने कहा कि अगर मुझे सजा हो जाएगी तो मैं जेल के अंदर बैठ कर सरकार चलाऊंगा, हिन्दुस्तान के लोकतंत्र के लिए यह कहना लज्जा की बात है।

हम एक तरफ तो इस देश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार से देश की अस्मिता और इस देश के स्वाभिमान का मजाक उड़ाया जा रहा है। यहां पर बार-बार प्रियरंजन दास जी बहुत दुख मना रहे थे; शायद कांग्रेस के लोग दलितों के मसीहा बनना चाहते थे। मैं इनसे कहती हूँ कि अगर आपको इस बात का दुख है कि मायावती को मुख्य मंत्री नहीं बना पाए और हमारे समर्थन के कारण हेल्पलैस हो गई है, इनसे यह पूछिए कि वह कितनी हेल्पलैस हो गई है। उनके

[कुमारी उमा भारती]

सामने ये इस प्रकार से बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। अगर इनको लग रहा है कि हमारे समर्थन के कारण हेल्पलैस हो गई हैं तो प्रियरंजन दास जी, आप एक बात याद करिए। मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ कि इनको किस ने रोका था, ये क्यों मुलायम सिंह जी के दबाव में आ गए? देवेगौड़ा जी ने क्यों मुलायम सिंह जी के दबाव में आकर मायावती को मुख्य मंत्री बनने से रोका। आज कहते हैं कि कांग्रेस की फजीहत हिन्दुस्तान के सामने हो रही है कि आपने किसी अज्ञात कारण से, पता नहीं कौन सी वह अज्ञात बीमारी है जिसका इलाज ठीक से नहीं हो पाया, यह सपोर्ट वापिस लेने का फैसला ले लिया। अगर यही सपोर्ट इन्होंने इस बात पर वापिस लिया होता कि संयुक्त मोर्चा अगर मायावती को मुख्य मंत्री नहीं बनाते तो हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, तब दलितों के मन में आपके प्रति दूसरी स्थिति बनती, लेकिन आप में दलितों की मसीहाई करने की इच्छा थी। उधर से मुलायम सिंह जी का प्रेशर था। उसका उदाहरण लखनऊ का गेस्ट हाउस का कांफ्रेंस था। अभी प्रियरंजन दास जी कह रहे थे कि अब मायावती हेल्पलैस हो गई हैं तो सच बात यह है कि मायावती उस दिन हेल्पलैस हुई थी जिस दिन उत्तर प्रदेश में मुलायम जी के द्वारा पाले गए एंटी सोशल एलीमेंट्स ने उनकी जान लेने की कोशिश की थी। तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने प्राण दांव पर लगा कर उनकी अस्मिता की रक्षा की थी, सिर्फ उस दिन मायावती हेल्पलैस हुई थीं, आज वह हेल्पलैस नहीं हैं क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के दलित उस महिला के साथ हैं। अब उत्तर प्रदेश की गरीब महिलाएं उस महिला के साथ हैं। इनको दुख है और जिसका इनको दुख होना स्वाभाविक भी है क्योंकि राजस्थान में इनको लड़ना पड़ा है, यह सही भी है, संयुक्त मोर्चा को वहां नहीं लड़ना पड़ा। गुजरात में इनको लड़ना पड़ा। महाराष्ट्र और पंजाब में इनको लड़ना है लेकिन इसमें बेचारे देवेगौड़ा जी क्या करें? वह तो अभी प्रधानमंत्री बने हैं, इससे पहले मुझे पता है कि वह पीछे बैठ कर ऊंधा करते थे। मैंने बहुत दिनों तक उनको देखा है। जब वह 1991 में सांसद बने तब से लेकर 1996 तक आम तौर पर मैंने इनको पीछे बैठ कर सोते हुए ही पाया। इसलिए इनकी कोई गलती नहीं है। अब कांग्रेस के पाप कर्म इनको ले डूबे हैं। क्या पंजाब में इनको देवेगौड़ा जी ने डुबोया, पंजाब में भ्रष्टाचार इनको ले डूबा। मैं पिछले साल अमेरिका गई थी। वहां लोगों ने बताया कि इस धरती पर अगर सबसे ज्यादा करप्शन कहीं है तो वह रूस के बाद में है तो वह पंजाब में है।

उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड और अन्य मामलों में आपने जो कुर तटस्थता दिखाई वह आपको ले डूबी। बिहार में आपका भ्रष्टाचार आपको ले डूबा। मध्य प्रदेश में एंटी सोशल एलीमेंट्स को जिस प्रकार से वहां की कांग्रेस सरकार प्रोटेक्शन दे रही है वह आपको लेकर डूबने वाली है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार का जिस प्रकार से एंटी नेशनल एलीमेंट्स के साथ आपका सम्पर्क लगातार टेलीफोन

और अन्य जरियों से बना हुआ था और जो हिन्दुस्तान की जनता के सामने उजागर हो गया, जिस प्रकार से नागपुर की गलियों में लाखों गरीब लोग महाराष्ट्र के तत्कालीन कांग्रेस के मुख्य मंत्री से मिलने गए, जो यहां पर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार से गोलियां चलाई गईं, जिनके वोट से तुम मुख्य मंत्री बनते हो उन पर गोलियां चलाते हो।

वे तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आते हैं। जब वोट का समय आता है तो उनके दरवाजे पर भिखारी बनकर वोट मांगने जाते हो और जब वे इनके दरवाजे पर पहुंचते तो उनको गोलियां मिलीं। तो उस पाप के कारण महाराष्ट्र की सरकार डूब गयी। अब इसमें बेचारे देवेगौड़ा जी क्या करें? पाप आप करें तो उन पापों का फल भी आपको भुगतना पड़ेगा। अभी एक शिकायत बार-बार हो रही थी कि हमारे साथ कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया। बिल्कुल सही बात है। चन्द्रशेखर जी को याद रखना चाहिए कि कांग्रेस का तो इतिहास ही बेवफाई का है। देवेगौड़ा जी और राम बिलास पासवान जी आपको किनसे वफा की उम्मीद थी। वफा की उनसे आपने उम्मीद की जो नहीं जानते वफा क्या है। वफादारी तो कांग्रेस के संस्कार और परम्परा में नहीं है। यह तो विषबेल की तरह से है। हमारे यहां बुदेलखंड में एक विषबेल होती है। उसकी विशेषता यह होती है कि वह उसी पेड़ को टूट बनाकर छोड़ देती है जिसके सहारे वह आगे बढ़ती है। वह उस पेड़ का रस चूस लेती है और खुद मजबूत हो जाती है। यही इन्होंने चरण सिंह जी और चन्द्रशेखर जी के साथ किया और यही अब देवेगौड़ा जी के साथ करने वाले हैं। लेकिन फर्क एक हो गया है कि अब पाप का बड़ा फुट गया है और इतना फूट गया है कि अब किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है।

इन्द्रजीत गुप्ता जी और सोमनाथ चटर्जी यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं बड़ी ईमानदारी से अपने डर की बात बता रही हूँ। उपाध्यक्ष जी, मैं इन दोनों महापुरुषों का बड़ा आदर करती हूँ। मैं जब इनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये बड़े विद्वान लोग हैं और इनके सामने बोलते हुए मुझे भय लगता है कि कहीं मुझसे बोलने में कहीं भूल न हो जाए। अगर इन्द्रजीत गुप्ता जी गृहमंत्री न भी बनते तो भी उनके आदर में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं था लेकिन जिस प्रकार से वे उत्तर प्रदेश के बारे में बोले और फिर उन्होंने झट उसे वापस भी ले लिया और जिस प्रकार से पी. चिदम्बरम के गरीब विरोधी बजट के समय पर वे मौन रहे हैं इस मौन के लिए क्या लेनिन की आत्मा उनको कभी माफ कर पाएगी। मास्को में अपनी कब्र में उसने कितनी बार बेचैनी से करवट बदली होगी जब ये गरीब विरोधी बजट के समय मौन रहे। हमारे यहां एक कहावत चलती है कि जन्म भर पढ़े काशी और अंत में मरने के लिए गये अपने गांव की घाटी। पूरी जिंदगी तो ये साम्यवाद-साम्यवाद करते रहे और अंत में एक ऐसे बजट के

सामने चुप हो गये जिसके लिए गरीब लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव तो यह है कि आप लोग कोई तरीका मत निकालिये।

यह देश आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस समय देश की जनता इस मजाक को देख रही है जो लोकतंत्र और आजादी के साथ हो रहा है। इस समय सरकार में इतना अन्तर्विरोध है जबकि हम तो लोकपाल विधेयक में इनका साथ देने के लिए तैयार थे, महिला आरक्षण के मामले में इनका साथ देने के लिए तैयार थे, वोहरा कमेटी के मामले में इनका साथ देने के लिए तैयार थे, दिनेश गोस्वामी कमेटी में इनका साथ देने के लिए तैयार थे लेकिन इनके अपने ही लोग इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए ऐसे अन्तर्विरोधों से भरी सरकार का क्या करें।

एक बार हिटलर से मिलने एक ज्योतिषी गया। हिटलर ने ज्योतिषी से पूछा कि मेरी उम्र क्या है? ज्योतिषी ने सोचा कि सही बताऊंगा तो जान पर बन आएगी। लेकिन हिटलर ने उसको वचन दिया कि तुम्हारी जान नहीं लेंगे। ज्योतिषी ने कहा कि मेरी इच्छा इतनी प्रभावी हो गयी है कि मैं सत्य नहीं बोल सकता। उसने कहा कि आप जैसे व्यक्ति को तो एक भी दिन धरती पर नहीं रहना चाहिए। इसलिए आपकी उम्र कितनी है यह सत्य मैं बता नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरी सरकार जो किसी भी प्रकार काम न कर सके और जो अन्तर्विरोधों से घिरी हो, जिनके मंत्रियों की आपस में समझबूझ न हो और जिसका एक भी मंत्री अपने आपको प्रधानमंत्री से कम न समझता हो, ऐसी स्थिति में इस सरकार के चलने से देश को भारी नुकसान होगा। मैं तो यह मानती हूँ कि चुनाव का बहुत बड़ा बोझ होता नहीं है और ऐसी सरकार एक दिन भी चलेगी तो वह देश को भारी नुकसान पहुंचाएगी। आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर हर प्रकार से देश को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए हम यहां पर प्रधान मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किए गये विश्वास मत का पूरी तरह से विरोध करते हैं और हमारा आप सभी लोगों से कहना है कि धर्मनिरपेक्षता और साम्प्रदायिकता की बात बंद कीजिए और सीधे-सीधे कहिये कि तिहाड़ जेल में जाने से डर लग रहा था इसलिए यह करप्शन-प्रोटेक्शन कंपनी इकट्ठा हो गयी और इस करप्शन-प्रोटेक्शन कंपनी में एक-आध का ठीक से प्रोटेक्शन मिल नहीं पाया, बेचारे देवेगौड़ा जी कहां तक बचाते। इसलिए यह समस्या खड़ी हो गयी। अब मैं उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से आप सभी लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि सत्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और आप सत्य की शक्ति को पहचानिये। सत्य यह है कि भारत की अस्मिता का मतलब भारतीय जनता पार्टी है, भारत के स्वाभिमान का मतलब भारतीय जनता पार्टी है, भारत के भविष्य का मतलब भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ध्वस्त करने का प्रयास करने में

यानी भारत की अस्मिता को, भारत की आवश्यकता को, भारत की परम्परा को और भारत के स्वाभिमान को ध्वस्त करने का प्रयास करने में इन्हें कहीं सफलता नहीं मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास चौदह सदस्यों के नाम हैं। इस हालात में कितनी-कितनी देर किस ने बोलना है, आप तय करिए। या तो आपको बहुत देर तक बैठना पड़ेगा, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कलमाडी (पुणे) : हम इस विषय पर चर्चा कल जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : उपाध्यक्ष जी, आज सुबह से चर्चा चल रही है। चन्द्रशेखर जी ने और कांग्रेस की तरफ से भाई मुंशी जी ने इस चर्चा में भाग लिया। कांग्रेस के सब साथी बहुत भारी मन से सब बातों को सुन रहे हैं। मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने बहुत खुशी भरा कदम नहीं उठाया, कांग्रेस ने बहुत भारी मन से मजबूरी में यह कदम उठाया।

मई 1996 में चुनाव हुए। देश के सामने स्थिति साफ हुई। हमारी पार्टी को 142 सीटें मिली, यूनाइटेड फ्रंट को 177 सीटें मिली। बी.जे.पी. एक लार्जैस्ट पार्टी बनकर आई। जब हम सबसे पहले अपनी पार्टी की मीटिंग में बैठे तो सब के मन में यह बात थी कि कांग्रेस को चाहे 142 सीटें मिली लेकिन देश के लोगों ने हमें अधिकार नहीं दिया कि हम सरकार बनाएं। यही कांग्रेस की रीति और नीति रही। आज बहुत से सदस्यों ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता के लिए समर्थन वापस लिया।

एक माननीय सदस्य : सही कहा, गलत नहीं कहा।

श्री राजेश पायलट : आज के इतिहास में ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप 1989 के नतीजे देखें। हमें करीबन 195 सीटें मिली थी। वह सिंगल लार्जैस्ट पार्टी थी। हमारे साथी 1989 में जीते थे लेकिन अलग-अलग घटक से जीते थे। कांग्रेस अकेले 195 सीटें जीत कर आई थी। उस समय राजीव गांधी जी ने कहा था कि देश ने हमें हक नहीं दिया कि हम सरकार बनाएं। हमने लिख कर भेज दिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे और जो दूसरी लार्जैस्ट पार्टी है, उनको सरकार बनाने का मौका दें। 1996 में जब बी.जे.पी. की सरकार गिर गई तो दूसरा नम्बर हमारा था। हमारी 142 सीटें थी और हम सरकार बना सकते थे। यूनाइटेड फ्रंट के साथियों ने कहा था कि आप सरकार बना सकते हो तो बनाते

[श्री राजेश पायलट]

क्यों नहीं। हमने मना कर दिया। हमने अपनी वर्किंग कमेटी में फैसला किया कि कांग्रेस एक जिम्मेदार पार्टी है, कांग्रेस इस देश के राजनैतिक दृश्य में सबसे बड़ी पार्टी रही है, हमें अपना हक निभाना है, हमें सत्ता प्राप्त नहीं करनी है। हमने बड़े प्यार और उम्मीदों के साथ यूनाइटेड फ्रंट को एक सैकुलर पार्टी समझ कर समर्थन दिया। हमें पता था कि 1989 में दोनों एक साथ थे, एक साथ चुनाव लड़े थे, एक साथ जीत कर आए थे। एक साथ सरकार चला रहे थे और हर शुक्रवार को मिला करते थे, फ्राइडे क्लब के नाम से 1989 में चर्चा होती थी लेकिन हमने फिर भी सोचा कि इनमें सुधार आया है, यह अलग-अलग होकर जीते हैं, हमने बहुत प्यार से उनको समर्थन दिया। आज कांग्रेस उस हैसियत से बोल रही है जब माली पेड़ लगाता है और वह पेड़ गिरता है तो उस माली को सबसे ज्यादा दुख होता है। देखने वालों को दुख होता होगा लेकिन जो लगाता है, उसे सबसे ज्यादा दुख होता है। हमने जब यह पेड़ लगाया था तो जो दो-तीन बातें अपने मन में रखी थीं वे हम साफ करना चाहते हैं। प्रमोद महाजन जी ने सही कहा कि हम नहीं चाहते कि बी.जे.पी. जैसी पार्टी देश की सत्ता में आए। हम खुले आम कहते हैं और खुले आम कहते रहेंगे कि बी.जे.पी. जिस दिन सत्ता में आएगी, देश की अखंडता टूट जाएगी। हम कुछ छिपाव नहीं करते। यह वक्त बताएगा। ... (व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, श्री देवेगौड़ा की सरकार को इस भावना से सपोर्ट दिया और इस उम्मीद के साथ सहयोग दिया था, वे मेरे व्यक्तिगत दोस्त हैं, आज से नहीं पिछले 18 साल से मेरी उनसे जान-पहचान है आपको याद होगा कि मैंने उस समय बयान दिया था कि आज एक किसान परिवार का व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन रहा है। मैंने खुशी जाहिर की थी, सारे कांग्रेसियों को खुशी हुई थी तथा एक उम्मीद जागी थी कि सब मिलकर इस देश की गाड़ी को पार लगायेंगे और जिस मकसद के लिये हम एक हुये हैं—कम्युनल फोर्सेज को रोकने के लिये—उसमें हमें सफलता मिलेगी। इसमें कहीं तो कमी रही है? जब यह बात चली तभी को-आप्रेशन की बात बनी। हमने कहा कि हमें सत्ता नहीं चाहिये और हम बाहर रहकर सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि एक कमेटी बना देते हैं लेकिन हमने कहा कि नहीं, आप सरकार चलाईये तो हम सपोर्ट करते रहेंगे। आप ऐसी नीतियां बनाईये जिस पर देश आगे चलता रहेगा और कम्युनल फोर्सेज वहीं रूक जायें। यह वायदा हम सब के बीच में हुआ था और इसी उम्मीद के साथ हमने सपोर्ट किया था लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? हम लोग दो मुद्दे लेकर चले थे कि नीतियां चलती रहें और देश आगे बढ़ता रहे। आज कोई इस बात को माने या न माने। हमसे खामियां भी हुई हैं। हम नहीं कहते कि 1991 से लेकर 1996 तक कांग्रेस से गलतियां नहीं हुईं। यह भी नहीं कहते

कि हमारी सरकार की तरफ से गलतियां नहीं हुईं। हमने 1995-96 तक कई मामले सुलझाये और कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाये हैं। इन महत्वपूर्ण कदमों के फलस्वरूप देश को एक रास्ता दिखाया और 1996 में देश को सही जगह पर छोड़कर गये।

उपाध्यक्ष जी, पहले पंजाब और कश्मीर में क्या हालत थी? अभी हमारी बहन उमा जी कश्मीर के बारे में जिक्र कर रही थी। उमा जी, आप बुरा न मानिये 1991 से लेकर 1996 तक बनिहाल के आगे आप में से कोई पार नहीं हुआ। ... (व्यवधान)

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : यह आप कैसे कह सकते हैं?

श्री राजेश पायलट : आप तो कश्मीर के रहने वाले हैं। हम तो पार्टी की बात कर रहे हैं। वहां पर कांग्रेस और नेशनल काँग्रेस के लोग मरते रहे, उन पर अटैक होते रहे। कश्मीर के बहादुर लोगों ने उनका सामना किया और वे देश के साथ चुनाव के लिये तैयार हुये। श्री पासवान ने ठीक ही कहा कि पंजाब में उन लोगों ने चुनाव करवाये लेकिन पांच सालों तक किसकी नीति चलती रही। वहां पर गोलियां कौन खाते रहे? केवल कांग्रेसी वहां खाते रहे। आप कहते हैं कि कांग्रेसियों ने वहां पर कुछ नहीं किया।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दमाजरा (पटियाला) : वहां पर प्रधानमंत्री जी कितनी बार गये हैं?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. चन्दमाजरा आपको बोलने का अवसर मिलेगा। आपकी पार्टी को बोलने का अवसर मिलेगा। आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : उपाध्यक्ष जी, अकाली भाईयों से हमारे अच्छे संबंध हैं। फर्क सिर्फ यह है कि पंजाब में जहां खून बहा, हम उन लोगों के दुख में शामिल होते रहे ...

श्री नीतीश कुमार : आप असली बात पर आईये, पायलट साहब, यहां पर कश्मीर को कोई सुनना नहीं चाह रहा। लोग तो जानना चाहते हैं कि आपकी चिट्ठी क्या थी? ... (व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : उपाध्यक्ष जी, अकाली दल के हमारे बहुत से साथी खड़े हुये हैं। मैं कहना तो नहीं चाहता था मगर

सच्चाई यह है कि कांग्रेसी उनके घरों में जाते थे जो मारे जाते थे जबकि अकाली दल उनको सरोपा देते रहे, जो उनको मार रहे थे। ... (व्यवधान)

प्रो. प्रेम सिंह चन्दमाजरा : यह बात ठीक नहीं। हमारे अकाली लीडर्स पर गोलियां चली तो इन लोगों ने चलवाई। हम सबूत पेश कर सकते हैं। इन लोगों ने गोलियां चलवाईं। हमारे लीडर लौंगोवाल शहीद हुये, इनका कौन सा लीडर शहीद हुआ? यह सब बात नहीं कह रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. चन्दमाजरा, आपकी पार्टी को बोलने का अवसर मिलेगा। तब आप यह सब बातें स्पष्ट कर सकते हैं। कृपया अब बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : उपाध्यक्ष जी, यह कांग्रेस की जिम्मेदारी रही है और यह कांग्रेस का इतिहास रहा है। हमें ह्युमिलिएशन इसलिये सहना पड़ता है क्योंकि इस देश के इतिहास में हमारी जगह है, चाहे कोई इस बात को माने या न माने। यहां पर श्री चन्द्र शेखर ने कहा कि हम लोगों में कुछ खामियां हैं। हम भी इस बात को मानते हैं और हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि इस देश और इस देश के इतिहास के साथ कांग्रेस का लगाव है। कांग्रेस ने सत्ता भी त्यागी।

उपाध्यक्ष जी, मैं कहना नहीं चाहता कि 1982 से लेकर 1985 तक असम में आप लोगों के क्या भाषण हुये थे। कांग्रेस ने कहा था कि सलाह करेंगे, आप सत्ता ले लो लेकिन शान्ति लाओ। यह कांग्रेस का इतिहास रहा है। मिजोरम में क्या होता रहा है? वहां हमारी सरकार थी। हमने लालडेंगा से एग्जीमेंट किया।

सत्ता त्यागकर लालडेंगा को चीफ मिनिस्टर बनाया। यह कांग्रेस का इतिहास है। आपकी तरह नहीं रहा है। आपने क्या किया? ... (व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, आज यहां सत्ता का भाषण दिया गया। भाई प्रमोद महाजन और हमारे साथी जसवंत सिंह जी ने मोरेलिटि की बात कही, सत्ता की बात कही। आज मोरेलिटि के लेक्चर हमें दिये जा रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात देखिए। भाई कांशीराम जी यहां बैठे हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर दें पर जो मैंने सुना वह कह रहा हूं। पहले इनके क्या भाषण होते थे—'तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार।' ऐसा हम नहीं कहते थे आप कहते थे। आज क्या हो गया? सब बातों को भूल जाओ। आज हमें भाषण दे रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : यह नारा किसका है? यह बीजेपी का नारा नहीं है। ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : चौबे जी, आप बैठ जाइए।

श्री कांशी राम (होशियारपुर) : मेरा नाम लिया गया है इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं। इस मामले में मैं हमेशा कहता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ए ग्रेड की ब्राह्मणवादी पार्टी है और तिलक, तराजू और तलवार से भरी पड़ी है। तिलक, तराजू और तलवार का सिर्फ बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : यह दुख की बात है। आज सवाल हमारा नहीं है। आज पूरे देश का सवाल है। आज देश के सामने सवाल है कि सत्ता के लिए राजनीतिक चरित्र में कितनी गिरावट आ गई है। हमारे भाई ने खड़े होकर कहा कि यह तो मनुवादी पार्टी है, तिलक वालों की पार्टी है। एक दिन हमसे समझौता और दूसरे दिन उनसे समझौता, यह भी एक राजनीति हो गई है कि सत्ता कैसे मिले।

उपाध्यक्ष जी, हमें देवेगौड़ा जी से उम्मीद थी कि कम्यूनल फोर्सेज पर चेकमेट लगेगा। हमें उम्मीद थी कि सहयोग बढ़ेगा। कहीं तो कमी रही होगी। कहीं हमारी कमी रही होगी और कहीं उनकी कमी रही होगी। जब इनकी सरकार बनी तो इनका फर्ज हो जाता है कि सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर उस मंजिल तक पहुंचे जिस मंजिल के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, लेकिन उसका कहीं-कहीं उल्टा हुआ। मैं कई प्रांतों में गया। कर्नाटक जो देवेगौड़ा जी का स्टेट है, वहां जाकर क्या भावना देखने को मिली? वहां के मुख्य मंत्री असेम्बली में भाषण देते हैं कि 'कांग्रेस में हिम्मत है तो समर्थन वापस लें? कांग्रेस कर क्या रही है? हम कांग्रेस के सहारे नहीं हैं?' आखिर हम भी इंसान हैं, पोलिटिकल आदमी हैं, पोलिटिकल संस्था हैं और हमारे सामने ये नारे लगाएंगे? कुछ तो रहम करो। हम आपका साथ दे रहे हैं, कुछ मांग नहीं रहे हैं। सहयोग दे रहे हैं, देश के लिए और बीजेपी के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए हम आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? ... (व्यवधान) हम कह रहे हैं कि हम आपको रोकेंगे और रोककर रहेंगे। यह कांग्रेस ही आपको रोक सकती है। लेकिन क्या हुआ? हमें पता था कि हम असम में सीधे ए.जी.पी. से लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी को असम में ए.जी.पी. से सीधी लड़ाई है। हमारे साथी ए.जी.पी. से लड़कर आए हैं। बीजेपी या और किसी से लड़कर नहीं आए हैं। कर्नाटक में हमारी जनता दल से सीधी लड़ाई थी। आंध्र प्रदेश में तेलुगूदेशम से लड़ाई थी। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट से लड़ाई थी। उसके बावजूद भी हमने देश के लिए दिल पर पत्थर रखकर बहुत बड़ा साथ दिया, यह सोचकर कि ये सब एक होकर उस मकसद को पूरा करेंगे। जब प्रधान मंत्री जी किसी प्रदेश में जाते थे तो मैं मन ही मन सोचता था कि कांग्रेस

[श्री राजेश पायलट]

एक सपोटिंग पार्टी है। अगर वे जनता दल वालों के यहां जाएंगे तो एक दिन गाड़ी लेकर पीसीसी में भी चले जाएंगे कि बोलो भाइयो, आपकी क्या तकलीफ है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं बताओं कि हमारी पॉलिसीज कैसी चल रही हैं, इसमें और क्या सुधार हो सकता है? ऐसा पहले भी हुआ था 1967 में, और जब कभी ऐसा कोआलिशन होता था तो नेशनल लेवल पर सब पार्टियां मिलकर बात करती थी। एक ज्वाइंट मीटिंग आज तक नहीं हो पाई, एक ज्वाइंट मीटिंग कोई फैसला नहीं कर पाई। कहीं तो कमी रही, कहीं तो उसमें खामी रही। उस खामी की वजह से वह बराबर बढ़ती रही।

आज पॉलिसीज की बात हुई। हमारे साथी श्री चिदम्बरम ने कहा कि पॉलिसीज में हम लोगों ने कुछ सुधार किये हैं। हम तो देख रहे थे कि दिसम्बर तक आप कह रहे थे कि

[अनुवाद]

हम तो कांग्रेस पार्टी की नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं उन्हीं का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

यह सच्चाई की बात है कि कांग्रेस की पॉलिसीज आप लोग फोलो कर रहे थे और वह साथ दे रहे थे। जब आपका कॉमन मिनीमम प्रोग्राम बना तो हमने अपनी पार्टी की तरफ से कहा

[अनुवाद]

हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आप कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू की गई नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं परन्तु उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री जी को मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं उसमें खामियां रहें। एक रूरल डेवलपमेंट की बात चलती थी। हमारी सरकार ने कुछ कदम रूरल डेवलपमेंट के लिए चालू किये थे। आज वे उतने नहीं बढ़े, जितनी उम्मीद देवगौड़ा जी से थी कि रूरल डेवलपमेंट के मामले में और आगे बढ़ोत्तरी होगी। उसी तरह से आज नॉर्थ ईस्ट की बात हुई। प्रधान मंत्री खुद गये जिससे सारे नॉर्थ ईस्ट में एक उम्मीद जागी थी। इन्होंने वहां पर डॉयलाग खोलकर एक नई शुरूआत की थी। लोगों को उम्मीद बंधी कि अब इस इलाके में शांति आयेगी और 20-25 सालों से जो विद्रोह वहां उठ खड़ा हुआ था हर आदमी ऐसा कहने लगा था कि प्रधान मंत्री इनीशिएटिव लेकर ही उससे छुटकारा दिला सकते हैं। इन्होंने एक अच्छी शुरूआत की थी। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक पैकेज दिया था। उसको हमने सराहा था, हर पार्टी ने सराहा था। वहां एक भावना

पैदा हुई कि हम लोगों को मेनस्ट्रीम में लाने के लिए ही ऐसी कोशिश हो रही है जो कांग्रेस ने की थी। आज हमारे साथी कह सकते हैं कि कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं किया। मैं सच्चाई से कहना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा में लाने के लिए जितनी कोशिश कांग्रेस की रही है उतनी किसी अन्य पार्टी की कोशिश नहीं रही है। हमने वहां पर दो भाषाएं नहीं बोलीं। आज उपाध्यक्ष जी उसकी बातें की जा रही हैं। रीजनल पार्टी के लिए बहुत आसान है कि एक भाषा दिल्ली में और दूसरी भाषा अपने रीजन में बोल सकती हैं। कांग्रेस वह भाषा नहीं बोल सकती। कांग्रेस को एक भाषा बोलनी पड़ती है। जो देश के भले में हो जो सबके भले में हो, कांग्रेस को वही भाषा बोलनी पड़ती है और इसलिए कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं इस सदन में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस नुकसान भुगतेंगी हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर देश आगे बढ़ता रहेगा तो कोई परेशानी नहीं है कांग्रेस उन्हीं नीतियों पर चलती रहेगी, जिन नीतियों पर कांग्रेस बनी है, जिन नीतियों पर कांग्रेस हमेशा रही है। चूंकि हमें देश की चिंता है, हमें देश से लगाव है। हमें सत्ता की चिंता नहीं है।

कुछ सदस्यों को भारी गलतफहमी है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी कि सत्ता बनानी है। लेकिन ऐसी कोई सत्ता की बात हमारे मन में नहीं है। आज हम यहां बहस कर रहे हैं। हमारी तरफ से अब भी यही कोशिश है कि हमारा लगाया हुआ पेड़ न गिरे। हम अब भी इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं और बराबर कोशिश करते रहेंगे। मेरी सब भाइयों से अपील है कि हम प्यार से ही मिलें। हो सकता है उस प्यार में कहीं कोई कमी आ गई हो। लेकिन आप इन लोगों के भाषणों में मत आ जाना। यह भाषण जो आपको सुना रहे हैं, ये भाषण देने में बहुत अच्छे हैं। ये भाषणों से ही यहां पहुंचे हैं। ये लोग 1984 में दो थे, लेकिन इन्होंने ऐसे भाषणों के द्वारा दोस्ती करके 1989 में अपना नंबर बढ़ा लिया और बराबर बढ़ रहा है। इसी वजह से यह बढ़ता जा रहा है। हम लोगों ने इन पर रोक लगाई और कदम उठाये। हमने ऐसी कोशिश की थी हर कार्यकर्ता ने ऊपर से नीचे तक कार्य किया। देश के हित में जब सेक्युलरिज्म की बात आती है, मैं मान सकता हूं कि हमसे भी कहीं कोई कमियां रह सकती हैं। लेकिन यह सच्चाई नहीं है जो आज छः दिसम्बर की बात सब कह रहे थे। हमने उस समय यहां कितना साफ तौर पर कहा था, अटल जी यहां से चले गये हैं। चार दिसम्बर को हमने इसी हाउस में कहा था कि आप मस्जिद को तोड़ोगे, तो आपने कोई जवाब नहीं दिया और चुप बैठे रहे। अटल जी और आडवाणी जी दोनों बैठे हुए थे, दोनों चुप रहे। किसी ने नहीं कहा कि ऐसी बात नहीं है। 10 दिसम्बर को अटल जी बोले कि हमारे साथी राजेश पायलट जी का शक सही था, यह गलत हुआ है। उपाध्यक्ष जी, जो भाषा उन्होंने बोली, अटल जी यहां आकर उसी तरह सफाई

दे सकते थे। लेकिन जब प्रधान मंत्री बने तो उससे पहले उनका क्या बयान था, वे फैजाबाद में बोल रहे थे कि हमारा राम जन्मभूमि का मंदिर वाला मुद्दा चलता रहेगा। मैंने अखबार में पढ़ा था मैं उसे कोट कर रहा था कि यह हमारा मुद्दा चलता रहेगा। जिस दिन प्रधान मंत्री बन गये उस दिन कहा कि यह सब मुद्दे ठंडे बस्ते में रख दिये गये हैं।

उपाध्यक्ष जी, जब तक नीति और नीयत में फर्क रहेगा, अगर नीति दिखाने की कुछ और रहेगी और नीयत कुछ और रहेगी तब तक इस देश को हम सही रास्ते पर नहीं ले जा सकते। ऐसा यह बी.जे.पी. नहीं कर सकती। इनकी नीति भी गलत है और नीयत भी गलत है। इसलिए देश को इसी रास्ते पर चला रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इनकी नीति और नीयत में फर्क है। ये दिखाते कुछ और हैं और अंदर इनकी नीयत कुछ और होती है। हमारी नीति और नीयत में कोई फर्क नहीं है। हमारा कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, लेकिन हमारी नीति और नीयत में कोई फर्क नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम उस कम्युनिकेशन गैप को भी मिल कर दूर कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आखिर में दो बातें कहनी हैं। जैसा चिदम्बरम जी और चन्द्रशेखर जी ने भी कहा, इस देश में जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, तब तक काम नहीं चलेगा। हम कोशिश करते रहे। ठीक है हमसे कुछ गलतियाँ भी हुई हैं। हमारे कुछ साथी करप्शन के मामलों में पकड़े गए, लेकिन हमारी पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ भी करप्शन के चार्जज लगे। आप बताइए आपने क्या कार्रवाई की? इंडिया टुडे पढ़िए।

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : हाइकोर्ट ने बरी कर दिया।

श्री राजेश पायलट : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस में एक बात है कि अगर हम गलती करते हैं, तो उसको स्वीकार भी करते हैं। आप में और हम में यही फर्क है। हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं बल्कि छिपाते हैं। मुझे विश्वास है कि देवेगौड़ा जी और हमारे सब साथी मिलकर इस समस्या का कोई समाधान निकाल लेंगे। मैं देवेगौड़ा जी और अपने सब साथियों से अपील करूंगा कि कोई रास्ता निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भाषण कह रहे हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इनकी चिकनी-चुपड़ी बातों में न आएं। ये भाषण इसी तरह के कर रहे हैं।

इन्हीं लफ्जों के साथ मैं देशवासियों को और सदन को भरोसा दिलाना चाहूंगा कांग्रेस सैकुलरिज्म के लिए लड़ती रही है, देश के विकास के लिए नीतियाँ बनाती रही है। भारतीय जनता पार्टी की

नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता लड़ता रहेगा और बी.जे.पी. को कभी सफल नहीं होने देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। हम में और इनमें पुराना प्यार तो है ही।

अपराह्न 07.37 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री कांशी राम : अध्यक्ष जी, आज से 10 महीने पहले जब देवेगौड़ा जी ने वोट आफ कान्फीडेंस के लिए सदन में अपील की थी, तो हम लोगों ने उसका विरोध किया था और विरोध करते समय एक बात कही कि युनाइटेड फ्रंट में ऐसे घटक मौजूद हैं जो गुंडागर्दी को बढ़ावा देते हैं जिसके कारण गुंडागर्दी बहुत से प्रदेशों में बढ़ी है। उन घटकों के रहते हुए युनाइटेड फ्रंट गुंडागर्दी को नहीं रोक पाएगा। यह हमने 10 महीने पहले कहा था और यह भी कहा था कि अभी हमें थोड़ा समय और दो। हमने हाथ इसलिए नहीं मिलाया। इन्होंने कहा कि हम गुंडागर्दी का तुरंत सफाया करेंगे। हमने उस वक्त कहा कि गुंडागर्दी को अगर यह सरकार नहीं रोक पाती है, तो दलित और शोषित समाज को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए हम इस वोट आफ कान्फीडेंस का विरोध करते हैं। लेकिन पिछले दस महीनों में क्या हुआ है। दस महीनों में गुंडागर्दी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नर की इंस्टीट्यूशन को बड़े पैमाने पर यूनाइटेड फ्रंट ने इस्तेमाल किया। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितल्ला (कोट्टायम) : क्या गुंडागर्दी शब्द संसदीय है? इस पर माननीय अध्यक्ष को विनिरण्य देना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि 'गुंडागर्दी' शब्द संसदीय है या नहीं।

श्री कांशी राम : मैं स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

मैं समझता हूँ कि मैंने दस महीने पहले जो कहा था, जिसका मुझे दस महीने पहले अंदेशा था वही इन दस महीनों में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने किया है। मैं कांग्रेस के बारे में भी कहना चाहूंगा क्योंकि अभी-अभी पायलट साहब ने कहा कि हमने पहले कांग्रेस के साथ एलायंस किया और अब बी.जे.पी. के साथ किया है। हमारे दलित शोषित समाज को जिससे फायदा होगा, हम हमेशा उससे फायदा लेने की कोशिश करेंगे। ... (व्यवधान) मैं इस भरी पार्लियामेंट में कहूंगा कि हमारे सामने जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम दलित शोषित समाज के हित में हम आने वाले समय में भी फैसले करेंगे। अभी पायलट साहब ने कहा कि पहले हमने कांग्रेस से सहयोग का फैसला किया, तो मैं उनसे कहना

[श्री कांशी राम]

चाहता हूँ कि हम कांग्रेस के पास समझौता करने के लिए नहीं गए थे। हम किसी के पास समझौता करने के लिए नहीं जाते हैं। हम हमेशा दलित शोषित समाज को अपने पैरों पर खड़े करने की कोशिश करते हैं और यह समझते हैं कि जिस दिन दबा कुचला हुआ इंसान खड़ा हो जायेगा उस दिन हर पार्टी को उनके साथ समझौता करने की जरूरत पड़ेगी। पार्लियामेंट के चुनाव के बाद कांग्रेस को इसकी जरूरत पड़ी। कांग्रेस के नेता खुद चलकर मेरे पास आये ... (व्यवधान) मैं बाद में उस पर आता हूँ। पहले कांग्रेस ने इस सवाल को खड़ा किया है तो पहले कांग्रेस से ही निपट लूँ। जब कांग्रेस के नेता हमारे पास चलकर आये तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वोट आठ परसेंट पर आ गया है, अगर आपने हमसे समझौता न किया तो यह दो-चार परसेंट पर चला जायेगा। इसलिए हम आपके पास अपील करने आये हैं कि आप हमसे समझौता कर लें और गिरती हुई कांग्रेस की साख बचाये। हमने सोचा कि इससे हमारा भी फायदा हो और शायद कांग्रेस का जो ग्राफ नीचे जा रहा है वह थोड़ा ऊपर आ जायेगा। हमने ऐसी कोशिश भी की लेकिन जब पंजाब की बात आई तो कांग्रेस के नेता कहने लगे कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का फालआऊट हुआ है वैसे पंजाब में नहीं होने देंगे। पंजाब में हम कांग्रेस को मरने नहीं देंगे, डूबने नहीं देंगे। हमने ऐसा सोचा कि ठीक है, अगर कांग्रेस यह समझती है कि हमने उनको खरीदा है, उन्होंने हमारे पास अपने आपको गिरवी रखा है तो यह उनकी सोच है। लेकिन अक्टूबर के महीने में जब चुनाव का रिजल्ट निकला तो मैंने केसरी साहब से कहा कि आपने चुनाव में कहा था कि अगर यूनाइटेड फ्रंट उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनाने के लिए सपोर्ट नहीं देगी तो हम उससे सपोर्ट विदड्रा कर लेंगे।

पिछले भाषणों में बहुत कहा गया। मैंने उनसे कहा कि आप सपोर्ट विदड्रा कर लें, अच्छा मौका है। कांग्रेस का रिवाइवल हो सकता है। आप बार-बार कहते हैं कि हमें कांग्रेस को रिवाइव करना है। तिवारी जी को लाकर या कुछ और दूसरे नेताओं को, जिनको आप कह रहे हैं, लाकर कांग्रेस का रिवाइवल नहीं होगा। कांग्रेस का रिवाइवल कांशी राम के हाथ में है। जिसने कांग्रेस को गिराया है वही कांग्रेस को उठा सकता है। यह मेरी गलतफहमी थी लेकिन मैंने फिर भी उनसे कहा कि कांग्रेस का रिवाइवल बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है। आप समर्थन विदड्रा कर लें। लेकिन अक्टूबर के महीने में हमारी बात नहीं मानी गई और कनविंस हो गए। पांच महीने इंतजार करने के बाद हम कनविंस हो गए कि कांग्रेस पार्टी दलित, शोषित समाज को उठता हुआ नहीं देखना चाहती। कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी शोषित विरोधी पार्टी है। हमने रिवाइव करने का इसलिए सोचा था क्योंकि मेरे पास अपील आई थी, मैं कांग्रेस वालों के पास नहीं गया था।

राव साहब इधर नहीं हैं वरना मैं उनके सामने कह देता। जब कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापिस लिया तब मैं सोच रहा था कि अब कांग्रेस पार्टी का क्या हथ्र होगा या कांग्रेस पार्टी ने क्या सोचकर समर्थन वापिस लिया है। इसलिए मैं इस मौके पर, कांग्रेस पार्टी ने आज जो समर्थन वापिस लेकर यह ब्राईसेस खड़ा किया है, उसकी निन्दा करता हूँ और पिछले दस महीने में हमने जो यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से गुंडागर्दी को फेस किया है, उसकी भी निन्दा करता हूँ। मैं अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बात कहते हुए ... (व्यवधान) यदि आप बी.जे.पी. की बात सुनना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि बी.जे.पी. के स्पोक्सपर्सन अक्टूबर के महीने में यह कहते रहे हैं कि हम बी.एस.पी. के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं। ... (व्यवधान) डर किसी का भी हो, हम वह जरूर जल्दी दूर कर देंगे। वही डर जल्दी दूर करने के लिए हमने सरकार बनाई है। इसलिए एक तरफ तो यूनाइटेड फ्रंट और कांग्रेस हमारी अपील को ठुकराती रही और दूसरी तरफ बी.जे.पी. हमारी तरफ हाथ बढ़ाती रही। आखिर वह हाथ बढ़ा और बढ़ा हुआ हाथ उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी और माफिया का सफाया करने के लिए है। ... (व्यवधान)

मैं इस वोट ऑफ कौन्फीडेंस का विरोध करते हुए आपसे रखसत लेता हूँ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण हमारी मूल समय सारिणी के अनुसार, प्रधान मंत्री को सात बजे उत्तर देना था और मतदान 8 बजे होना था। अब आठ बजने में केवल दस मिनट बचे हैं। मेरे पास अभी भी तेरह नाम हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी पूरी बात सुनिए। इन तेरह नामों में विपक्ष के नेता, माननीय गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, वरिष्ठ सदस्य जैसे श्री जी.एम. बनावाला और सरदार सुरजीत सिंह बरनाला के नाम शामिल हैं। अब हमें यह निर्णय लेना है कि कितने बजे प्रधान मंत्री को उत्तर देना चाहिए।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) : अध्यक्ष जी, एक सजेशन है। क्योंकि यह 11वीं लोक सभा जा रही है, यह देवेगीड़ा साहब की सरकार का 11वां महीना है और सुबह 11 बजे आपने डिबेट शुरू की थी इसलिए यह डिबेट रात के 11 बजे तक चलनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया गैर जिम्मेदाराना ढंग से कुछ न कहें। राष्ट्रपति से निर्देश है कि इसे आज निपटा दिया जाना चाहिए। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं?

... (व्यवधान)

श्री ए.सी. जोस (इंदुक्की) : मंत्रियों को नहीं बोलना चाहिए ... (व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : इतने सारे मंत्रियों के बोलने की क्या आवश्यकता है? ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

... (व्यवधान)

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : क्या मैं कुछ निवेदन कर सकता हूँ? मुस्लिम लीग, अकाली दल और आर.एस.पी. जैसी छोटी पार्टियां भी हैं। उनके सदस्यों को अभी तक बोलने का अवसर नहीं दिया गया है। उन छोटी पार्टियों को भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए क्योंकि कांग्रेस, भा.ज.पा. और जनता दल जैसी पार्टियों के सदस्य अपने विचारों को व्यक्त कर चुके हैं। परन्तु छोटी पार्टियां भी हैं जिन्हें बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। यह मेरा सुझाव है ... (व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : यद्यपि यह मोर्चा 13 दलों का गठबंधन है, 13 दलों के मंत्रियों को बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमें अन्य दलों को भी बोलने का अवसर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताइए और सुझाइए कि अध्यक्षपीठ को क्या करना चाहिए?

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूभाजरा : अकाली दल और हरियाणा विकास पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ।

[अनुवाद]

मैं अपने-आप ही निर्णय नहीं करने जा रहा हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : सरकार की ओर से प्रधानमंत्री बोलेंगे। यदि आप दस, पंद्रह मिनटों का समय दे सकते हैं तो गृहमंत्री जी बोलेंगे। बाकी बचे समय में विपक्ष के नेता और एक या दो सदस्य बोल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी आप कितना समय लेंगे?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष जी, 10-15 मिनट में खत्म कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप किसको खत्म करेंगे?

[अनुवाद]

मेरे विचार से अन्ततः मैं आप सभी को यह परामर्श देना चाहूंगा कि कृपया आप अपने भाषण को पांच से सात मिनटों तक सीमित रखें। विपक्ष के नेता 15 मिनट लेंगे। प्रधान मंत्री 9 बजे उत्तर देंगे। अब श्री बरनाला बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सदन से बाहर जाना चाहते हैं तो कृपया शांतिपूर्वक जाइए।

[हिन्दी]

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला (संगरूर) : अध्यक्ष जी, 1996 के जो इलैक्शन हुए, उनमें एक जनादेश था। उस जनादेश को सही तरीके से नहीं लिया गया। 1996 के इलैक्शन के पहले देश में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार पांच साल तक चलती रही थी और ऐसी हालात में इलैक्शन हुए।

चुनाव में लोगों का वर्डिक्ट कांग्रेस के खिलाफ था। कांग्रेस ने 100 से ज्यादा सीटें खो दी। यहां उनकी ताकत खत्म हो गई और बी.जे.पी. सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई।

अपराह्न 07.56 बजे

[श्री बसुदेव आचार्य पीठासीन हुए]

लेकिन कोई तरीका निकालने की कोशिश हो रही थी कि किस ढंग से बी.जे.पी. को सत्ता से बाहर रखा जाए। इसलिए 13 पार्टियां इकट्ठी हुईं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि 13 का अंक अनलकी होता है। उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि यह अंक अनलकी है और यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। कांग्रेस ने बाहर से उनको सपोर्ट किया। कहा गया कि हमारा सपोर्ट आखिरी दिन तक जारी रहेगा। आखिरी दिन तो ये ले आए, आखिरी दिन आया नहीं था और सपोर्ट वापस कर लिया गया। इन दस महीनों में कांग्रेस को कई जगह मौका मिला। देश में कई जगह विधान सभा और लोक सभा के उपचुनाव हुए। उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर में भी उप चुनाव हुए, लेकिन यहां कांग्रेस बुरी तरह से हारी। यहां पर कांग्रेस बाहर से समर्थन कर रही थी,

[सरदार सुरजीत सिंह बरनाला]

लेकिन समझा जाता था कि सरकार कांग्रेस के सहारे चल रही है, कांग्रेस का बड़ा प्रभाव था, लेकिन नतीजा क्या निकला, ये तीनों राज्यों में असेम्बली के उपचुनावों में हार गए और लोक सभा के दो उपचुनावों राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बुरी तरह हारे। इस नाते सब जगह इनके नाम पर हार ही लिखी हुई है। पायलट जी हमारे मित्र हैं। ये कह रहे थे कि पंजाब के हालात को हमने सुधारा। मैंने पहले भी इस सदन में कहा था कि अगर कांग्रेस ने पंजाब के हालात को सुधारा होता तो कुछ न कुछ वोट इनको मिलते। इतनी बुरी हालत नहीं होती। इसका कारण यह है कि लोग समझ गए हैं कि पंजाब के हालात को इन्होंने ही बिगाड़ा था। यही बात जम्मू-कश्मीर में भी लोगों की समझ में आई, जबकि वहां के हालात को सुधारने की बात भी ये कह रहे थे। ये कभी बनिहाल से परे गए ही नहीं थे। वहां फारुक अब्दुल्ला की सरकार को भी इन्होंने ही तोड़ा था और तोड़कर अपने आदमी को इंडक्ट करने का काम किया।

पंजाब में आतंकवाद पैदा करने और उसे हवा देने वाले भी यही लोग हैं। कांग्रेस के घर से आतंकवाद पैदा हुआ। कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं के घर से आतंकवादी पकड़े गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन पंजाब कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष संतोष सिंह रंधावा के घर से आतंकवादी पकड़े गए। जब उन्हें गोली मारने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का परिचित हूं। जबकि हम लोग तो आतंकवादियों का शिकार हुए और हमारे कई नेता तथा कार्यकर्ता शहीद हुए। हमने तो शहादतें दी हैं। हमारे कई मौजिज नेता आतंकवादियों की गोलियों का शिकार बने। हमारे नेता लोंगोवाल जी आतंकवाद का शिकार हुए। हमारे मंत्री श्री बलवंत सिंह जी को कत्ल किया गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के बीस साल से ज्यादा अध्यक्ष पद पर आसीन तोहड़ा जी पर कातिलाना हमला हुआ, उनका अंगूठा जाता रहा और दो गोलियां लात पर लगी। इसी तरह से हमारे अकाली दल के प्रधान रहे तलवंडी साहब पर भी घातक हमला हुआ। वह किस्मत से बच गए। इस तरह से हमारे ऊपर आतंकवादियों के सैकड़ों हमले हुए और सैकड़ों लोग मारे गए। यह सब इन्हीं लोगों ने कराया था। इसीलिए कांग्रेस की यह दुर्गति हुई।

अब क्या हुआ, अब इनके नेताओं पर केस बनने शुरू हुए। किस्मत से कोई ऐसा नेता बचा होगा जिसके खिलाफ केस नहीं है। अब आरोप लगा रहे हैं कि देवेगीड़ा साहब ने हम पर सी.बी.आई. द्वारा केस बना दिए हैं।

अपराह्न 08.00 बजे

यह तो देवेगीड़ा साहब ने दखल नहीं दिया। बहुत सारे लोग जो इनकी पार्टी में भी शामिल हैं, उनके खिलाफ भी बने हैं।

उन्होंने दखल नहीं दिया। लेकिन इनके तो बहुत सारे जो बड़े लीडर्स हैं, उन पर केस बन गए हैं। वे एक्सपोज हो गए हैं। इसलिए लोग इस पार्टी का नाम सुनने को तैयार नहीं हैं। यह पार्टी खत्म होने जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह आज का दिन क्यों आया? ये हालात क्यों पैदा हुए? अगर भारतीय जनता पार्टी और हम सहयोगी चाहते तो भी साथ मिलकर इनको गिरा नहीं सकते थे। हम ज्यादा से ज्यादा यह कर सकते थे कि नो-कांफीडेंस मोशन ले आए और हमारे किसी माननीय सदस्य ने शायद नो-कांफीडेंस मोशन दिया भी था। लेकिन वह पास नहीं हो सकता था। अब यह काम जो शायद हम करना चाहते थे, ये करने लगे हैं। इन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आप तो इस सरकार को गिरा नहीं सकते। हम सरकार गिराने में मदद करते हैं। कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। यह समर्थन भी ऐसे मौके पर वापस लिया जबकि इनको अपना समर्थन वापस नहीं लेना चाहिए था। यहां पर सभी लोगों ने इस बारे में अपने-अपने विचार रखे हैं उसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास समय कम है। लेकिन इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि इनको इन्हीं दिनों में समर्थन वापस लेना पड़ा। पार्लियामेंट का सेशन 21 तारीख से होना था और कई दिनों तक सेशन चलने वाला था। यह किसी दिन भी कुछ कर सकते थे। लेकिन खास इन्हीं दिनों में समर्थन वापस क्यों लिया गया? यहां पर कई बार एक चिट्ठी का जिक्र भी आया। राजेश पायलट जी चले गए हैं। उस चिट्ठी का भी शायद संबंध था। दो-तीन दिन हो गए हैं, किसी केस में नोटिस भी गया है। उनका भी शायद उससे संबंध था। इसलिए यह जल्दी की गई। इस जल्दी का कारण लोगों से छिपा नहीं है। लोगों को पता चल गया है कि क्या कारण है?

इसलिए मैं हाउस में कहना चाहता हूं कि ये हालात पैदा किए गए हैं और ऐसे मौके पर किए गए हैं जबकि इनको समर्थन वापस नहीं लेना चाहिए था। इन्होंने देश के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझी। इसमें कई बातें हो सकती हैं। यह कांफीडेंस का प्रस्ताव है। जैसे हालात बता रहे हैं, वे भी इसके खिलाफ वोट करने जा रहे हैं और हम भी कर ही रहे हैं। फिर इसके बाद क्या होगा? बिल्कुल अंधेरे में कूद गए हैं। किसी को कुछ नहीं पता है। मैं अभी जब दिल्ली पहुंचा तो कांग्रेस में मेरे कुछ पुराने मित्र हैं। मैंने उनसे पूछा कि यह सब क्या हो गया? इस पर वे कहने लगे कि कुछ पता नहीं है। यह "बोल्ट फ्रॉम दि ब्लू" वाली बात बिल्कुल सही है। एकदम से ऐसा क्यों हो गया? लेकिन हो गया। अब इससे आगे क्या होने वाला है? देश में मध्यावधि चुनाव होंगे। चुनाव कोई नहीं चाहता। मैं तो इस हाउस में देखता रहा हूं कि पार्टीज को स्टैंड तो लेना पड़ता है। हम बड़े जोर से

कहते हैं कि हम तो तैयार बैठे हैं। लेकिन कोई तैयार नहीं है। लोक सभा वाले तो कोई तैयार नहीं हैं। राज्य सभा की अलग बात है। ... (व्यवधान) ये लोग दस महीने के बाद ही देश के लिए चुनाव ला रहे हैं। इनकी वजह से चुनाव आ रहा है। यह वोट ऑफ कांफीडेंस कामयाब नहीं होता होगा। लेकिन इनकी वजह से यह हो रहा है इनकी वजह से यह मध्यावधि चुनाव आ रहा है। देश के लिए एक बहुत बड़ा 600-700 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। इतना खर्चा तो सरकार का हो जाता है। बाकी देश के लोगों का जो खर्च होता है, उसका कोई हिसाब नहीं है। इतना बड़ा संकट देश में इन्होंने पैदा कर दिया। बिना सोचे-समझे कर दिया और उससे किसी को फायदा होने वाला नहीं है। यह बार-बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखना है। यह सारी एक्सरासाइज इनको पॉवर में लाने के लिए हो रही है। यह जो स्वतंत्रता का पचासवां साल है, ऐसा लगता है कि इस साल में ही भा.ज.पा. पॉवर में आ रही है।

अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री बन कर फिर बैठेंगे। उस मौके पर यहां बैठेंगे, जब यहां पचासवीं वर्षगांठ देश की आजादी की मना रहे होंगे। इन्होंने ऐसी हालत पैदा कर दी है। न चाहते हुए भी उन्होंने कर दी है। देश के लोग कांग्रेस के रोल को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जनता हर बात को समझने के लिए बहुत सियानी हो गई है। वे जानते हैं कि कांग्रेस का रोल गलत है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतदान होने से सबसे बड़ा नुकसान इनको ही होने वाला है, लाजमी होने वाला है। इस बारे में इनके सदस्य अलग-अलग तरह की बातें कहते हैं। वे कहते हैं कि उनका बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन वे खुले रूप से नहीं कहते हैं। पाटिल साहब के भाषण को मैं सुन रहा था। मुझे उनका सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने जो बात कही, वह यही थी कि हम लोगों को हिन्दुस्तान के लोगों ने चुनकर भेजा है, हम देश के बुद्धिमान बुजुर्ग या बुद्धिमान व्यक्ति हैं, हमें साथ बैठना चाहिए। बैठ कर सोचिए कि देश के हित में क्या हो सकता है। कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं। उन्होंने प्रैजिडेंशियल फार्म आफ गवर्नमेंट की भी बात कही, लेकिन बहुत जोर से नहीं कही। उन्होंने इस बात को बीच में ही छोड़ दिया, लेकिन मैं कहना चाहूंगा - मैंने पहले भी सदन में कहा था - कि देश में इन हालात में नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इसी लोक सभा में स्पीकर साहब का चुनाव हुआ, जो सर्वसम्मति से हुआ। वे चाहे किसी भी पार्टी के हों, लेकिन उनके विरोध में कोई नहीं आया और डिप्टी स्पीकर साहब का चुनाव भी आराम से हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि सब लोग बैठ कर इस बारे में विचार करें। चबराकर इस बात को क्यों कहा जाता है कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे और उनके साथ

नहीं बैठेंगे। मान लीजिए, मिड-टर्म पोल हो गया और फिर हंग पार्लियामेंट आई, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए मैं कहता हूँ

[अनुवाद]

हम सब बुद्धिमान व्यक्तियों को साथ बैठकर अपनी विचार शक्ति को मिलाकर इस एक दिन दो दिन या और कुछ दिनों के लिए सोचना चाहिए; और राष्ट्रपति को विश्वास में लेना चाहिए और राष्ट्र के हित में एक निर्णय लेना चाहिए।

[हिन्दी]

इसलिए मेरा सुझाव है कि सब मिल कर सरकार चलायें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री विल्ल बसु (बारसाट) : सभापति महोदय, मैं प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। मैं यह कहते हुए अपना भाषण शुरू कर रहा हूँ जिससे कि किसी भी प्रकार के भ्रम को दूर किया जा सके जो कई लोगों के मस्तिष्क में उठ सकता है।

महोदय, संयुक्त मोर्चा एक - राजनीतिक और सामाजिक घटना है। ग्यारहवीं लोक सभा के चुनाव में लोगों द्वारा दिए गए जनादेश के कारण यह घटना घटी। देश की जनता ने केन्द्र में सरकार बनाने के लिए किसी एक पार्टी को अपना मत नहीं दिया परन्तु सोच विचार कर देश के राजनीतिक परिदृश्य को तीन मुख्य बड़ी धाराओं में बांट दिया। एक ओर भा.ज.पा. है और दूसरी ओर कांग्रेस (आई) है और इनके बीच धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, वामपंथी और अन्य प्रगतिशील मोर्चों की ताकतों का सम्मिश्रण है।

इस देश का शासन संभालने का एक अवसर भाजपा को दिया गया था जो अपनी सारी जोड़-तोड़ के बावजूद केवल 13 दिन इस देश का शासन चला सकी।

मैं यह सब पूरी विनम्रता और विपक्ष के नेता के प्रति पूर्ण सम्मान को दर्शाते हुए कहता हूँ।

इस सभा में भा.ज.पा. की हार ने फिर से यह दर्शाया कि लोगों की इच्छा केन्द्र में सरकार बनाने की जिम्मेदारी न तो कांग्रेस को सौंपने की थी और न ही भा.ज.पा. को। इस बात को महसूस कर तेरह पार्टियाँ - जिनका आप उपहास उड़ा सकते हो - न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर एकजुट हुईं।

महोदय, संयुक्त मोर्चा की अभिधारणा जैसा कि मैं पहले ही उल्लेखित कर चुका हूँ, कांग्रेस और भाजपा दोनों के विकल्प के रूप में बनाई गई थी। मैंने उल्लेखित किया, यह एक विकल्प क्यों

[श्री चित्त बसु]

है? अब तक जारी कांग्रेस (इ) की प्रगति विरोधी आर्थिक नीतियों का यह एक विकल्प है। यह उन नीतियों का विकल्प है जो इस देश की आर्थिक सम्प्रभुता के ह्रास का कारण बनी और यदि आर्थिक सम्प्रभुता का ह्रास होता है तो राजनीतिक सम्प्रभुता सुरक्षित नहीं रह सकती है। इसलिए देश को, कांग्रेस की नीतियों, विशेषकर आर्थिक नीतियों के विकल्प की आवश्यकता है।

महोदय, हम बनना चाहते थे या हम भाजपा के विकल्प हैं क्योंकि वे धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं रखते हैं। उनका प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है और भारत बिना धर्मनिरपेक्षता और बिना प्रजातंत्र के हमारे सपनों का भारत नहीं रहेगा। इसीलिए, यह तेरह दल केवल ही नहीं है; यह केवल 192 सदस्यों की संख्या ही नहीं है। यह वास्तव में एक राजनीतिक और सामाजिक बल है जो समृद्धि, शांति, भाई-चारे और देश की अग्रगामी विकास की राह को सरल बना सकता है।

दुर्भाग्यवश, कांग्रेस के कुछ सदस्य महसूस करते हैं कि यह मात्र एक संख्या है। कुछ सदस्य दुर्भाग्यवश इसे एक निष्क्रिय संख्या मानते हैं। यह एक निष्क्रिय संख्या नहीं है, यह कोई कठिन गणित नहीं है; यह एक अनुभूति है, यह एक अवधारणा है, यह एक राजनीतिक विकल्प है जिसकी देश और राष्ट्र को आवश्यकता है।

महोदय, जब तक हम संयुक्त मोर्चा से समर्थन को वापस लेने के कांग्रेस (इ) के निर्णय के कारण इस समय उत्पन्न संकट पर विचार नहीं करते हैं तब तक हम देश में व्याप्त भ्रम को दूर करने और राजनीतिक परिदृश्य को स्पष्ट करने में समर्थ नहीं हो पायेंगे। हमारे पास केन्द्र में पूर्ववर्ती गैर-कांग्रेसी सरकारों का अनुभव है। जहां तक मेरे दल का सम्बन्ध है, मैं जानता हूं यह बहुत छोटा दल है, हमारी संख्या बहुत थोड़ी है परन्तु यह छोटे दल या उसकी संख्या का प्रश्न नहीं है, यह विचारधारा का प्रश्न है और एक विशेष सिद्धान्त और नैतिक नीति के अनुसरण का प्रश्न है।

हमारे पास केन्द्र में गैर कांग्रेसी राज का अनुभव है। मेरे विचार से ऐसे दो कारण हैं जो पूर्ववर्ती अवसरों पर नहीं थे। कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं था। मैं गैर कांग्रेसी सरकार के लिए पूर्व विदेश मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। क्या उस समय स्वर्गीय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार को चलाने का कोई कार्यक्रम था? जहां तक मैं जानता हूं, मैं सही-सही जानता हूं कि मोरारजी देसाई सरकार का समर्थन कर रही पार्टियों या घटक दलों के बीच विचार-विनिमय के द्वारा निर्मित ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था। परन्तु इस समय हमने उससे एक बात सीखी थी। हमने उस कमी से सीख ली। मेरी पार्टी के सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि हमें एक गैर कांग्रेसी तीसरे मोर्चे की सरकार को समर्थन देना चाहिए परन्तु दो गारंटियां होनी चाहिए।

एक गारंटी है न्यूनतम साझा कार्यक्रम। दूसरी गारंटी है एक संचालन समिति, एक अनुवीक्षण समिति, राजनीतिक दलों की एक समिति जो कि केन्द्र में सरकार को संचालित और मार्ग निर्देश देने के लिए किसी एक पार्टी के बजाय राजनीतिक दलों के समूह के रूप में कार्य करेंगी। इसलिए हमारे पास में दो गारंटियां थी और इस बात ने हमें संयुक्त मोर्चे का घटक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं आश्चर्य था कि संचालन समिति मंत्री-परिषद् का संचालन करेगी। यह एक राजनीतिक संस्था है। यह इन तेरह राजनीतिक दलों की राजनीतिक स्वामी है और यह न्यूनतम साझा कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए मंत्री परिषद् का संचालन करेगी। इन दो शर्तों पर हमने संयुक्त मोर्चे का हिस्सा बनना स्वीकार किया था।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री चित्त बसु : मैं आपकी कठिनाई को समझता हूं। मैं समय की विवशता को जानता हूं। मैं केवल दो मिनट और लूंगा।

मुझे प्रसन्नता हुई कि दासमुंशी महोदय ने संचालन समिति के कार्य कलापों और हमारे हानि-लाभ के बारे में उल्लेख किया। संयुक्त मोर्चे के एक घटक के रूप में मैंने कई समस्याओं, कई कमजोरियों और इस सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों की शिथिलताओं के बारे में चर्चा की। आर्थिक-मुद्दों पर, मुझे साहस के साथ संचालन समिति में आर्थिक नीति के ऋणात्मक पहलुओं और कथियों पर चर्चा करने का अवसर मिला। इससे मुझे एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाकर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और सरकार इसके प्रति अनुक्रियाशील थी। यह पूर्ण सम्भावित सीमा तक नहीं हो सकता परन्तु अनुज्ञेय सीमा तक था। यह संयुक्त मोर्चे की कार्य प्रणाली थी। यह साझा राजनीति की कार्यप्रणाली है।

सभा भी इस बात से सहमत है कि हम साझा राजनीति के युग में प्रवेश कर चुके हैं और सभी वक्ताओं ने भी यह बात कही और यदि ऐसी साझा राजनीति को मजबूती प्रदान करना है, जारी रखना है तो इसे चलाने के कतिपय मानदण्ड होने चाहिए। मैं विनम्रता से कांग्रेस पक्ष के लोगों से पूछता हूं क्या उन्होंने उस मानदण्ड को बनाए रखा। कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त मोर्चे को बाहर से समर्थन दिया था जैसा हमने दिया था। कांग्रेस पार्टी सरकार में भागीदार नहीं थी, और हम भी सरकार में शामिल नहीं थे। श्री सोमनाथ चटर्जी भी सरकार में शामिल नहीं थे। परन्तु हमने राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाया और संयुक्त मोर्चा आन्दोलन के प्रति भी अपने उत्तरदायित्व को निभाया। आने वाले दिनों में भारत में साझा राजनीति, संयुक्त मोर्चे की राजनीति के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। यह प्रश्न बचा ही रहता है कि क्या यह गठजोड़ दक्षिण पंथी होगा या वामपंथी होगा या क्या यह गठजोड़ वामपंथ का केन्द्र होगा। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है

और संयुक्त मोर्चा उस पथ का प्रतीकरूप है, जिसका अर्थ है कार्यक्रमों का एक पैकेज जो देश को इस खराब आर्थिक स्थिति से ऊपर उठा सकता है और आर्थिक सम्प्रभुता की गारन्टी देता है। आर्थिक सम्प्रभुता की गारन्टी से देश की राजनीतिक सम्प्रभुता भी सुरक्षित रहती है।

जैसा कि मैं कह चुका हूँ संयुक्त मोर्चे से कांग्रेस (इ) द्वारा समर्थन वापस लिया जाना न्यायोचित नहीं है। यदि आप अनुमति दें तो मैं कहूंगा यह अनैतिक है, सिद्धान्तहीन कदम है और यह संकीर्ण सांप्रदायिक पक्षपाती हितों द्वारा प्रेरित है और यह अनैतिक और सिद्धान्तहीन तरीके से सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से लिया गया निर्णय है।

इसलिए मेरे पास उनका विरोध करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इस विशेष संदर्भ में उनका विरोध करते हुए मैं संयुक्त मोर्चा सरकार का समर्थन करता हूँ क्योंकि यही भारत की प्रगति के लिए मार्गदर्शक प्रकाश स्तम्भ है। मैं समझता हूँ दूसरी ओर के मेरे माननीय मित्र इस बात को समझेंगे।

मेरा श्री संतोष मोहन देव से प्रश्न है, क्या वे दक्षिणपंथी गठजोड़ में शामिल होंगे या वे वामपंथी गठजोड़ में शामिल होंगे। इस बात का फैसला वे करेंगे। देश का भविष्य उनके निर्णय पर निर्भर करता है। श्री संतोष मोहन देव, कृपया देश के व्यापक हित में अपनी पार्टी के निर्णय पर पुनर्विचार करें। अन्यथा वे अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसी पार्टी का समर्थन करेंगे जो प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखती है, जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं रखती है और इसलिए वह भारत की समृद्धि, एकता और अखण्डता नहीं चाहती है।

श्री पी.एन. शिवा (पुडुकोट्टई) : सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी, द्र.मु.क. जो संयुक्त मोर्चा सरकार की एक घटक है, की ओर से विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। हमारी पार्टी एक निष्कलंक और भ्रष्टाचारमुक्त सरकार चलाने का दावा कर सकती है।

आज की परिस्थिति अवांछित है, समय अनापेक्षित और परिणामों की कल्पना नहीं की जा सकती है और वो भी ऐसे समय जब देश बेहतर कल की ओर आगे बढ़ रहा हो। इस कल्पनातीत, परिहार्य परिणामों से बचने के लिए, इस संकट की घड़ी में यह सभी का कर्तव्य है कि जिम्मेदारी को साथ मिलकर निभाएं। मैं समझता हूँ यह मेरा कर्तव्य है कि मैं संयुक्त मोर्चा सरकार के गुण-दोषों को बताऊँ और इसके लिए किसी को बुरा भला न कहूँ। मैं स्वयं को समय की विवशता के कारण सीमित रखना चाहूँगा।

मैं समझता हूँ कि यहां एक स्वस्थ वातावरण है जिसका मुझे यहां पर उल्लेख करना चाहिए और जिससे सभी लोग अपने

आपको जोड़ना चाहेंगे। कई प्रतिकूल घटनाएं और कई दुखपूर्ण बातें यहां पर चाहे घट चुकी हों परन्तु इन सब बातों के बीच, एक बात ऐसी है, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं उस दिन का स्मरण करना चाहूँगा जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और वर्तमान उद्योग मंत्री, श्री मुरासोली मारन ने अपने भाषण में कहा था कि हम उनकी सरकार के विरोध में हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि अटलजी सही आदमी हैं परन्तु वे गलत जगह पर हैं। ये सब अलग बातें हैं। परन्तु उन्होंने इस बात की प्रशंसा भी की थी कि भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए किसी प्रकार की खरीद-फरोख्त में संलिप्त नहीं रही। उन्होंने इसकी उदार हृदय से प्रशंसा की थी और मैं चाहता हूँ कि सभी ऐसा ही खुला दिमाग और उदार हृदय का प्रदर्शन इस संकट की घड़ी में भी करें। हम भी किसी प्रकार की खरीद-फरोख्त में शामिल नहीं हुए हैं और हमने सत्ता से चिपके रहने के लिए किसी भी तरीके को नहीं अपनाया। वे दिन बीत गए हैं। संयुक्त मोर्चा सरकार के सत्ता में आने से पहले की स्थिति और जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है तब से देश में व्याप्त स्थिति की तुलना कीजिए। तब पूरी सरकार भ्रष्ट थी देश अव्यवस्थित था और नौकरशाही की हालत अत्यधिक खराब थी। अब मात्र दस महीनों में सब कुछ बदल गया है।

मैं यहां उपस्थित सभी व्यक्तियों का ध्यान जटिल जनादेश की ओर आकर्षित करना चाहूँगा जिसे जनता ने आम चुनावों में दिया था और जिसने एक संघीय सरकार के लिए राह बनायी थी और जिसने एकल पार्टी राज की विचारधारा को नकार दिया। वस्तुतः संयुक्त मोर्चा सरकार ने एक सही संघीय सरकार को प्रस्तुत किया। प्रयोग जारी था और परिणाम प्रभावी था और प्रशंसनीय था परन्तु यह गतिरोध आ गया है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ - यद्यपि यह सही है - क्योंकि उससे एक विवाद छिड़ सकता है जिससे इस समय मैं बचना चाहता हूँ।

कांग्रेस पार्टी ने साम्प्रदायिक ताकतों को दूर रखने और धर्म निरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने के लिए संयुक्त मोर्चा सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया।

मैं नहीं जानता कि कैसे हम पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम अधर्म निरपेक्ष और साम्प्रदायिकता के हिमायती हो गए हैं। क्या देश में पिछले दस महीनों में कोई रथ यात्रा निकाली गई जिससे कि साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो? क्या कोई मस्जिद गिरायी गई है? क्या किसी मन्दिर को तोड़ा गया है? क्या किसी चर्च का नुकसान किया गया है? क्या किसी गुरुद्वारे पर छापा मारा गया है? नहीं। किसी की भी भावनाओं को ऐसी किसी गतिविधियों द्वारा ठेस नहीं पहुंचायी गई परन्तु फिर भी हमें अधर्म निरपेक्ष और साम्प्रदायिकता के हिमायती कहा जा रहा है।

[श्री पी.एन. शिवा]

मैं यह समझ पाने में असमर्थ हूँ कि सत्ता से बाहर किए जाने के लिए हमने क्या बड़ी भूल कर दी, और क्या गलती कर दी। इस अवसर पर मैं यह मौलिक प्रश्न उठाना चाहता हूँ। इन बातों को चुनाव ही सही या गलत साबित करेंगे। इस सरकार के शासन काल में पहली बार राज्यों को और अधिकार देने की मांग पर ध्यान दिया गया। श्री वी.पी. सिंह के कार्यकाल के बाद केवल संयुक्त मोर्चा सरकार ने ही अन्तर्राज्यीय परिषद की बैठक बुलाई जिसकी सभी राज्य प्रशंसा कर रहे हैं। इसके साथ-साथ केन्द्रीय कर राजस्व का 29 प्रतिशत राज्यों को सौंपा गया जो कि सभी के द्वारा सराहा गया। जैसाकि यहां पर हमारे माननीय वित्त मंत्री ने कहा, मैं उन्हें उद्धरित करना चाहूंगा: 'राज्यों के मंत्री केन्द्र में नीतियों को निर्धारित कर रहे हैं और यह स्वस्थ वातावरण जो बनाया गया, विकसित किया गया और उसे संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा सम्मोपित किया जाएगा।' यह हम सभी का कर्तव्य है।

मैं, स्वयं को समय की कमी के कारण, बजट तक ही सीमित रखूंगा। देश में सभी लोगों ने इस बजट की प्रशंसा की है। इससे मुद्रा स्फीति की दर नीचे आयी है। इससे उन सभी चीजों की दरें कम हुई हैं जिनको कम होना था। बजट ने राज्य के और देश के प्रत्येक क्षेत्र पर ध्यान दिया है। यह अर्थ लगाया जा रहा था कि यदि कृषि क्षेत्र को सब्सिडी दी जाती है तो अर्थव्यवस्था पर भार बढ़ेगा। हमने ऐसा किया। हमने सब्सिडी दी। हमने कृषि को रियायतें दी लेकिन अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं हुई है।

पिछले दस महीनों के दौरान बहुत अच्छे कार्य करने के बावजूद भी संयुक्त मोर्चा सरकार की निन्दा की जा रही है जो कि अस्मष्ट है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं।

मैं एक महत्वपूर्ण बात की ओर इंगित करना चाहूंगा कि संसद और विधान मण्डलों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण की भूमिका में हमने सभी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एजेंसियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया है। क्या वे महिलाएं, जिन्होंने इन बातों की वकालत की थी, इस बात की प्रशंसा करने के लिए तैयार हैं? क्या वे अपनी हाई कमान से यह सिफारिश करने के लिए तैयार हैं कि इस सरकार ने ऐसा कार्य किया है? सभी अविवाहित महिलाएं, जिन्होंने चालीस वर्ष की आयु को पार कर लिया है, को पूरी वित्तीय सहायता प्रदान की गई जिसकी सदन की सभी महिलाओं द्वारा प्रशंसा की जानी चाहिए। क्या हमने कुछ भी सही कार्य नहीं किया है। क्या हमें सत्ता छोड़ देनी चाहिए? क्या हमें सत्ता से बाहर कर दिया जाना चाहिए? क्या हमें बाहर भेज देना चाहिए?

महोदय, भारी दबाव और विकसित देशों की धमकी के बावजूद, भारत का व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिवैध संधि पर कड़ा

रुख भारत की विदेश नीति में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। हमारे रूस के सम्बन्ध मजबूत हुए हैं। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका समय पूरा हो चुका है। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री पी.एन. शिवा : महोदय, मैं केवल एक मिनट और लूंगा। महोदय, मेरी पार्टी की ओर से केवल मैं ही वक्ता हूँ। मैं युवा हूँ। आज आपने पहली बार किसी युवा को मौका दिया है।

पाकिस्तान और भारत के बीच दुश्मनी के बादल छंट गए हैं और एक नया अध्याय आरम्भ हुआ है। चीन के साथ सम्बन्धों में सुधार हुआ है। इन दस महीनों में ही बंगलादेश के साथ गंगा के पानी के बंटवारे की दस साल पुरानी समस्या को सुलझाया गया। पहली बार फिलीपीन्स के राष्ट्रपति ने सांस्कृतिक और व्यापारिक सम्बन्धों को सुधारने के लिए भारत की यात्रा की। यहां कौन है इसकी प्रशंसा करने के लिए? हमारे साथ इस तरह का गलत व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमें सत्ता छोड़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है? महोदय, केवल औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश के रूप में सात मिलियन अमरीकी डालर आ चुके हैं, इसके लिए उद्योग मंत्री को धन्यवाद।

महोदय, मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम सत्ता छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। हम सत्ता के लिए किसी के सामने झुके नहीं। हम भविष्य में भी सत्ता के लिए किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हम स्वाभिमान के लिए न केवल सत्ता अपितु अपने जीवन की भी बलि देने को तैयार हैं और हमारा ऐसा रिकार्ड रहा है।

यह सब बातें मैंने एक राजनीतिक के रूप में नहीं कही हैं, न ही राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में कही हैं, न ही संयुक्त सरकार के एक घटक के रूप में कही हैं परन्तु मैंने यहां पर उन युवकों का प्रतिनिधित्व करते हुए कही हैं जो इस समय पूरे देश में टेलीविजन में देख रहे हैं कि इस सभा में क्या हो रहा है और उनके भविष्य का क्या होगा। प्रत्येक के सामने इस समय प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है? मैंने सर्वहारा लोगों, जो प्लेटफार्म पर रहते हैं, जो काम करते हैं और रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं पाते हैं और जिन्हें काम करने का अवसर ही नहीं मिलता है, की आवाज उठायी है। सभी चुनाव का सामना करने के लिए तैयार हैं। परन्तु चुनाव का सामना करने का यह सही समय नहीं है। क्योंकि काफी समय है, मैं कांग्रेस से राष्ट्र के कल्याण को और उन लाखों गरीबों जिनकी आवश्यकताओं को जिन्हें बजट जो संयुक्त मोर्चा सरकार ने प्रस्तुत किया है, के कार्यान्वयन के द्वारा पूरा किया जाना है, को ध्यान में रखकर अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूँ। मैं केवल एक बात जोड़ना चाहता हूँ।

नडनथाधू नडलथाथाग इरुककाडडूम

नडप पाधऊ नल्लावाइयाग इरुककाडडूम

ये वो शब्द हैं जिन्हें हमारे संस्थापक नेता अरिनार अन्ना ने कहा था "बीत गया सो बीत गया कम से कम भविष्य तो सुनहरा बनाएँ।"

मैं राष्ट्र को समृद्ध भविष्य की शुभकामना देता हूँ। मैं सभी बड़ों, जिन्होंने यहां अपनी चिन्ता व्यक्त की, से सकारात्मक होने की आशा करता हूँ और सत्ता के लिए नहीं, सरकार के लिए नहीं अपितु भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनके साथ अपनी भावनाओं को जोड़ता हूँ।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : महोदय, सबसे पहले मैं यहां माननीय प्रधान मंत्री, श्री एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा सरकार के समर्थन में खड़ा होने पर गर्व महसूस करता हूँ। इसके साथ ही मैं अपनी पार्टी रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आर.एस.पी.) की ओर से देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री-परिषद् में विश्वास के प्रस्ताव का तहे दिल से समर्थन करता हूँ।

महोदय, 11वीं लोक सभा, इस सभा के गठन के 11 महीनों के भीतर ही तीसरी बार विश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है। पिछले दो विश्वास प्रस्ताव, पहला प्रस्ताव माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पेश किया गया था और दूसरा विश्वास प्रस्ताव हमारे माननीय वर्तमान प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया था। महोदय अब तीसरा विश्वास प्रस्ताव सभा के समक्ष है। यह प्रमुख रूप से नयी उत्पन्न परिस्थिति के कारण आया है जिस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है।

महोदय, यह नई परिस्थिति क्या है? यह नई परिस्थिति संयुक्त मोर्चा से कांग्रेस पार्टी के समर्थन को वापस लेने का कांग्रेस कार्य समिति के अध्यक्ष, श्री सीताराम केसरी का फैसला है। मैं इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस कार्य समिति के अध्यक्ष का निर्णय अचानक लिया गया, अनापेक्षित, दुर्भाग्यपूर्ण और असमय है।

महोदय, समर्थन को वापस लेने के कारणों का विश्लेषण करने से पहले मैं जून, 1996 की परिस्थितियों का पुनः स्मरण करना चाहता हूँ। 11वीं लोक सभा चुनावों का परिणाम क्या था? सभी मानते हैं कि देश का शासन चलाने के लिए किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। जैसाकि सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पिछले चार दशकों में देश का शासन चलाया और देश पर राज किया। लोक सभा में उस पार्टी का तीन चौथाई बहुमत था। अब वह 140 पर आ गया है। इस प्रकार किसी भी पार्टी को देश पर राज करने के लिए बहुमत नहीं दिया गया था।

इसका अर्थ है यह साझा सरकार के लिए एक संकेत है। संयुक्त मोर्चा के घटकों ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम को बनाया और उसका अनुमोदन किया। साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर यह सरकार विगत दस महीनों से कार्यरत है।

आज कांग्रेस दल की ओर से अनेक प्रमुख वक्ताओं ने चर्चा में भाग लिया। मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहला प्रश्न यह है कि संयुक्त मोर्चा सरकार को कांग्रेस (आई) द्वारा समर्थन दिए जाने के क्या कारण थे? दूसरा प्रश्न यह है कि कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के क्या कारण थे? कांग्रेस सभा या देश के समक्ष इस दूसरे प्रश्न का उत्तर कभी नहीं दे सकती। इसका उत्तर विवादास्पद तरीके से दिया गया है। यदि आप कांग्रेस के विभिन्न नेताओं के भाषण सुने तो आप पायेंगे कि यह विरोधाभास और विवादों से भरे हैं। उसके लिए दो कारणों का उल्लेख किया गया है। पहला यह है कि संयुक्त मोर्चा सरकार देश की धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करने में असफल रहा है तथा दूसरा कारण यह है कि देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है।

श्री पी.आर. दासमुंशी द्वारा शुरूवाती भाषण में क्या कहा गया है? वह सभी मंत्रियों की सराहना कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि सभी मंत्री अच्छे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी एक भद्रपुरुष कहा है।

यदि ऐसा है तो संयुक्त मोर्चा सरकार में और माननीय प्रधानमंत्री में क्या कमी है?

महोदय, समय की कमी के कारण, श्री सीताराम केसरी द्वारा राष्ट्रपति जी को भेजे गए पत्र को मैं अक्षरसः उद्धृत नहीं करूंगा। तथापि, मैं कुछ पंक्तियों को उद्धृत करता हूँ :-

"संवेदनशील रक्षा संबंधी प्रश्नों तथा देश की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं पर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया गया।"

श्री पी.आर. दासमुंशी हमारे रक्षा मंत्री की काफी सराहना कर रहे थे। श्री सीताराम केसरी के पत्रों में जो लिखा गया है और सभा में जो भाषण दिए गए हैं उनमें क्या कहा गया है। अपने धर्मनिरपेक्ष मित्रों की भावनाओं की कद्र करते हुए मैं भूतपूर्व प्रधान मंत्री के भाषण का उल्लेख नहीं करूंगा जिसे उन्होंने इस सभा में दिया है। पिछले विश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस दल ने कहा था कि वे एक धर्मनिरपेक्ष सरकार को बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। मैं नहीं जानता कि विगत दस महीनों के दौरान संयुक्त मोर्चा सरकार की स्थिति में कोई बदलाव आया है। क्या वह ऐसी किसी घटना का उल्लेख कर सकते हैं? उनके द्वारा इस संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

[श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन]

जहां तक उत्तर प्रदेश के चुनाव का संबंध है तो कांग्रेस (ई), बहुजन समाज पार्टी सरकार की तरफ से चुनावी प्रचार में एक सहभागी थी। चुनावी प्रचार में भी उनका साझा सहयोग था।

इस बात को भी मैं गर्व से कहता हूँ कि विगत दस महीनों में कोई बड़ा साम्प्रदायिक दंगा भी देश में नहीं हुआ। संयुक्त मोर्चा सरकार ने वास्तव में देश में साम्प्रदायिक सद्भाव को बनाये रखा है। क्या यह एक उपलब्धि नहीं है?

मैं भ्रष्टाचार के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। इस संदर्भ में मैं अपने प्रथम भाषण को याद करना चाहता हूँ जिसमें मैंने कहा था कि भ्रष्टाचार असाध्य रोग (कैंसर) की तरह फैल रहा है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : इसे फैलने से रोका जाना चाहिए। मैं विपक्षी दलों या संयुक्त मोर्चा सरकार से समर्थन वापस लेने वाले व्यक्तियों से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप लगा है। क्या यह उपलब्धि नहीं है?

इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर में एक लोकप्रिय सरकार का गठन भी हुआ। क्या यह एक उपलब्धि नहीं है?

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ। अतः कांग्रेस द्वारा इस सभा में पेश किए गए तर्क बिल्कुल बेबुनियाद हैं।

मैं अपने विदेश मामलों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। इसकी सराहना पहले की जा चुकी है। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की मृत्यु के पश्चात् संयुक्त मोर्चा सरकार ने गुट-निरपेक्ष सम्मेलन आयोजित करने की दिशा में पहल की है। क्या यह एक उपलब्धि नहीं है?

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें। आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैं, संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूँ और कांग्रेस से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार) : सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी ने विश्वास मत प्राप्त करने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया है मैं

उसके विरोध में खड़ा हुआ हूँ क्योंकि 11 महीने पहले इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों को जनादेश दिया था और माननीय अटल बिहारी वापेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी और मेरे सामने मेरे बाई तरफ बैठे हुए साथी ने, जब अटल जी के विश्वास मत पर बहस चल रही थी तो उस वक्त इन्होंने साम्प्रदायिकता की बात कही थी। आज मैं इन साथियों से केवल एक बात पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को साम्प्रदायिक पार्टी समझकर जनता के जनादेश का विरोध करने वाले लोग आज इस देश की जनता के सामने क्या कहेंगे। कांग्रेस ने किस उद्देश्य को लेकर जो पांच वर्ष के लिए अनकंडीशनल सपोर्ट दी थी, आज वह विदग्धा क्यों की? क्या केवल इसलिए कि देवेगौड़ा जी पी.सी.सी. और ए.आई.सी.सी. के दफ्तर में नहीं गये या कुछ ऐसे लोग 1991 से लेकर 1995 तक अपने कर्मकांडों में फंसे हुए थे और सी.बी.आई. ने स्वतंत्र होकर उनकी जांच शुरू की। चाहे वे किसी भी तरीके के मामले हों और कुछ दिन पहले तो ऐसा हुआ कि डा. तंवर के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी को लोगों के पेट में मरोड़ उठी। मैं देवेगौड़ा जी से केवल एक बात कहना चाहूंगा क्योंकि हो सकता है कि इनकी सरकार मिली-जुली सरकार है लेकिन उसके बाद इनको जाना तो पड़ेगा।

लेकिन कम से कम ये कांग्रेस पार्टी की, युनाइटेड फ्रंट की, इस सरकार की सारी बातें देश की जनता के सामने रखें। 10 महीने के अंदर जिस तरह से आपने काम किए और जो युनाइटेड फ्रंट की सरकार अपने को किसानों की सरकार कहती है उसी सरकार ने देश के किसान के गेहूँ का दाम 615 रुपये प्रति क्विंटल दिया और जब सारे देश के किसानों ने दबाव डाला, तब बहुत मुश्किल से 60 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया। राम विलास पासवान जी, मेरे हिसाब से कुछ दिनों बाद चुनाव आने वाले हैं, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपने विदेश से गेहूँ 627 रुपये प्रति क्विंटल मंगवा कर किसान विरोधी काम किया है। इसको इस देश की जनता और देश का किसान बर्दाश्त नहीं करेगा।

सभापति जी, मुझे दूसरी बात यह कहनी है कि आज कांग्रेस कह रही है कि हमने संयुक्त मोर्चा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और संयुक्त मोर्चा कह रहा है कि अब भी समय है इकट्ठे हो जाओ। आपकी इन सारी बातों को, आपके इन अलफाज को आज यह देश सुन रहा है। देश के लोगों की निगाहें आज इस लोक सभा की तरफ लगी हुई हैं और वे देख रहे हैं कि किस तरीके से जनादेश वाली पार्टी को एक तरफ कर के, सांप्रदायिकता का नारा देकर आपने सरकार बनाई है और इस देश को लूटने का और जनता के विश्वास को धोखा देने का काम किया है। इस चीज को यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। चुनाव चाहे आज हों या

कल, लेकिन चुनाव अवश्य होंगे और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा।

सभापति महोदय, जैसा कहते हैं कि यदि दो नावों पर सवार होकर सवारी की जाए, तो सवार गिरता है, वही बात यहां हो रही है। यहां तो देवेगौड़ा जी 14 घोड़ों पर सवार होकर सरकार चला रहे हैं जिसका परिणाम अंततः सरकार का गिरना ही होगा। मैं आज यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज देवेगौड़ा जी को बदल कर ये दूसरा आदमी भी ले आए और अभी सरकार बचा भी लें, लेकिन कुछ समय बाद फिर यही परिस्थिति पैदा हो जाएगी। कहां, तो ये लोग कहते थे कि हम कांग्रेस से बात नहीं करेंगे और आज ये ही लोग सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे और दुबारा युनाइटेड फ्रंट की सरकार बनवा दे। क्या इस देश के लोग इस बात को समझते नहीं कि केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए ये कांग्रेस से भीख मांग रहे हैं।

राम विलास पासवान जी, आपने तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आज आप कांग्रेस से भीख मांग रहे हैं। आपको तो चाहिए कि आप इस्तीफा दे दें और कहें कि चलो हम चुनाव के लिए तैयार हैं। जनता फैसला करेगी। क्या 90 करोड़ के लोगों के देश का फैसला यहां बैठे 543 सदस्य करना चाहते हैं? इस देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आज लोग परेशान हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला था, केवल सांप्रदायिकता की बात कर के, उसको सपोर्ट नहीं किया। आज स्थिति यह है कि यदि देवेगौड़ा जी शिवसेना के नेता से मिलते हैं, तो देवेगौड़ा जी भी सांप्रदायिक हो जाते हैं। अगर कांग्रेस के लिए देवेगौड़ा जी को भी सांप्रदायिक कहते हैं, तो राम विलास पासवान जी आपको तो चाहिए था कि आप भी कहते कि हम भी कांग्रेस का समर्थन प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। हम तो चुनाव में जाना पसंद करेंगे।

सभापति महोदय, मैं आज यहां आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम यहां सदन में बैठकर भले ही कह दें कि हम चुनाव में जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे ही कांग्रेस के भाई जो सेंट्रल हाल में बैठे हैं, कहते हैं कि हम चुनाव में जाना पसंद नहीं करते, लेकिन इस देश की जनता की बदकिस्मती यह है कि एंटी डिफैक्शन कानून बनाकर सांसदों को नेताओं का बंधुआ मजदूर बना दिया है। इसलिए मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से अनुरोध करूंगा कि सरकार आपके हाथ में आने वाली है, आप इस जोड़-तोड़ की राजनीति से देश को मुक्ति दिलाएं। जनता को ऐसी पार्टी को समर्थन देना होगा जो इस देश को चला सके। आज कांग्रेस पार्टी देश को चलाने में समर्थ है, लेकिन दूसरी कोई पार्टी नहीं है। यह तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनबा

जोड़ा वाली बात हुई है। देश के लोग इस भानुमती के कुनबे को भी हटाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को आगे लाएंगे। जिन्होंने सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करने की कोशिश की है, उनका भी खातमा होगा और कांग्रेस का भी खातमा होगा। मैं देश की जनता से कहना चाहूंगा चुनाव हो तो युनाइटेड फ्रंट और कांग्रेस पार्टी दोनों को हराए और भारतीय जनता पार्टी को लाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बणातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री ने एक प्रस्ताव पेश कर सभा से यह गुजारिश की है कि वह मंत्रिमंडल में अपना विश्वास व्यक्त करे। संयुक्त मोर्चा, अपने अन्य घटकों के साथ, जो इसे बाहर से अपना समर्थन दे रहे हैं, को कुल लोकप्रिय मतदान का दो-तिहाई या तीन-चौथाई प्रतिशत प्राप्त हुआ है। यह दुख की बात है कि इस सरकार को 10-11 महीनों के अंदर ही विश्वास प्रस्ताव प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ गयी। इसमें कोई शक नहीं कि संयुक्त मोर्चा सरकार अन्य सरकारों से भिन्न है। पहले की साझा सरकारों से यह अच्छी साझा सरकार है। इसका अपना साझा न्यूनतम कार्यक्रम है। लेकिन यह भी विदित है कि इस साझा सरकार के विरुद्ध कुछ लोग पूर्वाग्रह से भरे हैं। उनका यह पूर्वाग्रह अतार्किक है। भारत एक उपमहाद्वीप आकार का देश है। अतः साझा सरकार, इस देश के लिए सबसे उपयुक्त है। भारत एक बहुवर्णी समाज वाला देश है और इसके मुद्दे भी अनेक हैं अतः यहां बहु-दलीय सरकार की आवश्यकता है।

अतः मैं यही समझता हूं कि ऐसी स्थिति में साझा सरकार ही सबसे उपयुक्त है। भारत एक विभिन्न धर्मों वाला समाज है जहां सरकार की नीतियों और कार्य का असर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों पर भिन्न-भिन्न पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे देश की प्रकृति के अनुरूप साझा सरकार ही सही उत्तर है।

हमारे माननीय सदस्य श्री जसवंत सिंह इस साझा सरकार का विरोध करते हैं। उन्होंने अपने भाषण में चुनिंदा उपाधियों का प्रयोग किया है। उन्होंने संयुक्त मोर्चा की साझा सरकार के प्रति ये उपाधियां व्यक्त की हैं। माननीय सदस्य श्री जसवंत सिंह के प्रति मेरे मन में काफी श्रद्धा है, लेकिन एक बात पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। इसके पूर्व कभी भी माननीय सदस्य ने ऐसा निरर्थक भाषण नहीं दिया है। उनकी इस उपाधियों के प्रत्युत्तर में मैं अन्य उपाधियों के बारे में सोचने लगा। लेकिन मैं सोचकर चुप बैठ गया कि वे अपनी गलती खुद निहार सकते हैं।

[श्री जी.एम. बनावतवाला]

भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के प्रति कोई जिम्मेदारी लिए बिना श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को समर्थन दिया था। इसलिए, मेरा कहना है कि चुनिंदा उपाधियों का प्रयोग जो श्री जसवंत सिंह ने संयुक्त मोर्चा सरकार के लिए किया था वास्तव में उल्टा उनके और उनके दल के ऊपर ही लागू होगा।

वास्तव में यह जल्दबाजी में लिया गया एक कदम था और इसे मैं पुनः दुहराते हुए कहता हूँ कि समर्थन वापस लिए जाने का कांग्रेस का निर्णय एक जल्दबाजी का कदम था। ज्योंही समर्थन वापस लिए जाने की सूचना हमें मिली तो मुस्लिम लीग की पहली प्रतिक्रिया यही थी और आज भी हम अपनी उस प्रतिक्रिया पर कायम हैं। हमारा यही मानना है कि यह एक जल्दबाजी का कदम था और राष्ट्रीय हित में नहीं था। हम बजट की प्रक्रिया के मध्य में हैं। राष्ट्र 10-12 महीने के अंतराल में एक और चुनाव वहन करने की स्थिति में नहीं है। राजकोष पर इसका भारी बोझ पड़ेगा।

सभापति महोदय : श्री बनावतवाला कृपया समाप्त कीजिए। आपका समय समाप्त हो चुका है। प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट का समय दिया गया है।

श्री जी.एम. बनावतवाला : महोदय, मैंने अभी-अभी प्रारम्भ किया है ... (व्यवधान) मुझे कुछ वक्त और दें। मैं पंद्रह मिनट के अंदर अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा... (व्यवधान)

मैं अपना भाषण जल्दी समाप्त कर दूंगा। मैं आपकी सहायता करूंगा।

सभापति महोदय : आप दो मिनट और बोल सकते हैं।

श्री जी.एम. बनावतवाला : मैं कह रहा था कि इससे राजकोष पर भारी बोझ पड़ेगा। अंततः लोगों को ही इसका व्यय वहन करना है और गैर-सामाजिक तत्व इस स्थिति का फायदा उठावेंगे। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि कांग्रेस द्वारा जल्दबाजी में लिया गया एक कदम है जिससे यह संकट उत्पन्न हुआ, तो साथ ही मैं यह भी कहता हूँ कि संयुक्त मोर्चा सरकार का जिद्दीपन, हेकड़ी और अहंकारपूर्ण रवैये के परिणामस्वरूप यह स्थिति और भी गंभीर हो गई। संयुक्त मोर्चा सरकार को इस बात का अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए एक साझा सरकार का आधार एक-दूसरे का सम्मान करना, रियायत देना, समझौता करना और मध्यम मार्ग अपनाना है। संयुक्त मोर्चा को राष्ट्रीय हित में अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। मुझे विवश होकर कहना पड़ रहा है कि राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित संयुक्त मोर्चा सरकार के गैर-कांग्रेसवाद के कारण हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष शासन पद्धति के महत्व को कम कर दिया गया है।

संयुक्त मोर्चा सरकार के विरुद्ध हमारी अलग शिकायतें हैं। मैं अभी उसका विवरण नहीं देना चाहता। लेकिन मैं कहता हूँ कि धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष विरोधी तत्वों से निपटने के लिए इसने कोई कदम नहीं उठाये हैं। साझा न्यूनतम कार्यक्रम में बाबरी मस्जिद के प्रति अपनी बचनबद्धता को भी भूला दिया गया। माननीय सदस्य श्री मधुकर सर्पोतदार को जानना चाहिए कि मुस्लिम और धर्मनिरपेक्ष लोगों ने इसे नहीं भूलाया है अपितु संयुक्त मोर्चा ने बाबरी मस्जिद को भूला दिया है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री जी.एम. बनावतवाला : मैं कुछ वाक्य के पश्चात अपना भाषण समाप्त करने वाला हूँ।

काशी की मस्जिद और मथुरा की ईदगाह के संबंध में बार-बार चुनौती दिए जाने के बावजूद भी इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उपासना स्थल अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।

सभापति महोदय : ठीक है, धन्यवाद। अपना स्थान ग्रहण करें।

... (व्यवधान)

श्री जी.एम. बनावतवाला : साझा न्यूनतम कार्यक्रम के प्रति अपनी वचनबद्धता को उन्होंने पूरी तरह भुला दिया है।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री जी.एम. बनावतवाला : मैं अपील करूंगा और अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। और भी अनेक शिकायतें हैं। टाडा के अंतर्गत बन्दी बनाये गए लोगों को अभी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः, मेरा कहना है कि उपचारात्मक कदम उठाये जाने चाहिए न कि अहंकार और जिद्दीपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। मैं कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा दोनों से अनुरोध करता हूँ कि राष्ट्रीय हित में वे आपस में समझौता करें। इसी के अनुरूप और इसी भावना से मुस्लिम लीग ने इस विशेष प्रस्ताव पर तटस्थ रहने का निर्णय लिया है। यदि मतदान के लिए बाध्य किया ही जाता है तो हम अनुपस्थित रहना चाहेंगे लेकिन राष्ट्र के हित में, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के हित में ऐसा न करें।

सभापति महोदय : श्री जी.एम. बनावतवाला कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री जी.एम. बनावतवाला : धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र और राष्ट्रीय हित में हमें समझौता करना चाहिए। यदि मतदान कराया ही जाता

है तो हम इस उम्मीद से अनुपस्थित करेंगे कि राष्ट्रीय हित में समझौता किया जा सकेगा।

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : सभापति महोदय, मैं कांग्रेस दल को सचेत करते हुए अपना भाषण शुरू करता हूँ। यहां स्थिति कुछ ऐसी ही है किंतु सभा की बैठक के अंतिम समय इस पर विस्तार से चर्चा के लिए वक्त नहीं है। मुझे बहुत ही संक्षिप्त में कहना है। लेकिन इस श्रद्धास्पर्द सभा में मैं वास्तव में कुछ कहना चाहता हूँ। कांग्रेस दल के लिए सावधान रहने का कारण यह है, क्या कारण है कि कभी-कभी राज्य सभा, सम्पूर्ण राज्य सभा नहीं ... (कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया) लोक सभा के लिए एक स्थिति पैदा कर देती है? मैं इसकी पृष्ठभूमि का थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूंगा जिस समय श्री चन्द्रशेखर सरकार से समर्थन वापस लिया गया उस समय मैं काश्मीर में था। दिल्ली आकर जब मैं प्रधान मंत्री से मिला तो मैंने उनसे कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि तीन या चार जासूस 10 जनपथ के आस-पास घूम रहे थे। यह कोई औचित्य नहीं है। मैं इस सभा को बताना चाहता हूँ कि तत्कालीन प्रधान मंत्री ने अनुभव किया था कि ... (कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया) तत्कालीन प्रधानमंत्री हेतु ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी। कांग्रेस दल को मैं क्यों सचेत कर रहा हूँ? यह मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे अनेक अवसर आएंगे जब ... (शामिल नहीं किया गया) ... लोक सभा सदस्यों और यह बार-बार होगा ... (व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : महोदय, माननीय मंत्री राज्य सभा से हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिसके साथ मेरा संपर्क था, मेरे विचारों से सहमत थे ... (व्यवधान)

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : आपके प्रधानमंत्री भी राज्य सभा से हैं। अतः, इस बार किसने किया?

सभापति महोदय : प्रो. सोज़, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिये।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, जहां तक सरकार से समर्थन वापस लिए जाने का संबंध है तो इस पर विस्तार से चर्चा के लिए समय नहीं है किंतु जहां तक श्री सीताराम केसरी द्वारा राष्ट्रपति को लिखे पत्र का संबंध है तो मेरा कहना है कि ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रो. सोज़ आप राज्य सभा का उल्लेख नहीं कर सकते हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, राज्य सभा पर यह अपमानजनक टिप्पणी नहीं है।

सभापति महोदय : आप अन्य सभा के सदस्यों का उल्लेख नहीं कर सकते। आप अन्य सभा के आचरण का उल्लेख नहीं कर सकते। यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, जहां तक श्री सीताराम केसरी द्वारा भारत के राष्ट्रपति को पत्र भेजने का संबंध है तो मैं यही कह सकता हूँ कि ... (व्यवधान) महोदय, कृपया सभा में व्यवस्था बनाये रखने को कहे वे लोग बातें कर रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया सभा में व्यवस्था बनाये रखें। आप अपनी चर्चा जारी रखें।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, जहां तक श्री एच.डी. देवेगीड़ा की नेतृत्व वाली सरकार से श्री सीताराम केसरी के पत्र द्वारा समर्थन वापस लिए जाने का प्रश्न है तो मुझे यही कहना है कि कुछ गंभीर व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनकी बातें मायने रखती हैं कुछ विद्वान व्यक्तियों की यह राय है कि यह कार्य समयानुरूप नहीं है और उन्होंने इसे राजनैतिक चाल; भले ही यह कांग्रेस के भविष्य के लिए यह उचित हो या नहीं, कहा है। मेरा भी यही कहना है कि इसका समय उचित नहीं था।

जम्मू और कश्मीर राज्य के विलयन के संबंध में मेरी पार्टी की नीति से आप सब अवगत हैं। जम्मू-कश्मीर राज्य का विलय अब अंतिम है और यह एक अलग मुद्दा है। परन्तु जम्मू-कश्मीर राज्य के निवासी तथा राज्य के बाहर के अन्य व्यक्ति सभी पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। परन्तु यह स्थिति तब उत्पन्न हुई थी जब भारत-पाकिस्तान वार्ता चल रही थी। हमारे लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सौहार्दता होनी बहुत आवश्यक है। किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह कार्यवाही उचित समय पर नहीं की गई।

महोदय, जहां तक सरकार के कार्य निष्पादन का संबंध है तो इस बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। लेकिन मेरा यह कहना है कि प्रधान-मंत्री श्री एच.डी. देवेगीड़ा के अतिरिक्त सरकार के कुछ और सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है।

अपराह्न 9.00 बजे

श्री गुजराल ने न केवल अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाये हैं अपितु अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के बीच भी अपनी छवि निखारी जब गुट-निरपेक्ष देश के सदस्य देशों में से 70 विदेश मंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। अनेक अरब देशों के मंत्रियों और विदेश मंत्रियों ने मुझे स्पष्ट रूप में कहा था कि यह सरकार बहुत अच्छी तरह कार्य कर रही है। इस सरकार को हटाये जाने की क्या

[प्रो. सैफुद्दीन सोज़]

आवश्यकता है? मैं बजट का जिक्र नहीं करूंगा जिसकी देश में काफी प्रशंसा की गई है।

मैं आपको एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जो मैं ही कह सकता हूँ। इस प्रधान मंत्री ने जम्मू-कश्मीर में एक आशा की किरण जगायी है। वह चार बार जम्मू और कश्मीर की यात्रा पर गए। छह साल तक वहाँ कोई भी नहीं गया था। आप हमेशा कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हाँ, यह अभिन्न अंग है। लेकिन भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों ने वहाँ का दौरा क्यों नहीं किया? श्री नरसिंह राव पाँच वर्षों तक प्रधानमंत्री थे। श्री चन्द्रशेखर कुछ ही समय के लिए प्रधानमंत्री थे और इसलिए नहीं जा सके न ही विश्वनाथ प्रताप सिंह वहाँ गए। लेकिन श्री देवेगौड़ा ने चार बार जम्मू-कश्मीर का दौरा किया और वहाँ उन्होंने आशा और विश्वास की स्थिति पैदा की है। उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी आशा की किरण जगाई। आप पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-काश्मीर राज्यों की अनदेखी नहीं कर सकते।

मैं भारतीय जनता पार्टी को भी सचेत करना चाहता हूँ। जम्मू-कश्मीर कोई साधारण मुद्दा नहीं है। इसका समाधान हो चुका है। लेकिन जब भी आप अपनी छवि सुधारना चाहते हैं आप श्री जसवंत सिंह को आगे कर देते हैं और जब आप किसी विषय में रूचि नहीं लेते तो आप कुमारी उमा भारती से प्रतिनिधित्व करने को कहते हैं। यह दोहरी चाल मुझे स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उन्होंने डा. फारुख अब्दुल्ला, जो वहाँ के हीरो हैं, को नीचा दिखाया है। डा. फारुख अब्दुल्ला ने जम्मू-काश्मीर विधान सभा के चुनाव में विलक्षण कार्य किया है ... (व्यवधान)

चुनाव में बाधा उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न किया गया लेकिन वह इस पर डटे रहे क्योंकि श्री देवेगौड़ा जैसे उनके मित्र थे। श्री देवेगौड़ा उन्हें हिम्मत देते रहे और वहाँ वह चमत्कार करते रहे। आज भारतीय जनता पार्टी डा. फारुख अब्दुल्ला की आलोचना के लिए कुमारी उमा भारती के हाथ बागडोर सौंपती है। यह दोहरी भूमिका स्वीकार्य नहीं होगी।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। आपका समय समाप्त हो चुका।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, मैं एक दोहे के साथ समाप्त करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैंने श्री प्रमोद महाजन और शिवराज वी. पाटिल के भाषण को बहुत ध्यान से सुना है। ये दोनों लोगों ने सभा में यह कहने की कोशिश की कि एक बहुमत प्राप्त दल ही इस देश को एकजुट रख सकता है। मैं लोक सभा में प्राप्त अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि इस देश में एक दल द्वारा शासन किए जाने के दिन समाप्त हो गए हैं। यह मेरा विचार है। अब दल या दलों के समूह

दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं का भी ध्यान रखेंगे। संघीय सरकार का वास्तविक अनुभव यही है।

मैं श्री राम विलास पासवान जी का भी उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने रेलवे के नक्शे में जम्मू-कश्मीर को शामिल किया जो कांग्रेस अपने वर्षों की शासन के दौरान करने में असमर्थ रही। श्री राम विलास पासवान ही ऐसा कर पाये ... (व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (ग्वालियर) : यह बहुत ही अनुचित बात है। उधमपुर रेल मार्ग के लिए हमने परियोजना की स्वीकृति दी थी।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, मैं इस देश के करोड़ों लोगों की उन भावनाओं से अवगत करा रहा हूँ जिसमें यह उम्मीद जारी की जा रही है कि भविष्य में सरकारें ऐसी होंगी जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं का ध्यान रखेंगी। एक वास्तविक संघीय ढांचा प्रस्तुत करने के लिए मैं इस सरकार को नमन करता हूँ। ... (व्यवधान) जब मैं कांग्रेस के लोगों से कुछ कहता हूँ तो भविष्य में स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से कहता हूँ न कि एक दुश्मन के रूप में। उन्हें मुझे समझना चाहिए।

महोदय, मैं इस दोहे के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ :

[हिन्दी]

बरहम था मुझसे वक्त का हरेक चारागार
कहता था कातिलों का मसीहा, वो मैं न था।

[अनुवाद]

डा. प्रवीण चंद्र शर्मा (गुवाहाटी) : सभापति महोदय, हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा, जो संयुक्त मोर्चा सरकार के नेता भी हैं, द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

आज, सभा को एक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

सभापति महोदय : सभा में व्यवस्था बनाये रखी जाए।

डा. प्रवीण चंद्र शर्मा : यह संकट भारी खतरे से भरा है। तेरह राजनैतिक दलों ने मिलकर एक संघीय व्यवस्था का अनुभव किया है। यह व्यवस्था बिलकुल ठीक थी और अपना कार्य भलीभाँति करते हुए देश के विभिन्न भागों में रहने वालों विभिन्न लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं को उचित महत्व प्रदान कर रही थी।

लेकिन दुर्भाग्यवश, दूरदर्शिता के अभाव में, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को नहीं सोचा था कि पाँच दशक बाद भी

देश में ऐसी समस्या होगी। एक सीधी सी बात है कि दो विभिन्न तत्वों के योग से एक अणु बनाने के लिए एक वैज्ञानिक नियम है और यहां एक 545 सदस्य वाले सभा में 32-33 विभिन्न राजनैतिक दल हैं। अतः, संविधान के निर्माताओं ने यह नहीं सोचा था कि ये 32-33-34 राजनैतिक दलों की भिन्न-भिन्न विचारधारायें हो सकती हैं। इन सभी विचारधाराओं को मिलाकर देश कैसे चलाया जाए इस ओर ध्यान नहीं दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप यह भारी संकट उत्पन्न हुआ है। अतः, सभी राजनीतिज्ञों द्वारा मिलकर उस वैज्ञानिक विचारधारा का पालन किया जाना चाहिए। निसंदेह हम में अनेक प्रबुद्ध व्यक्ति, विचारक उपस्थित हैं किंतु हम उस वैज्ञानिक आधार पर शासन पद्धति तैयार करने की नहीं सोच सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा संसद के अंतर्गत यह संकट विद्यमान रहेगी।

मैं विज्ञान का एक विद्यार्थी होने के नाते यह कह सकता हूँ कि साझा सरकार के बिना कोई भी राजनैतिक दल भविष्य में इस देश पर शासन करने की स्थिति में नहीं होगा। न ही भारतीय जनता पार्टी, न ही कांग्रेस और न ही अन्य राजनैतिक दल-स्वतः अपने आप इस देश पर शासन करने की स्थिति में हो सकती है। हम इस देश के लोगों को हमेशा बेचकूफ नहीं बना सकते। हम उन्हें कुछ दिनों के लिए ही बेचकूफ बना सकते हैं। हम उनके आवेश, भावना को भड़का सकते हैं लेकिन उनके भावना मात्र को भड़काने से हम देश पर शासन नहीं कर सकते। अतः, इस देश को चलाने के लिए संविधान में व्यापक परिवर्तन लाने होंगे।

आज, उस राजनैतिक दल द्वारा यह संकट उत्पन्न किया गया है जो अपने आप को 112 वर्ष पुराने दल का बताते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए? शायद इतिहास इस बात की साक्षी है कि 1947 में असम के लिए उन्होंने क्या किया था। 1962 में जब इस देश को चीनी आक्रमण का सामना करना पड़ रहा था तब इन्होंने क्या किया था? इस राजनैतिक दल द्वारा 1976 में की गई घटनाओं को दुःख के साथ याद करना पड़ता है। यह दुःख की बात है कि पूरे असम के लोगों द्वारा भारी विरोध किए जाने के बावजूद 1983 में असम के लोगों पर चुनाव थोपा गया।

अतः, इस स्थिति से हमें समझदारी से निपटना चाहिए। आज मात्र संख्या का फायदा उठाकर हम देश पर शासन कर रहे हैं। संविधान में मात्र एक ही सूत्र का उल्लेख किया गया है और वह सूत्र संख्या है। इसी संख्या के आधार पर हम देश में शासन करते हैं। इस देश को चलाने के लिए महज संख्या से कभी समाधान नहीं हो सकता। यही कारण है कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस सभा के सभी लोगों को एक साथ बैठकर उस विचारधारा में परिवर्तन लाना चाहिए और वह सूत्र खूदना चाहिए जिससे कि भिन्न विचारधाराओं के बीच देश को चलाया जा सके।

अतः, मैं श्री एच.डी. देवगौड़ा द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूँ। विगत पच्चास वर्षों में हमने अनेक प्रधान मंत्रियों को देखा है। हम ने उनका शासन भी देखा है। लेकिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार देवगौड़ा सरकार ने राष्ट्र को वास्तविक शासन उपलब्ध कराया है। यही कारण है कि मैं उनके तथा उनके साथी मंत्रियों के कार्य निष्पादन का समर्थन करता हूँ।

पहली बार पूर्वोत्तर क्षेत्र ने ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो उनकी समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखता हो। हमने पहले अनेक प्रधानमंत्री देखे हैं। उनके दिल में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं था। अभी तक भी, हम यह देखते हैं कि ऐसे अनेक लोग हैं जो यह सोचते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले लोग मनुष्य नहीं हैं। हम एक सरकार चाहते हैं। हम उसे पूरा समर्थन देते हैं। हमें श्री देवगौड़ा और संयुक्त मोर्चा सरकार पर पूरा विश्वास है। मेरा विश्वास है कि यह अनुभव वास्तविक अनुभव होगा और यह संघीय प्रणाली का रास्ता है। एक दिन यह संघीय प्रणाली पूरे राष्ट्र पर शासन करेगी।

महोदय, मैं जानता हूँ कि मुझे केवल पांच मिनट का समय दिया गया है। मैं केवल एक बात कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा। हमारा दर्शन यह है कि हमारा देश एक है। यह धर्म निरपेक्षता तथा समाजवाद की आधारशिला पर खड़ा है। यह संघवाद की शिला पर आधारित है। अतः सभी विशेष पहलुओं पर विचार करना चाहिए। मेरे विचार में श्री देवगौड़ा इस समस्या पर काबू पा लेंगे। वे इस समय हमारे मसीहा हैं। अतः मैं उन्हें पूरा समर्थन देता हूँ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओबेसी (हैदराबाद) : सभापति महोदय, देवगौड़ा जी ने जो करारदादे पेश किया है, मैं उसकी पूरी-पूरी तारीफ करता हूँ। इसके साथ मैं किसी कौम पर तनकीद नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ यह कहूंगा कि तारीख ने हमको यह सबब दी है जब किसी कौम पर किसी जमात पर, किसी फर्द पर जवाल आता है, तो सबसे पहले उसकी अकल पर जवाल आता है, तो तब चीज के ऊपर जवाल आता है। गौर नहीं करते हैं कि इनके साथ आ और उसके बाद क्या नतीजा निकलेगा। मेरे विचार से यही नतीजा निकलेगा, जो आज है। कौम का पैसा जाएगा, बाहर से जो इन्डस्ट्रीज आने वाली हैं, वे नहीं आयेंगी और उसके बाद जो मुल्क की क्या हालत होगी, उसके लिए तारीख कभी माफ नहीं करेगी। आईदा आने वाली नसलें हमको यही कहेंगी कि हमने वह रोल अदा नहीं किया, जो सफ-ए-हस्ती को मिटाए जाने वाली कौम का रोल होता है। हम इस बात पर गौर

[श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी]

नहीं करते हैं। कांग्रेस सरकार ने एक ही बात कही सैक्युलरिज्म की। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस अपनी डिक्शनरी से सैक्युलरिज्म शब्द को निकाल दे, तो ज्यादा बेहतर होगा। तारीख गवाह है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। बाबरी मस्जिद टूट रही थी और आपके वजीर-आज़म ने एक गोली नहीं चलाई, एक लाठी नहीं चलाई और किसी को टीयर-गैस नहीं किया, बल्कि टीवी देख रहे थे और आप सैक्युलरिज्म लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। सैक्युलरिज्म की गवाही कौन दे? अरे, गवाही हम देंगे, तो दुनिया मानेगी। आप मिट्टू-मियां बनकर सैक्युलरिज्म बोलेंगे, तो दुनिया कैसे मानेगी। सैक्युलरिज्म की गवाही हमको देनी पड़ेगी। बहरहाल अल्लाह आपको अकल दे या इसके बाद क्या होता है वह दें। बस इसके सिवा मैं कुछ नहीं कहूंगा।

सभापति महोदय : श्री सुरेन्द्र सिंह। सुरेन्द्र सिंह जी यहां नहीं हैं, वाजपेयी जी बोलिए।

अपराह्न 9.16 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं शुरू करूं।
...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) : महोदय, मेरा नाम आया।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे तो नाम बहुत हैं लेकिन मैं क्या करूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह : मेरा नाम नहीं बोला।

अध्यक्ष महोदय : मेरा इनफोरमेशन यह है कि आपको बुलाया था, लेकिन आप नहीं थे।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थॉमस (मुवतुपुजा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे बोलने के लिए कुछ समय दीजिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इससे बेहतर अवसर पर बोलने का समय दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थॉमस : मेरा एक छोटा सा दल है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सत्ताधारी दल का एक भाग हैं। आप संयुक्त मोर्चा का एक भाग हैं। मैं सरकार के सभी घटकों को बोलने के लिए अलग समय नहीं दे सकता।

अब माननीय गृहमंत्री बोलेंगे।

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : जब श्री चिदम्बरम् बोल रहे थे तो अन्य बातों के साथ-साथ उनके मन में दुःख की भावना भी थी। मैं भी यह कहना चाहता हूँ कि मैं भी बहुत दुःख का अनुभव कर रहा हूँ। पिछले दस महीनों में 13 दलों द्वारा गठित साझा सरकार का उद्भव हुआ जिसमें नौ मुख्य मंत्री भी शामिल हैं जो कि इस गठजोड़ का हिस्सा हैं। मेरे विचार में यह सही मायने में देश में बढ़ रही संघवाद की भावना, जो कि भविष्य का पथ है, को प्रकट करती है। अब इस सरकार का पतन हो रहा है। कांग्रेस दल की नासमझीपूर्ण और निरर्थक कार्रवाई के कारण इस सरकार का पतन हुआ। उनके नेतृत्व ने इस सरकार को गिरा दिया है, इस प्रयोग को खत्म कर दिया है।

अतः संयुक्त मोर्चा सरकार का खून उनके सिर पर है। उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी।

कभी-कभी मैं कुछ कटु शब्द बोल जाता हूँ जिसके लिए बाद में पछताता हूँ। मैं जानता हूँ, मैंने कहा था, "यदि आप इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे तो लोग आपके साथ अवश्य कुछ करेंगे।"

यह बात 'लोग आपके साथ क्या करेंगे', अभी होनी है। मैं यह कहते हुए घबराता हूँ और मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि यह एक ऐतिहासिक चर्चा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक दल जिसने इस सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, ने अपना समर्थन वापस लेने की अपनी अपील के बाद पूर्वाह्न 11 बजे से रात 11 बजे तक की चर्चा के दौरान अपनी इस कार्रवाई के कारण स्पष्ट करने से इंकार कर दिया है। सदस्य के बाद सदस्य बोल रहे हैं, 'आपने ऐसा क्यों किया, आपके दल के नेता ने इसी समय ऐसा कदम क्यों उठाया' और कोई भी इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है अथवा देने की कोशिश नहीं कर रहा है।

मेरे विचार में इससे पहले संसद में किसी भी गंभीर चर्चा में ऐसा नहीं हुआ। अब, यह कार्यवाही वृत्तांत में जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा। उन्होंने स्वयं यह सोचकर निर्णय ले लिया है कि उनके नेता द्वारा उठाए गए कदम का वे समर्थन करेंगे। ठीक है, लेकिन उन्हें यह बात स्पष्ट करनी होगी वे इस पूरी सभा की अवमानना नहीं कर सकते। उन्हें इस सभा को यह स्पष्ट करना होगा कि उनके दल अथवा उनके दल के नेता ने ऐसा कदम क्यों उठाया जिसकी वजह से सब कुछ तबाह हो गया। उनकी इस कार्रवाई ने हमें अस्थिर कर दिया है, हमें तबाह

कर दिया है। इसलिए मैंने कहा कि उन्हें अन्ततः इस देश के लोगों से सबक मिलना चाहिए।

मैं किसी भी राजनीतिक तर्क को समझ सकता हूँ। यदि वह यह कहें कि उनकी कुछ नीतियों के संबंध में मतभेद है जैसे कि आर्थिक नीति अथवा कृषि भूमि संबंधी नीति अथवा विदेश नीति अथवा औद्योगिक नीति, तब भी मैं इस बात को समझ सकता हूँ। इन मामलों के बारे में कोई कुछ नहीं कहता है। केवल मेरे युवा मित्र श्री पी.आर. दासमुंशी ने यह बात कही है जिससे उन्होंने यह कहने की कोशिश की कि हमारी सरकार अर्थात् संयुक्त मोर्चा सरकार धर्म निरपेक्ष ताकतों को एक करके रखने में असफल रही है। जबकि यह बात इससे पहले कभी नहीं कही गई, उन्होंने कम से कम यह बात तो कही।

मैं उनके तर्क को नहीं मानता लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर चर्चा की जा सकती है। अन्यथा, चर्चा के लिए कुछ नहीं है। उनके दल के अध्यक्ष के भाषण को रिकार्ड किया गया है उन्होंने एक बार नहीं बल्कि अनेक बार कहा है कि उनकी कोई और शिकायत नहीं है, कोई मांग नहीं है केवल आप अपना नेता बदल दो। मुझे आपको यह बताना चाहिए और आपको यह बताने में कोई नुकसान नहीं है कि उनके दल के नेता मुझसे मिलने आए। मैंने उनको इस तरह से उत्तर दिया ताकि समाचार-पत्र में कुछ भी न छपे। मैंने उसका फायदा उठाया। अन्यथा समाचार-पत्रों में यह समाचार छप चुका होता। वे अपने ही अनुरोध पर मेरे घर आए। यह तीन दिन पहले की बात है। उन्होंने डेढ़ घंटा मुझसे बातचीत की। मैंने यह पता लगाने की पूरी कोशिश की कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, आपकी मांग क्या है? आपकी शिकायत क्या है? वे केवल एक ही बात कहते रहे। वे कहते रहे,

[हिन्दी]

“मुझको और कुछ नहीं चाहिए लेकिन आप अपने लीडर को बदलें, इसको हटाएं। मेरी और कोई डिमांड नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कोई सरकार बन जाए यह भी मैं नहीं चाहता हूँ।”

[अनुवाद]

मैं नहीं जानता कि वे सच कह रहे थे अथवा नहीं लेकिन यह बात है। अतः, मेरे विचार में वास्तव में इस मुद्दे का कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस दल के यहां बैठे किसी भी वरिष्ठ नेता को अभी भी समय दिया जा सकता है। वे हमें इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। यदि वे इसे न्यायोचित ठहराना चाहते

हैं तो कृपया सभा के समक्ष ऐसा करिए। वे इसे न्यायोचित नहीं ठहरा सकते।

एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि मेरे विचार में देश भर में आम लोग, अधिकतर लोग इस बात से अप्रसन्न हैं कि इतनी जल्दी फिर से चुनाव करवाने पड़ेंगे। वे न केवल अप्रसन्न हैं बल्कि नाराज भी हैं। मुझे डर है कि यह क्रोध अधिक से अधिक राजनीतिक दलों के विरुद्ध ही होगा। हमारे व्यवहार की वजह से सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था एवं चुनाव प्रणाली ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। हम हर बार कुछेक महीनों में जनता के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमें पुनः मत दो, हमें वहां भेजो, हम वहां जाएंगे, व्यवस्था को तोड़-मरोड़ देंगे, सरकार को गिरा देंगे और वोट मांगने के लिए फिर आपके पास आवेंगे।

लोग हमारे गुलाम नहीं हैं कि हम उन्हें कुछ भी कहेंगे वे सुन लेंगे और उसे मान लेंगे। मुझे लगता है कि कुछ लोगों में चुनाव के विचार से काफी जोश है। मेरे विचार में यह लोगों की प्रतिक्रिया है जो वे प्रदर्शित कर रहे हैं। भा.ज.पा. में भी मेरे कुछ मित्र हैं। उनमें से अनेक लोगों को मैं जानता हूँ। मैं नहीं समझता उनमें उत्साह है अथवा वे थोड़े से भी खुश हैं। लेकिन जो कुछ भी यह सामान्य है और यही उम्मीद की जाती है। मेरे विचार में हमने देश के लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया है। मैं नहीं जानता कि अभी भी कुछ किया जा सकता है अथवा नहीं। अनेक माननीय सदस्यों ने यहां अपने सुझाव दिए हैं कि आज की कार्यवाही समाप्त होने के बाद, मतदान किए जाने के बाद, सरकार हार जाती है और श्री देवेगीड़ा अपना त्यागपत्र दे देते हैं, तो मुझे राष्ट्रपति के पास जाने की घृष्टता करनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा? यदि समय है तो देश के भविष्य के प्रति चिंतित हम सब लोगों को एक जगह मिल-बैठकर बातचीत करनी होगी। यह देखना होगा कि क्या कोई रास्ता निकाला जा सकता है और समझौते द्वारा कुछ करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि यह बात असंभव है।

एक अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि जब भी 6 दिसम्बर, 1992 की बात होती है तो मेरे भा.ज.पा. के मित्र चिढ़ जाते हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। कृपया लोक सभा का रिकार्ड निकालिए और देखिए कि भा.ज.पा. के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि मेरे अच्छे मित्र हैं, ने मस्जिद ढहाने के समाचार के तत्काल बाद इस सभा में क्या कहा था। सभा में बहुत शोरगुल था, सभी जोश में थे, चिल्ला रहे थे और क्रोधित थे। कृपया रिकार्ड से देखिए उन्होंने उस समय यहां क्या कहा था। मैं यहां उपस्थित था। मुझे याद है उन्होंने क्या कहा था और उन्होंने उसकी कैसे निन्दा की थी। उन्होंने कहा था कि जिन्होंने यह कार्य किया है, उन्होंने जो कुछ उनसे कहा गया था

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

उससे कहीं ज्यादा कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनसे ऐसा करने को किसी ने नहीं कहा था। हमें यह सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि ये लोग कौन हैं उन्हें पहचानिए और उन्हें रिकार्ड में लाइए। मुझे कार्यवाही का वह रिकार्ड आज नहीं मिल पाएगा अन्यथा मैं उसे पढ़कर सुनाता। अतः जो भी आप सोचते हैं, यह कोई कार्यवाही नहीं है, यह कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसकी प्रशंसा की जाए और जिसे ऊंचा उठाया जाए। यह कार्य भा.ज.पा. के नेता ने नहीं किया। उन्होंने इसकी भर्त्सना की है। उन्होंने इस कार्य को पसंद नहीं किया और यही सही है।

अतः, मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि हमें केवल साम्प्रदायिक या कूट धर्म निरपेक्ष का नाम न दो। श्री प्रमोद महाजन द्वारा इस अवधि के दौरान हुए साम्प्रदायिक तथा जातीय झगड़ों के आंकड़ों का यहां कुछ उल्लेख किया गया था। मेरे पास वह आंकड़े हैं, जो उन्होंने पढ़े हैं। मैं इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि कुछ घटनाएं हुई हैं। हमारा अनुभव यह रहा है कि जहां कहीं भी आपका दल सत्ता में रहा है वहां दंगे, उत्पात कम हुए हैं। जब आप विपक्ष में रहे हैं तो भिन्न-भिन्न घटनाएं घटी हैं जब आपके ऊपर कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी थी, तब भी हमने देखा कि इन दंगों की संख्या में कमी आई है। अतः आप कह सकते हैं कि सबसे अच्छा तर्क यह है कि आपको सत्ता में लाया जाए। आप यह कह सकते हैं कि आपको सत्ता में लाया जाए तो देश भर में शान्ति होगी। तो मैंने आपको एक तर्क दिया है जिसे आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं।

महोदय, मेरे विचार में इस राजनीतिक अस्थिरता से हमारे राष्ट्रीय जीवन के अनेक पहलुओं पर अनेक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। राजनीतिक अस्थिरता को बिना सोचे-समझे बुलावा दे रहे हैं। स्थिरता धीरे-धीरे वापस आ रही थी, जो एक कठिन कार्य है जैसा कि श्री पी. चिदम्बरम् ने कहा है। लोग यह महसूस कर रहे थे कि स्थिरता के मानदंड वापस आ रहे हैं। अब, हमने उन्हें तबाह कर दिया। हमने उन्हें एक बार फिर नष्ट कर दिया। उनमें से एक पहलू के संबंध में मैं आपको याद दिला सकता हूँ क्योंकि मैं गृहमंत्री था। हथियारों से लैस इन विद्रोही गुप्तों की कार्यवाही के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा एक अथवा दो अन्य स्थानों पर हो रही इन सभी मुसीबतों को अब और बढ़ावा मिलेगा। उन्हें और प्रोत्साहन मिलेगा जब उन्हें मालूम चलेगा कि दिल्ली में केन्द्र की सरकार अस्थिर है और पूरा ढांचा हिल रहा है। हमें उम्मीद है कि कुछ महीनों में उनमें से भी कुछ कम हो जायेंगे।

ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें से कुछ लोग साथ बैठकर बातचीत करने के इच्छुक हैं, जिसका श्रेय सर्वप्रथम हमारे प्रधानमंत्री को जाता है जिन्होंने खुले तौर पर यह अजीब की थी जब वे

असम गए थे कि हम आपसे बिना शर्त के बातचीत करना चाहते हैं, वे कृपया आएँ और बताएं कि वे क्या चाहते हैं। कुछ प्रतिक्रिया आरम्भ हुई थी, केवल आरम्भ हुई थी, इससे अधिक कुछ नहीं। उनका इन विद्रोही गुप्तों के प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत का एक दौर हुआ था। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं और जैसा कि सभी जगह यह समाचार फैल गया है मुझे डर है कि जो गुप्त पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा एक अथवा दो अन्य क्षेत्रों में हर प्रकार की हिंसा को फैला रहे हैं लोगों को मार रहे हैं, बम्ब विस्फोट आदि कर रहे हैं उन्हें इन दंगों को जारी रखने का बढ़ावा मिलेगा जबकि हाल ही में बंगलादेश के साथ हमारे संबंधों में सुधार हुआ है।

मैं आपको बता दूँ कि यह केवल जल के बंटवारे का प्रश्न ही नहीं है। इन विद्रोही गुप्तों के अनेक लोगों ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान सीमा पार आश्रय ले लिया है। उन्हें बंगलादेश में कैम्प मिल गए हैं और वे वहां छिपे हैं। उनके नेता वहां जाते हैं। लेकिन वर्तमान बंगलादेश सरकार ने उच्च स्तर पर हमें यह आश्वासन दिया है कि वे इन लोगों को भारत के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कार्यों के लिए बंगलादेश का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देंगे और वह यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कैम्प बन्द हो जाएँ और वे बंगलादेश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएँ।

मैं आपको यह बता सकता हूँ कि पिछले सप्ताह हमें कुछ विश्वसनीय सूचना मिली है। उनके लोग यहां आएँ और उन्होंने हमें यह सूचना दी कि ऐसा हो रहा है; कुछ कैम्प बंद हो रहे हैं; उन्हें बंगलादेश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है; और इससे हमारी सुरक्षा सेनाओं पर भी दबाव कम होगा। अब, मुझे नहीं मालूम कि फिर क्या होगा।

अतः, मैं यही सब कहना चाहता हूँ। मैं वास्तव में और समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं केवल श्री केसरी जी की सोच के बारे में चिन्तित हूँ उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं वास्तव में, एक घंटे से अधिक समय तक उनसे बातचीत करके भी यह समझ नहीं पाया कि वे क्या कह रहे हैं। वे एक ही बात कहते रहे और मुझे अब वह आपको बतानी चाहिए। उनके अनुसार श्री देवेगीड़ा कांग्रेस दल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। प्रधान मंत्री जब बोलेंगे तो वे इसका उत्तर देंगे। उन्होंने कहा कि वे उस दल को तोड़ना चाहते हैं, और यदि वे इस कार्य में थोड़ा सा भी विलंब करेंगे तो वे अपनी इस कोशिश में सफल हो जायेंगे और इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा।

क्या उन्होंने यह बात किसी और को बताई? वे उनके नेता हैं वे कार्यकारी समिति तथा कांग्रेस के अन्य प्रमुख संस्थाओं में उनके साथी हैं। क्या उन्होंने उनको कभी विश्वास में लिया? क्या

उन्होंने कभी इस बारे में आपको सहमति मांगी कि इस तरह की बात की जाए? मैं नहीं जानता, कृपया वह हमें बतायें।

अतः, जो कुछ मैं अन्त में आपको कहना चाहता हूँ वह यह है कि संसद में मेरे इतने वर्षों के अनुभव में मैंने ऐसी असाधारण बात कभी नहीं देखी कि एक समर्थन देने वाला दल जिसने गत लगभग 50 वर्षों से इस देश पर शासन किया और यहां जिसके कई सदस्य उपस्थित हैं उन्होंने यहां सभा में घोषणा की थी कि वे धर्मनिरपेक्ष शक्तियों द्वारा बनाई गई सरकार का बिना किसी शर्त के समर्थन देंगे - आज अपना समर्थन वापस ले रही है। निश्चय ही, उन्हें यह अधिकार है। लेकिन उन्हें सभा को अंधेरे में रखने का अधिकार नहीं है। उन्हें हमें सूचित करना चाहिए; उन्हें हमें बताना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और उन्हें इस बात का औचित्य स्पष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। वे इस तरह से वुप नहीं रह सकते। यह संसद की बेइज्जती है और इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस समय भी कांग्रेस दल के कुछ वरिष्ठ सदस्य कम से कम सभा को सूचित कर सकते हैं कि इसके पीछे क्या रहस्य है। क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? मैं नहीं जानता।

कोई जांच, मामले, इस और उस के संबंध में बात करता है। मैंने श्री केसरी से पूछा - कुछ समाचार-पत्र इस तरह से लिख रहे हैं; काफी अटकलें लगाई जा रही है - कि क्या वास्तव में यह सच है कि उनके दल के कुछ सदस्यों के विरुद्ध जांच के कुछ मामले थे और इसलिए उन्हें इतनी जल्दी यह कार्य करना पड़ा। उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं। यह सब गप्प है, यह सब अफवाहें हैं। इसमें कुछ भी सच नहीं है।" तो, फिर यह क्या था? वे कृपया हमें बतायें। मैं यहां कुछ नेताओं से यह बात जानकर खुशी महसूस करूंगा। वह संसद के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते।

अतः, मैं इसके साथ ही अपना भाषण समाप्त करता हूँ। निश्चय ही हम अपने विश्वास प्रस्ताव पर ही जोर देंगे। उन्हें सलाह दी जाएगी - मैं नहीं समझता कि वे मेरी सलाह मानेंगे - कि विश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध अपना मत न दें क्योंकि कल उन्हें जनता का विश्वास मत हासिल करना है जो वे उन्हें कभी नहीं देंगे। ... (व्यवधान)

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने स्पष्टीकरण मांगा है ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उन्हें जवाब दे रहे हैं? मैं इस तरह से अनुमति नहीं दे सकता। आप पहले ही बोल चुके हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात समाप्त होने का इन्तजार करिए। क्या कांग्रेस का कोई और सदस्य बोलना चाहता है? मैं ऐसा

इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दो सदस्यों के नाम और हैं और जो सदस्य कांग्रेस की ओर से बोलेंगे वह इस बात का जवाब देगा।

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई अन्त नहीं है।

... (व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, माननीय गृहमंत्री द्वारा कुछ असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया है ... (व्यवधान) कृपया कार्यवाही वृत्तांत से इन शब्दों को निकाल दीजिए। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके दल को भी अवसर दे रहा हूँ। मैं अलग-अलग व्यक्तियों को इस तरह से बोलने का अवसर नहीं दे सकता। मैंने कहा है कि मैं कांग्रेस के एक सदस्य को बोलने की अनुमति दूंगा। वे उस समय जवाब दे सकते हैं।

... (व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, मैं केवल आपसे रिकार्ड सुनने के लिए कह रहा हूँ और यदि कुछ असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया है तो उन्हें कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ ... (व्यवधान) जब वे बोल रहे थे तो मैंने हस्तक्षेप करना ठीक नहीं समझा और इसलिए मैं अब कह रहा हूँ ... (व्यवधान) कृपया रिकार्ड सुनिए और उन शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दीजिए ... (व्यवधान)

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, माननीय गृहमंत्री ने कुछ सूचना मांगी है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं।

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ। मैंने अपने दल से भी परामर्श किया है। माननीय गृह मंत्री ने कुछ सूचना मांगी है कि जो कुछ भी घटित हुआ है उस संबंध में हमारा दल संसद को अंधेरे में क्यों रखे। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के साथ हुई अपनी बातचीत का रहस्योद्घाटन कर दिया है जो कि निजी बातचीत थी। कांग्रेस अध्यक्ष अपने बचाव के लिए यहां नहीं हैं। मैं कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से कुछ नहीं कहना चाहता था, न ही मैं ऐसा करने या उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ। यदि कांग्रेस अध्यक्ष लोक सभा सदस्य के रूप में अपने बचाव के लिए यहां होते तो अच्छा होता। लेकिन माननीय गृह मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष के साथ हुई अपनी बातचीत का रहस्योद्घाटन कर दिया है। मैं यहां कांग्रेस अध्यक्ष की संयुक्त मोर्चा के नेताओं अथवा अन्य

[श्री पी.आर. दासमुंशी]

व्यक्तियों के साथ हुई बातचीत के बारे में बताने के लिए उपस्थित नहीं हूँ। यहां यह बात महत्व नहीं रखती। मैं माननीय गृह मंत्री से जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि आज प्रातः ही हमने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि यह किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है; न ही किसी दल के विरुद्ध है; न ही केवल 'देवेगौड़ा जी' के विरुद्ध है, जो कि एक सज्जन व्यक्ति हैं जिसका हम सम्मान करते हैं। इन मुद्दों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था। (व्यवधान) अब मेरे पास जवाब देने का अधिकार है ... (व्यवधान) उन्होंने पूछा है कि क्या हुआ है ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अब बोलेंगे तो मैं आपके दल के किसी अन्य सदस्य को बोलने के लिए नहीं बुलाऊंगा।

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, वे जानना चाहते हैं ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप औपचारिक रूप से उत्तर दे रहे हैं अथवा कांग्रेस दल का कोई और सदस्य इसका उत्तर देगा। मैं कांग्रेस के मुख्य सचिव से पूछना चाहूंगा। माननीय मुख्य सचिव क्या मैं इसे आपका उत्तर समझूँ और मैं किसी और को नहीं बुलाऊँ?

श्री संतोष मोहन देव (सिल्वर) : महोदय, जैसा आप चाहें, मैं उसे मानूंगा।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। आप उत्तर दे सकते हैं।

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि सी.पी.आई. सहित कार्यकारिणी समिति की टिप्पणियों के आधार पर सभी निर्णयों, घटनाओं तथा सभी वक्तव्यों के संबंध में समय-समय पर बताया जाता रहा है। पिछली टिप्पणियों के संबंध में कुछ पंक्तियाँ उद्धरित करना चाहूंगा। टिप्पणियाँ ये थीं, मैं उद्धरित करता हूँ :-

“कांग्रेस कार्यकारिणी समिति यह सुनिश्चित करने की कोशिशों को जारी रखने कि वचनबद्धता को दोहराती है कि कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना जाए। भा.ज.पा. को सरकार बनाने से रोकने के लिए संयुक्त मोर्चा सरकार के पास कांग्रेस के प्रस्ताव को समर्थन देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उस रास्ते को अपनाने की बजाए उन्होंने उत्तर प्रदेश में कठिन स्थिति उत्पन्न कर दी। उस स्थिति में यदि भा.ज.पा. उत्तर प्रदेश सरकार बनाती तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संयुक्त मोर्चा सरकार की होती।”

16 फरवरी के अन्तिम संकल्प में यह कहा गया है और मैं उद्धरित करता हूँ :

“कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में संयुक्त मोर्चा से अपने कार्य निष्पादन का आत्मनिरीक्षण तथा आलोचनात्मक समीक्षा करने के लिए कहा गया है। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि संयुक्त मोर्चा को कांग्रेस का समर्थन बिना शर्त समर्थन और सम्पूर्ण समर्थन नहीं है बल्कि धर्म निरपेक्ष शक्तियों को एक करने के उद्देश्य से है। इसलिए इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सकता।”

हमने जो महसूस किया है, वह हम अवश्य कहेंगे। हमने केवल यह महसूस किया है कि समय आ गया है जब वर्तमान प्रधानमंत्री इन प्रस्तावों का उत्तर देने तथा धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एक करके रखने की स्थिति में नहीं है। यह हमारे आकलन के आधार पर था।

हमने क्या गलत किया? हमने कहाँ राष्ट्र को अंधेरे में रखा? ... (व्यवधान) आप स्पष्ट कर सकते हैं। यह सही नहीं है। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त को सम्मानपूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि आप जिस विचार की बात कर रहे हैं हमारे मन में वह विचार नहीं आया, लेकिन हम यह कहना चाहेंगे कि लोगों के पास जाकर सबक सीखने की बात कांग्रेस के उद्भव से लेकर कुछ नई नहीं है, चाहे हम एक हों अथवा सौ। यह बात महत्व नहीं रखती।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, चर्चा समाप्ति पर है। मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। मेरे सहयोगी मित्र श्री जसवंत सिंह, श्री प्रमोद महाजन और सुश्री उमा भारती हमारे दृष्टिकोण को प्रभावशाली ढंग से सदन के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि घड़ी की सुई पूरी घूम गई है। हम जहाँ से चले थे वहाँ पहुँच गये हैं। दस महीने के भीतर यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई, इस पर गहराई से विचार होना चाहिए। राजनीतिक दांव-पेंच अपनी जगह हैं। लेकिन लोकतंत्र का खेल किस स्तर पर खेला जाये, किस मर्यादा के भीतर चले, इस पर थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि इस समय जो टकराव हो रही है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारा कोई योगदान नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि अभी तक किसी ने यह आरोप क्यों नहीं लगाया कि हमारी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं। इस बात का श्रेय लेने का तो प्रयास किया गया है कि हमसे लड़ने के लिए दोनों इकट्ठे हो गये हैं। अगर हमसे लड़ने के लिए दोनों इकट्ठे हुए थे आपस में क्यों लड़ रहे हैं। अभी गृह मंत्री जी ने प्रश्न पूछा वह बड़ा सटीक प्रश्न था और मैं आशा करता

था कि इस चर्चा में नरसिम्हाराव जी भाषण करेंगे, श्री शरद पवार अपना मुंह खोलेंगे, श्री अंतुले अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, लेकिन सब मौन धारण करके बैठे हैं। उनका मौन उनकी वाणी से भी अधिक मुखर है।

मैं उन सारे वक्तव्यों में नहीं जाना चाहता कि पहले जब विश्वास प्रस्ताव पेश हो रहा था तब शरद पवार जी ने क्या कहा था, नरसिम्हाराव ने किस शब्दों में आश्वासन दिलाया था कि कुछ भी हो जाए हम समर्थन वापस नहीं लेंगे, यह समझौता टूटेगा नहीं, लेकिन समझौता टूट गया। पहले समर्थन दिया गया और फिर वापस लिया गया। अब यह प्रश्न उठाया गया कि ऐसा क्यों किया गया है। इसके अलग-अलग स्पष्टीकरण मिल रहे हैं। अच्छा होता कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकृत तौर पर कोई बात कहता और सदन के सामने, देश के सामने सारे तथ्य आते। एक प्रश्न और भी है कि 30 मार्च की तिथि क्यों चुनी गई। क्या 29 मार्च तक सब ठीक था और 30 मार्च को बिगड़ गया। हमारे कांग्रेस के मित्र कहेंगे कि नहीं, भूमिका तो हम पहले से बना रहे थे, हमने तो चार तारीख और 16 तारीख को प्रस्ताव पास किये थे, लेकिन उसके बाद हमने समर्थन वापस लेने का फैसला 30 तारीख को किया - क्यों? कांग्रेस के नेताओं को पता न हो कि उस समय देश में किस तरह के सम्मेलन आयोजित हो रहे थे, किस तरह से महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही थीं। अगर समय अधिक नहीं मांगा जाता तो शायद इस प्रस्ताव पर हमें सात तारीख को चर्चा करनी पड़ती, पहले सात तारीख तय हुई थी और अगर उस दिन चर्चा होती तो हमारे प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री या तो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में होते या सम्मेलन स्थगित करना पड़ता।

अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष और कांग्रेस पक्ष के साथ विदेश मामलों के बहुत से जानकार हैं। यह छोटी सी बात ध्यान में क्यों नहीं आई? या 30 तारीख के पीछे कोई और रहस्य है? रहस्य का उद्घाटन होना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी मौन है, तो हम प्रधान मंत्री जी से कहेंगे कि आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, थोड़ा सा अंधकार कम करिए, यह 30 तारीख क्यों चुनी गई?

मुझे यह सुनकर भी ताज्जुब हुआ और मैं युनाइटेड फ्रंट के अपने मित्रों से कहना चाहता हूँ कि आपको दो चिट्ठियाँ मिलीं और आपने उन दो चिट्ठियों के बाद कांग्रेस पार्टी से कोई वार्ता नहीं की, चर्चा नहीं की, यह अच्छी बात नहीं है। जिस दल के समर्थन पर आपकी सरकार का अस्तित्व है, उस दल की, अगर शिकायतें होती हैं, तो उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। आपको याद होगा कि जिस दिन मैंने विश्वास का प्रस्ताव पेश किया था, तो मैंने कहा था कि कम से कम फ्लोर कोआर्डिनेशन के लिए तो

आपस में बात करनी पड़ती है। सचमुच में कांग्रेस तो स्टीयरिंग कमेटी में होनी चाहिए थी। आज जो प्रस्ताव दिया जा रहा है कि कोआर्डिनेशन कमेटी बनेगी उसमें कांग्रेस वाले आ सकते हैं और चाहें तो कांग्रेस के नेता उसके अध्यक्ष हो सकते हैं, सचमुच में, इस प्रस्ताव पर पहले विचार होना चाहिए था, संकट पैदा होने के बाद नहीं।

लेकिन मैं जानता हूँ कि इसके मूल में एक कारण था और वह कारण था गैर-कांग्रेसवाद। कांग्रेस के समर्थन के बिना सरकार चलाना असंभव है। इसलिए समर्थन ले लो, मगर कांग्रेस के साथ सहयोग किया जा रहा है, यह दिखाओ मत। यह दिखाई नहीं देना चाहिए क्योंकि हम कांग्रेस से लड़कर आए हैं। हम जीवनभर कांग्रेस से लड़ते रहे हैं। हम कांग्रेसवाद में विश्वास करते हैं और इसलिए जरा दूर रखो। लाभ उठाओ, मगर उनका सहयोग मत लो। यह जो मूल भावना है, इसने सहयोग को सफल नहीं होने दिया। इसने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि आज कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और युनाइटेड सरकार का अस्तित्व खतरे में पड़ गया।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से यह कांग्रेसवाद है उसी तरह से एक गैरभाजपावाद बन रहा है और यह भी अपना एक स्थान बनाने का प्रयास कर रहा है। चुनाव के बाद जो जनादेश आया, उसमें किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, यह ठीक है, मगर यह भी जनादेश नहीं था कि जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी उपेक्षा कर दो। नंबर दो पर कांग्रेस थी 144 मੈम्बरों की, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए था? अगर गठबंधन होना है, अगर संयुक्त सरकार चलनी है, तो उसका क्या स्थान होना चाहिए? सार्वजनिक क्षेत्र से अस्पृश्यता खत्म हो रही है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में अस्पृश्यता का जन्म होता जा रहा है। जनता का जो आदर्श था उसका अर्थ ठीक नहीं निकाला गया।

यह देश सैक्युलरवादी है, सैक्युरवादी था और सैक्युरवादी रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। क्या सैक्युलरवाद इतना दुर्बल है कि वह जरा सी बात में खतरे में पड़ जाता है और क्या सैक्युलरवाद बचेगा तो इस राजनीतिक जोड़तोड़ से बचेगा? भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई शक्ति, उसका बढ़ता हुआ प्रभाव, आप जरा आत्मचिन्तन करें, यह कोई सैक्युलरवाद के दुर्बल होने का प्रतीक नहीं है, परिचायक नहीं है। उसके और कारण हैं, जिनमें मैं इस समय विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस की संख्या आधी रह गई है। यदि पांच साल का कांग्रेस का क्रियाकलाप देखें, तो वह इतना निकृष्ट नहीं था कि उसको मतदाता इतनी सजा देते, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा निर्णायक साबित हुआ। संख्या आधी रह गई। अब दोष हमें दिया जा रहा

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

है। लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, तो आप कह रहे हैं कि सैन्युलरवाद खतरे में पड़ रहा है।

युनाइटेड फ्रंट आपकी क्या मदद करता है? युनाइटेड फ्रंट तो एक ऐसा मोर्चा है, जो पूरे का पूरा, आपका समर्थन करना तो अलग रहा, स्वयं के अपने ही कैडीडेट खड़ा करने के बारे में आपस में समझौता नहीं कर सकता। घटक एक-दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। जहां युनाइटेड फ्रंट है ही नहीं वहां कांग्रेस की मदद कैसे करेंगे?

कांग्रेस के मित्र भी जरा आत्ममंथन करके देखें कि क्यों प्रभाव घट रहा है। उसके लिए दूसरे को दोष देने से काम नहीं चलेगा। हम चुनाव नहीं चाहते, लेकिन चुनाव के अलावा और कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं देता। मतदाता भी चुनाव नहीं चाहता, लेकिन लोकतंत्र में, अंत में जाकर किसका दरवाजा खटखटाया जायें, अगर राजनेता विफल हो जाये, अगर राजनीतिक दल अपनी सीमाओं को और अपनी मर्यादाओं को न समझें और अगर सिद्धांत के ऊपर सत्ता का संघर्ष हावी हो जाये तो मतदाता के पास जाने के अलावा चारा क्या है?

कहा गया है कि यह सम्मान की लड़ाई है। सम्मान नहीं यह मिथ्या अभिमान की लड़ाई है। सत्ता का खुला संघर्ष है। आप कहेंगे कि सत्ता के लिए लड़ाई कोई बुरी बात नहीं। मैं मानता हूं कि हमारे कांग्रेस के मित्रों के लिए सत्ता से बाहर रहना बहुत कठिन काम है। बहुत मुश्किल काम है। हमारी बात छोड़ दीजिए। हम तो 40 साल से यही धंधा करते रहे हैं मगर हमारे कांग्रेस के मित्रों की आदतें बिगड़ी हुई हैं। वे सत्ता के बिना नहीं रह सकते। आपने उन्हें शासन के स्तर पर शामिल नहीं किया और उन्हें निर्णय लेने की संस्था के स्तर पर भी शामिल नहीं किया, उनका उपयोग नहीं किया जिससे उनकी शिकायतें इकट्ठी होती रहीं। लेकिन मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहूंगा कि जब युनाइटेड फ्रंट ने मायावती को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने से इंकार कर दिया था, उस दिन अगर आप समर्थन वापिस ले लेते तो आपको एक मुद्दा मिल सकता था जिस मुद्दे को लोग पहचानते और जिसके लिए आपको साधुवाद देते। मगर उस दिन इस प्रस्ताव में उसका बड़ा वर्णन है कि आपके अध्यक्ष गये, उन्होंने कहा कि दलित कन्या को आप मुख्यमंत्री नहीं बना सकते मगर वापस लौट आए और चुप बैठ गये। उस समय समर्थन वापस नहीं लिया गया।

अब मैं आता हूं कि 30 तारीख में क्या खास बात थी? क्या किसी ज्योतिषी से सलाह ली गयी थी? क्या शुभ मुहूर्त निकाला गया था? यह बात अभी तक मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है। आप बजट अधिवेशन में रुक सकते थे। सारी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती जा रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ।

आदरणीय नरसिंह राव जी यहां बैठे हैं। मैं अगर एक घटना का उल्लेख करूं तो मैं समझता हूं कि वे उसको गलत नहीं समझेंगे। हम लोग कहीं दोपहर का भोजन कर रहे थे। वह सरकारी भोजन था। उस भोजन में स्वीटडिश के रूप में तरबूज खाने के लिए दिया गया। वह तरबूज फीका था। श्री नरसिंह राव जी के पास बैठने वाले किसी मित्र ने शिकायत की कि ऐसा तरबूज क्यों दिया गया है जो फीका है? यह बेमौसमी है। अगर मेरे सुनने में गलती नहीं हुई तो श्री नरसिंह राव जी ने कहा कि बजट अधिवेशन में अगर समर्थन वापस लेने का प्रस्ताव आ सकता है तो हर मौसम में तरबूज क्यों नहीं आ सकता। यह जो बेमौसमी निर्णय है उसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे रहस्य क्या है? क्या वर्तमान घटनाचक्र से हम कुछ सीखने के लिए तैयार हैं? ठीक है, जनता के पास जायेंगे, जनता निर्णय करेगी लेकिन इस देश में मिलकर काम करने के गुण तो विकसित करने की आवश्यकता है। एक पार्टी के भीतर भी संघर्ष होते हैं लेकिन संघर्ष सीमा में होने चाहिए। यह टूटना और जुड़ना, फिर इकट्ठे होना और फिर अलग-अलग रास्ते पर चले जाना, इसकी कोई सीमा होनी चाहिए। अगर और देशों में मिली-जुली सरकारें सफल हो सकती हैं तो यहां क्यों नहीं हो सकती। हम भी अपने ढंग से प्रदेशों में मिलकर सरकार चला रहे हैं। लेकिन उसके लिए एक-दूसरे के प्रति विश्वास, पारदर्शी विश्वास परमावश्यक है। अब यदि कांग्रेस को यह डर लग रहा था कि देवेगौड़ा जी कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं फिर तो उन्होंने आत्मरक्षा में जो कदम उठाया, उसे उठाना जरूरी थी। लेकिन मैं नहीं समझता कि देवेगौड़ा जी कांग्रेस को तोड़ना चाहते थे और अगर तोड़ना चाहते थे तो क्या आप अपने को टूटने देते या आपके कुछ लोग टूटने को तैयार बैठे थे। मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। लेकिन विश्वास के वातावरण में ऐसा नहीं हो सकता। चुनाव के बाद जो जनादेश था, उसका गलत अर्थ निकालने के बहुत से दुष्प्रणिधान हुए। उसका सही अर्थ निकालने की आवश्यकता है। वह कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनादेश नहीं था। वह किसी पार्टी के हक में जनादेश नहीं था, बहुमत नहीं था, यह बात सच है। लेकिन जो अर्थ निकाले गए, उससे अनर्थ हुआ है और दस महीने बाद देश फिर आम चुनाव के रास्ते पर आ खड़ा हुआ है। हमें आशा करनी चाहिए कि चुनाव के बाद स्थायी सरकार आएगी। हमें यह भी आशा करनी चाहिए कि चुनाव के बाद देश सही रास्ते पर चलेगा, लेकिन इस प्रयोग का एक लाभ हुआ है। क्षेत्रीय दलों ने पहली बार दिल्ली में आकर एक भूमिका निभाई है, रचनात्मक भूमिका निभाई है। वे अभी तक एक क्षेत्र तक सीमित थे। वे जीतकर आए हैं और उनका दृष्टिकोण अखिल भारतीय हुआ है। उनके सामने देश की तस्वीर आई है। हमें भी उनके साथ सम्पर्क बढ़ाने का मौका मिला है। यह एक शुभ संकेत है, यह एक अच्छी घटना

है। इसलिए देश की राजनीति में सब दल चाहे राष्ट्रीय हों चाहे क्षेत्रीय हों, यदि कार्यक्रम में एकता है और आप भी मानते हैं कि आपके बीच में सिद्धांतों में एकता नहीं है लेकिन कार्यक्रम की एकता है, तो मिलकर काम करने का आधार है।

प्रधानमंत्री जी ने सुबह बहुत सी उपलब्धियां गिनाईं। अब अगर कौमन मिनिमम प्रोग्राम को देखें तो उसमें तीन महीने के भीतर जो काम होना चाहिए था वह नहीं हुआ, छः महीने के भीतर जो काम होना चाहिए था वह नहीं हुआ। उन सबको गिनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कार्यक्रम के आधार पर कुछ दल इकट्ठे होते हैं तो उनकी सफलता के लिए विश्वास का वातावरण बहुत आवश्यक है। इस विश्वास के अभाव के कारण ही यह संकट पैदा हुआ है। हम इससे शिक्षा लें, इससे पाठ पढ़ें और भविष्य में इस तरह का प्रयोग करते समय ऐसी भूलें न की जाएं, कम से कम इतना तो आज की घटना से सीखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थॉमस : महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया हमें सहयोग दें। माफ कीजिए।

प्रधानमंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस सभा के माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई कुछ शंकाओं का समाधान करना चाहूंगा।

सर्वप्रथम, मैं माननीय सदस्यों को 21 तारीख को वित्त विधेयक पारित करने की सहमति देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सम्पूर्ण सभा को इस माह की 21 तारीख को वित्त विधेयक, लेखानुदान और विनियोग विधेयक पारित करने की सहमति देने के लिए हृदय से अपना धन्यवाद देना चाहूंगा।

रात्रि 10.00 बजे

श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक वरिष्ठ नेता के रूप में कहा है कि समर्थन देने वाली पार्टी को उस रूप में नज़र-अंदाज नहीं किया जाना चाहिए जैसे कि इस समय कांग्रेस (आई) के समर्थन से प्रशासन चलाने वाली पार्टी कर रही है। यह बहुत ही अच्छा सुझाव है। श्री संतोष मोहन देव ने बीच में बोलते हुए कहा था कि जब यह मुद्दा कांग्रेस के नेता और कांग्रेस संसदीय पार्टी दोनों द्वारा उठाया गया था तो संयुक्त मोर्चे से न तो कोई भी नेता उनसे मिला और न ही किसी ने उन्हें सन्तुष्ट करने का प्रयास किया। श्री संतोष मोहन देव ने यह टिप्पणी की है।

महोदय, विस्तार में जाने से पूर्व, मैं दो पत्रों, जो कि माननीय सदस्य श्री पी.आर. दासमुंशी के भाषण के अनुसार, मुझे भेजे गए

थे, के बारे में बताना चाहूंगा। मुझे कोई पत्र नहीं मिला है। भारत के राष्ट्रपति ने आवरण पत्र और संलग्नक जो कि कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष ने 30 मार्च, 1997 को उन्हें भेजा था, उन्हें 31 मार्च, 1997 को मुझे भेजा था। समर्थन वापस लेने के लिए 30 मार्च, 1997 को राष्ट्रपति जी को भेजा गया पत्र 31 मार्च, 1997 को राष्ट्रपति जी ने मुझे भेजा था। तब तक मुझे कांग्रेस (आई) अध्यक्ष से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। 30 मार्च, 1997 को मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव से मिला था।

मेरे वित्त मंत्री ने 29 मार्च को दिल्ली से कलकत्ता के लिए रवाना होने से पहले मुझसे अनुरोध किया था कि कांग्रेस (आई) ने अपने पार्टी लेखे जांच अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए हैं। 31 मार्च अंतिम तारीख है। इस संबंध में अर्धदंड लगाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। उन्होंने बताया कि वह कलकत्ता जा रहे थे और फिर गोआ जाएंगे और 31 मार्च को ही वापस लौटेंगे; इसलिए कृपया इस समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। वित्त मंत्री जी ने मुझे यही बताया था। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि उन्होंने आवश्यक स्पष्टीकरण मांगने के लिए खजांची, श्री अहमद पटेल से संबंध स्थापित करने के सभी प्रयत्न किए। लेकिन वह नहीं मिले। इसलिए कृपया इस मुद्दे को सुलझाएं। 30 मार्च को मैं श्री पी.वी. नरसिंह राव से मिला क्योंकि उस समय वह पार्टी के अध्यक्ष और 1993-94 के लेखाओं के लिए जिम्मेदार थे। मैंने उनसे बातचीत की। उन्होंने सुझाव दिया कि वह इस बारे में चर्चा करने के लिए श्री प्रणव मुखर्जी को भेजेंगे। मैं वापस आया और श्री सीता राम केसरी जी पार्टी अध्यक्ष और कां.सं.पा. के नेता से फोन पर सम्बन्ध स्थापित किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि वह कब मिल पाएंगे। उन्होंने मुझे 31 मार्च को 2 बजे मिलने के लिए समय दिया। मेरे कुछ नैतिक मूल्य हैं। मैं यहां इस पद की खोज में, किसी आशा, आकांक्षा से नहीं आया हूं। मैंने मुख्य मंत्री का पद छोड़कर इस देश का प्रधानमंत्री बनने की कभी इच्छा नहीं की थी। मुझे जोड़-तोड़ वाली राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस देश के लोग राजनैतिक दृष्टि से बहुत जागरूक हैं, वे इस बात से परिचित होंगे। समर्थन वापस लेने के लिए पत्र प्रस्तुत करने का समय अपराह्न 12.40 बजे चुना गया था और उन्होंने मुझे मिलने के लिये अपराह्न 2.00 बजे का समय दिया। क्या श्री संतोष मोहन देव वहां नहीं थे जब मैं उनके अध्यक्ष से मिला था? मैं उनसे बारह बार मिला हूं।

आरोप यह लगाया गया है कि मैं केवल श्री पी.वी. नरसिंह राव जी से मिलता रहा। मैं पीठ में छुरा चोपने वालों में से नहीं हूं। श्री पी.वी. नरसिंह राव इस देश के प्रधान मंत्री थे। श्री कां.

[श्री एच.डी. देवेगौड़ा]

उस दिन मैं यहां मौजूद था जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और मैंने उनके विरुद्ध वोट डाली थी। उस दिन उन्होंने किसी भी तरह अथवा कोई भी तरीका अपनाकर सरकार बनाने की कोशिश की थी। आज वे मित्र जो इस देश में धार्मिक उपदेश और नैतिक शिक्षा देना चाहते हैं, जो श्री नरसिंह राव के विरुद्ध अपने उद्देश्य सिद्ध करना चाहते हैं, क्या उनकी सरकार में अपने पद का सुख नहीं भोग रहे थे। आज, प्रत्येक श्री नरसिंह राव के विरुद्ध यह कहकर उंगली उठाना चाहता है कि देवेगौड़ा श्री नरसिंह राव के हितों की रक्षा कर रहे हैं। यदि वह बीमार हैं और अस्पताल में हैं और यदि देवेगौड़ा उन्हें देखने जाते हैं तो वह उन्हें अधिक सम्मान और आदर दे रहे हैं क्योंकि वह अध्यक्ष का पद खो बैठे हैं, कां.सं.पा. के नेता का पद खो बैठे हैं। मैं उन्हें किसी प्रकार से छोटा दिखाने वालों में से नहीं हूँ। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। चाहे वह अपने पद पर विभिन्न राजनैतिक तरीकों को अपनाकर बने रहे अथवा नहीं, मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। उन्होंने देश को आर्थिक संकट से उबारा। मैं सभी का नाम लेकर कुछ नहीं कहने वाला लेकिन मित्रों, आप में से कुछ ने किस प्रकार उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, मैं इसे जानता हूँ। यद्यपि यह मेरी चिंता का विषय नहीं है, यद्यपि मैं जानता हूँ कि आज मैं पद-त्याग करने वाला हूँ लेकिन इस देश में मैत्री बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है। श्री नरसिंह राव जी को इन शब्दों से परिचित होना चाहिए। वह अपने अंतिम दिन व्यतीत कर रहे हैं इसलिए उन्हें इन शब्दों से अवश्य ही परिचित होना चाहिए। ये वे लोग हैं जिन्होंने उन्हें छुरा घोंपा है। मैं उन्हें छुरा घोंपने नहीं जा रहा हूँ। जिस दिन उन्होंने कां.सं.पा. के नेता के पद से त्याग-पत्र दिया था, वह बिल्कुल अकेले थे। मैं उनके घर यह जानने के लिए गया कि ऐसा क्यों हुआ?

जी हां, मैं श्री चन्द्र शेखरजी का आदर करता हूँ। मेरी श्री चन्द्रशेखर जी से मित्रता बहुत पुरानी है। मेरा उनके साथ पिछले 20 वर्षों से सम्बन्ध रहा है। वह एक वरिष्ठतम नेता हैं और मैं उनका आदर करता हूँ। चाहे मैं किसी पद पर था या नहीं, मैं उनके घर जाया करता था। उनके घर जाना पाप है, श्री नरसिंह राव के घर जाना पाप है, श्री रारद पवार जी से मिलना पाप है, लेकिन उनके अध्यक्ष से बारह बार मिलना पाप नहीं है। मैंने अपने जीवन में किसी की उपेक्षा नहीं की है। क्या मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर नहीं गया? क्या मैं श्री लालकृष्ण आडवाणी जी के घर नहीं गया? हमारे सार्वजनिक जीवन में कुछ मौलिक शिष्टाचार होने चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि हम पद पर बने रहने के लिए किसी को खुरा रखने की कोशिश कर रहे हैं अथवा चापलूसी कर रहे हैं। आपको अपने से बड़ों का आदर करने का प्रयास करना चाहिए। जिस पद पर मैं आज हूँ एक घंटे

तक और हूँ, वह उच्चतम पद है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि विश्व के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे, यहां बैठते थे और प्रधान मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाते थे। भाग्य ने मुझे यहां ला पटका और मुझे इस कुर्सी पर बिठा दिया। जब इस सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री शिवराज पाटिल बोल रहे थे तो मैं उनका भाषण सुन रहा था। उन्होंने जो कुछ बातें कहीं मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ।

महोदय, मैं कुछ विस्तार से बोलना चाहूंगा क्योंकि इस सभा में यह मेरा अंतिम भाषण है। मैं दूसरे सदन में चला जाऊंगा। मुझे यहां पांच वर्ष तक रहना है। ... (व्यवधान) मेरा सभी सदस्यों, वरिष्ठ नेताओं से अनुरोध है कि वह मुझे सहयोग दें। मैंने इस सभा में कई सदस्यों द्वारा बहुत गलत बोलने पर भी उन्हें कभी बीच में नहीं टोका। मैंने ऐसा कभी नहीं किया।

श्री दासमुंशी जी ने मेरे बंगलौर जाने और वापस लौटने की बात की।

श्री हन्ना मोस्लाह : अध्यक्ष महोदय ध्वनि व्यवस्था में कुछ खराबी है। इससे कुछ सुन पाने में कठिनाई हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें इसकी जांच करने के लिए कहा है। इसकी जांच की जा रही है। कृपया धैर्य रखें।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : श्री दासमुंशी, आप मेरे अच्छे मित्र हैं। आप मुझे कलकत्ता ले गए। कृपया अपने दिल को टटोलकर मुझे बताइए - कि पिछले दस माह में इस प्रधान मंत्री का कार्यनिष्पादन कैसा रहा। किस प्रधान मंत्री ने सात दिन तक लगातार उत्तर-पूर्व के राज्यों का दौरा किया है? युवा कांग्रेस के दिनों से आप यहां हैं। आप कट्टर कांग्रेसी हैं। मुझ आपकी संगठन के प्रति निष्ठा पर कोई प्रश्न नहीं उठाना है। लेकिन आप सच-सच बताइए। अपनी अन्तरात्मा की आवाज को न दबाएं। फिरोज गांधी जैसे भी व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने ससुर के प्रधान मंत्री होते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों को उद्घाटित किया था। यदि आप महसूस करते हैं कि समर्थन वापस लेने के आपके अध्यक्ष के निर्णय से तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को बल मिलने वाला है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। मुझे कोई खेद नहीं है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पिछले दस माह में अपने कर्तव्यों को निभाने के अतिरिक्त कुछ और नहीं किया है ... (व्यवधान) मैं उस पर आ रहा हूँ। कृपया धैर्य रखें।

महोदय, मेरे धर्मनिरपेक्ष होने पर संदेह किया गया। यह कहा गया कि कांग्रेस कार्यकारी समिति यह नोटकर खेद व्यक्त करती है कि संयुक्त मोर्चा सरकार धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट रखने के लिए आवश्यक नेतृत्व प्रदान करने में और साम्प्रदायिक ताकतों

को दबाने में असफल रही है। क्या पंजाब में उनकी हार के लिए मैं जिम्मेदार हूँ? नगर-निगम के चुनावों अथवा महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनावों में उनकी हार के लिए क्या मैं जिम्मेदार हूँ? क्या मेरे गृह राज्य में मेरे द्वारा खाली किए गए स्थान पर जहाँ उप-चुनाव में भा.ज.पा. की जमानत तक रह गई और कांग्रेस की जीत हुई, के सिवाय सभी उप-चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवारों की हार के लिए मैं जिम्मेदार हूँ? मैं यह नहीं कहना चाहता कि भा.ज.पा. और कांग्रेस मिल गए हैं। भा.ज.पा. को 1996 में संसदीय चुनावों में 23,000 वोट मिले और विधान सभा के चुनावों में 27,000 वोट मिले। उनकी जमानत जस्त हो गई और वे धर्म निरपेक्षता के विरुद्ध लड़ाई में एक साथ आगे बढ़े।

श्री पी.आर. दासमुंशी आपने यह राय जानकारी के अभाव के कारण बनाई होगी। मैं इस कार्यकारी समिति के संकल्प की मंशा के बारे में पूछना चाहूंगा। श्री मुलायम सिंह जी यहां मौजूद हैं। राज्य सभा के लिए तीन उप-चुनाव हुए। कांग्रेस को 30 वोट मिले, बसपा को 66 और जनता दल को आठ वोट मिले। यदि उन्होंने ये 104 वोट नहीं काटी होती तो क्या जनता दल, कांग्रेस और ब.स.पा. सहित इन तीन पार्टियों के लिए यह संभव हो सकता था कि वे भा.ज.पा. के तीन अधिकृत उम्मीदवारों को हरा पातीं। आप मुझे बताएं। समर्थन वापस लेने पर खेद व्यक्त न करें। समर्थन वापस लेने पर चिंतित न हों। इसके लिए अब कोई लीपा-पोती न करें। यह संभव नहीं है। देश को असलियत का पता लगाने दें।

मैं इस सभा में पुनः मीडिया द्वारा - संपादकीय कालम अथवा 'संपादक के नाम पत्र' में की गई प्रशंसा को उद्धृत नहीं करना चाहता। अब मैं सरकार के कार्य-निष्पादन और सरकार की कार्य कुशलता के बारे में कांग्रेस (आई) अध्यक्ष द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों पर आ रहा हूँ।

सर्वप्रथम, मैं कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहूंगा क्योंकि सुबह मैं राजनैतिक भाषण देना नहीं चाहता था। कुछ लोगों, की यह धारणा थी कि मैं अवसादपूर्ण मन-स्थिति में हूँ। नहीं मैंने श्री चन्द्र शेखर से प्रशिक्षण लिया है। मुझे कभी भी पद की कोई चिंता नहीं होगी। मैंने उनकी सलाह के विरुद्ध तीन-बार त्याग-पत्र दिया है। आज, मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस दिन मुझे राष्ट्रपति जी के कार्यालय से समर्थन वापस लिए जाने का पत्र मिला था, मैंने तभी अपना त्याग-पत्र दे दिया होता। लेकिन, तुरन्त अगले दिन, संयुक्त मोर्चे के सभी दलों के नेता यहां एकत्र हुए और उन्होंने कहा, "नहीं, त्याग-पत्र नहीं देना चाहिए। आपको सभा के समक्ष जाना चाहिए। हमें जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन कितने पानी में है।" संयुक्त मोर्चे के इस निर्णय के सामने मैंने

अपना सिर झुका लिया। उनके समर्थन के कारण ही मुझे नेता चुना गया था और मैं कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रहा था। मेरी यही पृष्ठभूमि है।

पिछले ग्यारह माह में, मैंने कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए कभी भी किसी सार्वजनिक सभा में कुछ नहीं कहा। मैंने करीब 66 बैठकों को उत्तर प्रदेश में सम्बोधित किया होगा जहां लोक सभा चुनावों में भा.ज.पा. को 236 विधान सभा क्षेत्रों का स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था। विधान सभा चुनावों में उन्हें लगभग 176 सीटें प्राप्त हुईं। श्री पी.आर. दासमुंशी जी क्या यह कोई उपलब्धि नहीं है?

श्री पी.आर. दासमुंशी : प्रधानमंत्री जी, आपने उस समय धर्म-निरपेक्ष ताकतों को एकजुट करने का प्रयत्न नहीं किया।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : आपको पता नहीं है। इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। ... (व्यवधान)

मैं सभी बातों को खुलासा नहीं करना चाहता क्योंकि यदि मैं सभी बातों को विभिन्न अवस्थाओं में मैंने क्या किया, कहते हुए बताऊंगा तो यह मेरी दृष्टि में अनैतिक होगा। ... (व्यवधान)

श्री पी.आर. दासमुंशी : मैंने पूरी तरह से आपको दोषी नहीं ठहराया है (व्यवधान)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : श्री पटवा, कृपया मुझे बीच में मत टोकिए।

अध्यक्ष महोदय, जब अन्य लोग बोल रहे थे, तो मैंने उन्हें बीच में नहीं टोका। अब उन्हें मुझे, प्रधान मंत्री के रूप में, जाने वाले प्रधान मंत्री के रूप में, इस माननीय सभा में अपने विचार व्यक्त करने का मौका देना चाहिए।

महोदय, किसी ने मुझे बताया था, शायद मेरे गृह मंत्री ने मुझे बताया था कि आरोप लगाया गया है कि प्रधान मंत्री कांग्रेस पार्टी का विभाजन करना चाहते थे। श्री माधवराव सिंधिया जब कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते थे तब वह मेरे पास आए थे क्योंकि उस समय वह संयुक्त मोर्चे में थे। क्या मैंने उन्हें कांग्रेस में शामिल होने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए नहीं कहा था? कृपया उन्हें बताने दें। ... (व्यवधान) कृपया मुझे बोलने दीजिए।

श्री माधव राव सिंधिया (ग्वालियर) : आप बहुत ही सज्जन आदमी हैं। लेकिन चूंकि आपने मेरा नाम लिया है तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरा आपके साथ बहुत ही अच्छा तालमेल रहा है। लेकिन मैं आपके पास आपको शिष्टाचार के नाते बताने आया था कि मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। मैंने आपकी अनुमति नहीं मांगी थी।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : इसमें मेरी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप आए थे और आपने यह बात बताई तो, आपने राजनैतिक मूल्यों और उनकी गरिमा को बनाए रखा। उस समय आप संयुक्त मोर्चे में थे और आप आए और मुझे इसकी सूचना दी। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था : “कृपया जाइए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाइए; मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।” क्या मैंने ऐसा नहीं कहा था?

श्री माधवराव सिंधिया : मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने जब इसकी सूचना आपको दी थी, आपने कहा था, “जरूर, निश्चित रूप से।”

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : धन्यवाद।

श्री एन.डी. तिवारी और श्री अर्जुन सिंह जी ने जब मुझसे कहा कि वे कांग्रेस पार्टी में वापस जा रहे हैं क्योंकि श्री पी.वी. नरसिंह राव को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। मैंने कहा था, “जाइए, आपका ऐसा करने के लिए स्वागत है और इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।” क्या मैंने कांग्रेस पार्टी को विभाजित करने का प्रयत्न किया है? कोई भी कह सकता है।

महोदय, एक अन्य आरोप यह लगाया गया है कि देवेगौड़ा कांग्रेस पार्टी के महत्व को कम करना चाहते थे। जब श्री शरद पवार जी ने मुझसे अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कहा था तो क्या मैंने उनसे ‘नहीं’ कहा था। यहां तक कि श्री संतोष मोहन देव के निर्वाचन क्षेत्र में, भूतपूर्व अध्यक्ष के निर्वाचन क्षेत्र में जब भी मुझे बुलाया गया मैं वहां गया। मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक में नहीं गया क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी और मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मनमुटाव नहीं चाहता था। मैं जब भी स्थानीय संसद सदस्यों द्वारा निर्धारित सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों में गया, मैं कभी भी किसी पार्टी की बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। मैंने किस प्रकार कांग्रेस पार्टी के महत्व को कम किया है? मैं नहीं जानता कि मैंने क्या पाप किया है?

महोदय, सुबह विपक्ष के माननीय उप नेता श्री जसवंत सिंह जी ने बहुत ही शालीनता से उस भाषा का उल्लेख करने का प्रयत्न किया था जो कि प्रधान मंत्री के विरुद्ध कांग्रेस (आई) अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की गई थी। जब प्रेस वालों ने इसके बारे में पूछा तो मैंने कहा कि “इस पर ध्यान न दें।” आज मैं इस सभा के माध्यम से इस राष्ट्र को वह भाषा बताना चाहूंगा जो माननीय कांग्रेस (आई) अध्यक्ष जो कि नेता बनने की इच्छा रखते हैं, ने प्रयोग की थी। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि सभा ऐसा

चाहती है, यदि मेरे सभी मित्र, कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्र चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

महोदय, मुझे हिन्दी के शब्द ‘निकम्मा’ का अर्थ मालूम नहीं है।

उन्होंने कहा था :

“आप मूर्ख कायर और शक्तिहीन हैं। जरा मैदान में आओ तो देखते हैं कि शक्तिशाली कौन है।”

उन्होंने हिन्दी में कहा था :

[हिन्दी]

“यह व्यक्ति निकम्मा और कम्युनल है।”

[अनुवाद]

यह आदमी केवल निकम्मा ही नहीं है बल्कि साम्प्रदायिक भी है।

पिछले दस माह में इस निकम्मे प्रधान मंत्री ने जो कुछ किया, उसे मैं इस सभा को तथा इस सभा के माध्यम से राष्ट्र को बताना चाहता हूँ। मैं माननीय अध्यक्ष का ध्यान ‘द हिन्दू’ समाचार पत्र के संपादकीय में छपे एक सम्पादकीय की ओर दिलाना चाहूंगा। आप सबने इसे देखा है। इसमें लिखा है :

“श्री देवेगौड़ा के शासन काल जैसा पिछले कई दशकों में कभी नहीं हुआ - मंत्रालयों को पर्याप्त स्वायत्तता वापस मिली। प्रधान मंत्री कार्यालय की भूमिका में पर्याप्त कमी आई। निर्णय लिए जाने वाले अनेक क्षेत्रों जैसे, विदेशी निवेश, को उद्योग को वापस सौंप दिया गया।”

मैंने प्रधान मंत्री कार्यालय की शक्तियों को प्रत्यायोजित किया क्योंकि मैं निकम्मा हूँ, निकम्मा और मूर्ख प्रधान मंत्री हूँ...(व्यवधान) कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं हैं। वे अखिल भारतीय कांग्रेस (आई) अध्यक्ष हैं। वे उस पद पर आसीन हैं जहां श्री मोतीलाल नेहरू, पं. जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसे महान लोग पदासीन रहे...(व्यवधान)

महोदय, ‘वाशिंगटन पोस्ट’ में लिखा है :

“भारत ने नए प्रकार के नेतृत्व का प्रदर्शन किया है जिसकी दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप में अत्यधिक आवश्यकता है। लेकिन अब भारत के प्रधान मंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा की पहल पर गंगा जल बंटवारे के संबंध में बंगलादेश और भारत का विवाद समाप्त किया जा रहा है। यदि गंगा समझौता श्री

देवेगौडा के नेतृत्व का एक उदाहरण है तो आगे देखते हैं क्या होता है।'

यह 'वाशिंगटन पोस्ट' में लिखा है। मैं पूरा संपादकीय लेख नहीं पढ़ने जा रहा हूँ।

महोदय, एक मूर्ख और निकम्मे प्रधान मंत्री ने राष्ट्र के लिए कुछ तो करने का प्रयत्न किया है। मैं दस माह तक निष्क्रिय नहीं बैठा रहा। मैंने इस सभा में विश्वास मत के उत्तर में जो कहा था, उसे याद दिलाना चाहूंगा। मैं जानता हूँ जो होने वाला है। चाहे मैं पाँच दिन के लिए रहूँ अथवा पाँच माह के लिए अथवा पाँच वर्ष के लिए, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। मैं प्रत्येक मिनट राष्ट्र के लिए कार्य करूंगा। यह मैंने प्रण लिया है। जी हाँ, मैं दिन में 18-19 घंटे काम करता हूँ। मुझे इस पर गर्व है। मुझे इस पद को छोड़ते हुए कोई खेद नहीं है। मुझे कोई खेद नहीं है। मैंने एक मिनट भी बेकार नहीं गंवाया है। जब भी मुझे अवसर मिला मैंने अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा कार्य किया।

वर्तमान कांग्रेस (आई) अध्यक्ष से किसी प्रमाणपत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने जीवन काल में दस चुनाव लड़े हैं। क्या उन्होंने कभी कोई सीधा चुनाव लड़ा है? मैंने राज्य सभा से चुना जाना क्यों चाहा। मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा। मुझे कांग्रेस के साथ छोड़ देने की आज्ञा थी क्योंकि श्री चन्द्र शेखर इसके शिकार रहे हैं, श्री वी.पी. सिंह इसके शिकार रहे हैं मुझे इस सबके बारे में जो पिछले समय में हुआ है, जानकारी थी। श्री नरसिंह राव इसके शिकार हुए। मैं सभी कुछ बताने जा रहा हूँ - कि किस प्रकार श्री मोरारजी देसाई जी के साथ कांग्रेस ने क्या व्यवहार किया और किस प्रकार श्री राज नारायण जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे और जो श्रीमती गांधी के विरुद्ध लड़े, को जनता दल को तोड़ने के लिए प्रयोग किया गया। आप यह जानते हैं, मैं इस बारे में जानता था और प्रत्येक इस बारे में जानता था। मैं सारा खेल जानता हूँ।

जब तक श्री नरसिंह राव अध्यक्ष रहे, कोई परेशानी नहीं हुई। जिस दिन श्री सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, मैंने उन्हें दोपहर के भोजन के लिए बुलाया था। मैंने आपके अध्यक्ष की कभी उपेक्षा नहीं की। मेरे घर में मेरी उनसे दो घंटे तक बातचीत हुई। उन्होंने मुझे वचन दिया और उन्होंने मुझे वरिष्ठ राजनेता के रूप में सलाह भी दी। परन्तु चौथे दिन मेरे एक मुख्य मंत्री डा. फारूख अब्दुल्ला, जिनके सहयोगी प्रो. सैफुद्दीन सोझ मेरे मंत्रिमंडल में हैं, जब श्री सीता राम केसरी जी से मिलने गए, तो उन्हें कहा गया कि वे संयुक्त मोर्चे सरकार में शामिल न हों क्योंकि मैं समर्थन वापस लेने वाला हूँ। चार दिन के भीतर ऐसा हो गया।

मैं जब इस सभा में आया था, मैंने भगवान का नाम लेकर शपथ ग्रहण की थी। श्री नरसिंह राव जी आप बहुत से कड़वे घुंटा पी सकते हैं, क्योंकि आप एक सज्जन व्यक्ति हैं। अब मैं समर्थन देने वाली पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई कम से कम कुछ शंकाओं के बारे में स्पष्ट करना चाहूंगा। मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि मैंने श्री सीताराम केसरी जी के अध्यक्ष बनने के बाद उनकी उपेक्षा की है। यह सच नहीं है बल्कि इसके पीछे कुछ और है। एक शीर्षक छपा है, जिसमें ठीक कहा गया है, भारत के बुजुर्ग जल्दी में : 'अभी अथवा कभी नहीं।' यह किसी भारतीय समाचार पत्र में नहीं छपा। यह 'लंदन टाइम्स' में छपा था।

यह कहा गया है कि हम पद-लोलुप हैं। लेकिन यहां प्रश्न सम्मान का है। हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष का पद एक ऊंचा पद है। कांग्रेस (आई) 105 वर्षों के पृष्ठभूमि वाली एक ऐतिहासिक राजनैतिक पार्टी है ... (व्यवधान) ठीक है, इसकी 111 अथवा 113 वर्ष पुरानी पृष्ठभूमि है ... (व्यवधान) यह वह स्थान है जहां पंडित जवाहर लाल नेहरू बैठा करते थे और आज मैं इस पर आसीन हूँ। मैं इसे कांग्रेस कहूंगा, कांग्रेस (आई) नहीं। कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जिसने स्वतंत्रता प्राप्त कराने में देश की सेवा की। इसने देश को चलाने, देश का विकास करने में, देश की सेवा की। सभी दृष्टिकोणों से इसने देश की सेवा की। अध्यक्ष बन जाना ही बड़ी बात नहीं है; सम्मान पाना प्रमुख है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद का कोई मान नहीं है, कोई दर्जा नहीं है। यदि वह यहां इस पद पर बैठते हैं तभी केवल उन्हें सम्मान और दर्जा प्राप्त होगा। यही कारण है कि यह कहा गया है कि बुजुर्ग नेता जल्दी में है ... (व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनने का धैर्य रखें।

... (व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन : मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूँ ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसमें टांग क्यों अड़ा रहे हैं? कृपया शान्त रहें। मैं इससे निपट लूंगा। आपको इसमें निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है।

प्रो. पी.जे. कुरियन, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है? किस नियम के अन्तर्गत आप इसे उठा रहे हैं?

प्रो. पी.जे. कुरियन : जी हां। माननीय प्रधान मंत्री ने यह कहा है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, 'जी, हां' कोई कारण नहीं है, 'जी, हां' कोई नियम नहीं है।

प्रो. पी.जे. कुरियन : माननीय प्रधान मंत्री ने यह कहा है ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे नहीं मानता क्योंकि जब आप कहते हैं "उन्होंने ऐसा कहा है", यह कोई नियम नहीं है।

... (व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन : कृपया, मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है। आपने कहा है : "उन्होंने यह कहा है" यह कोई नियम नहीं है।

प्रो. पी.जे. कुरियन : कृपया मुझे अनुमति दें। मैं आपसे मेरी बात सुनने के लिए अनुरोध कर रहा हूँ। मैं केवल एक मिनट लूँगा ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे सुनने का धैर्य रखिए। प्रधान मंत्री जी को इस पर बैठ जाना चाहिए।

... (व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन : माननीय प्रधान मंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का नाम लिया है। मैं इस पर आपका स्पष्टीकरण और विनिर्णय चाहता हूँ ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब तक कोई सदस्य बैठ नहीं जाता, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रधान मंत्री बैठ नहीं रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक वह बैठ नहीं जाते, मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

... (व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन : उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का नाम लिया है जो कि इस सभा के सदस्य नहीं है। आपका इस पर विनिर्णय क्या है? मैं केवल आपके विनिर्णय के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या प्रधान मंत्री कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का नाम ले सकते हैं, जो इस सभा के सदस्य नहीं हैं? क्या आप नहीं समझते कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है? ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

... (व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन : भूतपूर्व अध्यक्षों ने इस सभा में अनेक विनिर्णय दिए हैं। ऐसा व्यक्ति जो इस सभा का सदस्य नहीं है, उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। आपका विनिर्णय क्या है?

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कह सकते।

प्रो. पी.जे. कुरियन : माननीय अध्यक्ष को इस पर विनिर्णय देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : विनिर्णय किस पर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ: आपस किस नियम के अन्तर्गत अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं? आपने कहा : 'जी हां' मैंने कहा, 'जी, हां' यह नियम नहीं है। मैं यह नहीं मानता।

... (व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूँ? ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार का व्यवहार नहीं करिए।

... (व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन : मेरा कहना है कि वह शब्द प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जो कि प्रधान मंत्री बार-बार प्रयोग कर रहे हैं, जबकि वरिष्ठ सदस्य इस सभा में नहीं आ सकते हैं और अपने पक्ष में कुछ नहीं कह सकते ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे नहीं मानता। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति ने ऐसा पत्र लिखा, जिससे इस देश में अस्थिरता पैदा हो गई, उसने एक राजनैतिक अपराध किया है। ... (व्यवधान) मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। ... (व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन : माननीय प्रधान मंत्री जी ने 'बूढ़ा आदमी' शब्द का प्रयोग किया है। क्या ऐसे शब्द संसद में प्रयोग किए जाने चाहिए? मुझे केवल इस शब्द से आपत्ति है। ... (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : अगर सिर्फ यही आपत्ति है तो ठीक है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चन्द्र शेखर जी कृपया बैठ जाइए।

प्रो. कुरियन जी कृपया बैठ जाइए। आप इस तरह खड़े नहीं हो सकते। अगर आप अध्यक्ष की बात नहीं मानते तो

क्या मैं आपसे अपने नेता की बात मानने का अनुरोध कर सकता हूँ।

प्रो. पी.जे. कुरियन : मैं हमेशा आपकी बात मानता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने नेता की बात मानिए। वह अधिक महत्वपूर्ण है।

प्रो. पी.जे. कुरियन : आप यह क्यों नहीं देखते कि प्रधानमंत्री जी किसी वरिष्ठ व्यक्ति को एक 'बूढ़ा आदमी' कह रहे हैं?
...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं?

अब कैमरे चालू किए जाएं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं केवल एक बात कहता हूँ। भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त पत्र में मेरे विरुद्ध और संयुक्त मोर्चा सरकार के विरुद्ध बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। मुझे उन सभी का जवाब देना चाहिए। यह किसी व्यक्ति पर प्रहार करने का प्रश्न नहीं है। मेरी सरकार के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की स्थिति स्पष्ट करना मेरी जिम्मेवारी है। वह पत्र मेरे पास है और मैं उन सभी बातों का उत्तर दे रहा हूँ। उसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहूंगा। अगर मैं अपमान करना चाहता तो मेरे लिए यह कोई आवश्यक नहीं था कि इसके लिए बारह महीने लगाता। आपके लिए मेरे मन में बहुत आदर है, कुरियन जी। परन्तु यह निकम्मा और अकम्मा क्या है?

माननीय गृह मंत्री जी, समर्थन देने वाले दल से कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं, वे चाहते हैं कि उस पार्टी के माननीय सदस्य स्पष्टीकरण दें। वह कह रहे थे कि उन्होंने डेढ़ घंटे तक उनके नेता से बात की परन्तु कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा उन्हें केवल यही तर्क दिया गया था, "आपके नेता को पद त्याग देना चाहिए।" जब तक मैं पद नहीं छोड़ता वे कैसे पद पर आ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी इतना समझ सकते हैं। इसलिए समर्थन देने वाले दल से किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता कहां थी?

उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मैं बहुत ही स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 महीनों में कांग्रेस पार्टी के किसी सदस्य ने उस सदन में या सदन से बाहर आलोचना नहीं की है - मैं उनका आभारी हूँ। एकमात्र इच्छा यह है कि कोई और इस कुर्सी पर बैठे और मैं इसे खाली कर दूँ। इसके पीछे यही रहस्य है। जब उन्होंने माननीय गृह मंत्री को यह कहा कि "आपके नेता को प्रधान मंत्री का कार्यालय छोड़ देना चाहिए।" तो कोई गलत नहीं

कहा था। कांग्रेस अध्यक्ष ने गृहमंत्री को यह समझाने की कोशिश की थी तो मुझे इसमें कोई गलती नहीं लगी। उन्होंने इस मामले से मुझे अवगत नहीं करवाया; उन्होंने इस मामले के बारे में सदन को सूचित किया था।

माननीय विदेश मंत्री जी ने हमारे विदेशी मामलों, विदेश नीति और जो कुछ हमने किया उसके संबंध में एक संक्षिप्त भाषण दिया है। उन्होंने हमारी सरकार की कुछ उपलब्धियों का उल्लेख किया है। जब मैं रूस में था तो मुझे एक साथी श्री श्रीकान्त जेना, संसदीय मामलों के माननीय मंत्री, से यह संदेश मिला था कि पूरी संभावना है कि कांग्रेस अपना समर्थन वापिस ले लेगी। मैंने उनसे कहा, "मैं वापिस आ रहा हूँ। अगर वे अपना समर्थन वापिस ले रहे हैं तो आपको चिन्ता क्यों हो रही है। आखिरकार, जब तक मैं इस पद पर आसीन हूँ, मुझे अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, चाहे मैं पद पर रहूँ या नहीं।"

मैं भाग्य में विश्वास रखता हूँ। स्वर्गीय श्री नीलम संजीव रेड्डी जी को 1969 में पद से हटाया गया था। वे 1978 में पुनः उस पद पर आसीन हुए। उन्होंने 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को इस पद की शपथ दिलाई थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें समय के बारे में कहा था।

मैं भारतीय राजनीति से दूर नहीं भाग रहा हूँ। हो सकता है मैं इस सदन में सफल न समझा गया होऊँ। मुझे कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा एक अक्षम प्रधानमंत्री का नाम दिया गया है परन्तु अंतिम निर्णय राष्ट्र के समक्ष है और 95 करोड़ लोग आज हमें देख रहे हैं। एक अक्षम प्रधानमंत्री इस चुनौती को स्वीकार करता है। मैं जनता के समक्ष जाऊंगा और मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ।

तीन समूह हैं। भाजपा भी कोई एकमात्र बड़ी पार्टी नहीं है। श्री वाजपेयी जी के लिए मेरे मन में बहुत आदर है। वे वरिष्ठतम नेता हैं। जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे केवल बजट को पारित करने में हमारी मदद करने का अनुरोध किया था।

ऐसा इसलिए कि मैं इसके बारे में बहुत चिंतित हूँ। हमने कई नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। पहली बार एक अक्षम प्रधानमंत्री ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। गंदी बस्तियों की सफाई के लिए हमने 330 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। गत वर्ष उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए 250 करोड़ रुपये खर्च किए थे। मैं भी राजनीति में हूँ। मैं कोई नया आदमी नहीं हूँ। केन्द्रीय बजट में जब गंदी बस्तियों के लिए धन का आबंटन किया गया था तब हमने कई कार्यक्रम शुरू किए थे। कल्याण मंत्री यहां उपस्थित हैं। कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष कल्याण मंत्री भी थे। मैं यह बात सुनिश्चित करने के लिए काफी उत्सुक हूँ कि चाहे मैं पद छोड़ दूँ फिर भी लोगों को लाभ मिलना चाहिए।

[श्री एच.डी. देवेगौड़ा]

हमने सब्सिडाइज्ड फूड कार्यक्रम शुरू किया है। मैं समझता हूँ कि यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे तीन चार राज्यों में ही चल रही है। हमने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है जिसके लिए हमने इस साल के बजट में 7,500 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। क्या यह एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है? जिन वरिष्ठ नेताओं ने आज बोला उन सभी ने यही पूछा कि उन्होंने बजट पारित करने से पहले 30 मार्च का दिन ही क्यों चुना? वे अपना समर्थन वापिस करने का निर्णय बजट पारित होने के बाद, महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के पश्चात् - जिस पर मेरी बहनें मुझ पर आरोप लगा रही थीं, लोकपाल विधेयक पारित होने के पश्चात् 9 या 10 मई को ले सकते थे। मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वे अपना समर्थन 10 मई को वापिस लेते तो कोई विपत्ति नहीं आ जाती। आपको इससे क्या मिला। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है?

महोदय, जब मैं इसी सदन में बैठा था, तो भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने इसी जगह यह कहा था कि हम किसानों को सब्सिडी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि सब्सिडी को तीन वर्षों में चरणबद्ध कार्यक्रम द्वारा हटा दिया जाएगा। उन्होंने यह इसी सदन में कहा था। मैंने उस स्थान से बहस की थी। जब मैं उस स्थान से बहस कर रहा था, तो उस समय श्री शिवराज पाटिल इस सदन के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा, "आगामी तीन वर्षों में हम एक चरणबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत हम सब्सिडी को समाप्त करने वाले हैं क्योंकि मुझे वित्तीय घाटे के बारे में सोचना है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऐसा करने के लिए कह रहा है।" जो कुछ उन्होंने उर्वरक सब्सिडी के बारे में इस सदन में कहा था वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया गया है। संसद आने से पहले पन्द्रह दिनों के अंदर मैंने अपने किसानों को 2,500 करोड़ रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया था। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हम विश्वासघात करने वाले हैं? यह आपका ख्याल है। अपने किसानों की समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी रखते हुए मैं आज आपसे यह कहना चाहता हूँ कि वे समाज का एक शोषित वर्ग हैं। मैं इसे इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं समुदाय से आया हूँ और यह कोई जाति नहीं है। यह एक वर्ग है। इस वर्ष हम कुछ और आगे बढ़े हैं, हमने इस वर्ग के लिए खाद्य सब्सिडी और उर्वरक सब्सिडी सहित लगभग 17,500 करोड़ रुपये प्रदान करने की कोशिश की।

महोदय, इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 32 करोड़ लोगों को लाया जा रहा है। क्या यही पाप मैंने किया है? मेरे विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि इस प्रधानमंत्री ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की तरफ ध्यान नहीं दिया है। अपने दिल पर

हाथ रखकर विश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध वोट दो। अपने दिल पर हाथ रख कर कोई निर्णय लो।

अगर मैंने राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया है तो वे चाहे मुझे फांसी लगा दें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आपको पूरा अधिकार है।

महोदय, अल्प संख्यकों जिन्हें उन्होंने वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया है - के बारे में मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से इस वर्ष कम से कम 100 करोड़ रुपये प्रदान करने का अनुरोध किया था। उन्हें ऊपर उठाना इतना आसान नहीं है और हम उन्हें इस स्थिति में छोड़ने वाले नहीं हैं। श्री अंतुले जी ने इस सदन में यह शपथ ली थी कि वे समर्थन वापिस नहीं लेने वाले हैं और मेरा साथ देंगे। वे पार्टी के विपक्ष के अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं; मैं उनकी कोई गलती नहीं निकाल रहा। उन्होंने अपनी सही भावनाओं को व्यक्त किया है।

हमने पहली बार उन लोगों का ध्यान रखा है जिनका जनजातीय क्षेत्रों में बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता रहा था। वहां साक्षरता दर दो से कम या ढाई प्रतिशत है। श्री भूरिया जी यहीं कहीं बैठे हैं; वे उनके प्रतिनिधि हैं और वे मुझे जनजातीय लोगों की संगोष्ठी में ले गए थे। उनका कहना है कि मैंने कांग्रेस को हाशिए में ला दिया है। मैंने वित्त मंत्री जी को कहा कि कम से कम 250 आवासीय स्कूल खोले जाएं। क्या यही पाप मैंने किया है जिसके लिए वे मुझे सजा देना चाहते हैं।

मैंने श्री नरसिंहा राव जी को कहा कि जब भी उन्हें लगे कि उनकी पार्टी सही स्थिति में है तो वे मुझे कह सकते हैं और मैं उन्हें त्याग पत्र दे दूंगा। मैं झगड़ा नहीं करना चाहता था। वे इस समय सदन में भी बैठे हैं। मैंने श्री केसरी जी को भी कहा था कि वे बार-बार सहयोग वापिस लेने की बात न करें; जब भी उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी सत्ता में आने की सही स्थिति में है तो वे मुझे कह सकते हैं और मैं उन्हें त्याग पत्र दे सकता हूँ। परन्तु वे मेरे विरुद्ध इस प्रकार का आरोप क्यों लगाते हैं? वे मुझसे यह कह सकते थे, "श्री गौड़ा जी, हम समर्थन वापिस लेना चाहते हैं।" अगर उन्होंने एक भद्र पुरुष की तरह कहा होता तो मैं अपने सदस्यों से इस मामले को आगे न बढ़ाने के लिए कहता और हम इस अध्याय को यहीं समाप्त कर देते।

सबसे पहले यह बताइए क्या मैंने उनका समर्थन मांगा था? उन्होंने 12 तारीख को, कांग्रेस (आई) कार्यकारी समिति ने बिना किसी के कहे और बिना किसी के अनुरोध के स्वयं ही एक निर्णय ले लिया था, हमें सहयोग देने का निर्णय ले लिया था। उस दिन उन्होंने राष्ट्र को बताया कि वे किसी जातीय दल को सत्ता

में आने की अनुमति नहीं देंगे। परन्तु आज उन्होंने क्या किया? उनके निर्णय का क्या परिणाम है?

अब वे एक नए नेता की तलाश कर रहे हैं। क्या आप संयुक्त मोर्चा सरकार को विभाजित करना चाहते हैं? जब वे मुझे कांग्रेस पार्टी को विभाजित न करने की बात कहते हैं तो उनका यह नैतिक अधिकार कैसे हो जाता है कि वे मेरी संयुक्त मोर्चा सरकार को विभाजित करें? वे सीधे यह कह सकते हैं कि इसी स्थिति के कारण ऐसा कर रहे हैं। हां, श्री वाजपेयी जी ने कहा था कि हम चुनाव करवाएंगे। इसके लिए कौन जिम्मेवार है। अगर उनमें नैतिक साहस होता तो उन्हें यह बात इस सदन में कहनी चाहिए थी। उन्हें गंदी राजनीति नहीं खेलनी चाहिए। क्या वे हरेक से अलग-अलग संपर्क करना चाहते हैं? वे कहते हैं कि अब संयुक्त मोर्चा सरकार का पतन हो गया है और वे इसके हरेक सदस्य को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे; वे उन्हें एक चुंबकीय शक्ति की तरह आकर्षित करना चाहते हैं, मान लो संयुक्त मोर्चा सरकार उस चुंबकीय शक्ति से आकर्षित होने के लिए तैयार ही हो।

अगर उनमें नैतिक साहस है तो हम लोगों के सामने जाने तथा उनकी बात मानने को तैयार हैं। वे उन्हें बता सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। वे उन्हें बता सकते हैं कि देवेगौड़ा की सरकार एक धर्म निरपेक्ष सरकार नहीं है। यह एक अक्षम सरकार है। वे लोगों के पास जा सकते हैं। वे नए नेता का चुनाव क्यों करना चाहते हैं? वे आज खोज कर रहे हैं मान लो उन्हें रक्षा मंत्री में कोई नया गुण दिख गया हो।

रात्रि 11.00 बजे

क्या आपने मेरे रक्षा मंत्री में नए गुण देखे हैं? आप हमें तोड़ना चाहते हैं। यह संभव नहीं है। हम आपकी रणनीति समझ गए हैं। यह एक राजनैतिक रणनीति है। हम इसको समझ चुके हैं।

हमें पूरे दिल से यह बात मान लेनी चाहिए कि आपने गलती की है। अगर मैंने कोई गलती की है तो लोग मुझे सजा दे सकते हैं। मैं इस देश के लोगों के अंतिम राजनैतिक फैसले को सुनने के लिए तैयार हूँ। हां, मैं बार-बार चुनाव करवाने से होने वाले वित्तीय भार को समझ सकता हूँ। मैं यह समझ सकता हूँ कि इससे होने वाली वित्तीय देयता क्या होगी। परन्तु यह मुद्दा थोपा गया है। आपने इस मुद्दे के द्वारा हमें चुनाव करवाने के लिए मजबूर कर दिया है। हम चुनाव नहीं करवाने वाले थे। अब आप मुझे एक अक्षम और एक ऐसा प्रधानमंत्री कहकर फांसी देना चाहते हैं जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास न रखता हो। तो, ठीक है। परन्तु आप किसी अन्य व्यक्ति की खोज करना चाहते हैं।

मैं श्री बाला साहेब ठाकरे से मिला हूँ। श्री अंतुले जी आपने कहा था कि मैं उनके राजदूत के रूप में काम करने वाला हूँ। श्री वाजपेयी जी मैं भी एक राजनैतिक भाषण दे सकता हूँ। आप हमें यह बताना चाहते हैं कि किसी गठबंधन सरकार में कैसे काम किया जाता है? मैं कह सकता हूँ कि एक वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार का क्या हुआ? राजनैतिक नैतिकता की बात मत कीजिए। इस देश की प्रत्येक राजनैतिक पार्टी सत्ता में आने के लिए अधिक उत्सुक है। ... (व्यवधान)

हां, मैं कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ा था। मैं कोई राजनैतिक संयासी नहीं हूँ। परन्तु मैंने कभी इस पद पर आने के लिए कभी अकांक्षा नहीं की थी। मैं सच्चाई नहीं छिपाना चाहता। अगर आप सभी निष्ठावान हों तो कोशिश करके देख लें।

हम एक राजनैतिक ताकत हैं। हममें से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। क्या जनता दल एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। क्या सी.पी.आई. एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। क्या सी.पी.आई.(एम.) एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका चार-पांच राज्यों में प्रभाव है। बादल गुप के बिना पंजाब में भाजपा की स्थिति क्या है? श्री चन्द्र शेखर जी कृपया बताइये कि वास्तविकता क्या है? आप अपने निष्ठावान मित्रों को बचाना चाहते हैं। परन्तु इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम सभी वर्गों से संपर्क कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको इतना लगाव है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अगर मेरे भाग्य में होगा कि मैं भारतीय राजनीति की धूल से फिर उठूँ तो मैं दुबारा इसी ताकत से वापिस आऊंगा। मैं यही साबित करना चाहता हूँ।

मैं किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं डरता जो धींस वाली राजनीति का खेल खेलना चाहता है। मैं बाहर से बहुत ही नम्र व्यक्ति हो सकता हूँ परन्तु जब मैं लड़ाई शुरू करता हूँ तो मैं दिखा देता हूँ कि मैं क्या हूँ, जैसा कि मैंने कर्नाटक में दिखाया था। अब, मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि देवेगौड़ा संयुक्त मोर्चा के सहयोग के साथ क्या है? कोई इसमें दरार डालना चाहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर इसमें दरार आ जाती है तभी वे आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि वे ही एकमात्र वैकल्पिक पार्टी हैं। परन्तु हम उन्हें दरार नहीं डालने देंगे। आप भी इकट्ठा होइए और लड़िए। श्री राजेश पायलट जी, अगर एक निष्ठावान पार्टी कार्यकर्ता के रूप में आप रक्षा करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपसे पूछ रहा था कि आपने जो मुझे पत्र लिखा है वह क्या था? मुझे पता है कि आपके पास वह कहने का साहस है और आपने वह कहा था परन्तु मैं उसके ब्यौरे जानना नहीं चाहता।

[श्री एच.डी. देवेगौड़ा]

अब सवाल यह है कि किन परिस्थितियों में मैं प्रधानमंत्री बना था। एक तरफ सी.बी.आई. की जांच चल रही थी। ... (व्यवधान)

एक तरफ सी.बी.आई. की जांच चल रही थी।

कर्नल राव राम सिंह (महेन्द्रगढ़) : कौन सी जांच?
... (व्यवधान)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : कई मामले हैं। मैं उनके ब्यौरों में नहीं जाना चाहता। मेरे पास सभी ब्यौरे हैं। ... (व्यवधान) मैंने किसी भी मामले की जांच के लिए सी.बी.आई. को आदेश नहीं दिया है। मैंने पिछले दस महीनों के दौरान किसी भी राजनेता के विरुद्ध किसी भी मामले का आदेश नहीं दिया है। ये सभी पिछले मामले थे। ... (व्यवधान)

कर्नल राव राम सिंह : प्रधानमंत्री जी, श्री राजेश पायलट के उस पत्र में क्या है?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं प्रत्येक मामले के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। मैं इस माननीय सदन को और इस सदन के माध्यम से राष्ट्र को यह बताना चाहता हूँ कि पिछले दस महीनों में मैंने किसी के विरुद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया, या कोई जांच नहीं करवाई या सी.बी.आई. द्वारा जांच नहीं करवाई। परंतु मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। सदन को यही आशा रही है। अपने मुख्यमंत्री काल में भी मैंने किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। इससे मेरी अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल है। सभी बातें ठीक हो रही हैं या नहीं मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे साफ सुथरी छवि पेश करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी से किसी ने सी.बी.आई. की जांच के बारे में मुझसे नहीं पूछा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ।

30, 30, 30 ये 30 क्या है? कुछ अखबारों में इसे 4, 4 और 30 लिखा गया है। 4 और 30 ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह 4 क्या है?

... (व्यवधान)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : जब मामला न्यायालय में है तो मैं कोई ब्यौरे नहीं देना चाहता। मैं इस स्थिति में कुछ नहीं कहूंगा। ... (व्यवधान)। चूंकि यह मामला न्यायालय के समक्ष है इसलिए मैं न्यायालय के इस मामले पर कोई विवरण या ब्यौरे नहीं देना चाहता। उससे पहले तो सरकार ही चली जाएगी। मैं क्या कर सकता हूँ? किन परिस्थितियों में मुझे प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा गया है?

जब मैं श्री नरसिंहा राव जी से मिलने गया तो उन्होंने कहा, 'आपने बहुत बड़ा काम स्वीकार किया है। यह बहुत कठिन काम है।' यह उन्होंने अनुभव के आधार पर कहा था। उन्होंने वह सलाह दी थी मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मुझे सहयोगी दलों द्वारा कोई समस्या नहीं है। हां चाहे एकजुट रहने की जिज्ञासा नहीं है, मैं भी सहमत हूँ। यह भी एक आरोप है। मंत्रियों के बीच एकजुट रहने की प्रवृत्ति नहीं है। क्या पिछले पांच वर्षों में उनके बीच ऐसी प्रवृत्ति थी, श्री राजेश पायलट जी?

श्री राजेश पायलट : मैंने इस बारे में कुछ नहीं कहा ... (व्यवधान)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : आप गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं इस बारे में यहीं बात समाप्त करना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी ने भी वह टिप्पणी की थी। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। अगर उस उच्च पद पर आसीन होकर वे ऐसा कहते हैं तो हमें अपने सिर झुकाने पड़ेंगे। उन्होंने मुझे सलाह दी थी। अगर एक पार्टी में आपको ऐसी बातें दिखाई देती हैं तो मुझे तो 13 पार्टियां संभालनी पड़ती हैं। आपको कुछ छूट तो देनी चाहिए। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : श्री जार्ज फर्नांडीज बैठे हुए हैं। वे मेरे पुराने मित्र हैं। आज मैं सोच रहा था कि आप बोलेंगे, परंतु आपने श्री नीतीश कुमार जी को बोलने का मौका दे दिया। आप अपने पुराने मित्र की आलोचना नहीं करना चाहते। कम से कम आपने इतनी शिष्टता तो दिखाई।

महोदय, एक तरफ तो एन्फोर्समेंट निदेशालय है। महोदय, आज न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि जांच एजेंसी न्यायालयों को सीधे रिपोर्ट करें। अगर किसी को मुझ पर संदेह है तो मैं क्या कर सकता हूँ? श्री संतोष मोहन देव जी मुझे सलाह दें। एक तरफ जनसंचार माध्यम कहता है कि देवेगौड़ा जी श्री नरसिंहराव के घर में 28 बार गए; देवेगौड़ा जी भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के घर आधी रात, 2 बजे गए थे। पिछले दस महीनों में मुझे यह सभी बातें सुनकर बड़ा आनंद आया। ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको इन बातों से आनंद कैसे आया। ... (व्यवधान)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : आपके समर्थन वापिस लेने से मुझे कोई दुख नहीं है। परीक्षाकाल समाप्त होने के पश्चात, हम अपने

विचारों के आदान-प्रदान के लिए केंद्रीय कक्ष में मिलेंगे। पहले तीनों दलों की परीक्षा हो जाए।

महोदय, सभी 21 तारीख को लेखानुदान और वित्त विधेयक पारित करने पर सहमत हो गए। इन दस दिनों में कोई राजनैतिक दिखावा न करें। ऐसा करने की कोशिश भी न करें। मैं भी उन्हें वचन दूंगा कि उनकी कोई जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया।

इस देश के प्रधानमंत्री को, चाहे कोई भी हो, एक बार उसके पद की मान और मर्यादा चली जाए तो उसे किसी की दया पर प्रधानमंत्री बने नहीं रहना चाहिए। हमें अब और क्या चर्चा करनी है। श्री गुजराल जी आप किस साहस के साथ बाहर जाना चाहते हैं? कोई आपकी ओर उंगली उठा रहा है। आप चरिष्ठतम नेता हैं। मैं यह बात स्वीकार करता हूँ पर इन परिस्थितियों में नहीं।
...(व्यवधान)

श्री इंद्र कुमार गुजराल : मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : इस देश के प्रधानमंत्री की जो 95 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। जब वह बाहर जाता है तो उसका देश के प्रधानमंत्री के रूप में कुछ मान सम्मान होना चाहिए न कि इस तरह का पट्टे पर दिया गया जीवन, मैं ऐसा नहीं चाहता। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने सारे सहयोगियों से अपील करता हूँ कि मैंने आपके साथ विश्वासघात नहीं किया है। मैंने देश के साथ कभी विश्वासघात नहीं किया है। पिछले दस महीनों में मैंने अपनी सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के किसी भी मामले का आरोप नहीं लगने दिया। लोगों के सामने पूरे साहस और विश्वास के साथ जाइए। पैसा ही कोई मापदंड नहीं है। मैंने इन दस महीनों में किसी उद्योगपति से किसी तरह का कोई घोटाला करने को नहीं कहा।

महोदय, मुझे विश्वास है। मुझे भाग्य में विश्वास है।

अंत में, मैं गीतांजलि से उदाहरण देना चाहूंगा। मैं पहली बार उद्धरण दे रहा हूँ। श्री चिदंबरम जी ने तमिल में हमेशा थिरुकुराल का उद्धरण दिया है।

यह गीतांजलि से है।

“लीव दिस चैंटिंग एण्ड सिंगिंग एण्ड टेलिंग आफ बीइस!

हूम दो दाओ वरसिप इन दिस लोनली डार्क कॉर्नर आफ ए टेम्पल विथ डोर आल शट?

ओपन दाइन आइस एण्ड सी दाए गाड इज नोट बिफ़ेरे दी।”

भगवान इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री गढ़वी जी, आपको अपना ज्ञान दिखाने की कोई जरूरत नहीं।

... (व्यवधान)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : माननीय सदस्यों मैं केवल अपने लिए ही बोल रहा हूँ। ... (व्यवधान)

कृपया इंतजार करें। इतनी जल्दी न मचाएं ... (व्यवधान)

“वह वहां है जहां किसान सख्त जमीन खोद रहा है और जहां रास्ता बनाने वाला पत्थर तोड़ रहा है। वह भूप और वर्षा में उनके साथ है और उसके कपड़े धूल से सने हैं। अपना धार्मिक लबादा उतार दो और उसकी तरह धूल वाली जमीन पर उतर आओ।”

इस सरकार ने कई योजनाएं शुरू करके लोगों का ख्याल रखा है। मैं भगवान को नहीं देख सकता। मुझे वह आध्यात्मिक शक्ति नहीं मिली है। मैं एक साधारण सा मानव हूँ। मैं भगवान को अपने लोगों के माध्यम से देख सकता हूँ जो इस देश में सबसे अधिक पीड़ित हैं। मेरा सिद्धांत, ‘जनता जनार्दन’ है। मैं इसी के लिए काम करूंगा। वे किस तरह के लोग हैं?

“अपनी साधना से बाहर आओ और अपने फूलों और अगरबत्ती को अलग रख दो! क्या होगा अगर तुम्हारे कपड़े फट जाएं और गंदे हो जाएं? उससे मिलो और खेती में उसके साथ रहो और अपना पसीना बहाकर देखो?”

यही मेरी धारणा है। मैं औरों को प्रलोभन नहीं देना चाहता। मेरे पूरे जीवन का उद्देश्य उन लोगों की सेवा करना रहा है जिन्हें पिछले 50 वर्षों से अनदेखा किया गया है। श्री चन्द्रशेखर जी ने पदयात्रा की थी। उन्हें इस सदन में बजट प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। परंतु मैंने अपना मौका नहीं खोया। मैं जानता था कि मेरे ऊपर तलवार लटक रही है। जो कुछ मैं हूँ मैं उसे साबित करना चाहता था। यह सब मेरे साथी, वित्त मंत्री जी के सहयोग से साबित किया जा चुका है और मैंने इसी प्रकार किया है। इसको लागू किया जाना इस सदन का काम है। अगर प्रत्येक सहयोग करेगा, जैसा कि उन्होंने वित्त विधेयक पारित करने पर अपनी सहमति दी है तो मैं आभारी रहूंगा।

मैं आप सभी का और इस देश का फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ। जब इस मुद्दे को जल्दबाजी में निर्णय लेकर लागू किया था तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। देश बोल रहा था। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमने सारी समस्याओं का समाधान नहीं

[श्री एच.डी. देवेगौड़ा]

किया है। हम दस महीनों के समय में कुछ करना चाहते थे। कम से कम देश ने संभावित स्थिरता महसूस करनी शुरू कर दी थी। देश आगे बढ़ने वाला ही था परंतु दुर्भाग्य से ऐसा हो गया है।

इसके अलावा इस सरकार का विश्वास निवेशकों में बनाए रखने के लिए पिछले साल 30 दिसंबर को हमने सभी उद्योगपतियों को आमंत्रित किया था। हमने वित्तीय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था। मैं मुंबई गया था। मैं निवेशकों से मिला था। उनकी पार्टी के मुख्य मंत्री वहां थे। दस महीनों के दौरान इस सरकार के प्रशासन में मैंने कोई भेदभाव नहीं किया था। मैंने सभी परियोजनाओं को पूरा किया, चाहे कोई राज्य हो या देश में कोई राजनैतिक दल। पिछले दस महीनों में लगभग 500 परियोजनाएं पूरी की गईं। जिसमें लगभग सात बिलियन डॉलर खर्च हुआ।

क्या यही पाप मैंने किया है। दस महीनों में हमने 118 नई चीनी मिलों को लाइसेंस दिए। मैं कई ऐसे फैसलों का उदाहरण दे सकता हूँ जिनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि यह देश अब अपनी दुर्दशा से बाहर आए और देश की प्रगति में तीव्रता आए। इसी पृष्ठभूमि के साथ हमने निर्णय लिया है।

महोदय, मैं एक बार फिर कांग्रेस (आई) सहित सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इन दस महीनों में मुझे कुछ करने के लिए सहयोग किया।

मैं इतना बड़ा आदमी नहीं था। परंतु भाग्य मुझे यहां ले आया है। मैं संतुष्ट हूँ। इन दस महीनों के दौरान मैंने अपने लोगों, अपने देश और यहां तक कि अपने सहयोगियों के साथ विश्वासघात नहीं किया है। महोदय, आज आपके सहयोग से और इस पूरे सदन के सहयोग से जो कुछ सेवा मैं कर सकता था वह सेवा मैंने इन दस महीनों में की है।

मैं जनसंचार माध्यम से जुड़े लोगों को भी अपना धन्यवाद देना चाहता हूँ। कांग्रेस (आई) द्वारा संयुक्त मोर्चा सरकार से समर्थन वापिस लेने के बाद क्षेत्रीय समाचार पत्रों सहित सभी समाचार पत्रों ने इस सरकार की उपलब्धियों का कम से कम सही चित्रण करने की कोशिश की है। इसलिए, मैं संचार माध्यम से जुड़े इन लोगों को अपना आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय जी इन दस महीनों में मुझे पूरा सहयोग देने के लिए मैं आपका और प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहता हूँ।

अंत में, विश्वास प्रस्ताव के संबंध में जिवेक के साथ कोई निर्णय लेना इस सदन का काम है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ क्यों नहीं जाते? आप अपने स्थान पर बैठें। अपने-अपने स्थानों पर आप थोड़ी देर बाद जाना। अभी नहीं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? आप चुप क्यों नहीं होते? अब मैं श्री एच.डी. देवेगौड़ा द्वारा पेश किये गए प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है :

“कि यह सभा मंत्री-परिषद् में अपना विश्वास व्यक्त करती है।”

जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कहें ‘हां’

कुछ माननीय सदस्य : ‘हां’

अध्यक्ष महोदय : जो इसका विरोध करना चाहते हैं, वे कहें ‘नहीं’

कुछ माननीय सदस्य : ‘नहीं’

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है, ‘हां’ कहने वाले अधिक हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, ‘नहीं’ कहने वाले अधिक हैं।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, कुछ सदस्यों के पास अपनी विभाजन संख्या नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हां, मुझे पता है। मैं उनकी घोषणा करूंगा। इसका ध्यान रखा जाएगा।

दीर्घाएं खाली होने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं। सबसे पहले, जिन सदस्यों को अभी विभाजन संख्या आबंटित नहीं की गई है, उन्हें यह बताना चाहूंगा कि उन्हें पर्वियां दी जाएंगी। हमारे पास उनके नाम हैं।

रिकार्डिंग मशीन को कैसे संचालित करना है, इसके बारे में मैं निर्देश दूंगा। मत-विभाजन शुरू होने से पूर्व प्रत्येक सदस्य को अपनी ही सीट पर होना चाहिए और प्रणाली का संचालन अपनी सीट से करना चाहिए। सदस्य को अपना वोट देने के लिए अपनी सीट से दो बटन दबाने होंगे। इनमें से एक बटन सदस्य की सीट के सामने रेलिंग पर लगा है। कृपया इसे जांच लें। इसे ‘वोट इनिशिएशन स्विच’ कहते हैं। मुझे लगता है आपने इसे जांच लिया होगा। एक सदस्य को अपनी सीट के सामने लगे तीन बटनों में से एक दबाना होगा यदि ‘हां’ तो हरा; यदि ‘नहीं’ तो लाल और

यदि वोट नहीं देना चाहते, तो पीला, अपनी मर्जी अनुसार। आपने इसकी जांच कर ली होगी। 'वोट इनिशिएशन स्विच', और इन तीन बटनों में से एक बटन को एक साथ दबाना होगा - दस सेकिण्ड के लिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। बटनों को दबाने का समय दो तरह से जांचिए-एक तो उल्टी गिनती से 10-9-8 से जो दिखाए जाने वाले बोर्ड पर होगा और जो शून्य तक जाएगा और दूसरा 'आडियो अलार्म' के जरिए।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मुझे आशा है कि यहां राज्य सभा के सदस्यों के वोट नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल सही, यहां पर जिसकी सीट नहीं, उसका वोट नहीं है।

विभाजन की वास्तविक प्रक्रिया पहले आडियो अलार्म से शुरू होगी जिसे आप बोर्ड पर देखेंगे। सदस्य को बटन केवल तभी दबाना चाहिए जब पहला आडियो अलार्म बज जाए। दस सेकिण्ड समाप्त होने पर आडियो अलार्म दूसरी बार तब सुनाई देगा जब दबाए गए दोनों बटनों को छोड़ दिया जाएगा।

प्रश्न यह है:

“यह सभा मंत्री-परिषद् में अपना विश्वास व्यक्त करती है।”

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 1

रात्रि 11.43 बजे

पक्ष में

1. अडईकलराज, श्री एल.
2. अरूणाचलम, श्री एम.
3. अलागिरी, श्री सामी. बी.
4. अलेमाओ, श्री चर्चिल
5. आचार्य, श्री बसुदेव
6. इस्लाम, श्री कमरूल
7. उद्यप्पन, श्री एस.पी.
8. ओला, श्री शीश राम
9. ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन
10. कंडासामी, श्री के.
11. कंडासामी, श्री बी.
12. कारवेंचन, श्री एस.के.
13. कुमार, श्री ए.पी. वीरेन्द्र
14. कुमारस्वामी, श्री एच.डी.
15. कृष्ण, श्री
16. कृष्णादास, श्री एन.एन.
17. कोटा, श्री सिद्धय्या
18. कौजलगी, श्री शिवानंद एच.
19. कैकाला, श्री सत्यनारायण
20. खलप, श्री रमाकान्त डी.
21. खान, श्री सुनील
22. गणेशन, श्री बी.
23. गांधी, श्रीमती मेनका
24. गुप्त, श्री इन्द्रजीत
25. गोविन्दन, श्री टी.
26. गौड़ा, श्री वाई.एन. रुद्रेश
27. चक्रवर्ती, श्री अजय
28. चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
29. चटर्जी, श्री सोमनाथ
30. चन्द्रशेखर, श्री
31. चारी, डॉ. एन. वेणुगोपाल
32. चित्यन, श्री एन.एस.वी.
33. चिदम्बरम, श्री पी.
34. चौधरी, श्री बादल
35. जगन्नाथ, डॉ. एम.
36. जहेदी, श्री महबूब
37. जालप्पा, श्री आर.एल.
38. जेना, श्री श्रीकान्त
39. टाडीपारथी, श्रीमती शारदा

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 40. टी. गोपाल कृष्ण, श्री | 68. पासवान, श्री सुकदेव |
| 41. डार, श्री मोहम्मद मकबूल | 69. प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के. |
| 42. डेनिस, श्री एन. | 70. फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ |
| 43. डोम, डा. रामचन्द्र | 71. फूलन देवी, श्रीमती |
| 44. तसलीमुद्दीन श्री | 72. बक्सला, श्री जोआचिम |
| 45. तिवारी, श्री बृज भूषण | 73. बर्मन, श्री ठधव |
| 46. तीर्थरामन, श्री पी. | 74. बर्मन, श्री रनेन |
| 47. तोपदार, श्री तरित चरण | 75. बसु, श्री अनिल |
| 48. धाम्मीनेनी, श्री वीरभद्रम | 76. बसु, श्री चित्त |
| 49. दास, श्री अंचल | 77. बाला, डॉ. असीम |
| 50. दास, प्रो. जितेन्द्र नाथ | 78. बालारमन, श्री एल. |
| 51. दास, श्री भक्त चरण | 79. बालासुब्रह्मण्यन, श्री एस.आर. |
| 52. देवदास, श्री आर. | 80. बालू, श्री टी.आर. |
| 53. देवी, श्रीमती सुभावती | 81. बौरी, श्रीमती संध्या |
| 54. धर्मभिक्षम, श्री | 82. भगवती देवी, श्रीमती |
| 55. नटरायन, श्री के. | 83. भास्करप्पा, श्री सी.एन. |
| 56. नरसिम्हन, श्री सी. | 84. भारथन, श्री ओ. |
| 57. नागरत्नम, श्री टी. | 85. मंडल, श्री सनत कुमार |
| 58. नायक, श्री राजा रंगप्पा | 86. महतो, श्री बीर सिंह |
| 59. नायडू, श्री के.पी. | 87. महन्त, श्री केशव |
| 60. निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद | 88. महाराज, श्री सतपाल |
| 61. पटरूधु, श्री अय्यन्ना | 89. मारन, श्री मुरासोली |
| 62. पटेल, श्री जंग बहादुर सिंह | 90. मिश्र, श्री चतुरानन |
| 63. परसुरामन, श्री के. | 91. मुखर्जी, श्री प्रमथेस |
| 64. पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस. | 92. मुखर्जी, श्री सुब्रत |
| 65. पाटिल, श्री बी.आर. | 93. मुखर्जी, श्रीमती गीता |
| 66. पाल, श्री रूप चन्द | 94. मुखोपाध्याय, श्री अजय |
| 67. पासवान, श्री राम विलास | 95. मुर्मू, श्री रूप चन्द |

- *96. मेघे, श्री दत्ता
97. मेती, श्री एच.वाई.
98. मेहता, प्रो. अश्वित कुमार
99. मोल्लाह, श्री हन्नान
100. यादव, श्री अनिल कुमार
101. यादव, श्री गिरधारी
102. यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
103. यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
104. यादव, श्री मुल्तायन सिंह
105. यादव, श्री रमाकान्त
106. यादव, श्री राम कृपाल
107. यादव, श्री लाल बाबू प्रसाद
108. यादव, श्री शरद
109. यादव, श्री सुरेन्द्र
110. येरननायडू, श्री किंजारप्पू
111. रंगपी, डॉ. जयन्त
112. रमना, श्री एल.
113. रमेन्द्र कुमार, श्री
114. रमैया, श्री पी. कोदंड
115. रमैया, डा. बोला बुल्ली
116. रमैया, श्री सोडे
117. राघवन, श्री वी.वी.
118. राजेन्द्रन, श्री पी.वी.
119. राजेश रंजन ठर्फ पप्पू यादव, श्री
120. रामलिंगम, डॉ. के.पी.
121. रामसागर, श्री
122. राम बाबू, श्री ए.जी.एस.
123. राय, श्री नवल किशोर
124. राय, श्री बलाई चन्द्र
125. राय, श्री हाराधन
126. रायप्रधान, श्री अमर
127. रायरेड्डी, श्री बासवराज
128. रिबा, श्री तोमो
129. रिबान, श्री बाजुवन
130. रेड्डी, श्री भूमनागी
131. लाहिडी, श्री समीक
132. वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद
133. वेंकटरामन, श्री टिडिबनाम जी.
134. वेंकटेशन, श्री पी.आर.एस.
135. शंकर, श्री बी.एल.
136. शर्मा, डॉ. अरविन्द
137. शर्मा, डॉ. प्रवीन चन्द्र
138. शाक्य, श्री राम सिंह
139. शिवप्रकाशम, श्री डी.एस.ए.
140. शिवा, श्री तिरुची
141. शेरवानी, श्री सलीम इकबाल
142. चण्णुगा सुन्दरम, श्री वी.पी.
143. सहाय, श्री हरिवंश
144. सिंह, श्रीमती कांति
145. सिंह, श्री रघुवंश प्रसाद
146. सिंह, श्री राम बहादुर
147. सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद
148. सिंह, श्री वीरिन्द्र कुमार
149. सिंह, श्री शत्रुघ्न प्रसाद
150. सिंह, कुंवर सर्वराज

151. सिद्धराजु, श्री ए.
152. सोमू, श्री एन.वी.एन.
153. सेल्वारासु, श्री एम.
154. सैकिया, श्री मुही राम
155. स्वामी, श्री सी. नारायण
156. स्वैल, श्री जी.जी.
157. हसन, श्री मुनव्वर
158. हुसैन, श्री सैयद मसूदल

विपक्ष में

1. अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
2. अग्रवाल, श्री धीरेन्द्र
3. अग्रवाल, श्री जय प्रकाश
4. अडसूल, श्री आनन्दराव विठोबा
5. अन्तुले, श्री अब्दुल रहमान
6. अन्नाय्यागरी, श्री साई प्रताप
7. अनंत कुमार, श्री
8. अनन्त, श्री वेंकटराम्पी रेड्डी
9. अनवर, श्री तारिक
10. अवैद्यनाथ, श्री
11. अहमद, श्री एम. कमालुद्दीन
12. अहीर, श्री हंसराज
13. आठवले, श्री नारायण
14. आवाडे, श्री कल्लप्पा
15. इमचा, श्री
16. इस्लाम, श्री नुरूल
17. उपेन्द्र, श्री पी.
18. उमा भारती, कुमारी
19. उरांव, श्री ललित

20. कटियार, श्री विनय
21. कबीरिया, डा. बल्लभभाई
22. कनोडिया, श्री महेश कुमार एम.
23. कनौजिया, श्री जी.एल.
24. कमल रानी, श्रीमती
25. कर्मा, श्री महेन्द्र
26. कलमाड़ी, श्री सुरेश
27. कांशीराम श्री
28. काम्बले, श्री शिवाजी विठ्ठलराव
29. कामसन, प्रो. एम.
30. कार, श्री गुलाम रसूल
31. कुंदूरकर, श्री जी.एम.
32. कुमार, श्रीमती मीरा
33. कुमार, श्री वी. धनन्जय
34. कुरियन, प्रो. पी.जे.
35. कुलस्ते, श्री फगन सिंह
36. कुसमरिया, डा. रामकृष्ण
37. कोंडय्या, श्री के.सी.
38. कौर, श्रीमती सुखबंस
39. खण्डेलवाल, श्री विजय कुमार
40. खरबार, श्री घनश्याम चन्द्र
41. खालसा, श्री हरिन्दर सिंह
42. गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
43. गढ़वी, श्री पी.एस.
44. गढ़वी, श्री बी.के.
45. गमांग, श्री गिरिधर
46. गामीत, श्री छीतुभाई
47. गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

- | | |
|---|--|
| 48. गायकवाड़, श्री सत्यजीतसिंह दर्लापसिंह | 76. जगमोहन, श्री |
| 49. गावीत, श्री माणिकराव होडल्या | 77. जटिया, डॉ. सत्यनारायण |
| 50. गीते, श्री अनंत गंगाराम | 78. जय प्रकाश, श्री (हरदोई) |
| 51. गुडे, श्री अनंत | 79. जय प्रकाश, श्री (हिसार) |
| 52. गुप्त, श्री चमन लाल | 80. जाधव, श्री सुरेश आर. |
| 53. गेहलोत, श्री अशोक | 81. जायसवाल, डॉ. मदन प्रसाद |
| 54. गेहलोत, श्री थावरचन्द | 82. जायसवाल, श्री एस.पो. |
| 55. गोयल, श्री विजय | 83. जाबीया, श्री गोरधनभाई |
| 56. घाटोवार, श्री पवन सिंह | 84. जैन, श्री सत्य पाल |
| 57. चन्दूभाजरा, प्रो. प्रेमसिंह | 85. जैसवाल, श्री प्रदीप |
| 58. चव्हाण, श्री पृथ्वीराज दा. | 86. जोशी, डा. मुरली मनोहर |
| 59. चाक्को, श्री पी.सी. | 87. ठाकरे, श्री राजाभाऊ |
| 60. चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई | 88. डामोर, श्री सोमजी भाई |
| 61. चिखलिया, श्रीमती भावनादेन देवराजभाई | 89. डेलकर, श्री मोहन एस. |
| 62. चेन्नितला, श्री रमेश | 90. तिरिया, कुमारी सुसीला |
| 63. चौधरी, कर्नल सोनाराम | 91. तोपनो, कुमारी फ्रिडा |
| 64. चौधरी, श्री ए.बी.ए. गनी खां | 92. तोमर, डा. रमेश चन्द |
| 65. चौधरी, श्री पंकज | 93. त्रिपाठी, लेफ्टीनेंट जनरल प्रकाश कणि |
| 66. चौधरी, श्री पदमसेन | 94. थोरात, श्री संदीपान |
| 67. चौधरी, श्री परगगी लाल | 95. दास, श्री द्वारका नाथ |
| 68. चौधरी, श्री मणीभाई रामजी भाई | 96. दासमुंशी, श्री पी.आर. |
| 69. चौधरी, श्री राम टहल | 97. दिवाधे, श्री नामदेव |
| 70. चौधरी, श्रीमती निशा ए. | 98. दीवान, श्री पवन |
| 71. चौबे, श्री लालमुनी | 99. देव, श्री संतोष मोहन |
| 72. चौहान, श्री जयसिंह | 100. देशमुख, श्री चन्दूभाई |
| 73. चौहान, श्री नंदकुमार सिंह | 101. द्रोण, श्री जगत वीर सिंह |
| 74. चौहान, श्री निहाल चन्द | 102. नंदी, श्री येस्लैया |
| 75. चौहान, श्री श्रीराम | 103. नाईक, श्री राम |

- | | |
|---|------------------------------------|
| 104. नामग्याल, श्री पी. | 132. पाटीदार, श्री रामेश्वर |
| 105. नायक, श्री मृत्युन्जय | 133. पाठक, श्री हरिन |
| 106. निडर, प्रो. ओमपाल सिंह | 134. पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ |
| 107. निम्बालकर, श्री हिन्दूराव नाईक | 135. पायलट, श्री राबेश |
| 108. निषाद, श्री विशम्भर प्रसाद | 136. पाल, डॉ. देवी प्रसाद |
| 109. नीतीश कुमार, श्री | 137. पार्वती, श्रीमती एम. |
| 110. नेताम, श्रीमती छबिला अरविन्द | 138. पासवान, श्री कामेश्वर |
| 111. नेलावाला, श्री सुब्रह्मण्यम | 139. पुरोहित, श्री बनवारी लाल |
| 112. पटनायक, श्री शरत | 140. प्रधान, श्री अशोक |
| 113. पटेल, डा. ए.के. | 141. प्रधानी, श्री के. |
| 114. पटेल, श्री दिनशा | 142. प्रभु, श्री सुरेश |
| 115. पटेल, श्री प्रफुल्ल | 143. प्रेमी, श्री मंगल राम |
| 116. पटेल, श्री बुद्धसेन | 144. फर्नान्डीज, श्री ऑस्कर |
| 117. पटेल, श्री विजय | 145. फर्नान्डीज, श्री जार्ज |
| 118. पटेल, श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास | 146. फारूख, श्री एम.ओ.एच. |
| 119. पनबाका, श्रीमती लक्ष्मी | 147. फुंडकर, श्री भाऊसाहेब पुंडलिक |
| 120. परांजपे, श्री दादा बाबूराव | 148. बंगरप्पा, श्री एस. |
| 121. परांजपे, श्री प्रकाश विश्वनाथ | 149. बंशीवाल, श्री श्याम लाल |
| 122. पवार, श्री उत्तम सिंह | 150. 'बचदा', श्री बची सिंह रावत |
| 123. पवार, श्री शरद | 151. बडाडे, श्री भीमराम बिष्णु जी |
| 124. पांजा, श्री राजित कुमार | 152. बनर्जी, कुमारी ममता |
| 125. पांडेय, डॉ. लक्ष्मी नारायण | 153. बरनाला, सरदार सुरजीत सिंह |
| 126. पांडेय, श्री मनहरण लाल | 154. बलिराम, डॉ. |
| 127. पांडेय, श्री रवीन्द्र कुमार | 155. बागूल, डॉ. साहेबराव सुकराम |
| 128. पाटिल, श्री अन्नासाहेब एम.के. | 156. बादल, श्री सुखबीर सिंह |
| 129. पाटिल, श्री मदन | 157. विश्वकर्मा, श्री महाबीर लाल |
| 130. पाटिल, श्री शिवराज बी. | 158. बिसवाल, श्री रनजीव |
| 131. पाटिल, श्रीमती रजनी | 159. बुडानिया, श्री नरेन्द्र |

160. बेगम नूर बानो
161. बैठा, श्री महेन्द्र
162. बैदा, चौधरी रामचन्द्र
163. बैस, श्री रमेश
164. बोस, श्रीमती कृष्णा
165. भक्त, श्री मनोरंजन
166. भगत, श्री विश्वेश्वर
167. भार्गव, श्री गिरधारी लाल
168. भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
169. भाटी, श्री महेन्द्र सिंह
170. भारती, डॉ. अमृत लाल
171. भारद्वाज, श्री नीतीश
172. भारद्वाज, श्री परसराम
173. भूरिया, श्री दिलीप सिंह
174. भोई, डॉ. कृपासिन्धु
175. मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
176. मगानी, श्री गुलाम मोहम्मद मीर
177. मल्लिकार्जुन, डॉ.
178. मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी.
179. महाजन, श्री प्रमोद
180. महाजन, श्री सत
181. महाजन, श्रीमती सुमित्रा
182. महापात्र, श्री कार्तिक
183. मिश्र, श्री पिनाकी
184. मिश्र, श्री राम नगीना
185. मीणा, श्री भेरूलाल
186. मीणा, श्रीमती उषा
187. मुण्डा, श्री कडिया

188. मुनियप्पा, श्री के.एच.
189. मुडे, श्री विजय अन्नाजी
190. मुनिलाल, श्री
191. मूर्ति, श्री के.एस.आर.
192. मेघवाल, श्री परसराम
193. मेहता, श्री सनत
194. मेहता, श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र
195. मोहन, श्री आनन्द
196. मोहले, श्री पुनू लाल
197. मौर्य, श्री आनन्द रत्न
198. वादव, श्री जगदम्बी प्रसाद
199. यादव, श्री डी.पी.
200. राठत, श्री कचरू भाऊ
201. राजपूत, श्री गंगा चरण
202. राजे, श्रीमती वसुन्धरा
203. राठवा, श्री एन.जे.
204. राणा, श्री काशीराम
205. राणा, श्री राजू
206. राम, श्री ब्रजमोहन
207. रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
208. रामशकल, श्री
209. राय, श्री देवेन्द्र बहादुर
210. राव, श्री आर. साम्बासिन्हा
211. राव, श्री पी.वी. नरसिंह
212. रावत, श्री भगवान संकर
213. रावत, प्रो. राधा सिंह
214. रावले, श्री मोहन
215. रूडी, श्री राजीव प्रताप

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 216. रेड्डी, श्री एम. बागा | 244. सरपोतदार, श्री मधुकर |
| 217. रेड्डी, श्री के. विजय भास्कर | 245. सरदार, श्री माधव |
| 218. रेड्डी, श्री जी.ए. चरण | 246. साथी, श्री हरपाल सिंह |
| 219. रेड्डी, डॉ. वाई.एस. राजेशखर | 247. साक्षी, स्वामी सच्चिदानन्द |
| 220. लोढा, श्री जस्टिस गुमान मल | 248. साय, श्री नन्द कुमार |
| 221. वर्मा, श्री आर.एल.पी. | 249. साहू, श्री अनादि चरण |
| 222. वर्मा, श्रीमती पूर्णिमा | 250. साहू, श्री ताराचन्द |
| 223. वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह | 251. सिंघु, श्री चित्रसेन |
| 224. वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास | 252. सिंधिया, श्रीमती विजयराजे |
| 225. वर्मा, प्रो. रीजा | 253. सिंह, श्री अमरपाल |
| 226. वल्ल्याल, श्री लिंगराज | 254. सिंह, श्री अशोक |
| 227. वाजपेयी, श्री अटल बिहारी | 255. सिंह, श्रीमती केतकी देवी |
| 228. वाडियार, श्री एस.डी.एन.आर. | 256. सिंह, श्री खेलसाय |
| 229. वानगा, श्री चिन्तामन | 257. सिंह, श्री छत्रपाल |
| 230. वीरप्पा, श्री रामचन्द्र | 258. सिंह, श्री जसवंत |
| 231. वेदान्ती, डॉ. राम विलास | 259. सिंह, चौधरी तेजवीर |
| 232. व्यास, डॉ. गिरिजा | 260. सिंह, श्री देवी बक्स |
| 233. शर्मा, श्री अशोक | 261. सिंह, श्री नकली |
| 234. शर्मा, श्री कृष्ण लाल | 262. सिंह, श्री प्रहलाद |
| 235. शर्मा, श्री नवल किशोर | 263. सिंह, मेजर जनरल विक्रम |
| 236. शर्मा, श्री मंगल राम | 264. सिंह, श्री मोहन |
| 237. शर्मा, कैप्टन सतीश | 265. सिंह, राजकुमारी रत्ना |
| 238. शाक्य, डॉ. महादीपक सिंह | 266. सिंह, श्री राजकेशर |
| 239. शाह, श्री मानवेन्द्र | 267. सिंह, कर्नल राव राम |
| 240. शैलजा, कुमारी | 268. सिंह, श्री राधा मोहन |
| 241. संधानी, श्री दिलीप | 269. सिंह, श्री शिवराज |
| 242. सईद, श्री पी.एम. | 270. सिंह, श्री सत्यदेव |
| 243. सनदी, प्रो. आई.जी. | 271. सिंह, श्री सरताज |

272. सिंह, श्री सुरेन्द्र
 273. सिंह, श्री सोहनवीर
 274. सिंह, डॉ. हरि
 275. सिंह देव, श्री के.पी.
 276. सिन्हा, श्री मनोज कुमार
 277. सिल्वेरा, डॉ. सी.
 278. सुखराम, श्री
 279. सुभाष चन्द्र, श्री
 280. सुरेश, श्री कोडीकुनील
 281. सुल्तानपुरी, श्री के.डी.
 282. सुशील चन्द्र, श्री
 283. सोनकर, श्री विद्यासागर
 284. सौम्य रंजन, श्री
 285. स्वराज, श्रीमती सुषमा
 286. स्वामी, श्री आई.डी.
 287. स्वामी, श्री जी. वेंकट
 288. हंसदा, श्री थामस
 289. हजारिका, श्री ईश्वर प्रसन्ना

290. हाण्डिक, श्री विजय
 291. हूड्डा, श्री भूपिन्द्र सिंह
 292. हेगड़े, श्री अनन्त कुमार

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यक्षीन* विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा :-

पक्ष में	158
विपक्ष में	292

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : महोदय, संशोधित संख्या अभी घोषित की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उसके लिए रुकना चाहते हैं, तो आप रुक सकते हैं अन्यथा शुद्धि बाद में की जाएगी, क्योंकि इसमें अभी शुद्धि की जानी है। इसलिए कहा गया है "शुद्धि के अध्यक्षीन"।

अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 11.54 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया।

- पक्ष में : 1. सर्वश्री आर. धनुषकोडी आदित्यन 2. के.एस. रायडू 3. पीताम्बर पासवान 4. ए.एम. वेलू 5. एम. रामनाथन 6. प्रताप सिंह 7. प्रो. आर.आर. ग्रामाणिक 8. श्री आर. ज्ञानगुरुनाथी 9. डा. उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू 10. श्री अजमीरा बन्दूलाल 11. श्रीमती रत्नामाला डी. सक्कनूर 12. डा. अरुण कुमार शर्मा 13. सर्वश्री डी. वेणुगोपाल 14. सुधीर गिरी 15. बरिन्द्र प्रसाद बैश्य 16. बेनी प्रसाद वर्मा 17. मुहम्मद सहाबुद्दीन 18. सर्वश्री दिनेश चन्द्र यादव 19. एस. रामचन्द्र रेड्डी 20. एन. रामकृष्ण रेड्डी 21. डा. शफीकुर्रहमान बर्क 22. सर्वश्री पी. बण्णुगम 23. आर.बी. राई 24. ए. राजा 25. एस. अजय कुमार 26. कल्पनाथ राय 27. लुई इस्लेरी 28. के.वी. सुरेन्द्र नाथ 29. ए. सम्पत 30. बांगवा राजकुमार 31. नील एलायसियस "ओ" ब्रायन 32. श्रीमती हेडविग माइकेल रीगो 33. श्री अजित सिंह।
- विपक्ष में : 1. सर्वश्री माधवराव सिंधिया 2. तिलकराज सिंह 3. नारायण दत्त तिवारी 4. दत्त मेघे 5. माकसि देवराय शेल्के 6. पी.वी. राजेश्वर राव 7. मेजर सिंह ठोक 8. जयन्त भट्टाचार्य 9. मोहम्मद इदरीस अली 10. बी. प्रदीप देव 11. इलियास आजमी 12. डा. बी.एन. रेड्डी 13. सर्वश्री प्रदीप भट्टाचार्य 14. रविन्द्र चित्तूरी 15. ए.सी. जोस 16. डा. टी. सुब्बाराय रेड्डी 17. सर्वश्री हरभजन लाखा 18. लक्ष्मण सिंह 19. निवृत्ति सेठ नामदेव शेरकर 20. अशोक अर्गल 21. गोपाल टंडेल 22. दरबारा सिंह 23. थ. चौबा सिंह 24. रामसजीवन 25. राममूर्ति सिंह वर्मा 26. सुखलाल कुलवाहा 27. ओ.पी. जिन्दल 28. श्रीमती शीला गौतम 29. सर्वश्री प्रभु दयाल कठेरिया 30. छतर सिंह दरबार 31. बरिन्द्र कुमार 32. मुरलीधर जेना 33. ताराचन्द भगोर 34. पुण्डलिकराव रामजी गवाली 35. राजाराम परशुराम गोडसे 36. डा. राम लखन सिंह 37. सर्वश्री ज्ञान सिंह 38. किसान लाल दिलेर 39. डा. जी.आर. सरोदे 40. सर्वश्री चन्द्रेश पटेल 41. श्याम बिहारी मिश्र 42. गंगाराम कोली 43. चन्द्र भूषण सिंह 44. श्रीमती सतविन्दर कौर डालीवाल 45. सर्वश्री सुन्दर लाल पट्टा 46. भानु प्रकाश मिर्धा।